सप्तम माला, खंड 17, अंक 51, गुरुवार, 30 अप्रैल, 1981/10 वैशाख 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 17 में अंक 51 से 56 तक है)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपए ।

विषय सूची

अंक 51, गुरुवार, 30 अप्रैल, 1981/10 वैशाख, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
मित्र के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2–19
*तारांकित प्रश्न संख्या 1011, 1012, 1017 और 1019 से 1022	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20–170
तारांकित प्रश्न संख्या 1010, 1013 से 1016, 1018 और 1023 से 1030	
अतारांकित प्रश्न संख्या 9293 से 9479	
स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में	170-176
सभा पटल पर रखे गये पत्र	176-179
राज्य सभा से संदेश	179–180
चलचित्र (संशोधन) विधेयक	
राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति कार्यवाही सारांश	180
प्राक्कलन समिति	180–181
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	
प्राक्कलन समिति	181
15वां और 17वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	
लोक लेखा समिति :	182–183
18वां, 38वां, 39वां, 46वां से 48वां और 50वां से 54वां प्रतिवेदन तथा प्रक्रिया और सामान्य मामलों संबंधी कार्यवाही-सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
चौथा प्रतिवेदन	183

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

लोक सभा

गुरुवार, 30 अप्रैल, 1981/10 वैशाख, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर पांच मिनट पर समवेत हुई।

अध्यक्ष मसोदय पीठासीन हुए।

श्री रामावतार शास्त्री : ट्रेजरी बैंचेज खाली हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो बैठे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उधर दो ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : 1 और 1, 11 होते हैं, यह हिसाब की नई पद्धति है।

मिस्र के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सब से पहले मुझे घोषणा करनी है।

मुझे अपनी तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से पीपलज असेम्बली ऑफ दि अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के उपाध्यक्ष, महामहिम श्री मुहम्मद अब्दुल हमीद रदवन और मिस्र के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत का दौरा करने आये हैं, स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। शिष्टमंडल के अन्य सदस्य हैं :—

1. महामहिम डा० मोहम्मद अहमद अब्देल्लाह, संसद सदस्य पीपलज असेम्बली की विदेश सम्बन्ध समिति के सभापति।

2. डा० (श्रीमती) फरखुण्दा हसन, संसद सदस्य पीपलज असेम्बली की विदेश सम्बन्ध समिति की सचिव।

3. श्री इब्राहीम एल. शिरबिनी, पीपलज असेंम्बली के महासचिव।

शिष्टमंडल आज प्रातःकाल यहां आया है और 5 मई, 1981 तक भारत में रहेगा। इस समय वे लोग विशेष कक्ष में विराजमान हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे यहां प्रसन्नतापूर्वक रहें और उनके लिए यह दौरा फायदेमन्द हो। उनके द्वारा हम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट की संसद, सरकार और वहां के स्नेही लोगों को शुभकामनायें भेजते हैं।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राजस्थान परिवहन निगम को आवंटित धनराशि

*1011. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान राजस्थान परिवहन निगम को कितनी धनराशि आवंटित की गई और यह राशि किस प्रयोजन के लिये दी गई; और

(ख) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा इस राशि का उपयोग किस प्रकार किया गया ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राज्य सड़क परिवहन निगम में राज्य सरकार द्वारा निवेश के लिए योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राशि का 50 प्रतिशत अन्शदान केन्द्र सरकार रेल मंत्रालय के माध्यम से करती है। 1979-80 और 1980-81 के दौरान, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में केन्द्र सरकार (रेलवे) के अंशदान की रकम क्रमश: 100 लाख रुपये और 157.50 लाख रुपये थी। इसमें से, क्रमश: 100 लाख रुपये और 63 लाख रुपये की राशि धन की उपलब्धता के अनुसार पहले ही निर्मुक्त कर दी गयी है। यह राशि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत ऋण पूंजी के रूप में राज्य सड़क परिवहन निगम को दे दी गयी है, ताकि निगम उपक्रमों को चला सकें।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, बड़ी तत्परता से जवाब दिया, लेकिन जवाब अधूरा ही दिया। मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने 1979-80 में 100 लाख और 1980-81 में 157 लाख रुपये का कंट्रीब्युशन करना था जिसमें से आपने 1980-81 में केवल 63 लाख रुपया दिया और आपने कह दिया कि फण्ड्स नहीं हैं। सारा साल समाप्त हो गया और आपने यह उत्तर दिया है। जब आप यह कहते हैं—

"जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।"

आपके सामने 1979-80 का तो हिसाब होगा कि कैसे रुपया यूटिलाइज हुआ, कैसे आपने दिया। आपकी दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में जाती हैं, इसका मुख्य क्या कारण है, मेहरबानी करके बताइये।

श्री मल्लिकार्जुन : स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन को सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा मंजूर की गयी राशि में से 50 परसेन्ट धनराशि रेलवे द्वारा दी जाती है। इसके लिए स्वयं प्लानिंग कमीशन निर्णय लेता है कि इतनी धनराशि दी जानी चाहिए। 1979-80 वर्ष के लिए प्लानिंग कमीशन का अप्रुवल दो सौ लाख रुपए देने का था। फिर बाद में, हाल के वर्ष के लिए उसने स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के लिए 315 लाख रुपये का कंट्रीब्युशन देने का फिक्स किया। जिसमें आधा हमको देना है। मार्च 1981 में बताया गया कि 315 लाख का कंट्रीब्युशन है तो हमने इन्कार कर दिया

कि काफी देर हो गई है, इसलिए देना संभव नहीं है, लेकिन 1979-80 और 1980-81 में 100 लाख और 157 लाख देने का प्रावधान रखा गया। 1980-81 में 63 लाख रुपए दिए गए हैं, बकाया रकम 94 लाख है। निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए यह राजस्थान के व्यापार निगमों को दी जायेगी।

अब किस रूप में खर्च किए गए, इसके डिटेल हमारे पास नहीं हैं। राजस्थान स्टेट ट्रांस्पोर्ट कार्पोरेशन से जानकारी मांगी गई है, प्राप्त होने पर जानकारी दे दी जायेगी, इसमें समय लगेगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जब कभी हम लोन लेते हैं तो अपनी दरख्वास्त में रीजन लिखते हैं कि किस काम के लिए लोन लिया जा रहा है, तब इसका अप्रूवल होता है। उस अप्रूवल के बाद आपने लोन दिया और इसके बाद जब 1981 में जब लोन लेना था क्या तब आपने जानकारी नहीं मांगी कि पिछला लोन किस प्रकार खर्च किया गया और 69 लाख आपने दे भी दिया। उसका उपयोग हुआ या नहीं हुआ, यह जानना चाहिए था। 1981 समाप्त हो रहा है और अभी तक आपने लोन नहीं दिया। आप कहते हैं कि फण्ड नहीं है। राजस्थान को जो कि पिछड़ा इलाका है, लोन नहीं दिया जाता, इसका क्या कारण है।

अध्यक्ष महोदय : सारा पैसा तो राजस्थानियों के ही पास है।

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने पहले भी बताया है कि फण्ड एवलेबल होने पर ही स्टेट ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन को दिया जा सकता है। लोन कंट्रोव्यूशन का है, जिस पर इन्ट्रेस्ट भी चार्ज किया जाता है।

श्री सतीश अग्रवाल : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान का 60 प्रतिशत क्षेत्र रेगिस्तान है, राजस्थान का पश्चिमी भाग बहुत ही अधिक पिछड़ा हुआ है, राजस्थान को प्रतिव्यक्ति आय व्यवहार रूप में सबसे कम है और राजस्थान में रेल पटरियां बहुत अधिक विकसित नहीं हैं, क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान के मामले पर अनुकूल दृष्टि से विचार करेगी और राजस्थान परिवहन निगम को धनराशि देगी जिससे राजस्थान के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से परिवहन की व्यवस्था की जा सके ? महोदय, आप अवश्य जानते होंगे, क्योंकि यद्यपि आप राजस्थान से नहीं हैं तथापि आपके पूर्वज राजस्थान से ही थे, कि राजस्थान का एक जिला विशेष अर्थात् जैसलमेर स्वयं केरल राज्य से भी कहीं बड़ा है और एक जिले से दूसरे जिले के बीच की दूरी अलीगढ़ और मथुरा के बीच 36 मील जितनी नहीं है, यह तो 100 से 150 मील है। क्या सरकार इस तथ्य विशेष पर भी विचार करेगी कि जिलों के मुख्यालयों के बीच भी सड़कें नहीं हैं। उदाहरणार्थ, सवाई माधोपुर और कोटा के बीच सड़क नहीं है और सवाई माधोपुर से दिल्ली के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार भारी विनिधान करने के प्रश्न पर विचार करेगी, जहां तक राजस्थान में परिवहन का सम्बन्ध है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक राजस्थान में सड़क परिवहन व्यवस्था पर भारी विनिधान करने का सम्बन्ध है, इसकी मंजूरी देना तो योजना आयोग का काम है।

अध्यक्ष महोदय : आप इतना तो विश्वास दिला सकते हैं कि परियोजना पर बिचार करेंगे ।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक राज्य परिवहन निगम को हमारे अंशदान का सम्बन्ध है, हम योजना आयोग द्वारा नियत रकम की 50 प्रतिशत राशि देंगे ।

श्री सतीश अग्रवाल : आपने यह नहीं कहा है ।

श्री मल्लिकार्जुन : शेष राशि वे स्वयं जुटायेंगे ।

श्री भेरावदन के. गधावी : कई राज्य निगम दूरस्थ ग्रामों तक कच्ची सड़कों पर बसें नहीं चला रहे हैं । परन्तु गुजरात राज्य परिवहन निगम सभी ग्रामों तक बसें चलाता है, चाहे वहां पर पक्की सड़कें हों चाहे कच्ची सड़कें । यह निगम बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है । इस निगम को बढ़ावा देने के लिए क्या केन्द्रीय सरकार बसों की संख्या बढ़ाने, डिपुओं का निर्माण करने आदि के लिये ऋण देगी ? हमारा उद्देश्य यह है कि उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पक्की सड़कें नहीं हैं, परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हों । गुजरात ने इस बारे में बहुत अच्छा काम किया है । केन्द्रीय सरकार को इसकी मदद करनी चाहिये । क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात को और ऋण देगी ।

श्री मल्लिकार्जुन : अठारह में से दो सड़क परिवहन निगमों की स्थिति बेहतर है । उनमें से एक गुजरात है और दूसरा आन्ध्र प्रदेश है। समूचे रूप से स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुजरात निगम को और राशि नहीं दी जा सकती ।

ब्रिटेन में अप्रवासी महिलाओं का गुप्त बन्ध्यकरण

*1012. **श्री एन. ई. होरो :**

श्री अर्जुन सेठी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को ब्रिटेन जाने वाली अप्रवासी महिलाओं के गुप्त रूप से बन्ध्यकरण के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : (क) हमने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

पी० टी० आई० की इस आशय की एक रिपोर्ट 6 अप्रैल 1981 को टाइम्स आफ इण्डिया में छपी थी कि ब्रिटेन में अप्रवासी महिलाओं का और समाज की न्यून सुविधा प्राप्त वर्गों की महिलाओं का बन्ध्याकरण उनकी रजामन्दी या जानकारी के बिना किया गया है । यह रिपोर्ट "ब्रिटेन के गुप्त बन्ध्याकरण के शिकार" शीर्षक लेख पर आधारित है जो कि 5 अप्रैल, 1981 के ब्रिटिश समाचार-पत्र "द आब्जरवर" में छपी थी ।

"द आब्जरवर" में प्रकाशित इस लेख में इस बात की ओर इंगित किया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के बन्ध्यकरण में आमतौर पर वृद्धि हो रही है बहुत बार इसके कारण "स्वास्थ्यगत न होकर सामाजिक होते हैं।" लेख में आगे कहा गया है कि "कई महिलाओं को उनके अपने अनुरोध पर या उनके चिकित्सकों से विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद बन्ध्यीकृत किया गया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का यह संदेह है कि मध्यवर्ग की महिलाओं की अपेक्षा सामाजिक रूप से निम्न वर्ग से संबंधित महिलाओं जैसे अप्रवासी, मंद बुद्धि परिवारों या 'समस्यामूलक' परिवारों की महिलाओं को बन्ध्यीकृत किए जाने की अधिक संभावना रहती है।" इस प्रकार इस लेख में मुख्यत: सामान्य सामाजिक, आर्थिक समस्या और एक चिकित्सीय नैतिकता की चर्चा की गई है, न कि जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव किए जाने के किसी मामले की। टाइम्स आफ इण्डिया की जिस खबर का ऊपर हवाला दिया गया है उसमें आब्जरवर में प्रकाशित लेख के केवल कुछ अंशों को ही उद्धृत किया गया है और सारे संदर्भ को स्पष्ट नहीं किया गया है।

ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बाद में यह बताया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी महिला को रजामन्दी या जानकारी के बिना बन्ध्यीकृत किया गया है। प्रवक्ता ने इस बात के लिए खेद भी प्रकट किया कि इस रिपोर्ट ने जातीय पक्षपात का शक पैदा कर दिया है।

लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें किसी भारतीय महिला को उसकी रजामन्दी या जानकारी के बिना बन्ध्यीकृत किया गया हो। ब्रिटेन के किसी भारतीय संगठन ने भी ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी है।

इन परिस्थितियों में भारत सरकार ने विरोध प्रकट करने का विचार नहीं किया है।

श्री एन० ई० होरो : सरकार ने जो विवरण दिया है उसमें यह उल्लिखित है कि ब्रिटेन में 'दि अब्ज़र्वर' में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख का शीर्षक "ब्रिटेन में गुप्त बन्ध्यकरण के शिकार", इसके आधार पर यहां 'दि टाइम्स आफ इण्डिया' में एक और लेख प्रकाशित हुआ। इन दो रिपोर्टों से यह धारणा बन गई है कि ब्रिटेन में अप्रवासी महिलाओं का बन्ध्यकरण उनकी मर्जी के विरुद्ध किया जा रहा है। परन्तु विवरण में यह भी उल्लिखित है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या यह सच नहीं है कि यहां कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस प्रचार माध्यम का उपयोग इस देश में और बाहर ब्रिटन और भारत की झूठी निन्दा करने के लिए कर रहे हैं जिससे भारत और राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों के बीच सम्बन्ध बिगड़ जायें?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : देशों के बीच सम्बन्ध समाचार पत्रों की रिपोर्टों से प्रभावित नहीं होते हैं। ब्रिटेन में प्रकाशित हुई रिपोर्ट के आधार पर यहां भी रिपोर्ट छाप दी गई। माननीय सदस्य पर्याप्त रूप से सतर्क हैं जो उन्होंने यह प्रश्न पूछा। मामला स्पष्ट कर दिया गया है। मेरे विचार में अब और कुछ कहने के लिए नहीं है।

श्री एन० ई० होरो : "दि टाईम्स आफ इण्डिया" में इस समाचार के छपने से लोगों के दिमागों में शंका उत्पन्न हो गई है। यह लेख एक ब्रिटिश समाचारपत्र, 'दि अब्जर्वर' में 5 अप्रैल को प्रकाशित हुआ था। अगले दिन यह 'दि टाईम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या उनका विचार 'टाईम्स आफ इण्डिया' के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने और भविष्य में सावधान रहने के लिए कोई चेतावनी देने का है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उसकी कोई जरूरत नहीं है, ब्रिटेन में भी इसका प्रतिवाद कर दिया गया है और इसी प्रतिवाद के आधार पर ही मैंने उत्तर दिया है। मेरे विचार में इस पर आगे और कार्यवाही करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान : वक्तव्य में यह कहा गया है :

> "लन्दन स्थित भारत के हाई कमीशन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उनकी जानकारी में ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें किसी भारतीय महिला को उसकी रजामन्दी या जानकारी के बिना बन्धयीकृत किया गया हो।"

यह जानकारी तो कभी नोटिस में आएगी ही नहीं । हाई कमीशन की नालेज में भी यह नहीं आई है। मैं जानना चाहता हू कि मंत्री महोदय के नालेज में यह चीज है या नहीं है, उनकी नालेज में इस तरह की शिकायत आई है या नहीं आई है ? मंत्री महोदय ने इसी सदन में एक बार बहुत ही गम्भीर शब्दों में इस चीज का उल्लेख किया था, क्या यह सही नहीं है ?

मिसेज थैचर, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री यहां आई हुई थीं। वह एक महिला हैं। हमारी प्रधान मन्त्री भी महिला हैं। क्या भारत की प्रधान मन्त्री ने उनको इसका विवरण दिया था या नहीं और उनको बताया था कि हम लोगों के नोटिस में इस तरह की बातें आ रही हैं ? यदि नहीं दिया था तो क्या विदेश मन्त्री या विदेश मन्त्रालय ने मिसेज थैचर से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी और की थी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उत्तर से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : माननीय सदस्य के सप्लीमेंटरी का इस प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अलग मामला है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इन्होंने.....

अध्यक्ष महोदय : जो आपने पहला प्रश्न पूछा है उसका जवाब उस प्रश्न के उत्तर में पूरा मौजूद है, मैंने पढ़ा है। इससे सब चीज स्पष्ट हो गयी है। कोई ऐम्बीगुटी नहीं है। अगर इनकी नालेज में होता तब वह कह देते।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, इनकी ऐम्बेसी कहती है कि हमको जानकारी नहीं है और हम लोग जब विदेश में जाते हैं तो हमें यह शिकायत मिलती है। आपने कंसेंट शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आपने पता लगाया कि कितनी कंसेंट दबाव के कारण होती है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हमारे पास जो जानकारी है उस पर आधारित यह जवाब आपको दिया गया है। आपके पास अगर कोई जानकारी हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा। आप वह जानकारी मुझे दीजिए हम उस पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : हमें लगभग प्रतिदिन जातिगत हिंसा और उपेक्षा की चिंताजनक रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं और यह प्रश्न स्वैच्छिक बन्ध्यकरण के बारे में नहीं बल्कि अनैच्छिक बन्ध्यकरण के बारे में है। जिन व्यक्तियों को इसका शिकार बनाया जाता है उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसे मामले भारत सरकार के ध्यान में कई बार लाये गये हैं और इस बारे में ब्रिटेन के समाचारपत्रों तथा भारत के समाचारपत्रों में रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं.....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री सतीश अग्रवाल : वे लन्दन गये थे। वे अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे मंत्री को ही क्यों नहीं कहते ? मुझे नहीं पता है कि उन्होंने आपको व्याख्याता के रूप में कब नियुक्त किया।

श्री सतीश अग्रवाल : जब माननीय मंत्री ने इसका विरोध नहीं किया है, तब आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : इसका अर्थ यह हुआ कि श्री सतीश अग्रवाल को इसका अनुभव है परन्तु वे इसे छिपा रहे हैं।

क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया है कि क्या महिलाओं का अनैच्छिक बन्ध्यकरण किया गया है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी, नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि रजामंदी से बन्ध्यकरण किया जाता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि कितनी भारतीय महिलाओं का अब तक बन्ध्यकरण किया गया है ? और क्या रजामन्दी में पति और पत्नी दोनों की रजामन्दी शामिल है या एक की है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इंगलैंड की बात कर रहे हैं, या यहां की बात कर रहे हैं ? इंगलैंड के बारे में आप पूछ रहे हो तो जवाब मेरे वक्तव्य में मौजूद है। अब अगर यहां के बारे में पूछना हो तो स्वास्थ्य मन्त्री यहां बैठे हैं इनसे पूछिये।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने भारतीय महिलाओं के बारे में पूछा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उसके बारे में कहने को कुछ नहीं है।

यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज को सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में लेना

*1017. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 अप्रैल, 1979 को यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज नई दिल्ली के छात्रों तथा सरकार के बीच कालेज को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिये जाने के सम्बन्ध में समझौते को क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) सरकार और यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों के बीच ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए थे। इसलिए, इसे कार्यरूप देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : छात्र एक मास से भी अधिक समय तक हड़ताल पर रहे और मंत्रालय के साथ बात-चीत करने तथा छात्रों और सरकार के बीच विचार-विमर्श होने के पश्चात् हड़ताल वापस ले ली गई। छात्रों को एक लिखित उत्तर में कहा गया था कि सरकार यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडीकल साइन्सेस को अपने नियंत्रण में ले लेगी जिससे उसके प्रशासन तथा उसकी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और उनके लिए भवन तथा अन्य चीजों की व्यवस्था की जा सके। क्या माननीय मंत्री ने इस बात का पता लगाया है कि क्या कोई ऐसा लिखित उत्तर छात्रों को भेजा गया था और यदि नहीं तो हड़ताल समाप्त करने का आधार क्या था ? छात्रों और सरकार के बीच क्या विचार-विमर्श हुआ था ? हम ये सभी चीजें जानना चाहते हैं। यह दिल्ली में एक बड़ा मेडीकल कालेज है और यह अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : कालेज 1971 में शुरू किया गया था.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 10 वर्ष बीत चुके हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में यह कालेज 1971 में आरम्भ किया गया था। आपको कालेज के इतिहास का पता होना चाहिए। इसे विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में विश्वविद्यालय परिसर में शुरू किया गया था न कि सफदरजंग क्षेत्र में। चूंकि विश्वविद्यालय सभी सुविधाएं देने में असमर्थ था इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय उनकी मदद के लिए आगे आया और उसने कहा : "ठीक है, हम आपकी सहायता करेंगे।" कालेज को विश्वविद्यालय के परिसर से हटा कर सफदरजंग चिकित्सालय में 1973 में लाया गया। विश्वविद्यालय छात्रों की मांगों को 1971 से पूरी नहीं कर सका। स्वास्थ्य मंत्रालय विश्वविद्यालय की मदद करने गया। हमने छात्रों की सभी मांगों को ध्यान में रख लिया है हालांकि हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है क्योंकि कालेज सरकारी तो है नहीं। यह एक यूनिवर्सिटी कालेज है। फिर भी सरकार ने छात्रों की लगभग सभी मांगें पूरी कर दी हैं।

अब छात्र कहते हैं कि कालेज को सरकार अपने नियंत्रण में ले ले। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं, विशेष रूप से जब पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि के बारे में उनकी मांगें पूरी की जा रही हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्हें पूरा किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : यह सही नहीं है। छात्र फिर आन्दोलन क्यों कर रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे छात्रों से पूछें कि वे हड़ताल क्यों कर रहे हैं ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्री ने राज्य सभा को सूचित किया है कि मेडीकल साइंस कालेज को ग्रहण करने के लिए विधेयक पहले ही मंत्रिमंडल के समक्ष है और मंत्रिमंडल उस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या छात्रों द्वारा अपेक्षित सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है और यह भी जानना चाहूंगा कि इसे ग्रहण करने वाले विधेयक का कब तक अनुमोदन कर दिया जायेगा ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं तो यह कह सकता हूं कि कालेज को ग्रहण करने का कोई विधेयक सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेडीकल कालेज का संचालन विश्वविद्यालय करता है। विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है और शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। जब कि हस्पताल का संचालन स्वास्थ्य मन्त्रालय करता है। स्पष्ट है कि शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मन्त्रालय के बीच समन्वय नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हस्पताल ही तो एक मेडीकल कालेज है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कालेज का संचालन करने वाले और हस्पताल का संचालन करने वाले अधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। यही स्थिति पिछले 10 वर्षों से बनी हुई है और यह सब भारत की राजधानी में केन्द्रीय सरकार की जानकारी में हो रहा है। आप अब कल्पना कर सकते हैं कि कार्य-स्थिति की कितनी दुर्दशा है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं है कि पुस्तकालय की सुविधाएं अपर्याप्त हैं; पुस्तकालय में एक समय पर 15 से अधिक छात्र नहीं जा सकते हैं।, प्रयोगशाला की भी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं ?

इसमें हानि क्या है यदि हस्पताल भी विश्वविद्यालय को सौंप दिया जाये या यदि मेडिकल कालेज को केन्द्रीय सरकार ही ग्रहण कर ले ?

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों में से एक चाहते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : विश्वविद्यालय निःसन्देह केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। क्या मैं सभा को बता सकता हू कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी निकाय है ?

श्री सतीश अग्रवाल : तो क्या है ?

श्री बी० शंकरानन्द : क्या आप चाहते हैं कि सरकार विश्वविद्यालय के काम में दखल दे ? क्या सभा की यही इच्छा है ?

कई माननीय सदस्य : जी, नहीं ।

श्री सतीश अग्रवाल : हम मांग कर रहे हैं कि कालेज को ग्रहण कर लिया जाये ।

श्री बी० शंकरानन्द : छात्रों की कठिनाइयों का उल्लेख करने की बजाए माननीय सदस्य ने दो मन्त्रालयों के बीच समन्वय का प्रश्न उठाया है । उन्होंने पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाओं का उल्लेख किया है । मैं उनसे सहमत हूं कि छात्रों का यह समस्या है और सरकार इसे सुलझाने का प्रयत्न कर रही है । परन्तु मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस कालेज के लिए शाहदरा में एक कालेज और हस्पताल का निर्माण किया जा रहा है । निर्माण कार्य चल रहा है और आशा है कि, 1-2 वर्ष में कालेज और हस्पताल बनकर तैयार हो जायेंगे । यह एक ही दिन में तो हो नहीं सकता है । क्या आप चाहते हैं कि सरकार करोड़ों रुपये खर्च करके विश्वविद्यालय और कालेज का निर्माण एक ही दिन में पूरा कर दे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप एशियाई खेलों पर तो करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं । हस्पतालों के निर्माण पर क्यों नहीं ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य मामलों को अनावश्यक रूप से मिला रहे हैं । हमें एशियाई खेल कराने चाहिये या नहीं । सदस्य को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है । मुझे उनकी राय के बारे में कोई परेशानी नहीं है । मैंने तो यहां सभा को केवल यह बताना है कि कालेज और हस्पताल का निर्माण हो रहा है और आशा है वे, 1-2 वर्ष में बनकर तैयार हो जायेंगे । कालेज की देखरेख और उसका प्रशासन दिल्ली प्रशासन करेगा । दो वर्ष की ही तो बात है । अगर कालेज को आज ग्रहण कर भी लिया जाये तो क्या आप समझते हैं कि सभी समस्यायें हल हो जायेंगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस कालेज द्वारा दी गयी उपाधियों की मान्यता वापस ले ली है ? (व्यवधान) क्या यह सच नहीं है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने चिकित्सा शिक्षा के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अभाव के कारण इस कालेज विशेष की मान्यता वापस ले ली है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या करने का इरादा है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं तो कहता हूं कि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने इस कालेज की मान्यता वापस नहीं ली है ।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है । वाजपेयी जी ने यहां पर कहा कि दस साल से यह स्थिति पैदा हो रही है उसमें शायद तीन साल उन्होंने घास काटी होगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं वही घास काट रहा था जो श्री नरसिंह राव इस समय काट रहे हैं।

आचार्य भगवान देव : क्या यह सच है कि सरकार द्वारा मांगें स्वीकार होने के पश्चात भी जो परिस्थितियां हैं, विरोधी पार्टियों के नेता लोग विद्यार्थियो को भड़काकर आन्दोलन चला रहे हैं तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वैश्चन, श्री राम गोपाल रेड्डी ।

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : कोई जवाब नहीं है । जवाब आ चुका है ।

गर्मियों की छुट्टियों में विशेष रेल गाड़ियां

*1019. **श्री पी० के० कोडियन :**

श्री के० ए० राजन : क्या **रेल मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली से विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण नगरों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में अनेक विशेष रेल गाड़ियां चलाने की व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि नई दिल्ली तथा त्रिवेन्द्रम के बीच ऐसी एक भी विशेष रेल गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दिल्ली/नयी दिल्ली/निजामुद्दीन से जम्मू तवी तक सप्ताह में 6 दिन चलने वाली विशेष गाड़ी, बम्बई के लिए सप्ताह में 5 दिन चलने वाली विशेष गाड़ी, मद्रास-हावड़ा और जोधपुर के लिए सप्ताह में दो बार चलने वाली विशेष गाड़ी तथा तिरुवनन्तपुरम के लिए सप्ताह में एक बार चलने वाली विशेष गाड़ी चलाने की योजना बनायी गयी है ।

श्री पी० के० कोडियन : माननीय उप मंत्री ने उत्तर में बताया कि तिरुवनन्तपुरम के लिए केवल एक साप्ताहिक विशेष गाड़ी है और वह भी अभी आरंभ नहीं हुई है । इसकी भी योजना बनायी जा रही है । जैसा कि आपको विदित है गर्मियों में दिल्ली और उत्तर के अन्य भागों से दक्षिणी राज्यों में जाने वालों की संख्या काफी अधिक होती है । केरल के लिए विशेषकर भीड़ होती है क्योंकि केरल के लोग देश भर में विशेषकर इस क्षेत्र में कार्य करते हैं । अतः सप्ताह में एक गाड़ी चलाये जाने की योजना अपर्याप्त है । अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या वह तिरुवनन्तपुरम के लिए अधिक विशेष गाड़ियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर विचार करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : अतिरिक्त यातायात को देखते हुए देश के विभिन्न भागों के लिए चलाई जा रही विशेष गाड़ियों के साथ-साथ तिरुवनन्तपुरम के लिए भी विशेष गाड़ियां चलाने का निर्णय किया गया है । मई से जुलाई के दौरान दिल्ली से तिरुवनन्तपुरम तक 14 विशेष गाड़ियां चलाई जायेंगी ।

श्री पी० के० कोडियन : मान्यवर, उन्होंने केवल पहले वाले उत्तर को ही दोहरा दिया है । मैंने पूछा था कि क्या सरकार तिरुवनन्तपुरम को आयोजित साप्ताहिक सेवा की बजाए

अधिक विशेष गाड़ियां चलाने और के० के० एक्सप्रैस और जयन्ती एक्सप्रैस की तरह विद्यमान गाड़ियों के साथ और डिब्बे जोड़ने के लिए तैयार है ?

श्री मल्लिकार्जुन : 1980 से पहले दिल्ली से तिरुवनन्तपुरम को कोई विशेष गाड़ी नहीं जाती थी। माननीय संसद सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने के पश्चात् 1980 से विशेष गाड़ियां चलाई जाने लगी। जैसा कि मैंने योजना बताई है, 14 विशेष गाड़ियां चलायी जायेंगी। यदि माननीय सदस्य चाहते है कि इन से भी अधिक गाड़ियां चलायी जाएं तो स्थिति यह है कि नई दिल्ली से तिरुवनन्तपुरम जाने वाले अतिरिक्त यात्रियों के लिए 14 से अधिक विशेष गाड़ियां चलाना सम्भव नहीं है।

श्री पी० के० कोड्डियन : मुझे एक और अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

ऐसी शिकायतें मिली हैं कि विशेष गाड़ियां अधिक समय लेती हैं और उनमें नियमित गाड़ियों की तुलना में भोजन की सुविधाएं और अन्य व्यवस्था सुविधाएं बहुत ही खराब होते हैं। क्या माननीय मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : जैसाकि निर्णय किया गया है कि इन गर्मियों में 1314 विशेष गाड़ियां चलाई जायें, हमने यह सुनिश्चत करने के लिए पर्याप्त कार्रवाही कर ली है कि गाड़ियां गतव्य स्थानों पर समय पर पहुंचे और यात्रियों को भोजन की उचित सुविधाएं प्राप्त हों।

अध्यक्ष महोदय : अपनी जैसी सेहत का ध्यान रखेंगे, क्या ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री जी ने बतलाया है कि गर्मी की छुट्टियों में बहुत सी विशेष रेल-गाड़ियां चलाना चाहते हैं, उनके नाम भी बतलाये हैं। मैं जानना चाहता हूं- क्या केवल गाड़ियां ही चलाना चाहेंगे या उनके आरक्षण की व्यवस्था भी करेंगे। आप देखेंगे—संसद भवन में जहां आरक्षण होता है, इतनी बड़ी लाइन लगती है जिसका कोई हिसाब नहीं। कहा जाता है कि कुछ ट्रेवल-एजेन्ट्स के लोग भी 11 बजे से लाइन में लग जाते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है या नहीं है ? जो लोग बाहर जाना चाहते है—उनके सुविधापूर्वक आरक्षण की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, जैसी विद्वान सदस्य ने कल्पना की है ....

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : यह तो फैक्ट है, इसमें कल्पना क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : सुनते तो यह थे कि कवि की कल्पना होती है।

श्री सतीश अग्रवाल : कल्पना के साथ विद्वान भी कह रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : रिजर्वेशन में जो ब्लैक सेल रहा है या जो ट्रेवल एजेन्ट्स बोनाफाइड नहीं है, जो ट्रेवल एजेन्सीज ठीक ढंग से बिहेव नहीं करती हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करना चाहते हैं। अगर माननीय सदस्य की दृष्टि में कोई ऐसा है या सदन में या बाहर है तो वह बतलादें हम जरूर सख्त कार्यवाही करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सदन में कोई नहीं है।

श्री ई० बालानन्दन : मान्यवर, माननीय मंत्री ने बताया है कि दक्षिण, विशेषकर तिरुवनन्तपुरम की ओर विशेष गाड़ियां नहीं चलाई जा सकतीं। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या वह दक्षिण जाने वाली गाड़ियों के साथ अतिरिक्त डिब्बे जोड़ेंगे ?

श्री मल्लिकार्जुन : हाल ही में हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण गाड़ियों के साथ और विशेष गाड़ियों के साथ एक-एक अनारक्षित डिब्बा जोड़ने का निर्णय किया है। अब 14 डिब्बों की बजाए 18 डिब्बे होंगे। प्रत्येक विशेष गाड़ी के साथ एक-एक अनारक्षित डिब्बा भी जोड़ा जायेगा जिससे वे यात्री भी उस गाड़ी में जा सकेंगे, जो उसी समय जाने के लिए तैयार हों।

विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कुष्ठरोग संस्थानों में तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पद

*1020. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थापित किये गये केन्द्रीय सरकार के कुष्ठ रोग संस्थानों में तकनीकी कर्मचारियों के कितने पद खाली पड़े हैं;

(ख) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या भरती के लिए वर्तमान सरकारी तन्त्र पर्याप्त एवं प्रभावी है यदि हां, तो किस प्रकार; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सैंतीस पद। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेते हुए जहाँ ऐसा परामर्श आवश्यक है, इन पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इन पदों का स्वरूप उनके लिए अपेक्षित विशिष्ट प्रशिक्षण/अनुभव तथा उनके दुर्गम स्थानों को देखते हुए इन पदों पर भर्ती करने के लिए जो वर्तमान सरकारी मशीनरी है, पर्याप्त और कारगर है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिनाथ मिश्र : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने बताया है कि कुल मिलाकर 37 पद रिक्त पड़े हुए हैं और उनमें से कुछ के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की राय लेना आवश्यक होगा। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की राय मांगी गई है और यह मामला कब से संघ लोक सेवा आयोग के पास पड़ा हुआ है ?

यह भी बताया गया है कि अन्य पदों के मामले में कोई और तंत्र कार्य कर रहा है। वह तंत्र क्या है और उन्हें ये मामले कब निर्दिष्ट किये गये थे ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मान्यवर, 37 रिक्त पदों में से केवल 13 पद ही नाम देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये गये हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : ये मामले कब निर्दिष्ट किये गये थे ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैंने बताया कि 37 रिक्त पदों में से 13 पदों के मामले संघ लोक सेवा आयोग को निर्दिष्ट किये गये हैं। ये मामले उन्हें मार्च, 1980 में निर्दिष्ट किये गये थे। चूंकि उन्होंने अभी हमें नामों की सूची नहीं भेजी, इसलिए उन्हें फिर कहा गया है। हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे हमें नामों की सूची भेजें और यदि वे नहीं भेजेंगे, तो हम इस बीच इन पदों को भरने की भी व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : अन्य मामलों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : शेष 24 पदों के बारे में हमारी तीन संस्थाएं हैं जो स्वयं इन पदों को भरने के लिए कार्यवाही कर रही हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : महोदय, ऐसा लगता है कि संस्थाओं को अपने ढंग से चयन करने की जिम्मेवारी सौंप दी गई है। क्या मंत्री महोदय यह कहना चाहते हैं कि जहां तक नियुक्ति और तैनाती का सम्बन्ध हैं, उससे उनके मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं माननीय सदस्य और इस महान सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि दो तो प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण संस्थायें हैं, उनमें से एक गंजम, उड़ीसा में और दूसरी मध्य प्रदेश में रायपुर में है। यथा सम्भव कर्मचारी राज्य सरकारों से ही लिये गये थे। हमारी कठिनाई यह है कि इन संस्थाओं को जब ग्रहण किया गया उस समय उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित और अर्हित तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी उपलब्ध करना कठिन है। इन दो संस्थाओं के भर्ती-निमम विचाराधीन हैं। वे इन पदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं।

समाज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त समेकित चिकित्सा अध्ययन आरम्भ करने की योजना

*1021. **श्री ए० के० राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को एक साथ मिला कर समेकित चिकित्सा अध्ययन प्रारम्भ करने की कोई योजना है;

क्या सरकार ने अतीत के चिकित्सा अनुभवों को आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के साथ जिसके परिणामस्वरूप अक्यूपंचर तथा अन्य सराहनीय चिकित्सा विधियों का पता लगा, मिलाने की दिशा में चीन द्वारा किये गये प्रयोग की ओर ध्यान दिया है;

(ग) क्या वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस आलोचना से अवगत हैं कि भारतीय चिकित्सा सेवा देश की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो देश में चिकित्मा अध्ययन का व्यापक सामाजिक सेवा के एक भाग

के रूप में भारतीयकरण करने एवं उसे विशिष्ट वर्ग के व्यवसाय के रूप में न पनपने देने के संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को चीन के प्रयोग की जानकारी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० के० राय : श्रीमन्, यह प्रश्न देश में एकीकृत चिकित्सा शिक्षा अर्थात् एलोपैथिक और आयुर्वेदिक शिक्षा को एकीकृत करने के बारे में है। श्रीमन्, आप मुझ से सहमत होंगे कि चिकित्सा विभाग ने मेरे प्रश्न की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि इनको अच्छी दवाई नहीं मिली।

श्री ए० के राय : हमारे देश में चिकित्सा शिक्षा नगरीकृत और विशिष्ठ तथा कुछ हद तक अनावश्वक भी है। हाल ही के गुजरात आन्दोलन ने हमें सावधान कर दिया है कि हमारे पाठ्यक्रम में बुनियादी रूप से कोई दोष है जिससे चिकित्सा छात्र देश के सामाकिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रति इतने कठोर हो गये हैं।

श्रीवास्तव समिति की स्थापना देश में राष्ट्रीत स्वास्थ्य नीति और चिकित्सा शिक्षा के बारे में विचार करने के लिए की गई थी। उसने अपना प्रतिवेदन 1975 में प्रस्तुत कर दिया था। उस प्रतिवेदन के आधार पर 1978 में जनता सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का एक मसौदा परिचालित किया था। उसका एक प्रस्ताव यह था :—

> "एक संयुक्त औषधि पद्धति का विकास करने के लिए प्राचीन और आधुनिक औषधि पद्धतियों से उपलब्ध ज्ञान का उपयोग करना जिससे औषधि के क्षेत्र में जो जातपात है उसे समाप्त किया जा सके।"

समाज में ही नहीं, बल्कि चिकित्सा में भी जातपात हैं। धनिक लोग एलोपैथिक इलाज कराते हैं, जबकि ग्रामीण लोग आयुर्वेदिक इलाज कराते हैं और इनके बीच के लोग होम्योपैथिक इलाज कराते हैं। ये सभी चीजें साथ-साथ चल रही है परन्तु इनमें कोई समन्वय और संश्लेषण नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वर्तमान सरकार जनता सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुसरण कर रही है या इसे बदल दिया गया है ? यदि इसे बदल दिया गया है, तो नई नीति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी. शंकरानन्द : श्रीमन्, यदि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, तो मैं कहूंगा कि यद्यपि हमने निःसन्देह उनके प्रश्न का पूरा-पूरा इलाज किया है तथापि एक प्रकार की प्रतिरोध राशि उत्पन्न हो गई है और मान्यवर यह नहीं कि चिकित्सा का सभी रोगियों पर प्रभाव पड़े।

श्रीमन् उन्होंने कोई प्रश्न विशेष नहीं पूछा है। उन्होंने तो जनता सरकार की स्वास्थ्य नीति और वर्तमान सरकार की स्वास्थ्य नीति के बारे में कहा है। माननीय सदस्य ने मुख्य प्रश्न के सन्दर्भ में कोई लक्षित प्रश्न नहीं पूछा है। फिर भी सभा यह जानना चाहेगी कि भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद दोनों एकीकृत औषधि-पद्धति के विरुद्ध हैं और सरकार उनकी सलाह पर कार्य करती है।

श्री ए० के० राय : मान्यवर, उत्तर के भाग (ख) में मन्त्री ने कहा कि सरकार चीन के प्रयोग से अवगत है। मेरा प्रश्न है कि उससे आपने क्या सीखा है ? हम यह जानना चाहते हैं। शिक्षा को चीनी चिकित्सा पद्धति में सूईयों द्वारा चिकित्सा करने की विधि को भी शामिल कर लिया गया है जो लोगों का इलाज करने की उनकी परम्परागत विधि है। क्या आप भी सूईयों द्वारा इलाज करने की पद्धति तथा इलाज के अन्य प्राचीन ढंगों को चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने जा रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : श्रीमान्, चिकित्सा कालेजों या आयुर्वेदिक कालेजों में क्या पढ़ाया जाये इस बारे में सरकार का मार्गदर्शन विशेषज्ञ निकाय करते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या मैं आपकी मार्फत मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछ सकता हूं ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामों में चिकित्सकों की कमी है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कोई संक्षिप्त पाठ्यक्रम आरभ करने के लिए कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि वर्तमान पद्धति बहुत महंगी है और हमें ग्रामीण लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां चिकित्सकों की कमी है, आवश्यकताओं को पूरा करना है। हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार ने सामूहिक चिकित्सा सेवा आरम्भ की है जो एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम है। इस पर केवल तीन ही वर्ष लगेंगे। यह गांवों के लिए है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल के पाठ्यक्रम को आदर्श मानकर राज्य सरकारों से ऐसे पाठ्यक्रम की सिफारिश करने पर विचार कर रही है ?

श्री बी० शंकरानन्द : यद्यपि इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि मैं इसका उत्तर दूंगा। पश्चिम बंगाल माननीय सदस्य के लिए आदर्श हो सकती है। परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या ऐसे चिकित्सक एकीकृत औषधि पद्धति में प्रशिक्षित हैं। उन्होंने यह नहीं बताया। वह अपनी पसन्द के बने बनाये और तुरन्त तैयार चिकित्सक पैदा करने की बात सोच रहे हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : कुछ बने बनाये चिकित्सक तैयार करने में मुझे इतना अनुभव नहीं है जितना माननीय मन्त्री जी को है। मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि मैं हाल ही में पश्चिम बंगाल में आरम्भ किये गए संक्षिप्त पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं। पहले एल० एम० एफ था। यदि आप विभिन्न चिकित्सा संघों की सिफारिशों के लिए प्रतीक्षा करते रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे क्योंकि वे भी निहित स्वार्थों और स्थापन के ही एक अंग हैं और वे नहीं चाहते कि यहां अधिक चिकित्सक हों और वे यह भी नहीं चाहते कि यहां संक्षिप्त पाठ्यक्रम हों।

अतः जो मैं पूछने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप कोई संक्षिप्त चिकित्सा पाठ्यक्रम आरम्भ करने की बात पर विचार कर रहे हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : हम ऐसे किसी पाठ्यक्रम पर विचार नहीं कर रहे हैं। इसके प्रतिकूल माननीय सदस्य यह जान लें कि पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों में बेरोजगारी है। वे पूरी तरह से अहित हैं। यदि पश्चिम बंगाल सरकार बेरोजगारी को और बढ़ाने जा रही है, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मन्त्री जी यह सब कुछ अहंकार के कारण और कुछ अनभिज्ञता के कारण कह रहे हैं। वह केवल प्रश्न का उत्तर देने से बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ऐसे चिकित्सक हैं जो ग्रामों में नहीं जाना चाहते, समस्या तो यह है। समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। यह कोई वाद-विवाद नहीं है। यह तो सूझबूझ है। वे गांवों में जाने से इंकार करते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : चिकित्सक पश्चिम बंगाल में मुझे मिले थे और वे गांवों में जाना चाहते हैं। जो कुछ वह कह रहे हैं वह नितांत गलत है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने के लिए राजी हैं।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, यह इन्टेग्रेशन के सम्बन्ध में है। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक सिस्टम्स जो हैं उनके इन्टेग्रेशन के सम्बन्ध में यह प्रश्न है। हमारे यहां एक कहावत है कि दुलहन वही जो पिया मन भाए। मैं तो समझता हूं कि दवाई वही जो मरीज को भाए। किसी को आयुर्वेदिक दवाई से लाभ होता है, किसी को यूनानी दवाई से लाभ होता है और किसी को एलोपैथिक दवाई से लाभ होता है। इसमें अच्छे-बुरे की बात नहीं है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि एम० बी० बी० एस० स्तर पर एकीकरण नहीं हो सकता क्योंकि आयुर्वेदिक पद्धति और होम्योपैथी आदि के लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रम हैं। तथापि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव था जिसका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमोदन किया है। एम० बी० बी० एस० स्तर और ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्तर के बीच में स्वास्थ्य सहायकों का एक नया संवर्ग बनाने का प्रस्ताव था जिसके अधीन युवकों को ग्रामीण क्षेत्रों से ही भर्ती किया जायेगा।

श्रीमन्, कई चिकित्सकों के साथ हमारी समस्या यह है कि इन्हें नगरीय क्षेत्रों से भर्ती किया जाता है और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं। अतः प्रस्ताव यह था कि 10+2 पद्धति की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों से ही युवकों को भर्ती किया जाय और उन्हें और प्रशिक्षण दिया जाए और इस प्रकार एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पद्धतियों को एकीकृत किया जाय और इस प्रकार एम० बी० बी० एस० चिकित्सकों और ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्तर के बीच एक सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इससे सहमत हूं कि यह रोगी की मर्जी है जो वह औषधि लेना चाहे ले। परन्तु यह सदा सही नहीं होता है कि प्रत्येक रोगी यह जानता हो कि उसे कौन-सी

औषधि लेनी चाहिए। माननीय सदस्य ने इन हस्पतालों में उच्चतम और निम्नतम स्तर के बीच एक सम्पर्क के रूप में एक नये संवर्ग के बारे में पूछा है। यह तो बिल्कुल ही एक अलग प्रश्न है। इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री जेवियर अराकल : मैं इस प्रश्न के भाग (ग) के बारे में कहना चाहता हूं। भाग (ग) में पूछा गया है :

"(ग) क्या वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस आलोचना से अवगत हैं कि भारतीय चिकित्सा सेवा देश की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है।"

माननीय मन्त्री ने इसका उत्तर "जी, नहीं" में दिया है। अब डा० कर्ण सिंह ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमारे देश की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था की आलोचना की है। हमारी कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नहीं है। इसीलिए कई चिकित्सक बेरोजगार हैं। मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हमें अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई प्रस्ताव या योजना है जिससे देश में इन चिकित्सकों की सेवाओं से लाभ उठाया जा सके? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है?

श्री बी० शंकरानन्द : हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में अन्य देशों के साथ सहयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तटस्थ राष्ट्रों के दल को फंसे हुए जहाजों और लापता कैडेटों के बारे में मिली सफलता

*1022. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटस्थ राष्ट्रों के शान्ति दल ने इराक और ईरान की सरकारों से फंसे हुए जहाजों और जलयानों के सम्बन्ध में तथा लापता कैडेटों के बारे में कोई बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) गुट निरपेक्ष मंत्री समिति ने ईरान और इराक की सरकारों के साथ इन फंसे हुए जहाजों और जलयानों आदि से सम्बद्ध मामले पर विचार विमर्श नहीं किया लेकिन मैंने बगदाद में इस मामले को द्विपक्षीय रूप से उठाया था। मैंने बगदाद और तेहरान में अपने अधिकारियों के साथ भी इस मसले पर गहराई के साथ विचार-विमर्श किया था।

(ख) बसरा और फाहो के बन्दरगाहों में फंसे हुए इन भारतीय जलयानों को निकालने के व्यापक प्रश्न पर सम्बद्ध सरकारों के साथ अधिक विस्तार के साथ विचार-विमर्श हो रहा है और वे इस पर अन्तिम निर्णय लेने में समय लेंगे। लेकिन जहां तक इन जलयानों के चालक दलों के सदस्यों का सवाल है हम उनके देश-प्रत्यावर्तन के प्रबन्धों को अभी अन्तिम रूप दे रहे हैं। जहाजरानी महानिदेशक को इस बात का सुनिश्चय करने के लिए विशेष रूप से बसरा भेजा गया है

जिससे इनमें से अधिकांश लोगों को वहां से यथाशीघ्र ले आया जाए। मैं श्री राम विलास जी से कहना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने जो आपको वचन दिया था, उसकी पूर्ति मैंने की है। उन लोगों से संबंधित जो समस्याएँ उत्पन्न हुई थीं, उन सबको सुलझाया जा रहा है और डी० जी० शिपिंग खुद वहां चले गए हैं और सारी बातों को समझ रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सारी समस्या सुलझा ली है ··

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने यह नहीं कहा है कि पूरी समस्या सुलझा ली है। सारी बातों पर चर्चा की है। कहां कौन सी बात अटक रही है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है और डी० जी० शिपिंग से कहा है कि आप वहां जाकर उन सब बातों को सुलझायें और वहां पर जो लोग हैं उनको यहां ले आयें। इसका इन्तजाम करने के लिए वे वहां चले गए हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि कुछ मामलों में बाधायें आ रही हैं, जिसके कारण समस्या सुलझ नहीं पा रही है। तो वे कौन-सी बाधायें हैं, इसके बारे में सदन को जानकारी दीजिए और सदन को आश्वस्त कीजिए। क्योंकि समस्या बहुत पुरानी होती जा रही है। 7-4-81 को कालिंग अटेंशन में कहा गया था कि शीघ्र ही ये लोग वापिस आ जायेंगे। सदन जानना चाहता है कि कब तक ये लोग वापिस आ जायेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इससे पहले मैंने जो कुछ कहा था वह सच था। यह ठीक है कि यहां से हुकम दिया जा चुका है और कहा गया है कि अपने खर्चे से उन लोगों को वापिस लाएँ, लेकिन वहां जाने के बाद एक अजीब कठिनाई पेश आई। वहां पर जहाजों के मालिकों के जो लोग रहते हैं, मालिकों के जो कारिंदे वहां पर हैं, उन्होंने उन लोगों की सूची नहीं बनाई जिनको भेजा जाना है और जब तक वह सूची नहीं आती तब तक टिकट नहीं बन सकता और जब तक टिकट नहीं बनेगा, वे वापिस नहीं आ सकते। तो इस प्रकार देर करने की थोड़ी सी शरारत की गई है। मैंने अपने काउन्सल से सारी बातों का पता किया और मुझे ऐसा लगा कि डी० जी० शिपिंग के वहां जाने से यह बातें सुलझ सकती हैं और मैंने यह भी कहा है अपने अम्बेसैडर और काउन्सल जनरल से कि उनको चेतावनी दे दीजिये कि इतने दिनों में उन्होंने अगर सूची नहीं दी तो हम खुद जाकर पता कर लेंगे कि कौन कौन जाना चाहते हैं, उनको हम भिजवा देंगे। जब यह चेतावनी दी जाएगी तो फिर बाधा नहीं रहेगी और इसकी आवश्यकता इस समय नहीं है क्योंकि डी० जी० शिपिंग वहां गये हुए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तेल कंपनियों के लिए रेलवे की भूमि

*1010. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या रेल मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ने विभिन्न तेल कंपनियों को किराये पर कितनी भूमि दी है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कंपनियों को रेलवे द्वारा दी गई भूमि का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनसे कितना वार्षिक (वर्षवार) किराया वसूल किया गया;

(ग) क्या रेलवे ने लायसेंस शुल्क में वृद्धि कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री केदार पांडे) : (क) विभिन्न तेल कम्पनियों को किराये के आधार पर कुल 245.26 हेक्टयर रेलवे भूमि लाइसेंस पर दी गयी है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

(ग) जी हां, कुछ मामलों में ऐसा किया गया है ।

(घ) वर्तमान नीति और प्रक्रिया तथा तेल कम्पनियों के साथ निष्पादित करारों के अनुसार स्टेशन के महत्व के आधार पर प्रति पांच वर्ष/दस वर्ष में एक बार किरायों की समीक्षा की जाती है । तब भूमि की मौजूदा बाजार कीमत या मौजूदा बाजार किराये की दर को संशोधित किराया निर्धारित करने के लिए अपनाया जाता है ।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	लाइसेंस पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टयर में)	वसूल किया गया किराया (लाख रुपयों में)		
			1978-79	1979-80	1980-81
1.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन	100.44	29.70	29.91	44.96
2.	इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी	5.70	0.73	0.73	6.40
3.	भारत पेट्रोलियम कम्पनी	23.72	11.72	12.17	18.78
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन (कालटेक्स सहित)	39.24	17.95	17.84	27.68
5.	आसाम ऑयल कम्पनी	11.75	14.64	14.64	14.64
6.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	63.59	4.34	4.34	4.34
7.	भारत रिफायनरीज	0.82	0.26	0.26	0.53
	*जोड़	245.26	79.34	79.89	117.33

*पूर्व रेलवे को छोड़कर ।

(ख) गैर-नौवहन कम्पनियों को नौवहन विकास निधि समिति से 'त्र प्रश्न पर सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है ।

आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनें

*1018. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृ

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में नई रेल लाइ प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिक हां ।

(ख) (1) काकीनाडा और कोटिपल्लि के बीच उखाड़ी गयी रेल ल और नरसापुर तक उसका विस्तार ।

(2) निजामापटनम और निदुवोलु के बीच बड़ी लाइन ।

(3) तिरुपति से काटपडि तक बड़ी लाइन (या आमान-परिवर्त

(4) भद्राचलम रोड से कोव्वूर तक बड़ी लाइन ।

बस-किराए में वृद्धि का प्रस्ताव

*1023. श्री आर० एन० राकेश : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री य करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बसों आदि के किराये में वृद्धि करने विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को भा करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । मामले पर रहा है ।

(ख) भाड़ा ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम ने ही बसों में प्रयुक्त सामान के खर्च, विशेषकर ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के कारण परि गया है ।

पराद्वीप पत्तन पर तेल उतारने-चढ़ाने का काम

*1024. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री कृपा करेंगे कि :

(ग) उनका निर्माण-कार्य स्थगित किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

चरखी-दादरी और झराटे स्टेशनों के बीच माल गाड़ियों का दुर्घटना-ग्रस्त होना

*1015. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जनवरी, 1981 को उत्तर रेलवे की रेवाड़ी-भटिण्डा लाइन पर चरखी-दादरी और झराटे रेलवे स्टेशनों के बीच दो माल गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और रेलवे को कितनी क्षति पहुंची ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। चरखी-दादरी और झारली स्टेशनों के बीच टक्कर हुई थी ।

(ख) जाच समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, प्रत्यक्षतः, यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की विफलता के कारण हुई जान पड़ती है ।

(ग) कोई जन हानि नहीं हुई। इस दुर्घटना ने अंतर्विष्ट रेल सम्पत्ति की क्षति की लागत का अनुमान लगभग 35,50,000 रुपये लगाया गया है ।

नौवहन की टनभार क्षमता बढ़ाने के लिए गैर जहाजरानी कम्पनियों को निमंत्रण

*1016. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवहन की टनभार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जहाजरानी में अपने लाभ की राशि लगाने के लिए गैर-जहाजरानी कम्पनियों को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है जिसमें गैर-नौवहन कम्पनियों को अपने लाभ की राशि नौवहन में लगाने के लिए आमन्त्रित किया गया है। यह गैर-नौवहन कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे अपनी पूंजी-निवेश का किस तरह नियोजन करते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ख) गैर-नौवहन कम्पनियों को नौवहन विकास निधि समिति से 'त्र
प्रश्न पर सरकार ने अभी निर्णय नहीं किया है ।

आंध्र प्रदेश में नई रेल लाइनें

*1018. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृ
(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से राज्य में नई रेल ला
प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिक
हां ।

(ख) (1) काकीनाडा और कोटिपल्लि के बीच उखाड़ी गयी रेल ल
और नरसापुन तक उसका विस्तार ।

(2) निजामापटनम और निदुबोलु के बीच बड़ी लाइन ।

(3) तिरुपति से काटपडि तक बड़ी लाइन (या आमान-परिवर्त

(4) भद्राचलम रोड से कोव्वूर तक बड़ी लाइन ।

बस-किराए में वृद्धि का प्रस्ताव

*1023. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री य
करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बसों आदि के किराये में वृद्धि करने
विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार को भा
करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । मामले पर
रहा है ।

(ख) भाड़ा ढांचे में संशोधन का प्रस्ताव दिल्ली परिवहन निगम ने ही
बसों में प्रयुक्त सामान के खर्च, विशेषकर ईंधन के मूल्यों में वृद्धि के कारण परि
गया है ।

पराद्वीप पत्तन पर तेल उतारने-चढ़ाने का काम

*1024. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परादीप पत्तन न्यास के चेयरमैन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि परादीप पत्तन की आर्थिक स्थिति में तब तक महत्वपूर्ण सुधार नहीं लाया जा सकता जब तक कि वहां तेल उतारने-चढ़ाने का काम करने की अनुमति नहीं दी जाती;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) वर्ष 1980-81 सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक पत्तन को कितना लाभ अथवा हानि हुई, और

(घ) पत्तनों की आर्थिक मजबूती में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। परादीप पत्तन के भूतपूर्व अध्यक्ष ने मन्त्रालय को बताया कि 17 जनवरी, 1981 को एक प्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि परादीप पत्तन की आर्थिक स्थिति तब तक नहीं सुधर सकती जब तक और अधिक लौह अयस्क का निर्यात नहीं किया जाता, खुले तेल की ढुलाई नहीं की जाती और श्रम उत्पादकता को बढ़ाया नहीं जाता।

(ख) पत्तनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अपेक्षित उपायों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया है।

(घ) बड़े पत्तनों के विकास के लिए 531.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बड़े पत्तनों के विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जिनके चालू योजना अवधि के दौरान पूरा होने की संभावना है, इस प्रकार है :–

(1) बंबई, मद्रास और कोचीन में कंटेनरों से माल उतारने-चढ़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था करना,

(2) कोचीन, कांडला, मार्मुगाओं, मद्रास, न्यू मंगलौर, परादीप, टूटीकोरिन और विशाखापत्तनम में आधुनिक सुविधाओं से युक्त कुछ अतिरिक्त बर्थों का निर्माण करना।

इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर, पत्तनों पर ढोये जाने वाले माल की मात्रा पहले से बढ़ जाएगी जिसके परिणामस्वरूप पत्तनों की अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायता मिलेगी।

इसके अलावा, पत्तनों के काम-काज को सरल बनाने और उनमें आधुनिक पद्धतियों का समावेश करने के लिए कुछ अन्य उपायों पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण

1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान बड़े पत्तनों की वित्तीय स्थिति का विवरण

(लाख रुपये)

पत्तन का नाम	1978-79	1979-80	1980-81 (संशोधन) (अनुमान)
बंबई	+791,98	+33,06,32	+3252.84
कलकत्ता	— 438.46	+916,41	—349.04
मद्रास	+48.00	+52.35	+39.16
कोचीन	+175.01	—25.70	—268.32**
विशाखापत्तनम	—1203.31	—648.61	—388.86
कांडला	+494.21	+594.61	+473.77
मार्मुगाओ	—508.28	+0.23	+0.61
परादीप	—360.04	—363.71	—404.68
टूटीकोरिन	+72.34	+4.94	—28.83
न्यू बंगलौर	+100.24	+72.40	+15.79

"गांधी" फिल्म की शूटिंग के लिए रद्द की गई गाड़ियां

*1025. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर एटिनबोरो की टीम द्वारा बनाई जा रही जीवन वृत 'गांधी' फिल्म की शूटिंग करने के सम्बन्ध में अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर देनी पड़ी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और अब तक

(ग) उक्त फिल्म की शूटिंग के कारण रेलवे को अब तक कितनी धन राशि की हानि/क्षति उठानी पड़ी है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सर एटिनबोरो की फिल्म गांधी की शूटिंग के कारण कुछ सेवाओं को अस्थायी रूप से रद्द करना पड़ा, गंतव्य स्थान से पहले ही समाप्त करना पड़ा या परिवर्तित मार्ग के रास्ते चलाना पड़ा।

(ख) उत्तर रेलवे में 5, 6, 12 और 13 जनवरी, 1981 को गढ़ी हरसरू और फरूखनगर के बीच। डी० एफ०/4 डी० एफ० सवारी गाड़ी को रद्द करना पड़ा। पूर्व रेलवे के

*इन आंकड़ों में केन्द्रीय आरक्षित निधि में 1,51,96 लाख रुपये का घाटा शामिल है।

दानापुर मंडल पर 40 डाउन दिल्ली-हवड़ा जनता गाड़ी को मुगलसराय से गया और पटना के रास्ते मार्ग परिवर्तन किया गया था जबकि 136 डाउन/135 अप मुगलसराय-पटना सवारी गाड़ी को आरा में समाप्त/आरा से शुरू किया गया था। 391 अप दानापुर-आरा सवारी गाड़ी को रद्द कर दिया गया था जबकि 392 डाउन आरा-पटना साहिब सवारी गाड़ी दानापुर से चलायी गयी।

(ग) उपर्युक्त गाड़ी सेवाओं के निलम्बन के फलस्वरूप रेलों को लगभग 4,900 रु0 की हानि हुई जिसे फिल्म के निर्माता वहन करने के लिए सहमत हो गये। इस कारण रेलों को कोई क्षति नहीं हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय तथा चिकित्सा विज्ञान अकादमी

* 1026. **श्री राम नाथ दुबे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 मार्च, 1981 को पंजीकृत हुई अन्तर्राष्ट्रीय तथा चिकित्सा विज्ञान अकादमी के गठन के फलस्वरूप भारत तथा इसके आस पास के देशों को क्या लाभ होने की संभावना है;

(ख) इस अकादमी को चलाने के लिए आवृति और गैर-आवृति वित्तीय प्रक्कलन क्या है; और

(ग) इसमें भारत का योगदान क्या है और विदेशों से कितनी राशि मिलने की सम्भावना है तथा किन स्रोतों से ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) 28 मार्च, 1981 को पंजीकृत हुई दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी नामक सोसाइटी एक गैर-सरकारी संस्था है। इस अकादमी ने यह सूचित किया है कि उसने बहुत थोड़े बजट को लेकर हाल ही में कार्य करना शुरू किया है।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में दिये गये उत्तरों को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

सिगनल तथा दूरसंचार कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

* 1027. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिगनल तथा दूरसंचार कर्मचारियों ने 30 मार्च, 1981 को नई दिल्ली में प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सिगनल तथा दूरसंचार कर्मचारी संघ ने उन्हें एक ज्ञापन पेश किया था, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सिगनल और दूर-संचार कर्मचारी एसोसिएशन, जो एक गैर मान्यता प्राप्त निकाय है, ने संसद भवन पर 30.3.81 को एक प्रदर्शन किया था और रेल मंत्री को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। ज्ञापन में निर्दिष्ट मुख्य मांगें इस प्रकार थीं :—

(1) इस्पात, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस कमीशन और पोर्ट ट्रस्ट जैसे अन्य समकक्ष उद्योगों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बराबर रेलों के सिगनल और दूर-संचार कर्मचारियों के वेतनमानों का उर्ध्वगामी संशोधन।

(2) एसोसिएशन के पदाधिकारियों का तथाकथित उत्पीड़न समाप्त करना।

सरकार की नीति के अनुसार, रेल कर्मचारियों की किसी भी कोटि से प्राप्त मांगों पर वर्तमान नियमों और वित्तीय तथा प्रशासनिक तंगियों के ढांचे के अन्तर्गत विचार किया जाता है। वेतनमानों में संशोधन करने के संबंध में सिगनल दूर-संचार कर्मचारियों की मांगों पर इस आधार पर विचार किया गया है। लेकिन, उनके वेतनमानों में संशोधन करना सम्भव नहीं है जो वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। यह विचार किया गया है कि रेल कामगारों का सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ तुलना करना सुसंगत नहीं है।

जहां तक तथाकथित उत्पीड़न का संबंध है, किसी भी रेल कर्मचारी को वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए उत्पीड़न नहीं किया जाता है। केवल विशिष्ट भूल-चूक के मामले में ही नियमों में निर्धारित अनुशासनिक प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार दंडित कर्मचारी को समुचित अपीलीय प्राधिकारी से अपील करने का अधिकार है।

निजामुद्दीन के पास ऊपरी-पुल का निर्माण

1028. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के निजामुद्दीन क्षेत्र में एक ऊपरी पुल निर्माणाधीन है;

(ख) क्या इस निर्माण-कार्य में अनेक कब्रों, दरगाहों तथा अन्य वक्फ सम्पत्तियों की पवित्रता भंग की गयी है तथा उन्हें नष्ट कर दिया गया है अथवा उन्हें इस प्रकार का खतरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्माण-कार्य और/अथवा कब्रों आदि को नष्ट करने आदि के विरुद्ध रोकादेश जारी किया है; और

(ङ) इस बारे में क्या कार्रवाही की गयी है कि कब्रों और दरगाहों को क्षति न हो ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) ओबराय होटल के चौराहे पर एक-एक फ्लाई-ओवर का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक आदेश जारी किए जो उसने बाद में वापिस ले लिए ।

(ङ) स्थानीय प्रशासन को इस समस्या की पूरी जानकारी है और आवश्यकतानुसार सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं जिससे कब्रों और दरगाहों को कोई क्षति नहीं पहुंचे ।

ब्रांड बदले जाने के समय औषधियों का अपमिश्रण

*1029. **श्री एन० ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दवाओं के ब्रांड बदले जाने के साथ नकली या मिलावटी औषधियों के बनने की काफी संभावना रहती है; और

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के निर्माण स्तर पर ही कड़ा किस्म नियंत्रण लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) (क) मिलावटी या नकली दवाओं के बनने की संभावना का दवाओं के ब्रांड बदलने के साथ कोई संबंध नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को वैगनों की सप्लाई

*1030. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने द्वारा घोषित पिछड़े जिलों में स्थापित किये गये उद्योगों में उत्पादित माल के परिवहन के लिए प्राथमिकता के आधार पर वैगनों की सप्लाई करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) माल डिब्बों का आवंटन "अधिमान्य यातायात अनुसूची" द्वारा शासित होता है जो भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 27-ए के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्रदत्त अधिकारों के अधीन प्रत्येक 6 महीने में जारी किया जाता है । विभिन्न पण्यों के लिए प्राथमिकता अधिमान्य यातायात अनुसूची में निर्धारित की जाती है जो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था से संबंधित उनकी अनिवार्यता को ध्यान में रखकर की जाती है । इस प्रयोजन के लिए, पण्यों का वर्गीकरण प्राथमिकता के 5 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जो मद 'क' से 'ङ' के अन्तर्गत आते हैं । जिनकी अन्तर्वर्गीय प्राथमिकता अधोगामी वर्ग में होती है जिसमें मद 'क' को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है । इस अनुसूची में

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के माल के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी गयी है और फिलहाल रेल मंत्रालय के विचाराधीन उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भी नहीं है।

बम्बई-त्रिवेन्द्रम जयन्ती जनता के समय में परिवर्तन

9293. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई-त्रिवेन्द्रम जयन्ती जनता के समय में परिवर्तन करने का है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि समय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से बम्बई से त्रिवेन्द्रम की यात्रा करने वाले केरल के लोगों को असुविधा हो जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बम्बई में रह रहे केरल के लोगों के विरोध को दृष्टि में रखते हुए ऐसे किसी विचार को त्याग देने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सूक्ष्म तरंग अनुरक्षण विभाग के लिये पदोन्नति-नियम

9294. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में सूक्ष्म तरंग अनुरक्षण विभाग के लिये रेलवे बोर्ड के कोई पदोन्नति-नियम हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उप-सिगनल तथा दूर-संचार इन्जीनियर (सूक्ष्म तरंग) दक्षिण रेलवे, मद्रास के नियंत्रण में लगभग 300 खलासी हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उपरोक्त खलासियों के मामले में पदोन्नति-नियम लागू किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो खुली भर्ती किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेल कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए रेल मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट सामान्य नियम, दक्षिण रेलवे के सूक्ष्म तरंग अनुरक्षण कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं।

(ख) उप सिगनल एवं दूर संचार इन्जीनियर सूक्ष्म तरंग दक्षिण रेलवे के अधीन केवल 160 स्थायी खलासी हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) अर्ध कुशल और कुशल पदों पर सीधी भर्ती नहीं की गयी है जो व्यावसायिक परीक्षा के आधार पर खलासियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

तीर्थ स्थानों अथवा पर्यटन-स्थलों की सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

9295. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तीर्थ स्थानों/पर्यटन-स्थलों से सम्बद्ध सड़कों का निर्माण करने/उन्हें पक्का करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष सड़कों/पुलों के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी धनराशि दी गई है और निर्माण करने/पक्का करने संबंधी कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई ऐसी सहायता प्रदान की जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय पर्यटन विभाग तीर्थ-स्थानों और पर्यटक-स्थलों के लिए सड़कों का निर्माण करने/उन्हें पक्का करने या पुलों का निर्माण करने के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं देता और न ही 1980-85 की योजना में ऐसी कोई योजना शुरू करने का विचार है। परन्तु, अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण-सहायता कार्यक्रम या केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ परियोजनाओं में कभी-कभी सड़क/पुल निर्माण की ऐसी योजनाओं को शामिल कर लिया जाता है जिनका अन्य बातों के साथ-साथ कुछ तीर्थाटन अथवा पर्यटन संबंधी महत्व भी होता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना से, उक्त दोनों स्रोतों से कुल 1090.72 लाख रुपये की लागत की निम्नलिखित योजनाओं को मंजूरी दी गई है क्योंकि जहां ये योजनाएं अन्य आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है, वहां इनका तीर्थाटन/पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है :—

राज्य	स्वीकृत योजनाओं की लागत (लाख रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	160.00
2. हिमाचल प्रदेश	131.75
3. जम्मू व काश्मीर	89.00
4. केरल	50.00
5. कर्नाटक	252.75
6. महाराष्ट्र	5.00
7. उड़ीसा	40.00
8. पंजाब	350.00
9. तमिलनाडु	8.00
10. उत्तर प्रदेश	4.22
कुल	1090.72

सिगनलरों के पद

9296. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे में चीफ आपरेटिंग सुपरिटेंडेंट, मद्रास ने वायरलेस आपरेटरों से टेलिप्रिंटर सर्किट को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये सिगनलरों के 17 पदों की मंजूरी दी है;

(ख) सिगनल ब्रांच द्वारा ओपरेटिंग ब्रांच को सौंपे गये टेलीप्रिंटर सर्किट चलाने के लिये मद्रास में कितने सिगनलर नियुक्त किये गये हैं;

(ग) यदि मंजूर किये गये अतिरिक्त सिगनलर नियुक्त नहीं किये गये तो क्या वायरलेस ओपरेटरों द्वारा सौंपे गये टेलिप्रिंटर सर्किट चलाने के लिये मद्रास में सिगनलरों को समयोपरि भत्ता दिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सिगनल ब्रांच द्वारा ओपरेटिंग ब्रांच को सौंपे गये सर्किट ओपरेटिंग ब्रांच द्वारा नया कार्य समझने का है और अतिरिक्त सिगनलर नियुक्त करने का है अथवा जब तक चीफ ओपरेटिंग सुपरिटेंडेंट, मद्रास द्वारा मंजूर किये गये अतिरिक्त सिगनलरों की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक सर्किट चलाने के लिये समयोपरि भत्ता देने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सिगनल शाखा द्वारा सौंपे गये टेलीप्रिंटर सर्किटों पर किसी भी सिगनलर की तैनाती नहीं की गयी है ।

(ग) सिगनलरों को समयोपरि का भुगतान नहीं किया जाता क्योंकि दो अथवा दो से अधिक सर्किटों को एक साथ मिलाकर कार्य को सम्हाला जा रहा है ।

(घ) दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

रेलवे प्रयोक्ता संघ

9297. **श्री सूरजभान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे प्रयोक्ता संघ के मांग-पत्र पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक की पहल पर 26 मार्च, 1979 को कलकत्ता में पूर्व रेलवे के मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें महाप्रबंधक ने बताया था कि वह रेलवे बोर्ड और भारतीय रेलवे प्रयोक्ता संघ के बीच एक बैठक के लिये रेलवे बोर्ड से एक तारीख निर्धारित करायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय रेलवे प्रयोक्ता संघ के प्रतिनिधियों और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के बीच अब तक बैठक आयोजित क्यों नहीं की जा सकी और यह कब तक आयोजित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 26.3.79 को पूर्व रेलने के मुख्यालय में महाप्रबंधक/पूर्व रेलवे तथा रेल उपयोगकर्ता एसोसिएशन/गया के बीच एक बैठक हुई थी। कार्यवृत्त में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है कि महाप्रबंधक ने रेलवे बोर्ड तथा रेल उपयोगकर्ता एसोसिएशन/गया के बीच एक बैठक आयोजित कराने के लिए जिम्मेवारी ली थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आल इन्डिया रिटायर्ड रेलवे मैन्स फेडरेशन के प्रेजीडेंट की ओर से अभ्यावेदन

9298. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंने कि :

(क) क्या सरकार को ए० आई० आर० आर० एम० नागपुर डिवीजन के प्रेजीडेंट की ओर से, पेंशनरों संबंधी सभी विषमताओं को दूर करने तथा अन्य मांगों के बारें में 1 दिसम्बर, 1980 को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मांगों के बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का विचार इस बारे में अन्तिम रूप वे निर्णय कब करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में की गयी प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं :—

(1) पेंशन आयोग की नियुक्ति।

(2) मूल्य सूचकांक में सभी आवधिक वृद्धियों के विरुद्ध पेंशन का संरक्षण।

(3) 1964 से पूर्व सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन।

(4) पारिवारिक पेंशन की दर में वृद्धि।

(5) पेंशन के परिवर्तित भाग का पुनर्स्थापन।

(6) निर्धारित तारीखों पर मंहगाई भत्ते की किस्तों की स्वीकृति न करना।

(7) पेंशनरों को उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख पर ध्यान दिये बिना पेंशनीय लाभ की उपयुक्तता।

(8) पेंशनरों की विधवाओं को मानार्थ पास।

(9) पेंशनरों को मकानों की व्यवस्था।

(10) रियायती दरों पर अवकाश गृह।

(ग) से (ङ) रेल मंत्रालय पेंशनीय लाभों की स्वीकृति, पेंशन और परिवार पेंशन में राहत, आदि देने के संबंध में, गृह मंत्रालय/वित्त मंत्रालय के नियमों/आदेशों को अपनाता है और

ऐसे अनुदेश सामान्यतः प्रत्याशित तारीखों से लागू होते हैं। पेंशन कमीशन गठित करने के प्रश्न पर विचार करना गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) का काम है। इस प्रकार रेल मंत्रालय इन मामलों पर एक पक्षीय निर्णय नहीं ले सकता है।

सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को समय-समय पर निर्धारित मापदंड के आधार पर मानार्थ कार्ड पास स्वीकार किये जाते हैं। यह सुविधा सेवानिवृत रेल कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार से वापस ले ली जाती है। सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों की विधवाओं को मानार्थ पास स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया गया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया।

रेलवे पेंशनरों को मकान देने की कोई व्यवस्था नहीं है। अवकाश-गृह अनिवार्य रूप से सेवारत रेल कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए होते हैं। इनकी संख्या सीमित है जो इस समय 24 हैं। इस प्रकार तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी होने से, सेवारत कर्मचारियों की मागें भी पूरी नहीं की जा रही हैं। अतः यह सुविधा तीसरी और चौथी श्रेणी के सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों को देना व्यावहारिक नहीं है।

दिल्ली में सड़कों के लिग प्रयुक्त कच्चे माल की किस्म के बारे में शिकायतें

9299. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में डामर की सड़कें बनाने में प्रयुक्त कच्चे माल की घटिया किस्म के बारे में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली म्युनिसिपल आयुक्त को कितनी शिकायतें मिलीं ?

(ख) उपरोक्त दोनों प्राधिकरणों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार इनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गई और शिकायतकर्ताओं को उत्तर भेजे गए ?

(ग) क्या शिकायतें इस प्रकार की थीं कि उनकी जांच दिल्ली प्रशासन के सतर्कता सैल द्वारा की जानी चाहिए थीं क्योंकि उनका संबंध एक प्रकार के भ्रष्टाचार से था, और

(घ) यदि हां, तो इन शिकायतों का क्या परिणाम निकला तथा इन शिकायतों को किस प्रकार दूर किया गया ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)

वर्ष	निम्नलिखित द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या	
	दिल्ली नगर निगम	दिल्ली प्रशासन
1978–79	9	शून्य
1979–80	15	शून्य
1980-81	4	शून्य
कुल	28	

(ख) दिल्ली नगर निगम ने इन सभी शिकायतों की जांच की है, लोक सभा के भी शिकायतकर्त्ता को उत्तर नहीं भेजा गया।

(ग) चूंकि, दिल्ली नगर निगम का अपना निजी सतर्कता विभाग है, इसलिए उन्होंने इन शिकायतों को दिल्ली प्रशासन के सतर्कता विभाग के पास भेजने की जरूरत महसूस नहीं की।

(घ) दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग में जिन 16 शिकायतों की जांच करना उचित नहीं समझा गया, उन्हें दिल्ली नगर निगम ने आवश्यक कार्रवाई के लिए उसने इंजीनियरी विभाग को भेज दिया। इंजीनियरी विभाग ने इन शिकायतों की जाच की है और उन पर आवश्यक कार्यवाई की है। शेष 12 मामलों में से, दिल्ली नगर निगम के सतर्कता विभाग ने 7 मामलों की जांच पूरी कर ली है और 6 मामलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इन मामलों में आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके। इनमें से एक मामला जिसमें एक ठेकेदार का भुगतान रुका हुआ है, फिलहाल रोक दिया गया है। इस मामले से संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। शेष 5 मामलों में जांच अभी चल रही है। दिल्ली नगर निगम में जांच किए जा रहे इनमें से 2 मामलों के बारे में प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पता चला है कि नमूने निर्धारित स्तर से नीचे थे।

हैल्थ वर्कर की नियुक्ति और वेतन तथा औषधियों का बाजार में बेचा जाना

9300. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अन्तर्गत एक हैल्थ वर्कर नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो उसे प्रति माह वेतन के रूप में कितनी राशि दी जाती है तथा उसे सप्लाई किये गये किटबैग तथा औषधियों का मूल्य क्या है और क्या यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित योजना है;

(ख) क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, आगरा, मथुरा जिलों में नियुक्त किये गये हैल्थ वर्कर अपने गांवों में बीमार पड़ने वाले रोगियों के घरों में औषधियां देने के लिये नहीं जाते हैं और अधिकांश औषधियां काले बाजार में बेच देते हैं और इस योजना की लोगों के लिए कोई उपयोगिता नहीं है और यह उन इलाकों में चलाई जा रही है जहां सरकारी अस्पताल और औषधालय कार्य कर रहे हैं, और

(ग) यदि हां, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जन स्वास्थ्य रक्षक योजना के अधीन एक-एक हजार ग्रामीण जनसंख्या/प्रत्येक गांव के लिए एक जन स्वास्थ्य रक्षक की व्यवस्था की गई है। यह योजना तमिलनाडु, केरल और जम्मू व कश्मीर राज्यों तथा अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां इसी प्रकार की वैकल्पिक योजनाएं चलाई जा रही हैं, शेष सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। ये जन-स्वास्थ्य रक्षक स्वयंसेवक होते हैं और वे पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक

सरकारी कर्मचारी नहीं होते और इसलिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता। उन्हें केवल तीन महीनों की प्रशिक्षण अवधि में 600 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, उसके बाद उन्हें 50 प्रतिमास की दर से मानदेय दिया जाता है और साथ ही लगभग दो सौ रुपये मूल्य का एक किट तथा प्रतिमास 50 रुपये तक मूल्य की दवाइयां दी जाती हैं। यह योजना 1970-79 तक शत-प्रतिशत केन्द्र-पोषित योजना थी। उसके बाद इसे केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना बनाया गया है जिसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को आधा-आधा व्यय वहन करना होता है।

(ख) भारत सरकार के ध्यान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। जन-स्वास्थ्य रक्षकों का चयन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए ही किया जाता है।

(ग) जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना के कार्यान्वयन के बारे में राज्यों से मिली सूचना के आधार पर समय-समय पर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। अब तक प्राप्त अनुभव को देखते हुए इस योजना में बहुत जल्दी कुछ नए संशोधन करने का विचार है।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर-निवारक औषध का विकास

9301. **डा० बसन्त कुमार पंडित**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे के भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से देश में प्रचुरता से उपलब्ध एक पौधे से एक कैंसर-निवारक अलकालाइड को अलग करने की तकनीक का सही-सही निकास किया है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों की सूची में आ जाता है जिन्होंने कैंसर-निवारक औषध का विकास करने में सफलता प्राप्त की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त औषध को वाणिज्यिक आधार पर लाभप्रद बनाने हेतु शोध कार्य में और आगे सहायता देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) जी, हां। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे के वैज्ञानिकों ने देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध विंका रोजिया, जिसे हिन्दी में सदाबहार कहते हैं, की पत्तियों से कैंसर रोधी औषधि विनब्लास्टाइन को सल्फेट के रूप में तैयार करने में सफलता प्राप्त की है।

(ख) विंका रोजिया के लिए यह प्रसिद्ध है कि इसमें अनेक अल्केलाइड्स होते हैं जिनमें से विनम्लास्टाइन और विन्क्रस्टाइन कैंसर रोधी गुण क्षमता वाले होते हैं। ये औषधियाँ नई औषधियाँ नहीं हैं और बाहरी मुल्कों में पहले से ही बनाई जा रही हैं। पश्चिमी देशों में इन औषधियों पर व्यापक क्लिनिकल परीक्षण किए जा चुके हैं और इनका फार्माकोलाजी की मानक पाठ्य-पुस्तकों में कैंसर रोधी औषधियों के रूप में उल्लेख किया गया है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार कोई ऐसा उपयुक्त संगठन देख रही है जो इस दवा को व्यापारिक आधार पर बना सके।

नई रेल लाइनों के लिए कर्नाटक राज्य का प्रस्ताव

9302. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में नई लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान राज्य में कितनी नई लाइनें बिछाई जायेंगीं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) (1) **हुबली-कारवार लाइन :**

इसे अर्थक्षम नहीं पाया गया।

(2) **चित्रदुर्ग—रायदुर्ग नयी लाइन :**

इस लाइन के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(3) **चामराजनगर—मेट्टुपालेम नयी लाइन :**

इस लाइन के सर्वेक्षण को 1981-82 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ग) कोई नहीं।

डभोल पत्तन का विकास

9303. **श्री बापूसाहिब परूलेकर** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट पर डभोल में एक प्राकृतिक पत्तन बना हुआ है और यह सबसे अधिक सुरक्षित पत्तनों में से एक पत्तन है;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 'दाध रजिस्टर' के उद्धरणों से यह पता चलता है कि 'इचो' ने इस पत्तन की गहराई 18 पैटम्स मापी थी और नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार इसकी गहराई 55 फुट है और इस गहरे मान की लम्बाई तीन मील तथा चौड़ाई आधा मील है;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि भारतीय नौसेना के एडमिरल सोमन (सेवा निवृत्त) ने यह मत व्यक्त किया है कि उचित मात्रा में मिट्टी हटाने और उसके बाद मिट्टी हटाने सम्बन्धी कम से कम रख रखाव पर यह पत्तन 100 जहाजों के लंगर डालने के लिए पर्याप्त होगा;

(घ) क्या सरकार संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए किसी समिति का गठन करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) डभोल लघु पत्तन को प्राकृतिक अथवा बड़े जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

(ख) नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास दाघ रजिस्टर नहीं है। 1963 में प्रकाशित जल सर्वेक्षण चार्ट के अनुसार गहराई शून्य से 57 फीट तक रहती है।

(ग) एडमिरल सोमन ने नौवहन और परिवहन मंत्रालय को कोई राय नहीं दी है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। क्योंकि चालू योजना के दौरान न्हावा शेवा के अलावा किसी अन्य पत्तन का बड़े पत्तन के रूप में विकास करने के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

जूनियर डाक्टरों के कार्य के घण्टे

9304. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनियर डाक्टर्स फैडरेशन आफ दिल्ली ने अपने काम के घन्टों में परिवर्तन लाने का निर्णय किया है जिस पर बताया जाता है कि सरकार सितम्बर, 1980 में सहमत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या डाक्टरों के इस एकतरफा निर्णय से अस्पतालों के कार्यकरण के अस्त व्यक्त होने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो वे कौन से कदम हैं जिन्हें सरकार का न केवल अस्पताल सेवाओं के अस्त व्यस्त होने से रोकने के लिए उठाने का है अपितु जूनियर डाक्टर, जो किसी न किसी बहाने समाज के सामने कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं, में बढ़ रही अनुशासनहीनता को रोकने के लिए भी कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की फैडरेशन ने अपने 6 अप्रैल, 1981 के पत्र में सूचित किया था कि इसके घटकों ने सरकार के साथ हुए समझौते की विभिन्न शर्तों को 26-3-1981 से एक-तरफा क्रियान्वित करने का निश्चय किया है। यह बताया गया था कि फैडरेशन के सदस्यों ने अपने कार्य समय को सप्ताह में 48 घंटों तक सीमित करने का एक-तरफा निश्चय किया है। जूनियर डाक्टरों के साथ जो समझौता हुआ था उसमें सप्ताह में 48 घण्टों तक काम करने की मांग को माना नहीं गया था।

(ख) और (ग) नहीं। स्वास्थ्य परिचर्या सेवायें सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय पर समुचित आवश्यक कार्यवाही करेगी। साथ में यथा आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।

उड़ीसा सरकार द्वारा रोगों की घटनाओं का पता लगाने के लिए व्यवस्थित कार्य

9305. **श्री गिरिधर गोमाँगो** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने विशेष रूप से राज्य के आदिवासी क्षेत्रों तपेदिक, रति रोग, कुष्ट रोग आदि से रोगों की घटनाओं का पता लगाने के लिए व्यवस्थित कार्य आरंभ किया है और मंत्रालय को इस बारे में सूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के कोरापुट जिले के किन खण्डों तथा पाकेटों में कुष्ठ रोग की घटनाओं का पता चला;

(ग) उड़ीसा सरकार ने इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों, कुष्ट रोग केन्द्रों की स्थापना करके और पैरा मेडीकल कर्मचारियों की नियुक्ति आदि करके अब तक क्या निरीक्षक कदम उठाए हैं;

(घ) उनके मंत्रालय ने इन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये उड़ीसा सरकार को क्या निदेश दिये हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत इन क्षेत्रों के लिये क्या कार्यक्रम एवं व्यवस्था की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उड़ीसा सरकार ने रतिज रोगों और कुष्ठ से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाने के लिए व्यवस्थित कार्य करना शुरू कर दिया है। जहां तक टी० वी० का सवाल है, राज्य सरकार द्वारा ऐसे कोई कदम उठाने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) कोरापुट जिले के बारे में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :—

1. कुल जनसंख्या	20,43,281	(1971 की जन गणना)
2. कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या	10,216	
3. उन रोगियों की कुल संख्या जिनका सरकारी यूनिट द्वारा अब तक पता लगाया गया है	1,535	
4. व्यापता दर	5 प्रति हजार	

(ग) इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जो निरोधी उपाय किये गए हैं वे इस प्रकार हैं :

कुष्ठ :

उन कुष्ठ नियन्त्रण एककों/केन्द्रों की संख्या निम्नलिखित है जो कोरापुट जिले में अब तक स्थापित किए गये हैं :—

सरकारी कुष्ठ नियन्त्रण एकक	—	1
सरकारी एस० ई० टी० केन्द्र	—	1
ग्रामीण कुष्ठ क्लिनिक	—	14
स्वैच्छिक कुष्ठ नियन्त्रण एकक	—	1

टी० बी०

राज्य सरकार द्वारा एक जिला टी० बी० केन्द्र पहले ही मंजूर किया जा चुका है और इस केन्द्र के लिए एक्सरे यूनिट का एक सेट रिलीज कर दिया गया है।

रतिज रोग

उड़ीसा राज्य में 13 रतिज रोग क्लिनिक हैं जो प्रत्येक जिला मुख्यालय अस्पताल में खुले हुए हैं। इनके अलावा कोरापुट जिले के आदिवासी क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक और क्लिनिक खोल दिया गया है।

मेडिकल और पैरा-मेडिकल में व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और राज्य के स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा रोगों के निवारण और नियन्त्रण हेतु स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) राज्य सरकार को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर निर्देश दिए जाते हैं और ऐसा करते समय स्थानिक-मारी क्षेत्रों और स्थानिक-मारी आदिवासी एवं पिछड़ी जाति वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देने को कहा जाता है। उनसे समय-समय पर समस्याओं और कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अनुरोध भी किया जाता रहा है।

(ङ) उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों के लिए चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम के बारे में सूचना इस प्रकार है :—

1981-82 के लिए प्रस्तावित परिव्यय

	नगद राशि	सामान	कुल
		(राशि कुल रुपयों में)	
1. राष्ट्रीय टी० बी० नियन्त्रण कार्यक्रम	—	0.52	0.52
2. राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्यक्रम	7 00	1.30	8.30

गुडूर तथा हैदराबाद बरास्ता विजयवाड़ा के बीच दिन में एक्सप्रेस गाड़ी

9306. श्री पसाला पेंचालैया : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुडूर तथा हैदराबाद बरास्ता विजयवाड़ा के बीच दिन में एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए जनता की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह मामला इस समय विचार के किस चरण में है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क)जी, हां।

(ख) और (ग) विजयवाड़ा के रास्ते गुडूर और हैदराबाद के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाने के व्यावहारिकता की जांच की गयी है लेकिन इसे मार्ग में लाइन क्षमता की तंगी, टर्मिनल सुविधाओं, कोचिंग स्टाक और बिजली की कमी के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के चिकित्सा (मेडिकल) विभाग में वार्ड मास्टरों के रिक्त पद

7307. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत पिछली योजना से ही वार्ड मास्टरों के पद रिक्त पड़े हुए हैं जबकि 27 सीनियर पुरुष नर्स वार्ड मास्टरों के रूप में पदोन्नति के पात्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन सीनियर पुरुष नर्सों को वार्ड मास्टरों के रूप में पदोन्नत न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार इन्जन लास्कर) : (क) और (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मडलीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति

9308. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : दक्षिण पूर्वी रेलवे के खड़गपुर, खुर्दा रोड, चक्रधरपुर, वाल्टेयर और विलासपुर मडलों के लिए मंडलीय रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति पर ससद सदस्यों और विधान सभाओं के सदस्यों सहित कितने सरकारी अधिकारियों को नाम-निर्देशित किया गया है और उक्त चुनाव के आधार क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में चेम्बर आफ कामर्स, ट्रेड एसोसिएशन और उद्योगों, कृषि संगठनों, पंजीकृत यात्री संगठनों मण्डल द्वारा सेवित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, मण्डल द्वारा सेवित राज्यों के विधायक और संसद सदस्य शामिल होते हैं। इन विशिष्ट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे अन्य हितों, जिसमें विभिन्न प्रकार के जनमत का प्रतिनिधित्व होता है, को 'विशेष हितों' के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। चैम्बर आफ कामर्स, ट्रेड एसोसिएशन और उद्योगों, कृषि संगठनों तथा पंजीकृत यात्री संगठनों के प्रतिनिधियों को महाप्रबन्धक द्वारा मनोनीत किया जाता है जबकि राज्य सरकारों और राज्य विधान सभाओं के प्रतिनिधियों को राज्य सरकारों द्वारा अनुशंसित किया जाता है। संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य मन्त्री की सिफारिश पर किया जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर, खुर्दा रोड, चक्रधरपुर, वातेरू और विलासपुर मंडलों की मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों में 26 अधिकारियों, 9 विधायकों, 10 संसद सदस्यों तथा 47 गैर सरकारी व्यक्तियों को मनोनीत किया गया है।

आफिसर की झिड़क हृदय रोग काएक कारण

9309. **श्री सनतकुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल सोसाइटी फार प्रिवेन्सन आफ हार्ट डिसिसेंज एण्ड रिहैबिलिटेशन द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला है कि हृदय रोग आम तौर पर अफसर द्वारा झिड़क दिये जाने के कारण होता है जैसा कि 7 अप्रैल, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार है इस सम्बन्ध में उच्च पदों पर आसीन सरकारी अफसरों के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) जी, नहीं। हृदय रोगों सम्बन्धी किसी व्यक्ति का पारिवारिक इतिहास उसका अति रक्तदाब, आघात, मधुमेह, स्थूलता, धूम्रपान, वसायुक्त और तले हुए भोजन का अधिक मात्रा में सेवन, कसरत की कमी, आदि कुछ ऐसे कारण हैं, जो हृदय रोग पैदा करने में जबरदस्त भूमिका निभाते हैं। साथ ही किसी व्यक्ति का स्वभाव और उसकी दिमागी हालत का भी इसमें बड़ा हाथ होता है। यह जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति अफसर की झिड़की से ही बिगड़ जाय बल्कि इसके लिए बहुत सी ऐसी छोटी-मोटी अन्य बातें भी जिम्मेदार हो सकती हैं जो व्यक्ति के दैनिक जीवन में प्रायः घटती रहती हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

असम में रेल यात्रियों की सुरक्षा

9310. **डा० आर० रोथूआमा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान असम आन्दोलन के उग्रवादियों की तोड़-फोड़ की बढ़ती हुई गतिविधियों को दृष्टि में रखते हुए असम राज्य में यात्रा कर रहे रेल यात्रियों की सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में असम की रेल-लाईनों पर तोड़-फोड़ की संभावी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त उपचारात्मक उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) मूल रूप से यह कानून और व्यवस्था की समस्या है जो संविधान के अधीन राज्य का एक विषय है। फिर भी, रेलों को इस मामले के सम्बन्ध में गहरी चिन्ता है और स्थिति पर काबू पाने के लिए रेलें राज्य सरकार के प्राधिकारियों को सभी सम्भव सहायता प्रदान कर रही हैं।

असम में रेल यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

1. रेलवे पर तोड़-फोड़ तथा विस्फोट के मामलों की जांच राज्य पुलिस द्वारा प्रभावशाली ढंग से की जा रही है।
2. रात्रि के समय 19.00 बजे से 05.00 बजे के बीच असम क्षेत्र के अन्तर्गत चलने वाली सभी गाड़ियों के ड्राइवरों को इस आशय के चेतावनी आदेश दिये गये हैं कि वे गाड़ी चालन के समय सतर्क रहें तथा प्रतिबन्धित रफ्तार से गाड़ी चलायें।
3. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का जो भाग असम में पड़ता है, उस पर रेलवे इन्जीनियरी विभाग के गैंगमैनों द्वारा रेलपथ पर गश्त गहन कर दी गई है।
4. पुलिस ने भेद्य खण्डों पर रे० सु० वि० दल, होम गार्ड तथा ग्राम सुरक्षा दलों की सहायता से रेलपथ पर गश्त गहन कर दी है।
5. प्रभावित खंडों पर महत्वपूर्ण गाड़ियों के आगे-आगे विशेष गश्ती गाड़ियां चलायी जा रही हैं।
6. गाड़ियों में यात्रियों के सामान तथा पार्सलों, आदि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।
7. महत्वपूर्ण रेल पुलों पर पहरा देने की व्यवस्था कर दी गई है।
8. रेलवे गैंगमैनों की कारगर स्क्रीनिंग प्रारम्भ कर दी गई है।
9. आसूचना सम्बन्धी कार्रवाई गहन कर दी गई है तथा इस प्रकार का कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाये रखा जा रहा है।
10. जिस गांव/क्षेत्र के आस-पास विस्फोट होते हैं, वहां के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगाये जाने पर विचार किया जा रहा है।
11. भेद्य क्षेत्रों में पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
12. राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को सामान्य चेतावनी दे दी गई है तथा प्राधिकारियों को निदेश दे दिए गए हैं कि वे मौजूदा संसाधनों के अन्तर्गत रेलपथ पर गहन गश्त करने की व्यवस्था करें तथा आसूचना सम्बन्धी कार्रवाई भी गहन कर दें।

अन्य जातियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्मचारियों को कार्यालय-अधीक्षकों के रूप में पदोन्नत करने की पेशकश

9311. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1974 से दक्षिण रेलवे के नौवहन और परिवहन विभाग में अन्य जातियों/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कितने-कितने कर्मचारियों को 700-900 रुपये के वेतनमान में अधीक्षक, 425-700 रुपये के वेतनमान में मुख्य लिपिक और 330-560 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ लिपिक के रूप में तदर्थ पदोन्नति देने की पेशकश की गई थी और ये तदर्थ पदोन्नतियां किस कार्यालय आदेश द्वारा की गई थीं;

(ख) दिनांक 1 अप्रैल, 1974 से बोर्ड के पत्र संख्या ई. (एस. सी. टी.) 72 सी एम. 15/5 दिनांक 26 मार्च, 1974 के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कितने-कितने कर्मचारियों को 700-900 रुपये के वेतनमान कार्यालय अधीक्षक, 425-700 रुपये के वेतनमान में मुख्य लिपिक और 330-560 के वेतनमान में वरिष्ठ लिपिक के रूप में तदर्थ पदोन्नति देने की पेशकश की गई थी और ये तदर्थ पदोन्नतियां किस कार्यालय आदेश द्वारा की गई थीं; और

(ग) दिनांक 1 अप्रैल, 1974 से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कितने-कितने कर्मचारियों को 700-900 रुपये के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक, 425-700 के वेतनमान में मुख्य लिपिक और 330-560 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ लिपिक के रूप में तदर्थ पदोन्नति दी जानी थीं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण रेलवे पर अन्य जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों का विवरण नीचे दिए जा रहे हैं जिन्हें सिगनल एवं दूर संचार विभाग में 700-900 रुपये के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक, 425-700 रुपये के वेतनमान में प्रधान लिपिक, और 330-560 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नति दी गई थी :–

कार्यालय अधीक्षक—वेतनमान 700-900 रुपये

नाम	अ०जा०/अनु०जा०/ अनु० ज० जा०	कार्यालय आदेश	तारीख
1	2	3	4
सर्वश्री			
एन० श्रीनिवासन	अ० जा०	88/76	13-5-76
एन० श्रीनिवासन	अ० जा०	147/76	17-8-76
एन० श्रीनिवासन	अ० जा०	132/76	23-10-76
टी० सी० बालकृष्णन	अ० जा०	124/73	24-8-78
पी० कुप्पुस्वामी	अ० जा०	124/78	24-8-78
ए० राममूर्ति	अ० जा०	78/80	18-4-80
एम० कृष्णास्वामी	अ० जा०	78/80	14-8-80
टी० एन० आद्यापदम	अ० जा०	143/80	9-7-80
	प्रधान लिपिक—वेतनमान 425-700 रुपये		
बी० जे० थोलासीरामन	अ० जा०	95/75	7-6-75
पी० साम्बमूर्ति	अ० जा०	95/75	7-6-75

1	2	3	4
एम० त्यागराजन	अ० जा०	112/75	2-7-75
सी० सरनामपिल्लै	अ० जा०	81/76	5-5-76
सी० थिरंगनसाम्बन्दम	अ० जा०	155/76	25-8-76
ए० सी० राजू	अनु० जा०	155/76	25-8-76
बी० जे० थोलासीरामन	अ० जा०	197/76	9-11-76
एम० आर० पिचै	अ० जा०	17/77	28-1-77
एस० मुर्गान	अ० जा०	17/77	28-1-77
डी० डी० कोस्ता	अ० जा०	1/78	2-1-78
एम० आर० पिचै	अ० जा०	119/78	22-8-78
सी० सरनामपिल्लै	अनु० जा०	28/79	14-2-79
विजय थोलासीरामन	अ० जा०	54/79	30-3-79
एन० रंगन	अनु० जा०	54/79	30-3-79
वी० ताण्डवमूर्ति	अ० जा०	69/79	14-5-79
पी० साम्बामूर्ति	अ० जा०	112/79	30-7-79
पी० साम्बामूर्ति	अ० जा०	179/79	16-11-79
मो० फसीउद्दीन	अ० जा०	33/80	19-2-80
वी० ताण्डवमूर्ति	अ० जा०	33/80	19-2-80
एस० मुर्गान	अ० जा०	210/80	11-9-80
बी० ताण्डवमूर्ति	अ० जा०	268/80	23-12-80
एन० सुब्रामनियन	अ० जा०	268/80	23-12-80
मो० फसीउद्दीन	अ० जा०	179/79	16-11-79
वी० ताण्डवमूर्ति	अ० जा०	183/79	27-11-79
	वरिष्ठ लिपिक— वेतनमान 330-560 रुपये		
एम० वी० वेंकटेशन	अनु० जा०	155/76	25-8-76
आर० सरोजा	अ० जा०	27/77	14-2-77
गुलाम सम्भारनी	अ० जा०	65/77	26-3-77
आर० सरोजा	अ० जा०	66/77	27-4-77

1	2	3	4
डी० सत्यनारायन	अ० जा०	35/77	25-2-77
आर० के० पार्थासारथी	अ० जा०	159/77	28-10-77
मीनाक्षी श्रीनिवासन	अ० जा०	159/77	28-10-77
पी० के० गोपालकृष्णन	अ० जा०	165/77	18-11-77
कमला अर्धनारी	अ० जा०	132/78	16-9-78
गनसालवेज	अ० जा०	136/78	30-9-78
जी० एल० कनकराज	अ० जा०	136/78	30-9-78
आर० भुवाराघवन	अ० जा०	68/79	14-5-79
आर० भुवाराघवन	अ० जा०	12/79	30-7-79
आर० भुवाराघवन	अ० जा०	179/79	16-11-79
के० वर्धाराजुलु	अ० जा०	83/80	19-2-80
के० बालाजीराव	अ० जा०	183/79	27-11-79
के० वर्धाराजुलु	अ० जा०	179/79	16-11-79
के० बालाजीराव	अ० जा०	33/80	19-2-80
के० बालाजीराव	अ० जा०	76/80	21-4-80
वी० कृष्णामूर्ति	अ० जा०	97/80	8-5-80
के० बालाजीराव	अ० जा०	210/80	11-9-80
वी० कृष्णामूर्ति	अ० जा०	268/80	23-12-80
एम० वी० जार्ज	अ० जा०	16/81	27-1-81
वी० एस० रामाचन्द्रन	अ० जा०	16/81	27-1-81
के० बालान	अ० जा०	16/81	27-1-81

(ख) 700-900 रुपये के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी भी कर्मचारी को तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई थी।

अनुसूचित जाति के 4 कर्मचारियों को 425-700 रुपये के वेतनमान में प्रधान लिपिक के रूप में तदर्थ पदोन्नति प्रदान की गई थी और उनके विवरण भाग (क) में दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को 425-700 रुपये के वेतनमान में प्रधान लिपिक के रूप में तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गई थी।

अनुसूचित जनजाति के एक कर्मचारी को 330-560 रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ लिपिक के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जिन कर्मचारियों को तदर्थ पदोन्नति दी जानी थी उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कार्यालय अधीक्षक वेतनमान 700-900 रुपए	—	—
प्रधान लिपिक वेतनमान 425-700 रुपये	4	2
वरिष्ठ लिपिक वेतनमान 330-560	5	2

दिल्ली में इनलैंड कन्टेनर डिपो

9312. श्री भीकूराम जैन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में इनलैंड कन्टेनर डिपुओं की स्थपना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तुगलकाबाद में एक इनलैंड कन्टेनर डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके स्थापित किये जाने तक प्रगति मैदान साइडिंग, नई दिल्ली में पायलेट आधार पर एक इनलैंड कन्टेनर डिपो स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

सांस्कृतिक संबंध कार्यक्रम

9313. श्री डी० पी० जदेजा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध कार्यक्रम में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) 1980 में उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशों की जिन भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने यात्रा की उनकी संख्या तथा ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) विश्व के बहुत से देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक सहयोग को द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों और ऐसे अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से बराबर चलाया जाता रहा है जिनका लक्ष्य भारतीय संस्कृति को और भारत की छवि को विदेशों में अंकित करना होता है। भारत ने जिन देशों के साथ सांस्कृतिक करार किए हैं, उनकी संख्या निरन्तर बढ़ती गई है और अब यह 58 हो गई है। जिन देशों के साथ भारत ने विशिष्ट सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्बन्धी समझौते किये हैं उनकी संख्या 30 से अधिक है। जिन देशों

के साथ भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम नहीं भी हैं, उनमें भी द्विपक्षीय, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियां बड़े पैमाने पर की गई हैं हालांकि तदर्थ आधार पर।

(ख) सांस्कृतिक करारों/आदान-प्रदान कार्यक्रम के सम्बन्ध में संस्कृति विभाग/भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद द्वारा 1980 में भेजे गये प्रतिनिधि मंडलों का एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	प्रतिनिधिमडल/प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम	जिन देशों/स्थानों की यात्रा की	उद्देश्य	अवधि
1	2	3	4	5
1.	(1) श्री बी० शंकरानन्द शिक्षा मंत्री	पुर्तगाल, फ्रांस	पुर्तगाल के साथ सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर करने और भारत में 'यूनेस्को' से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं पर विचार-विमर्श करने तथा 'यूनेस्को' बोर्ड के एक भारतीय सदस्य को मनोनीत करने के लिए	अप्रैल, 80
	(2) श्री ए० के० बसु उप सचिव, शिक्षा मंत्री के विशेष सहायक	—वही—	—वही—	—वही—
	(3) श्री बी० भीमप्पा शिक्षा मंत्री के निजी सचिव	—वही—	—वही—	—वही—
2.	(1) डा० के० आर० नारायण उप कुलपति जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय	वाशिंगटन	शिक्षा और संस्कृति के बारे में भारत-अमरीका उप-आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए	अप्रैल, 1980

1	2	3	4
(2) प्रो० रियाज अहमद उप-कुलपति जे० एण्ड के० यूनिवर्सिटी	—वही—	—वही—	—वही—
(3) श्री आर० एन० मिर्धा अध्यक्ष ज्वाइंट म्यूजियम कमिटी	—वही—	—वही—	—वही—
(4) डा० पी० एल० मल्होत्रा प्रिंसिपल कालेज आफ वीकेशनल स्टडीज	—वही—	—वही—	—वही—
(5) श्री एस० एल० कपूर संयुक्त सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	वाशिंगटन	शिक्षा और संस्कृति के बारे में भारत-अमरीका उप-आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए।	अप्रैल, 1980
(6) श्रीमती मनोरमा भल्ला सचिव, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद	—वही—	—वही—	—वही—
3. (1) श्री मीर नसरूल्लाह अपर सचिव	जर्मन जनवादी गणराज्य यूगोस्लाविया और बेल्जियम	जर्मन जनवादी गणराज्य यूगोस्लाविया और बेल्जियम के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की समीक्षा करने और उसे अंतिम रूप देने के लिए।	मार्च, 1980
(2) श्री एन० के० महाजन उप सचिव	—वही—	—वही—	—वही—

	1	2	3	4
	(3) डा० डी० शंकर नारायण अपर सचिव यूनिवर्सिटी ग्रान्टस कमीशन	—वही—	—वही—	—वही—
4.	जोधपुर के राजस्थानी लोक संगीत एवं नृत्य का 20 सदस्यीय दल	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ, रूमानिया, बल्गारिया, मंगोलिया	कला-प्रदर्शन के लिए	मार्च, 1980
5.	बंगलौर की चित्रकला परिषद के नन्जुंदा राय के नेतृत्व में कर्नाटक छाया-पुतली का 7 सदस्यीय दल और दिल्ली की सं० ना० अ० के श्री केशव कोठारी के नेतृत्व में राजस्थानी कठपुतली नचाने वालों और पद गायकों का 7 सदस्यीय दल	संयुक्त राज्य अमरीका	यूनिमा की विश्व कांग्रेस में भाग लेने तथा संयुक्त राज्य अमरीका में अन्यत्र कला-प्रदर्शन के लिये।	मई, 1980
6.	(1) श्री दिलीप चित्रा लेखक, बम्बई	सो० स० ग० सं०, फ्रांस, जर्मन, संघीय गणराज्य, हंगरी	अनुवाद की दृष्टि से टोम परियोजना पर कार्य करने के लिए।	मार्च, 1980
	(2) श्री यू० आर० अनाथामूर्ति लेखक, बंगलौर	—वही—	—वही—	—वही—
	(3) श्री निर्मल वर्मा लेखक, नई दिल्ली	—वही—	—वही—	—वही—

	1	2	3	5
7.	श्री बन्सी कौल, थिऐटर निदेशक, संगीत नाटक अकादमी के सदस्य, नई दिल्ली	फ्रांस चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड	दूसरे कलाकारों से मिलने के लिए	मार्च से मई, 1980
8.	डा० (श्रीमती) सरयु दोशी कला-इतिहासज्ञ, बंबई	जर्मन संघीय गणराज्य और पोलैंड	कला-इतिहासज्ञों से मिलने के लिए।	जून, 1980
9. (1)	श्री शान्ति दवे चित्रकार, दिल्ली	यूनाईटेड किंगडम फ्रांस	कानेशू-मेर फेस्टिवल आफ पेंटिग्स में भाग लेने के लिए ।	अगस्त, 1980
(2)	श्री पिरजी साग्वे चित्रकार, अहमदाबाद	—वही—	—वही—	—वही—
10.	श्रीमती कृष्णा सोबती हिन्दी लेखिका, दिल्ली	यूगोस्लाविया, तुनीशिया और जर्मन जनवादी गणराज्य	अन्य लेखकों से मिलने के लिए।	अक्टूबर, 1980
11.	श्री मनु पारेख, चित्रकार और डिजाइनर नई, दिल्ली	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	अन्य चित्रकारों से मिलने के लिए।	अक्टूबर, 1980
12.	श्री सीताकान्त महापात्र उड़ीसा कवि, भुवनेश्वर	थाइलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान	दूसरे कवियों से मिलने के लिए।	नवम्बर, 1980

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप-सहायक महानिदेशक/सहायक महानिदेशक के ग्रेड में मन्जूर किए गए पद

9314. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत राजधानी में और दिल्ली से बाहर चलाये जा रहे होम्योपैथिक औषधालयों के प्रशासन और कार्यकरण की देख-रेख के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उप-सहायक महानिदेशक/सहायक महानिदेशक के ग्रेड में कुछ पद हाल ही में मंजूर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने;

(ग) इन पदों को किस तरीके से भरा जा रहा है; और

(घ) आवश्यक कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

पूर्व रेलवे के बर्दवान और बरहरवा सेक्शन में रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

9315. **डा० सरदीश राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को पूर्व रेलवे के बर्दवान और बरहरवा सेक्शन में रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के बारे में बारभूमि रेल यात्री समिति से संकल्प प्राप्त हुए हैं, और उनके प्रतिनिधियों ने भेंट की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय किये गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) संकल्पों के अन्य मुद्दों पर आगे क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उपरोक्त यात्रा समिति ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया है कि यदि उचित मांगें न मानी गईं तो वह रेल रोको आन्दोलन छेड़ सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या रेलवे विभाग का इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, हां । प्रस्ताव की प्रमुख मांगें 330 डाउन मुजफ्फरपुर-हावड़ा पैसेन्जर और 352 डाउन किउल-बर्द्धमान फास्ट पैसेंजर के समय पर चलाने से सम्बन्धित थीं । चूंकि दोनों गाड़ियां साहिबगंज लूप लाइन खण्ड पर चलती हैं, इसलिए इन गाड़ियों को इकहरी लाइन खण्डों के लम्बे फासलों को तय करना पड़ता है और पार्सल यातायात की ढुलाई करनी होती है । यदि इस इकहरी लाइन खण्ड पर किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है, तो अस्त-व्यस्त मेल लेने और मार्गवर्ती अग्रताक्रमों के कारण समय पूरा करने की बहुत कम गुन्जाइश रहती है । तथापि इस खण्ड पर चलने वाली गाड़ियों के समय पालन में सुधार करने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(ग) प्रस्ताव की अन्य मांगें नीचे दी गई हैं :—

(1) हावड़ा और बड़हरवा के बीच अतिरिक्त गाड़ियां चलाना

खाना-सैथिया इकहरी लाइन खंड पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण और हावड़ा तथा बड़हरवा दोनों स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाओं की कमी के कारण भी हावड़ा और बड़हरवा के बीच अतिरिक्त गाड़ी प्रारम्भ करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

(2) 335/336 विश्व भारती फास्ट पैसेन्जर और 317/318 बर्द्धमान-रामपुरहाट पैसेन्जर का डीजलीकरण और उन्हें राजग्राम तक बढ़ाना

डीजल रेल इन्जनों की कमी के कारण इस समय किसी यात्री गाड़ी का डीजलीकरण

करना सम्भव नहीं है। यद्यपि, 335/336 विश्व भारती फास्ट पैसेन्जर को राजग्राम तक बढ़ाये जाने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अतिरिक्त रेक और राजग्राम में डिब्बे खड़े करने की सुविधाओं की कमी के कारण 317/318 बर्द्धमान-रामपुरहाट पैसेन्जर गाड़ियों को राजग्राम तक बढ़ाना भी व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(3) 1 ए एस/5 ए एस अण्डाल-सैथिया पैसेन्जर गाड़ियों को रामपुरहाट तक बढ़ाना

फिलहाल, 1 ए एस/5 ए एस अण्डाल-सैथिया पैसेंजर गाड़ियों का रामपुरहाट तक बढ़ाना पारिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपर्युक्त प्रस्तावों की एक बार पुनः जांच की गई थी और समिति के समक्ष स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

गैंगमैनों का अनुपात

9316. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में वर्ष 1950, 1960, 1970 और 1980 में प्रति रूट किलोमीटर गैंगमैनों का अनुपात क्या-क्या था;

(ख) क्या रेलवे के उचित रख-रखाव में गैंगमैनों की वर्तमान संख्या पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो गैंगमैनों की संख्या बढ़ाई जायेगी; और

(घ) क्या गैंगमैनों को नैमित्तिक दर्जे से मुक्त किया जायेगा और स्थायी कर्मचारी बनाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गैंगमैनों का प्रति रेलपथ किलोमीटर का अनुपात भिन्न-भिन्न रहा जो 1950 में लगभग 1.53 से 2.19, 1960 में 1.60 से 2.94, 1970 में 1.85 से 3.00 तथा 1980 में 2.12 से 3.10 के बीच था।

(ख) और (ग) जी हां, लेकिन जब कभी अपेक्षित होता है इसकी पुनरीक्षा की जाती है।

(घ) आमतौर पर नैमित्तिक श्रमिकों को नैमित्तिक किस्म के कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है। नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी रूप से समाहित करना एक सतत प्रक्रिया है जो रिक्त स्थानों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

1000 ग्रास टन—कि० मी० की ईंधन लागत

9317. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री वर्तमान ईंधन की लागत पर (एक) स्टीम इन्जन, (दो) डीजल इन्जन, (तीन) विद्युत इन्जन पर 1000 ग्रास टन-कि० मी० पर क्या ईंधन लागत आती है ?

समुद्र तटीय नौवहन द्वारा ढोयी जाने वाली वस्तुएं

9321. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी वस्तुओं के पता लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें समुद्र तटीय नौवहन द्वारा तेजी से ढोया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने तटीय नौवहन के बारे में नौवें दशक के लिए योजना तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे माल का पता लगाएगी जिसे तटीय नौवहन के लिए निर्धारित किया जा सके। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

नागालैण्ड में सड़कें

9322. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड में इस समय सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में सड़कों की कितनी लंबाई होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31-3-1979 को 5785 किलो मीटर।

(ख) 7193 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करने के लिए नागालैण्ड सरकार ने 82.05 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया था लेकिन 1980-85 की योजना में केवल 50 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इससे मूल लक्ष्य में तदनुसार संशोधन करना आवश्यक हो गया।

सांभर-मेडता गाड़ी को पुनः शुरू किया जाना

9323. **कृष्ण कुमार गोयल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांभर-मेडता रेलगाड़ी का चलाया जाना बन्द कर देने से संगमरमर और नमक सम्बन्धी उद्योगों में लगे लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार गाड़ी को पुनः शुरू करने सम्बन्धी मामले पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बी एम एफ/2 बी एम एफ बीकानेर मेडता रोड—सांभर लेक-फुलेरा यात्री गाड़ी 6-4-81 से इंजन

(क) इस तथ्य की दृष्टि से टेकटार, मुरैया तथा कोरहैया हाल्ट लाभ में चल रहे हैं, क्या इन हाल्टों का दर्जा बढ़ाकर इन्हें नियमित स्टेशन बना देने के प्रश्न पर पुनः विचार करने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हाल्ट स्टेशनों का ग्रेड ऊंचा करके उन्हें नियमित स्टेशनों का कर दिया जाता है बशर्ते कि इसके लिए यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य हो और अतिरिक्त आय तथा व्यय के आधार पर इस प्रकार के परिवर्तन के लिए वित्तीय दृष्टि से औचित्य तदनुसार टेकटार, मुरैया और कोरहिया हाल्ट स्टेशनों के ग्रेड बढ़ाकर उन्हें फ्लैग स्टेशनों में बदलने के प्रस्ताव की जांच की गयी थी, लेकिन वित्तीय रूप से इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया, क्योंकि इससे प्रत्येक हाल्ट का संचालन व्यय बढ़कर लगभग 50,000 रु० हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप भारी आवर्ती हानि उठानी पड़ेगी ।

केटरिंग ठेकेदारों के लिये लाइसेंस फीस

9320. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने कैटरिंग ठेकेदारों की लाइसेंस फीस की वार्षिक समीक्षा करने तथा पुनरीक्षण करने के आदेश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या 1973 के बाद अर्थात् कोयले की कमी के कारण रेल सेवा में की गई कटौती को बहाल करने के बाद कोई समीक्षा की गई थी;

(ग) यदि नहीं, तो लाइसेंस फीस का पुनरीक्षण न किये जाने के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई है; और

(घ) उक्त हानि की राशि को कैटरिंग ठेकेदारों से वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लाइसेंस फीस का दो वर्ष में एक बार नवीकरण किया जाता है ।

(ख) से (घ) लाइसेंस फीस जब कभी देय होती है तब उसकी आवधिक समीक्षा की जाती है । किसी भी स्थिति में लाइसेन्स फीस कम नहीं की जाती और इस कारण किसी भी घाटे का प्रश्न नहीं उठता ।

समुद्र तटीय नौवहन द्वारा ढोयी जाने वाली वस्तुएं

9321. **श्री एस० बी० सिदनाल :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी वस्तुओं के पता लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें समुद्र तटीय नौवहन द्वारा तेजी से ढोया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने तटीय नौवहन के बारे में नौवें दशक के लिए योजना तैयार करने के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे माल का पता लगाएगी जिसे तटीय नौवहन के लिए निर्धारित किया जा सके। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

नागालैण्ड में सड़कें

9322. **श्री चिंगवांग कोनयक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैण्ड में इस समय सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अंत में सड़कों की कितनी लंबाई होने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31-3-1979 को 5785 किलो मीटर।

(ख) 7193 किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करने के लिए नागालैण्ड सरकार ने 82.05 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया था लेकिन 1980-85 की योजना में केवल 50 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया। इससे मूल लक्ष्य में तदनुसार संशोधन करना आवश्यक हो गया।

सांभर-मेडता गाड़ी को पुनः शुरू किया जाना

9323. **कृष्ण कुमार गोयल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांभर-मेडता रेलगाड़ी का चलाया जाना बन्द कर देने से संगमरमर और नमक सम्बन्धी उद्योगों में लगे लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार गाड़ी को पुनः शुरू करने सम्बन्धी मामले पर पुनर्विचार करने का है; और

(ग) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बी एम एफ/2 बी एम एफ बीकानेर मेडता रोड—सांभर लेक-फुलेरा यात्री गाड़ी 6-4-81 से इंजन

कोयले की भारी कमी के कारण अस्थायी रूप से रद्द कर दी गयी है। इंजन कोयले की स्थिति सुधार होते ही इस गाड़ी को पुनः चालू करने पर विचार किया जायेगा।

हावड़ा, सियालदह और आसनसोल डिवीजनों में ऊपरी पुलों का निर्माण

9324. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी दो वर्षों में उत्तर रेलवे के हावड़ा, सियालदह और आसनसोल डिवीजनों में विभिन्न रेल स्टेशनों पर कितने ऊपरी पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : छटा पत्थर में वर्तमान समपार के बदले ऊपरी सड़क पुल बनाने तथा आसनसोल मंडल में रानीगंज में जगन्नाथ रोड ऊपरी पुल को दोबारा बनाने का काम क्रमशः 78.52 लाख रुपये (रेलवे का भाग 38.17 लाख रुपये) और 29.75 लाख रुपये (रेलवे का भाग 17.55 लाख रुपये) की अनुमानित लागत से रेलवे को 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

सियालदह मडल के सीरामपुर, कमर ग्राम, शक्तिनगर और मोरग्राम सियालदह मंडल के जादवपुर और बेलगछिया तथा आसनसोल मंडल के पानागढ़ में वर्तमान समपारों के स्थान पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के प्रस्तावों की रेलवे तथा राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। जैसे ही विस्तृत आरेखण, अभिकल्प, अनुमान तथा लागत वहन करने की शर्तें पूरी कर ली जाती हैं तथा रेलवे और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा आपस में स्वीकार कर ली जाती है। इन प्रस्तावों को रेलों के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जायेगा।

हावड़ा मंडल के बालारपुर में तथा आसनसोल मंडल के अण्डाल/बारावनी लूप के बाई-पास के सातवें मील तथा सीतारामपुर और सालारपुर के बीच 116वें मील पर भी ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव है, जो राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों की लागत से बनाये जायेंगे। बालारपुर में ऊपरी-पुल बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।

मुगल लाइन्स लिमिटेड के लिए और अधिक जहाजों को प्राप्त करने का प्रस्ताव

9325. श्री ए० ए० रहीम : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स के लिए और अधिक जहाज प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी नई सेवायें प्रारम्भ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या आगामी वर्ष कोई अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय सेवा भी शुरू होगी; और

(घ) मुगल लाइन्स के जहाजों द्वारा कितना कोयला ढोया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) माल के यातायात के लिए जहाजों में वृद्धि करने के अलावा मुगल लाइन्स लिमिटेड द्वारा भारत के पश्चिमी तट पर रेल-आन-रोल-आफ पैसेंजर व कार्गो जहाज सेवा शुरू करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) ऐसा अनुमान है कि मुगल लाइन्स लिमिटेड द्वारा मारगूहर नौवहन निगम को टाइम चार्टर पर दिए गए तीन जहाजों द्वारा प्रति वर्ष 5 टन कोयले की ढुलाई की जाएगी ।

आर० के० पुरम और सेना भवन के बीच दिल्ली परिवहन निगम की विशेष बसों के ट्रिप

9326. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेक्टर-एक, आर० के० पुरम, नई दिल्ली काफी बड़े बस टर्मिनस के रूप में विकसित हो गया है परन्तु उचित बस 'बेज' न होने के कारण भीड़भाड़ के समय दुर्घटनाओं की संभावनाओं सहित यातायात सम्बन्धी कठिनाइयां हो जाती हैं;

(ख) क्या लगभग एक लाख सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों आदि के लाभार्थ आर० के० पुरम से होकर कम संख्या में मुद्रिका बसों के चलाने के लिए अनुरोध किया गया था परन्तु वह व्यर्थ रहा;

(ग) क्या सेना भवन से रूट संख्या 610 पर 17.15 बजे चलने वाली विशेष बस, जो भीड़भाड़ के लिए अपर्याप्त है, के अलावा 17.30 बजे एक और बस चलाने का अनुरोध किया गया था तथा बुधवार और शनिवार के दिनों 14.10 बजे और 14.30 बजे विशेष बसें चलाने का अनुरोध किया गया था ताकि यात्रियों को केन्द्रीय टर्मिनल तक जाने की कठिनाई न हो परन्तु उसके कोई परिणाम नहीं निकले; और

(घ) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम का विचार विशेष बसें चलाकर और बसें 'बेज' बनाकर यात्रियों को राहत देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आर० के० पुरम, सैक्टर-1 में केवल बस-स्टैंड ही है, बस-टर्मिनल नहीं है । बसों के उत्तम परिचालन के लिए बस-बेज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली परिवहन निगम ने बस-बेज की आवश्यकता की ओर दिल्ली नगर निगम और यातायात पुलिस अधिकारियों का ध्यान दिलाया है ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि इस तरह का कोई भी अनुरोध उन्हें अभी हाल में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) रूट नं० 610 और 620 की मौजूदा पर्याप्त नियमित सेवा को देखते हुए, और पूरक सेवाओं के रूप में कृषि भवन, उद्योग भवन और सेना भवन से दोपहर बाद आर० के० पुरम को बहुत से विशेष फेरे लगाने की स्थिति को देखते हुए और अतिरिक्त विशेष फेरों की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

बम्बई डिवीजन में फायर मेनों की पदावनति

9327. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उनके मंत्रालय ने मार्च, 1980 में पश्चिम रेलवे को इस आशय के आदेश दिये थे कि पश्चिम रेलवे के बम्बई डिवीजन में क्लीनर के पद पर पदावनत किये गये 30 फायरमैनों को वाणिज्यिक लिपिक और डीजल/एसी/डीसी ट्रैक्शन का प्रशिक्षण देने के बाद खपाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि पश्चिम रेलवे ने 30 में से 19 गैर मैट्रिक फायरमैनों को डीजल/एसी/डीसी ट्रैक्शन के प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए अब तक प्रबन्ध नहीं किये हैं और उनकी डीजल एसी/डी/सी गाड़ियों का प्रशिक्षण कब तक दे दिया जाएगा;

(ग) क्या मंत्रालय ने 'रनिंग' श्रेणी में ट्रेनी रिजर्व के पद बनाने के लिए आदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में रनिंग स्टाफ को भिन्न-भिन्न श्रेणियों में ऐसे पद बनाने की वर्तमान स्थिति क्या है और पदावनत किये गये 19 फायरमैनों को रनिंग अथवा किसी अन्य श्रेणी में कब तक खपाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केबिन ए० एस० एम० अजिनी

9328. **श्री रुद्र प्रताप सारंगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ई' कबाई (मध्य रेलवे) अजिनी द्वारा केबिन ए० एस० एम० द्वारा अप गुड्स रिसीविंग लाइन पर आने वाली एक कुरला स्पेशल गुड्स ट्रेन को मार्ग न दिये जाने के वास्तविक कारण क्या हैं, क्या अजिनी में अप गुड्स केबिन संख्या 5 पर 16 दिसम्बर, 1980 को 6.05 बजे से 8.30 बजे म० प० तक कुरला स्पेशल के आने के लिए स्लाट तथा प्राइवेट नम्बर देने के लिए कोई केबिन ए० एस० एम० मौजूद था;

(ख) यदि नहीं, तो केबिन से केबिन ए० एस० एम० किसने जबरन निकाला तथा किसने केबिन को बन्द किया और केबिन बंद किये जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी; और

(ग) क्या वर्ष 1972 के बाद रेलवे बोर्ड के आदेशों का उल्लंघन करते हुये वहां मध्य रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे गार्ड तैनात किये गये थे, यदि हां, तो इस प्रकार वर्षवार तथा डिवीजनवार कितने गार्ड अन्तर्वेशित किये गये ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वास्तविक कारणों का पता नहीं है। बहरहाल यह समझा जाता है कि 'ई' केबिन, अजनी में सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा कुर्ला स्पेशल माल गाड़ी को लाइन क्लियर न दिये जाने का कारण यह था कि गार्ड का उपयोग माल केबिन संख्या 5 में किया जा रहा था। गार्ड केबिन को संभालने में सक्षम था।

(ख) यह सच नहीं है कि केबिन सहायक स्टेशन मास्टर को केबिन से जबरदस्ती हटाया गया था और केबिन बन्द कर दिया गया था।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, सक्षम रेल कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः तैनात किया जाता है कि जब कर्मचारियों की कमी या आंदोलनों आदि से रेलवे के क्रिया-कलाप पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तब रेलें सुचारु रूप से चलती रहें।

समुद्री कानून सम्मेलन

9329. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1981 के पैट्रियट में प्रकाशित "समुद्री कानून सम्मेलन संकट में" "सी ला मीट इन डालड्रम्स" शीर्षक समाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) समुद्री कानून के बारे में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नवें अधिवेशन में लिए गए निर्णयों को देखते हुए जो 29 अगस्त, 1980 को समाप्त हुआ था, भारत सरकार ने यह आशा व्यक्त की थी कि इस सम्मेलन का दसवां अधिवेशन, जो 9 मार्च से 16 अप्रैल, 1981 तक न्यूयार्क में हुआ था, वस्तुतः अन्तिम वास्तविक अधिवेशन होगा जिसमें अनिर्णित प्रश्नों के बारे में बातचीत की जाएगी और समुद्री कानून के बारे में अभिसमय के मसौदे को औपचारिक रूप दे दिया जाएगा। लेकिन जब अधिवेशन बुलाया गया तो संयुक्त राज्य अमरीका के इस निर्णय का उसे सामना करना पड़ा कि वह इस अभिसमय के मसौदे की समीक्षा करेगा और सम्मेलन को अभिसमय के मसौदे को औपचारिक रूप नहीं देने देगा। पश्चिम यूरोप के कुछ देशों ने और जापान ने संयुक्त राज्य अमरीका की स्थिति का समर्थन किया। यद्यपि विकासशील देश कुछ यूरोपियाई राज्य, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ और अन्य समाजवादी राज्य इस सम्मेलन के कार्य को पूरा करने के लिए उत्सुक थे फिर भी संयुक्त राज्य की नीति के कारण इस दिशा में खास प्रगति नहीं हो सकी और उन सभी राज्यों की सक्रिय भागीदारी और उनके सहयोग के बिना ठोस प्रगति नहीं की जा सकी जिन्होंने गहन समुद्रतल खनन में उच्च प्रौद्योगिकी, कौशल और अनुभव अर्जित कर लिया है।

यद्यपि सभी विकासशील देशों ने, जिनमें भारत, कुछ यूरोपियाई राज्य और समाजवादी राज्य भी शामिल हैं, संयुक्त राज्य सरकार के इस रवैये पर गहरी निराशा व्यक्त की है लेकिन उन्होंने यह आशा भी व्यक्त की है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार अपना विचार शीघ्र पूरा कर लेगी और समुद्री अभिसमय कानून की शीघ्र स्वीकृति को सुविधाजनक बनायेगी।

सम्मेलन ने 3 से 28 अगस्त, 1981 तक जेनेवा में 10वां अधिवेशन बुलाने का निर्णय किया जिसे, यदि आवश्यक हुआ तो, वास्तविक कार्य को जारी रखने के लिए एक सप्ताह तक और बढ़ाया जा सकेगा।

बुक-स्टाल रखने की अधिकतम सीमा

9330. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या रेल मन्त्री रेलवे बुक स्टाल के बारे में 5 मार्च,

1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2397 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों और एसोसिएशनों को बुक स्टाल रखने की अधिकतम सीमा से छूट देने के आधार क्या हैं;

(ख) प्रत्येक मामले में एक से अधिक स्नातक को शामिल करते हुए रेलवे परिसर में बुक स्टाल रखने वाले बेरोजगार स्नातकों की क्या किन्हीं मामलों में कोई साझेदारी है; और

(ग) यदि हां, तो बेरोजगार स्नातकों की साझेदारी की अधिकतम सीमा से उसी प्रकार छूट क्यों नहीं दी गई है, जैसा कि सहकारी समितियों और एसोसिएशनों के मामलों में किया गया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) बुक स्टालों के रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। किन्तु, प्रचलित नीति यह है कि बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों/संगठनों और वास्तविक कर्मचारियों/बुक स्टालों के वेंडरों की सहकारी समितियों को छोड़कर जिन ठेकेदारों के पास पहले से ही 5 या इससे अधिक बुक स्टाल हैं, उन्हें अतिरिक्त बुक स्टाल आवंटित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा रेल मंत्रालय से पूर्व-अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है।

संकारी ड्रग रेलने स्टेशन

9331. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के सलेम जिले में संकारी ड्रग रेलवे स्टेशन का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार का स्वरूप क्या है;

(ग) इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस स्टेशन से वर्ष-वार कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) इस स्टेशन पर 70 वाहनों को खड़ा करने के लिए आदान और प्रस्थान लाइनों का विस्तार करने का प्रस्ताव है जिस पर लगभग 17 लाख रुपये की लागत आयेगी। इसके अलावा, पटरी सतह के डाउन प्लेटफार्म को ऊंचा करने और ऊपरी पैदल पुल का विस्तार करने का काम 1981-82 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इन कामों के पूरा हो जाने की अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

(घ) राजस्व की कुल राशि नीचे दी गयी है :—

वर्ष	राजस्व की राशि रु०
1976-77	4.99 लाख
1977-78	9.01 लाख
1978-79	13.60 लाख

तदर्थ आधार पर टाइपिस्टों का पेनल

9332. **श्री कमला मिश्र मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन लोगों में से जिनकी रेल विभाग में नियुक्ति के लिए टाईपिंग परीक्षा तथा साक्षात्कार हुए थे, लगभग 500 व्यक्तियों का तदर्थ आधार पर टाइपिस्ट पैनल, 1980 तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) नियुक्ति के लिए इस पैनल का उपयोग में लाए जाने हेतु आदेश कब जारी किये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) तदर्थ आधार पर नियुक्ति के लिए 51 अंग्रेजी टाइपिस्टों का और 17 हिन्दी टाइपिस्टों का एक पैनल 5-8-80 को घोषित किया गया था।

(ग) इन टाइपिस्टों को तभी तक के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाना था जब कत रेल सेवा आयोग द्वारा भर्ती को अन्तिम रूप न दे दिया जाता। इस पैनल को उपयोग में नहीं लाया गया क्योंकि इस बीच रेल सेवा आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवार उपलब्ध हो गये थे।

फालतू इन्जीनियरिंग सुपरवाइजर

9333. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिनांक 15 अप्रैल, 1966 के अपने पत्र संख्या ई० (एन० जी०) 65 आई० आई० ई० 8 में उत्तर सीमांत रेलवे में फालतू हुए इन्जीनियरिंग सुपरवाइजरों को सेवा में प्राथमिकता देने और उन्हें पूर्वोत्तर रेलवे में खपाने के लिये निदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां तो पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा उपरोक्त अनुदेशों का पालन न किये जाने और 15 अप्रैल, 1966 से पूर्व खपाये गये इन्जीनियरिंग सुपरवाइजरों के प्रति भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फालतू हुए कर्मचारियों को, जिन्हें वैकल्पिक पदों में समाहित किया जाता है, वरिष्ठता के निर्धारण के लिए पिछली सेवा का कोई लाभ नहीं दिया जाता।

खड़गपुर रेलवे कालोनी

9334. **श्री नारायण चौबे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे में खड़गपुर स्थित रेलवे कालोनी में सड़कों, भवनों, नालियों, आदि की तेजी से बिगड़ती जा रही दशा के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के रेलवे प्रशासन ने खड़गपुर रेलवे कालोनी में मरम्मत कार्यों के लिए निधियों के विशेष आबंटन के लिये अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकाजुर्न) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रेलवे ने खड़गपुर के लिए विशेष आबंटन नहीं मांगा है बल्कि पूरी रेलवे पर आवासीय और विभागीय इमारतों के रख-रखाव के लिए अधिक राशि के आबंटन की मांग की है। इसकी जांच की जा रही है। रेलवे का प्रस्ताव निम्नलिखित कार्यों को निर्माण कार्यक्रमों 1981-82 में शुरू करने का है :—

(1) उन क्वार्टरों के बदले में क्वार्टरों की 50 यूनिटों का निर्माण जो 50 वर्ष से भी अधिक पुरान हो चुके हैं।

(2) अवमानक स्तर के 185 क्वार्टरों में सुविधाओं की व्यवस्था।

(3) क्वार्टरों की 200 यूनिटों में छत वाले पंखों की व्यवस्था।

(4) क्वार्टरों, सड़कों, नालियों जैसी परिसम्पत्तियों का रख-रखाव धन की उपलब्धता के अनुसार ही किया जायेगा।

ग्वालियर-शिवपुरी लाइन पर भूमि की बिक्री

9335. **श्री काली चरण शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को ग्वालियर-शिवपुरी रेलवे लाइन पर, जिसे बन्द कर दिया गया है, जियाजी गंज रेलवे स्टेशन की भूमि गैर कानूनी कब्जे तथा विक्रय के बारे में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकाजुर्न) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रयोगशाला तकनीकी विज्ञ परिषद का गठन

9336. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रयोगशाला तकनीकी विज्ञ परिषद के गठन के बारे में भारतीय चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीकी विज्ञ संघ कलकत्ता, से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान प्रयोगशाला टेक्नालोजिस्ट संघ के प्रतिनिधियों को 15-1-1981 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयों में इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिये आमन्त्रित किया गया था। उपर्युक्त बैठक में यह मालूम हुआ कि संघ का मुख्य उद्देश्य अपना नाम संसद के अधिनियम के जरिये "परिषद" के रूप में बदलवाना है। उनसे आग्रह किया गया था कि वे इस संबध में ठोस प्रस्ताव तैयार करके उसे राज्य सरकारों की सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को भिजवाएं क्योंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

(ग) संघ ने अभी तक कोई नया प्रस्ताव नहीं भेजा है।

जयपुर में अनुरेखी त्वरक (लाइनर एक्सील-रेटर) का लगाया जाना

9337. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को कैंसर और अनुसंधान कार्य की सुविधायें देने के बारे में कितनी सहायता और अनुदान दी गई है; और

(ख) क्या सरकार जयपुर में कैंसर के उपचार के लिये प्रयुक्त औजार अनुरेखी त्वरक, की स्थापना पर विचार करेगी जैसा दिल्ली और बम्बई में लगाया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कैंसर अनुसंधान तथा उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिये सहायता दी जाती है :

(क) चुनिंदा कैंसर संस्थानों को क्षेत्रीय कैंसर अनुसंधान और उपचार केन्द्रों के रूप में अपना विकास करने के लिये सहायता-आवर्ती अनुदान।

(ख) रोटेटिंग हैड और कालिमेशन की सुविधाओं वाले कोबाल्ट थेरेपी यूनिटों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता एक संस्था को 10.00 लाख रुपये तक का अनावर्ती अनुदान दिया जा सकता है बशर्ते कि वह निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।

(ग) कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्रों के खोलने के लिए राज्य सरकारों/स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता—एक संस्थान को 50.000/- रुपये तक का अनावर्ती अनुदान दिया जा सकता है बशर्ते कि वह निर्धारित शर्तें पूरा करता हो।

वर्ष 1980-81 के दौरान कैंसर अनुसंधान और उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित राज्यों में संस्थाओं को निम्नलिखित सहायता दी गई है :—

(क) क्षेत्रीय केन्द्र :

(रुपये लाखों में)

प्रान्त	नाम	नान प्लान	प्लान
1	2	3	4
1. पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय चित्तरंजन कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता	25.40	12.00
2. तमिलनाडु	कैंसर संस्थान मद्रास	—	30.00
3. दिल्ली	रोटरी कैंसर अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	—	25.00
4. गुजरात	गुजरात कैंसर और अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद	—	9.75
5. कर्नाटक	किदवई मेमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, बंगलौर	—	9.75
6. उड़ीसा	एम० सी० बी० मेडिकल कालेज कटक	—	6.05
7. केरल	मेडिकल कालेज का कैंसर विंग, त्रिवेन्द्रम	—	6.50
8. मध्य प्रदेश	कैंसर अस्पताल और अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	—	7.00
9. असम	डा० बी० बी० कैंसर संस्थान, गोहाटी	—	2.95
(ख) कोबाल्ट थेरेपी यूनिटों की स्थापना :			
1. महाराष्ट्र	मेडिकल कालेज अस्पताल, नागपुर	—	10.00
2. त्रिपुरा	कैंसर अस्पताल, अगरतला	—	10.00
3. कर्नाटक	किदवई मेमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ आंकोलाजी, बंगलौर	—	10.00

1	2	3	4
4. उड़ीसा	वी० एस० एस० मेडिकल कालेज, बुर्ला	—	8.00
(ग) **कैंसर का शुरू में पता लगाने वाले केन्द्र :**			
1. कर्नाटक	1. के. आर. अस्पताल, मैसूर 2. के. एम. सी. अस्पताल, हुबली	—	1.00
2. उड़ीसा	1. एस. सी. बी. मेडिकल कालेज, कटक		
	2. बी. एस. एस. मेडिकल कालेज, बुर्ला		
	3. एम. के. जी. सी. मेडिकल कालेज अस्पताल, बरहामपुर	—	1.50
3. आन्ध्र प्रदेश	1. एम. एन. जे. कैंसर अस्पताल और रेडियम इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद	—	0.50
4. सिक्किम	एस. टी. एन. एम. अस्पताल, गनटोक	—	0.50
5. त्रिपुरा	जी. वी. अस्पताल, अगरतला	—	0.50
(घ) **आयुर्वेदिक संस्थाओं को अनुदान :**			
1. हरियाणा	श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कैंसर अनुसंधान, संस्थान कुरुक्षेत्र	—	2.35

(ख) जयपुर में एक लिनियर एक्सेलरेटर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है :

आकस्मिक जांच और बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री

9338. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1981 के दौरान भारत में कई स्थानों पर रेल मंत्री, रेल अधिकारियों और अन्यों द्वारा कई आकस्मिक जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने व्यक्ति दोषी पाये गये और उनसे कितनी राशि वसूल की गई और कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया;

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति रेल कर्मचारी और अन्य कर्मचारी तथा प्रमुख व्यक्ति थे जो अवैध टिकटों पर और बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये; और

(ङ) इस प्रकार की अवैध यात्रा और बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) से (ग) जी, हां। जनवरी 1981 से 31 मार्च, 1981 की अवधि के दौरान बिना टिकट/अनियमित यात्रा के विरुद्ध 47,663 विशेष जांच आयोजित की गयी थीं। इस प्रकार की जांच के परिणामस्वरूप 647 लाख व्यक्तियों को बिना टिकट या गलत टिकटों पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया और उनसे रेलवे को देय राशि के रूप में 109.84 लाख रुपये वसूल किये गये। 73,650 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया जिनमें से 40,305 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। 9.61 लाख रुपये की राशि भी न्यायिक जुर्माने के रूप में वसूल की गयी।

(घ) रेल कर्मचारियों, अन्य अधिकारियों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा बिना टिकट यात्रा किये जाने के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते।

(ङ) भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है :—

(1) वरिष्ठ रेल अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत भारी संख्या में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों को लगाकर बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष व्यापक जांच की जाती है।

(2) राज्य सरकार के समन्वय से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध संयुक्त अभियान भी चलाये गये हैं।

(3) सादे कपड़ों में चल टिकट परीक्षकों द्वारा गुप्त रूप से जांच की जाती है।

(4) कई बार संकेन्द्रित आकस्मिक जांचों का आयोजन किया जाता है जिनमें विशेष रूप से रेलवे सुरक्षा बल/पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेट द्वारा सड़क परिवहन से पहुंचकर जांच की जाती है।

(5) गाड़ियों को मध्य खंडों में रोककर मुख्यालयों और मंडलों के टिकट जांच दस्तों द्वारा अदला-बदली करके जांच की जाती है।

(6) एक रेलवे के टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर टिकटों की जांच करने के लिए लगाया जाता है ।

(7) यात्री जनता विशेषकर विद्यार्थी समुदाय के बीच बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शैक्षणिक प्रचार भी किया जाता है ।

फ्रांस के विदेश मन्त्री के दौरे का स्थगित किया जाना

9339, **श्री बी० वी देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस के विदेश मंत्री जिन्होंने 31 मार्च, 1981 को भारत का दौरा करना था भारत नहीं आये और उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो दौरा स्थगित किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) फ्रांस की सरकार ने हमें यह सूचित किया है कि यूरोप की कतिपय अत्यावश्यक गतिविधियों में व्यस्त रहने के कारण फ्रांस के विदेश मंत्री को अपनी यात्रा मुल्तवी करनी पड़ी ।

भारत-तंजानिया सहयोग करार

9340. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्वा यह सच है कि मार्च, 1981 अन्तिम सप्ताह में भारत-तंजानिया सहयोग करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) तंजानिया के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान 31.3.81 को एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए थे जिसमें कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में भारत और तंजानिवा के बीच सहयोग भी शामिल था ।

इस समझौते-ज्ञापन में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग का प्रावधान है :–

1. गत्वारा (तंजानिया में 10,600 टन प्रतिवर्ष की क्षमता की एक एकीकृत चीनी परियोजना;
2. गत्वारा (तंजानिया) में एक एकीकृत चावल प्रक्षेपण परियोजना;
3. 5 तकनीकी सेकेण्डरी स्कूलों के निर्माण के लिए परियोजना;
4. शीन यांग में एक एकीकृत वस्त्र-मिल;
5. किल्वा में एक सीमेंट परियोजना;
6. दारेस्लाम पत्तन का आधुनिकीकरण;
7. गत्वारा में औद्योगिक बस्ती;

8. रेल के क्षेत्र में सहयोग;

9. जंजीबार चीनी फैक्ट्री की पुनःस्थापना।

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को वित्तीय सहायता

9341. **श्री अशोक गहलोत :**

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों को, जो सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं, अथवा घायल हुए हैं, वित्तीय सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में यह योजना लागू की गई है,

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोष बनाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो अब तक उससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) क्या दूसरे राज्यों में भी योजना को कार्यान्वित किए जाने का विचार है और हां, तो किन राज्यों में और कब तक इसे लागू किया जाएगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ग) मोटर गाड़ी अधिनियम योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होने वाले व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में वह धन-राशि दी जाती है जो मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 110 के अधीन गठित मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम्ज ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की जाए। उपरोक्त मुआवजा दिए जाने के अलावा, एक योजना जो तमिलनाडु में चालू की गई थी, यथाशीघ्र अपनाए जाने और कार्यान्वियन करने के लिए नवम्बर, 1980 में अन्य सभी राज्यों को भेजी गई थी। इस योजना में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को या मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसों को अनुग्रह-पूर्वक राशि देने की व्यवस्था है। इस योजना के अधीन आवश्यक कोष का सृजन राज्य सरकार स्वयं करती है। राज्य सड़क परिवहन निगम भी अपनी बसों के दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अनुग्रह-पूर्वक धनराशि की सहायता देते हैं। सरकार एक ऐसी योजना पर भी विचार कर रही है जिसके अंतर्गत दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को (कम्पैनऐशन की बजाए) मुआवजा (सोलेशियम) देने की व्यवस्था है जबकि दुर्घटना करने वाली गाड़ी का कुछ अता-पता न हो।

(ख) भारत सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार तमिलनाडु राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने की योजना शुरू की गई है।

(घ) सितम्बर, 1978 से मार्च, 1981 तक तमिलनाडु में 5739 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दी गई, पंजाब और पश्चिम बंगाल में जिन व्यक्तियों को इस योजना से लाभ हुआ है उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ङ) राजस्थान, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, जम्मू और काश्मीर और कर्नाटक के राज्यों तथा पांडेचेरी और दिल्ली के संघ राज्यों ने सूचित किया है कि वे इस योजना पर विचार कर रहे हैं। यह बताना संभव नहीं है कि किस समय तक इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह योजना शुरू की जा सकेगी।

राजकोट और भावनगर डिवीजनों के अंतर्गत स्टेशनों पर निर्माण कार्य

9342. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में भावनगर और राजकोट डिवीजनों के अन्तर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर दिनांक 1 अप्रैल 1977 से रेलवे स्टेशनों के विश्राम कक्षों, गार्ड कक्षों, पार्सल और माल कार्यालयों के रद्दोबदल तथा निर्माण सम्बंधी अनेक निर्माण-कार्य चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निर्माण कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक निर्माण-कार्य पर अब तक कितनी-कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है तथा अभी कितनी-कितनी और खर्च होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन निर्माण-कार्यों का ब्यौरा, समापन की सम्भावित तारीख, अब तक खर्च की गई राशि और सम्भावित खर्च की राशि दी गई है।

विवरण					
क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत	काम के समापन की सम्भावित तारीख	अब तक किया गया व्यय	किया जाने वाला व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	माधपुर टिटोडी : भाटिया और भोपालका स्टेशनों के बीच एक हाल्ट स्टेशन की व्यवस्था	33	31-3-1982	1	32
2.	रानडाला : दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार	38	31-3-82	4	34
3.	गोजारिया : दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार	40	30-9-81	29	11
4.	खेरालू : बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था	7	31-3-82	—	7
5.	मानुंड : दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय का विस्तार	21	—यथोक्त—	—	21
6.	जिनटोडा : —यथोक्त—	9	—यथोक्त—	—	9
7.	सौजित्रा : जिनटोडा और रानुज स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशनों की व्यवस्था	22	—यथोक्त—	—	22
8.	संखलपुर : बुकिंग खिड़की की व्यवस्था और शैड का विस्तार	10	—यथोक्त—	—	10
9.	हिम्मतनगर : 4 यूनिट टाइप 1 क्वार्टरों सहित 30 बिस्तर वाले रनिंग रूम की व्यवस्था	462	—यथोक्त—	432	30
10.	नरोदा : माल कार्यालय के लिए डामर-युक्त और परिचालन क्षेत्र सहित पहुंच मार्ग की व्यवस्था	47	—यथोक्त—	17	30

1	2	3	4	5	6
11.	सुरेन्द्रनगर: (1) रनिंग रूम की व्यवस्था	300	—यथोक्त—	—	300
	(2) स्टेशन की इमारत का निर्माण	1600	30-9-1981	900	700
12.	राजकोट : स्टेशन की इमारत का परिवर्धन और परिवर्तन	590	31-3-1982	—	590
13.	हापा : स्टेशन की नयी इमारत और पार्सल कार्यालय का निर्माण	276	31-3-1982	150	126
14.	गोरिजा : स्टेशन की नई इमारत की व्यवस्था	70	31-3-1982	21	49
15.	मीठापुर : गार्डों के रनिंग रूम में 20 बिस्तरों की व्यवस्था	252	31-3-1982	—	252
16.	सालाजादा : नये स्टेशन की इमारत की				
17.	माटोडा व्यवस्था	200	31-3-1982	30	170
18.	बीरपुर : पार्सल कक्ष की व्यवस्था	5	31-3-1982	—	5
19.	कोठारिया : पार्सल कक्ष की व्यवस्था	14	30-9-1981	13	1
20.	रानावाओ : पार्सल कक्ष की व्यवस्था	21	31-3-83	9	12
21.	उपलेटा : व्यापारी कक्ष की व्यवस्था	10	31-3-82	2	8
22.	पोरबन्दर : डाक मालगोदाम में व्यापारियों के लिए शौचालय की व्यवस्था	3	30-9-81	1	2
23.	पोरबन्दर स्टेशन : माल कार्यालय में व्यापारियों के लिए एक प्रतीक्षालय की व्यवस्था	4	29-5-82	—	4

तटीय नौवहन पर समिति

9343. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय नौवहन सम्बन्धी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इसकी मुख्य सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं होता ।

वर्ष 1981-82 के लिए यात्री डिब्बे उत्पादन कार्यक्रम

9344. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्री रेल डिब्बों का निर्माण करने वाले कारखानों का वर्ष 1981-82 के लिए उत्पादन कार्यक्रम क्या है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में किस प्रकार के डिब्बे बनाए जायेंगे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क)

सवारी डिब्बा कारखाना	704
भारत अर्थ मूवर्ज लि०	301
मैसर्स जेसप्स एण्ड कं०	150
रेलवे/कारखाने	30
जोड़	1185

(ख)

किस्म		निर्माण किए जाने वाले यानों की संख्या
बड़ी लाइन	बिजली गाड़ियां	108
	डी. सी./बिजली गाड़ियां	72
	वातानुकूल प्रथम दर्जा	15
	वातानुकूल शयनयान	65
	दिन में चलने वाले यान	263
	शयनयान	200
	एस. एल. आर./एल. आर.	156
	मेट्री	16

मीटर लाइन	वातानुकूल शयनयान	10
	जी. एस.	53
	एस. एल. आर./एल. आर.	120
	शयनयान	45
छोटी लाइन	दूसरा दर्जा सामान्य	30
	निर्यात के लिए (नाइजेरिया)	32
	जोड़	1185

पाकिस्तान में अमरीकी सैनिक अड्डे

9345. **श्री चित्त बसु :**

श्री राम विलास पासवान : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका और पाकिस्तान ने हाल ही में एक गुप्त करार किया है जिसमें अमरीका को पाकिस्तानी क्षेत्र में सैनिक अड्डों के निर्माण की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) भारत सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता बन्दरगाह के कार्यकरण के सम्बन्ध में पोतवणिकों तथा पोत स्वामियों की शिकायतें

9346. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता बन्दरगाह के कार्यकरण के संबंध में पोत वणिकों तथा पोत-स्वामियों की शिकायतों को दूर करने में केन्द्र तथा राज्य सरकारें असफल रही हैं जिससे बन्दरगाह यातायात में कमी आई है पूर्वी क्षेत्र की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) कलकत्ता पत्तनम में यातायात की कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) हुगली नदी की बिगड़ती हुई स्थिति।

(2) कार्गो हैंडलिंग में पहले कम उत्पादन होना।

(3) अक्सर हड़तालें होना/कर्मचारी द्वारा काम न करना।

(ख) कलकत्ता पत्तन के कार्यों में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं :—

(1) जलस्तर बढ़ाने के लिए अधिक कारगर विधि का पता लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है। अधिक से अधिक जलस्तर प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निकर्षण और नदी सांधकार्य किए जा रहे हैं।

(2) 1980 में कर्मकारों के लिए नयी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गयी हैं, जिनसे उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है।

(3) पुराने फ्लोटिंग जलयानों के स्थान पर नये जलयान और कागो-हैंडलिंग उपकरण खरीदने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है और कन्टेनर टर्मीनल का विकास करना भी शुरू किया गया है।

(4) जहाज मालिकों, व्यापारियों और क्लीयरिंग एजेण्टों के प्रतिनिधियों के साथ यातायात प्रबन्धक की अलग-अलग बैठकें नियमित रूप से होती हैं ताकि कलकत्ता पोर्ट के कार्यों की समीक्षा की जाए और पत्तन प्रयोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कार्रवाई की जाये।

सोवियत–रूस संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान

9347. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यू० एस० एस० आर० अकादमी आफ मेडिकल सांइसेंस के वाइस–प्रेसीडेन्ट ने अपने हाल के दौरे के दौरान संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रगति हुई है; और

(ग) किए गए प्रस्तावों तथा सहयोग हेतु दिए गए आश्वासनों का स्वरूप क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दोनों सरकारों के बीच जिस योजना पर हस्ताक्षर किए गये हैं उसके अनुसार यह सहमति हुई है कि 31.12.81 को समाप्त होने वाली अवधि के पहले चरण में 30 व्यक्तियों/महीनों तक विशेषज्ञों और सुविज्ञों (एक्सपर्टस) का आदान-प्रदान किया जाएगा। रूस के वैज्ञानिकों के एक चार सदस्यीय जिस शिष्टमण्डल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था, उसने रूस के उन समन्वयकों और विशेषज्ञों को जो उक्त प्लान के अन्तर्गत भारत दौरा करेंगे, जहां-जहां लगाया जाएगा उसका निश्चय कर लिया है। एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है और रूस तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के बीच सहमति हो गई है जिसमें इस

परिषद को प्लान को कार्यान्वित करने के लिए नोडल प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है । विशेषज्ञों के आपसी आदान-प्रदान की अवधि को 31.12.82 तक बढ़ाने की सहमति हो गई है । ये मिले-जुले प्रयास संचारी रोगों, रोग-क्षमता विज्ञान (इम्यूनोलोजी) और वैक्सीन उत्पादों, रक्त और रक्त उत्पादों, नेत्र विज्ञान, आंकोलाजी और तंत्रिका-शरीर क्रिया विज्ञान में अनुसंधान करने तथा आपसी हित के अनेक अन्य क्षेत्रों में सम्पर्क बढ़ाने से सम्बन्धित होंगे ।

लाईनर व्यापार के लिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन संहिता

9348. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन ने लाइनर व्यापार के लिए एक संहिता तैयार की है और क्या इस संहिता को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे भारत को क्या क्या लाभ होगें ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन ने .974 में लाइनर सम्मेलन के लिए एक सहिता तैयार की है । विश्व के 50 देशों ने 23.9.1980 तक इस संहिता के अनुमोदन, स्वीकृति, अनुसमर्थन अथवा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किए हैं ।

2. मोटे तौर पर इस संहिता का उद्देश्य 40, 40, 20 के अनुपात के आधार पर विभिन्न देशों के नौवहन को सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात् व्यापार मार्ग के दोनों सिरों पर स्थित देशों में से प्रत्येक देश के जहाजों को माल का 40 प्रतिशत भाग मिलेगा जब कि अन्य देशों के जहाजों को 20 प्रतिशत माल दिया जायेगा । इस संहिता में माल भेजने वालों और जहाज मालिकों के बीच परस्पर परामर्श के लिए संस्था स्थापित करना, भाड़े में सामान्य वृद्धि होने पर अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति, प्रभार का लगाना, वित्तीय मुद्राओं में समंजन आदि की व्यवस्था है । इस संहिता में माल भेजने वालों और जहाज मालिकों के बीच विवाद को निपटाने का भी प्रावधान किया गया है ।

3. भारत ने इस अभिसमय को 14.2.1978 को अभिपुष्ट किया और यह टिप्पणी दी कि विभिन्न सरकारों के बीच आपसी करार के अधीन नौवहन सेवाओं को इस अभिसमय में शामिल न किया जाय ।

4. सरकार इस संहिता की व्यवस्थाओं को लागू करने के बारे में यथासमय आवश्यक विधायी उपाय करेगी ।

(ग) इस संहिता से निम्नलिखित लाभ होंगे :—

(1) इससे जहाजी कंपनियां अनुशासन में आ जायेंगी और जहाजी कंपनियों और जहाज द्वारा माल भेजने वालों के बीच लाभप्रद संबंध के विकास के लिए उपयुक्त आधार भूमि तैयार हो जायगी।

(2) इससे लाइनर व्यापार में से 40 प्रतिशत अंश विभिन्न देशों के राष्ट्रीय जहाजों को मिलना सुनिश्चित हो सकेगा।

नर्सों द्वारा बाण्ड भरा जाना

9349. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षु नर्सों को कुछ वर्ष के लिए बाण्ड भरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिद्ध प्रणाली हेतु अनुसंधान यूनिटें

9350. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन सिस्टम्स आफ मेडीसिन की अन्य शाखाओं के समान सिद्ध प्रणाली के लिए कितनी अनुसंधान यूनिटें कार्य कर रही हैं;

(ख) सिद्ध प्रणाली हेतु कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है; और

(ग) मन्त्रालय तथा सिद्ध अनुसन्धान परिषद में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत अन्य समुदायों/पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए अब तक कितने पद भरे गए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) आयुर्वेद एवं सिद्ध की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद के अधीन आयुर्वेद की 91, सिद्ध की 17 और आयुर्वेद एवं सिद्ध की सम्मिलित 3 अनुसंधान यूनिटें हैं। केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद के अधीन 31 यूनानी अनुसंधान यूनिटें हैं।

(ख) सिद्ध चिकित्सा पद्धति मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में लोकप्रिय है। यद्यपि राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया जाएगा, तथापि इस पद्धति के विकास के लिए सभी प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(ग) यह सुविधा विवरण में दी गई है।

विवरण

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग	अन्य	पदों की कुल संख्या
1. केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद (इस मंत्रालय के अधीन स्वशासी संस्था :					
ग्रुप ए	2	—	—	19	21
ग्रुप बी	1	1	1	7	10
ग्रुप सी	7	—	—	74	81
ग्रुप डी	26	2	—	48	76
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन :					
ग्रुप ए	—	—	—	—	—
ग्रुप बी	1	—	—	—	1
ग्रुप सी	—	—	—	2	2
ग्रुप डी	—	—	—	—	—
योग	37	3	1	150	191

मांचेश्वर कोच फैक्टरी में रोजगार की क्षमता

9351. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांचेश्वर में कोच रिपेयर वर्कशाप में रोजगार की अनुमानत: क्षमता क्या है;

(ख) उक्त कोच फैक्टरी में कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या खाली स्थानों को भरने में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फैक्टरी के काम शुरू किये जाने के पश्चात् लगभग 3,500 ।

(ख) कोई नहीं । यह कारखाना निर्माण की स्थिति में है ।

(ग) और (घ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। लेकिन, निर्धारित नीति के अनुसार रिक्तियों को स्थानान्तरण/सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। जहां रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा, निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा अर्थात् यथास्थिति रेल सेवा आयोग/रेल प्रशासन द्वारा जारी की गयी नियोजन सूचनाओं के आधार पर भर्ती की जाएगी।

103 हथगोलों की चोरी

9352. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1981 के अन्तिम सप्ताह में इलाहाबाद डिवीजन के डाकू उत्पीड़ित क्षेत्र टुण्डला से नई दिल्ली आई हुई मालगाड़ी से 103 हथगोले गुम हो गये थे;

(ख) यह गोला बारूद किस स्थान से बुक कराया गया था;

(ग) गन्तव्य स्थल पर इस गोला बारूद को सुरक्षित पहुंचाने के लिए रेलवे विभाग द्वारा क्या प्रबन्ध किये गये थे;

(घ) क्या रेलवे मालगाड़ी से इस चोरी की घटना के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और इस प्रकार की और आगे चोरी की घटनाओं को रोकने के लिये आगे क्या प्रबन्ध किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तुगलकाबाद में माल डिब्बा सं० एन० आर० सी०-18921 में जो यहां पर टूंडला से आया था और जिसकी सील सही सलामत थी, 103 हथगोले कम पाये गये थे।

(ख) यह गोला-बारूद बेहू रोड से डप्पर के लिए बुक किया गया था।

(ग) इस परेषण के सुरक्षित पारगमन के लिए परेषणों को बन्द माल डिब्बों में लदान करने तथा माल डिब्बे के दरवाजों में ठीक से चिटकनियां लगाने तथा डिब्बों को सील बन्द करने जैसे सुरक्षा के सामान्य उपाय अपनाये गये थे। इस डिब्बे के साथ मार्गरक्षी भेजने की व्यवस्था नहीं की गयी थी क्योंकि यह माल डिब्बों के ब्लाक भार में नहीं था।

(घ) राजकीय रेल्वे पुलिस, हजरत-निजामुद्दीन ने 26-3-81 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत एक मामला सं० 142 दर्ज किया है और जांच पड़ताल जारी है।

(ङ) अभी भी इस मामले की जांच पड़ताल जारी है। बुक किये गये परेषणों की, जिसमें गोला-बारूद भी शामिल है, पारगमन के दौरान चोरी को रोकने के सम्बन्ध में रेलों द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय किये जा रहे हैं :—

(1) जिन माल डिब्बों में अधिक कीमती वस्तुएं, जिसमें गोला-बारूद भी शामिल है, होती है और जब इन्हें ब्लाक भार के रूप में चलाया जाता है तब इन्हें रेल सुरक्षा बल के कर्मियों के पहरे में चलाया जाता है।

(2) सभी महत्वपूर्ण और भेद्य यार्डों, माल शेडों आदि में रेल सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा रात-दिन पहरा दिया जाता है।

(3) उन स्थानों पर जिन्हें बदनाम स्थलों के नाम से जाना जाता है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(4) भेद्य आउटर सिगनलों, इंजीनियरी प्रतिबन्धों तथा जहां गाड़ियां धीमी गति से चलती हैं, उन ढलानों पर रेल सुरक्षा बल के कर्मियों को तैनात किया जाता है।

(5) जब छोटे स्टेशनों पर माल डिब्बे खड़े रहते हैं तब उन रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा उनकी चौकसी की जाती है।

(6) रेल सुरक्षा बल की अपराध आसूचना शाखा द्वारा अपराधियों तथा चोरी का माल खरीदने वालों की गतिविधियों के सम्बन्ध में आसूचना इकट्ठी की जाती है और अपराधियों और चोरी का माल खरीदने वालों को पकड़ने एवं चुरायी गयी सम्पत्ति को बरामद करने के लिए छापे मारे जाते हैं।

(7) चोरी और उठाईगिरी की समस्या से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा राजकीय रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस के साथ निकट समन्वय बनाये रखा जाता है।

उदयपुर और दिल्ली के बीच सुपर फास्ट रेल

9353. **श्री भीखा भाई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर और जोधपुर दिल्ली से मेल रेलगाड़ियों से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने उदयपुर सिटी को मेवाड़ मेल जैसी किसी मेल रेलगाड़ी से जोड़े जाने के बारे में कभी विचार किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के संसद् सदस्यों की एक बैठक बुलाकर वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उदयपुर, दिल्ली से 15/16 चेतक एक्सप्रेस द्वारा पहले से ही मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त दिल्ली क्षेत्र में अपर्याप्त टर्मिनल सुविधायें और मार्गवर्ती खंडों में लाइन क्षमता के अभाव के कारण दिल्ली और उदयपुर के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया।

गुर्दा प्रतिरोपित रोगियों को रोजगार पाने में होने वाली कठिनाइयां

9354. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुर्दा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने प्रतिरोपण आपरेशन कराया है, को रोजगार और बीमे के मामले में कठिनाइयाँ हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों की कठिनाईयाँ दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में 3 अप्रैल, 1981 को न चलाई गई स्थानीय रेलगाड़ियां

9355. **श्री सुधीर गिरि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 3 अप्रैल, 1981 को पश्चिम बंगाल में दक्षिण पूर्व और पूर्वी रेलवे सैक्शनों में स्थानीय रेलगाड़ियाँ न चलाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 3 अप्रैल, 1981 अर्थात् पश्चिम बंगाल बन्द के दिन कलकत्ता में सामान्य उपनगरीय सेवायें बनाये रखने के सम्बन्ध में रेलों द्वारा विशेष प्रयास करने के बावजूद, गाड़ियों के चलने में बाधा पड़ने के कारण गन्तव्य स्थान से पहले ही गाड़ी सेवाओं को रद्द/समाप्त कर देना पड़ा था।

स्वास्थ्य शिक्षा डिप्लोमाधारी डाक्टरों को दिया जा रहा भत्ता

9356. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य शिक्षा डिप्लोमा (डिप्लोमा इन हैल्थ एजुकेशन) को इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया है;

(ख) क्या इससे उक्त डिप्लोमाधारी डाक्टर 50/– रुपये भत्ते के उसी प्रकार अधिकारी हो जाएंगे, जैसा कि आजकल अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये सम्भव है;

(ग) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के कितने डाक्टर इस समय डी० एच० ई० डिप्लोमा के कारण भत्ता प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऐसे अनेक अर्ध-चिकित्सा (पैरा-मेडिकल) कर्मचारी हैं, जिनके पास डी० एच० ई० डिप्लोमा है, लेकिन उन्हें भत्ता नहीं दिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करेगी और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को भी समान भत्ता प्रदान करेगी और यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) यह विषय इन्डियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शायद आपका अभिप्राय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से है जिसने दिल्ली विश्वविद्यालय और मदुरै विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाले स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा (डिप्लोमा इन हैल्थ एजूकेशन) को भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 की पहली अनुसूची में शामिल करने के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी है, जब यह डिप्लोमा उन व्यक्तियों को दिया गया हो जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की अनुसूचियों में शामिल मान्य चिकित्सा अर्हता रखते हों। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्य अर्हताएं रखने वाले जी. डी. ओ. ग्रेड—II अधिकारी 50/– रुपये प्रतिमास की दर से स्नातकोत्तर भत्ता पाने के हकदार हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे ऐसे डाक्टरों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है जो डी. एच. ई. डिप्लोमा अर्हताएं रखने के फलस्वरूप स्नातकोत्तर डिप्लोमा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। यद्यपि सरकारी अस्पतालों में ऐसे परा-चिकित्सा कर्मचारी हो सकते हैं जो डी. एच. ई. अर्हताएं रखते हों, लेकिन उन्हें स्नातकोत्तर भत्ता देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

रायनगर में लेविल क्रासिंग

9357. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन की पूर्वी और रायनगर में एक लेविल क्रासिंग है ;

(ख) क्या यहां फाटक हमेशा बन्द रहता है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रायनगर में लेविल क्रासिंग खोलने तथा बन्द करने के लिए और वहां चौकीदार नियुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) समपार स्टेशन सीमा के अन्दर स्थित है और जब कभी सड़क यातायात के लिए आवश्यकता पड़ती है, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन कर्मचारियों द्वारा इस समपार के फाटक खोल दिये जाते हैं। वर्तमान यातायात की मात्रा के आधार पर फाटक खोलने के लिये नियमित रूप से एक गेटमैन की तैनाती का कोई औचित्य नहीं बनता।

बम्बई रेलवे की भूमि पर झोपड़ियां

9358. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कुरला तथा मुलन्द और कुरला तथा मन्दखुर्द के बीच रेलवे की भूमि पर कुल कितनी झोंपड़ियां बनी हैं;

(ख) क्या इन गन्दी बस्तियों का इन वर्तमान स्थानों पर सुधार करने अथवा किसी वैकल्पिक स्थान पर उनको स्थानान्तरित करने और सुविधापूर्वक रहने के लिए नये सुधरे मकान देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कुर्ला और मुलुण्ड के बीच रेलवे भूमि पर झोंपड़ियों की कुल संख्या 1964 है, जिनमें से 1159 झोंपड़ियों में रहने वालों की जन-गणना की गयी है और 805 झोपड़ियों में रहने वालों को जनगणना में शामिल नहीं किया गया है। कुर्ला और मानखुर्द के बीच झोंपड़ियों की तद्नुरूपी संख्या 2859 है, जिनमें से 2318 में रहने वालों की जन-गणना की गयी है और 541 झोपड़ियों में रहने वालों को जन-गणना नहीं की गयी है।

(ख) चूंकि कुछ गन्दी बस्तियां रेल-पथ के बिल्कुल निकट हैं और कुछ स्थानों पर वे रेल परियोजनाओं में बाधक सिद्ध हो रही हैं, इसलिए वर्तमान स्थान पर इन गन्दी बस्तियों का सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इन झोपड़ियों को वैकल्पिक स्थानों पर बदलने और सुविधाओं की व्यवस्था करने का मामला महाराष्ट्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-नेपाल व्यापार और आवागमन संधि

9359. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि हाल ही में घोषित की गई नेपाल की नई औद्योगिक नीति के कारण नेपाल में बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रिक कम्पनियां आ जायेंगीं और क्या नेपाल के साथ लगी हुई खुली सीमा तथा व्यापार और आवागमन सन्धियों के अन्तर्गत दी गई सुविधाएं भारत के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी; और

(ख) क्या भारत सरकार द्वारा कभी नेपाल के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी नरसिंह राव) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल सरकार ने 30 मार्च, 1981 को एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। संबंधित दस्तावेज के प्रारम्भिक अध्ययन से ऐसा मालूम पड़ता है कि नई नीति में विदेशी पूंजी और औद्योगिकी को आकर्षित करने पर कुछ जोर दिया गया है। जहां तक भारत का संबंध है, इस नीति के निहितार्थों की सावधानी से जांच की जा रही है और अगर जरूरी समझा गया तो नेपाल सरकार से विचार-विमर्श किया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

भारत में रेडक्रास के वित्तीय मामलों की जांच

9360. **श्री जेशियर अराकल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत में रेडक्रास के वित्तीय मामलों में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं । भारतीय रेडक्रास सोसायटी एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना 1920 के अधिनियम पन्द्रह के अधीन की गई थी । यह सोसाइटी अपने प्रबन्धक निकाय द्वारा चलाई जाती है और प्रबन्धक निकाय ही इस सोसाइटी के सारे मामलों के लिए उत्तरदायी है । स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इस सोसाइटी के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

रूट नं० 430 पर महिला स्पैशल बसें

9361. **श्री के लक्कप्पा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूट नं० 430 पर केन्द्रीय सचिवालय से महिला स्पैशल बसों को 5.30 बजे के बजाय 4.42 पर चलाए जाने के क्या कारण हैं, जबकि भारत सरकार के कार्यालयों का समय 10 बजे से 5 बजे तक का है;

(ख) क्या इससे केन्द्रीय सचिवालय परिसर में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को असुविधा हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय से महिला स्पैशल बसों को पुराने समय के अनुसार चलाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) केन्द्रीय सचिवालय से शाम 5.32 पर जो लेडीज़ स्पैशल ट्रिप चला करता था, उसका टाइम इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि महिला यात्रियों ने ऐसा करने की मांग की थी । यह स्पैशल ट्रिप रूट नं 430 पर दस मिनट के अन्तराल से चलने वाली नियमित बसों और दोपहर बाद चलाए जा रहे तेरह अतिरिक्त ट्रिपों के अलावा है ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम को ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) मौजूदा व्यवस्था संतोषजनक समझी गयी है ।

अगरतला में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी खोलने का प्रस्ताव

9362. **श्री अजय विश्वास :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

वायरमैन के पद पर पदोन्नति

9363. **श्री राम लाल राही :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में अनुसूचित जातियों के कितने श्रेणी चार के कर्मचारियों को वायरमैन के पद पर पदोन्नति के लिए 20 फरवरी, 1981 में हुई परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और यदि उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी तो इसके क्या कारण थे ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : फरवरी, 1981 में वायरमैन के पदों में पदोन्नति के लिए हुई परीक्षा में चतुर्थ श्रेणी के 13 अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को बुलाया गया था और उन्हें पदोन्नति परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी ।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बल्क बिटुमन

9364. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी बल्क बिटुमन योजना के लिए भारत सरकार से ऋण-सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना एवम् किए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत सरकार को उक्त अनुरोध कब प्राप्त हुआ और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य का आशय केरल सरकार के उस प्रस्ताव से है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय निर्माण कार्यों को शुरू करने के लिए प्रत्येक 7 टन क्षमता वाले खुला बिटुमन ढोने वाले 4 यंत्रों और प्रत्येक 20 टन क्षमता वाले खुला बिटुमन ढोने वाले स्टोरेज टैंकों की खरीद करने के लिए 21.48 लाख रु० की ऋण-सहायता देने का अनुरोध किया है । यह प्रस्ताव उस सुझाव का ही परिणाम है जो

राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों तथा अन्य केन्द्रीय कार्यों में खुला बिटुमन इस्तेमाल करने के बारे में राज्य सरकार को दिया गया था क्योंकि खुला बिटुमन पैकेजों में बंद बिटुमन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है और उसकी सप्लाई भी बिना किसी कठिनाई के आसानी से की जा सकती है। राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की गयी है और उनसे 25.2.81 को अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में कुछ और जानकारी दें। राज्य सरकार का उत्तर संबंधी उक्त प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद में उपरि पुल/सब-वे

9365. **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : **क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद में विजयनगर कालोनी की ओर एक रेलवे सिगनल वर्कशाप और बड़ी संख्या में रेलवे रिहायशी क्वार्टर बन गये हैं;

(ख) क्या रेलवे वर्कशाप और कालोनी रेलवे लाइन के पार है और उस कालोनी में रहने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए अपने जीवन को खतरे में डालकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है, रेलवे स्टेशन पर एक छोटे से उपरि पुल को छोड़ कर कोई अन्य उपरि पुल नहीं है;

(ग) क्या विद्यमान उपरि पुल का प्रयोग मोटर गाड़ियों के लिये नहीं किया जा सकता और भारी रेल यातायात के कारण मोटर गाड़ियो के यातायात के लिये अधिकांश समय विद्यमान रेल फाटक भी बन्द रहता है;

(घ) क्या विजयनगर कालोनी को जोड़ने के लिये मोटर गाड़ियों के प्रयोग हेतु उपरि पुल अथवा 'सब-वे' का निर्माण करने सम्बन्धी कोई विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पुल/'सब-वे' का काम कब आरम्भ किया जायेगा और पूरा किया जायेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) सिगनल कारखाना और रेलवे कालोनियां आदि प्लेटफार्म और समपार संख्या 153-सी और 154-सी के आर-पार एक ऊपरी पैदल पुल द्वारा सेवित होती है।

(ग) वर्तमान पुल एक ऊपरी पैदल पुल है जो केवल पैदल चलने वालों के लिए है। समपार परिचालनिक प्रयोजनों के अनुसार खोल दिये/बन्द कर दिए जाते हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) वर्तमान समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किये जाने होते हैं जिन्हें यह वचन-बद्धता देनी होती है कि वे वर्तमान नियमों के अनुसार लागत का लगभग 50 प्रतिशत भाग वहन करेंगे। विचाराधीन किसी समपार के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव को अभी तक राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है।

साहबगंज के सहायक स्टेशन मास्टर की गिरफ्तारी

9366. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री बी० सी० पाल सहायक स्टेशन मास्टर/साहबगंज, पूर्वी रेलवे को उनकी मजदूर यूनियन गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये जाने के बारे में आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएयेशन, पूर्वी रेलवे से तार एवं अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मजदूर यूनियन अधिकारों को कुचलने के लिए आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन/हावड़ा डिवीजन, पूर्वी रेलवे के प्रेसीडेन्ट, श्री पाल को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार करने के कारण एवं औचित्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सरकार की नीति यह नहीं है कि किसी लेबर यूनियन अथवा एसोसिएशन से सम्बद्ध होने के कारण ही किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही तभी की जाती है जब वह विशिष्ट रूप से कोई भूल-चूक का काम करता है और ऐसी कार्यवाही भी नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् ही की जाती है।

कहा जाता है कि आल इन्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन ने सामान्यतया उन कर्मचारियों के मामले प्रस्तुत किये हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि रेल प्रशासन ने उन्हें उत्पीड़ित किया है और इस सिलसिले में उन्होंने श्री बी० सी० पाल के मामले का भी उल्लेख किया है।

श्री बी० सी० पाल, सहायक स्टेशन मास्टर/साहबगंज को भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के अधीन की गई गतिविधियों के सन्दर्भ में गिरफ्तार किया गया था और एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में उनकी कार्यवाईयों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

गाड़ी निरीक्षकों का दर्जा बढ़ाया जाना

9367. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दिनांक 2 जुलाई, 1970 के पत्र संख्या ई. एन. जी./I/69 पी. एम. 1.30 के अनुसार 31 मार्च, 1966 तक रु० 180-240 (ए० एस०) ग्रेड के सभी गाड़ी निरीक्षकों को 1 अप्रैल, 1966 से उनका दर्जा बढ़ाकर रुपये 205-280 (ए० एस०) का ग्रेड दे दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन व्यक्तियों को रुपये 180-240 (ए० एस०) के ग्रेड में उनकी परस्पर वरिष्ठता के अनुसार आपस में वरिष्ठता दी जाती थी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इसके अनुसार 1 अप्रैल, 1966 के बाद और 2 जुलाई, 1969 से पहले रुपये 205-280 (ए० एस०) के ग्रेड में की गई पदोन्नति/बनाये गये पैनल रद्द किये जाने थे ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी, नहीं। बहरहाल, रेलवे बोर्ड के पत्र का सही नम्बर (ई. एन. जी.) 1.69 पी. एम 1/30 दिनांक 2-7-1970 है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

विद्युतीकरण के लिए कर्नाटक के प्रस्ताव

9368. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में कुछ रेल पथों के विद्युतीकरण के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं को दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को भी देने का प्रस्ताव

9369. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें देने के किसी प्रस्ताव कर विचार पर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के अनुरोध पर अभी भी विचार किया जा रहा है क्योंकि इस विषय में उनसे कुछ और ब्यौरा मांगा गया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

लाटरी प्रणाली एवं दिल्ली परिवहन निगम की टिकटों की बिक्री

9370. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लाटरी प्रणाली लागू किये जाने के बाद बस टिकटों की बिक्री में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो लाटरी प्रणाली आरम्भ किये जाने के एक महीने पहले तथा एक महीने बाद में कुल कितने मूल्यों की टिकटों की बिक्री हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 24.3.81 से 30.3.81 तक सप्ताह के दौरान बेचे गए टिकटों का पहला ड्रा निकाला गया। लाटरी सिस्टम के शुरू करने से एक माह पूर्व तथा एक माह के बाद की बिक्री का ब्यौरा निम्न-लिखित है :-

1.	21.2.81 से 20.3.81 (28 दिन) के दौरान सिटी बसों के बेचे गए टिकटों की संख्या—	6,76,75,872रु०
2.	सिटी बसों में 24.3.81 से 20.4.81 (28 दिन) के दौरान बेचे गए टिकटों की संख्या—	6,93,33,396 रु०
	निबल वृद्धि—	16, 57, 524 रु०

अधिक प्रशिक्षण पोत

9371. **श्री बापू साहिब पारुलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी की मांग को पूरा करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने हेतु 'राजेन्द्र' जैसे कुछ और प्रशिक्षण पोतों की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या 'राजेन्द्र' एक 'डम्ब' पोत है और क्या इस प्रकार के पोत छात्रों को पर्याप्त प्रशिक्षित कर सकते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में कोई कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रशिक्षण पोत 'राजेन्द्र' में न तो कोई प्रोपेलर है और न ही कोई इंजिन। यह एक स्थिर जहाज है। यह जहाज बहुत पुराना हो चुका है तथा इसे अब आधुनिक नौवहन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता।

(ग) एक माल-एवं-प्रशिक्षण जलयान खरीदने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में वंशधारा पुल

9372. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में गुरुपुर के नजदीक वंशधारा नदी पर एक ऊंचे पुल के निर्माण का प्रस्ताव उनके मंत्रालय ने रोड्ज इन्टर-स्टेट एण्ड इकोनोमिक इम्पोर्टेंड योजना के अधीन ऋण सहायता देने हेतु पांचवीं योजना के किस वर्ष के लिए अनुमोदित किया है;

(ख) उक्त पुल के अनुमोदन के बाद इसके निर्माणार्थ विस्तृत प्राक्कलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वित्त वर्ष, 1980-81 के अन्त तक के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी राशि दी गई है;

(ग) वंशधारा नदी में बाढ़ आने के पहले तथा पश्चात् इस पुल के लिए प्राक्कलन प्रतिवेदन तैयार करने में विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस योजना के अधीन, पांचवीं योजना में, अन्य पुलों के प्राक्कलन प्रतिवेदन उनके मंत्रालय को अभी पेश किए जाने हैं या केवल उसी पुल संबंधी प्रतिवेदन राज्य के पास लंबित पड़ा है; और

(ङ) उक्त पुल संबंधी परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1977।

(ख) अनुमान तैयार करने सहित इस पूरे कार्य के लिए कोई धनराशि नहीं दी गयी है क्योंकि ऐसा तभी किया जा सकता है जब राज्य सरकार भारत सरकार के तकनीकी अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति के लिये विस्तृत अनुमान पेश कर दे और उस पर भारत सरकार अपनी मंजूरी दे दे। अब तक कोई विस्तृत अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) चूंकि, प्रस्तावित पुल एक बड़ा पुल है, इसलिए इसकी ब्यौरेवार जांच करने, इसका डिजाइन और वित्तीय अनुमान तैयार करने में कुछ समय लगेगा। चूंकि, बाढ़ के पहले के जलीव सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों में जिन पर राज्य सरकार पुल का डिजाइन बनाने के लिए विचार कर रही थी काफी परिवर्तन हो चुके हैं, इसलिए संशोधित जल सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों के आधार पर विस्तृत अनुमान तैयार करने में कुछ समय और लगेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह विस्तृत अनुमान शीघ्र भेजे। परन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है, राज्य सरकार को विस्तृत अनुमान तैयार करने में कुछ समय लगेगा। अब यह अनुमान इस आधार पर तैयार किया जाना है कि हाल में सितम्बर, 1980 में आई बाढ़ का पानी कितना अधिक था।

उड़ीसा में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन सड़कें तथा पुल

9373. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं के अधीन राज्य में किन-किन सड़कों तथा पुलों का कार्य आरंभ किया और जिन पर प्रगति हो रही है; और

(ख) केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 1981-82 वर्ष के लिए किन नई सड़कों तथा पुलों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधियों (केन्द्रीय सड़क निधि साधारण) आरक्षित एवं आर्थिक महत्व की सड़कों के अधीन उड़ीसा सरकार को पांचवीं योजना में तथा छठी योजना की वार्षिक योजना में कितनी धनराशि दी;

(घ) उस राज्य में उनके मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन राज्य के आदिवासी जिलों में किन सड़कों तथा पुलों का कार्य आरंभ किया गया; और

(ङ) इस योजना के अधीन सड़कों तथा पुलों के चुनाव के लिए यदि उस राज्य को कोई मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये तो क्या ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ङ) संभवतः, माननीय सदस्य का आशय अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व को राज्य सड़कों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना से है। मोटे तौर पर, निम्नलिखित श्रेणियों की सड़कों और पुलों पर उक्त कार्यक्रम के अधीन विचार किया जा सकता है :—

(1) सीधे संचार के लिए आवश्यक अन्तर्राज्यीय सड़कें और पुल।

(2) जिन नए क्षेत्रों में निकट भविष्य में रेल सुविधाओं की व्यवस्था करना संभव नहीं है, उनमें अपेक्षित सड़कें और पुल तथा

(3) वे सड़कें और पुल जो देश के तेजी से आर्थिक विकास के लिए जरूरी हों अर्थात् पहाड़ी क्षेत्रों में और दोहन के लिए उपलब्ध खनिज सम्पदा से भरपूर क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कें और पुल।

इन मानदण्डों की जानकारी राज्यों को पहले से है।

इस कार्यक्रम के अधीन, उड़ीसा में पांचवीं योजना में नीचे लिखे तीन कार्यों को मंजूरी दी गई :—

(1) बालासोर-खड़गपुर मार्ग पर सुवर्णनारोखा पुल के पहुंच मार्ग।

(2) कटक-बिसाम-गुनुपुर-परलेख-मुण्डी मार्ग पर वंशधारा नदी पर पुल, और

(3) आनंदपुर—भद्रक मार्ग पर वैतरणी नदी पर पुल।

ये सभी परियोजनायें आदिवासी जिलों के अंतर्गत आती हैं और उन पर काम चल रहा है।

इस कार्यक्रम के अधीन योजनाओं को मंजूरी वर्ष-वार नहीं, बल्कि योजना-वार दी जाती है। 1980-85 की योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उड़ीसा सरकार को पांचवीं योजना से जो-जो धनराशि दी गयी है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन)	158.63 लाख रुपये
केन्द्रीय सड़क निधि (साधारण) आरक्षण	22.00 लाख रुपये
अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों का कार्यक्रम	163.82 लाख रुपये

आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करने के बारे में राज्य को वार्षिक योजना तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शी-सिद्धांत भी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं।

छठी योजना के दौरान नई लाइनें

9374. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा छठी योजना के दौरान कौन-कौन सी नई रेल लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) अब तक किन-किन रेल लाइनों की तकनीकी, आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) छठी योजना में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिये सरकार द्वारा क्या मानदण्ड तथा नीति अपनाई गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980-81 और 1981-82 के बजट में सम्मिलित 3 लाइनों अर्थात् बोनाकलु-जोगयापेटा लाईन, कोटा-चित्तौड़गढ़-नीमच लाइन और तेलापुर-पातनचेरु लाइन के अतिरिक्त छठी योजना अवधि में दो नयी लाइनों तथा (क) जम्मू-ऊधमपुर 56 कि० मी० लम्बी, (ख) कोरापुटराय गड़ा, 170 कि० मी० लम्बी लाइनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। कुछ अन्य रेल लाइनों पर भी विचार किया जा रहा है, उन्हें संसाधनों की स्थिति अनुकूल होने पर प्रारम्भ किया जाएगा।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2475/81)।

(ग) भारत में रेलों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य उद्यमों को उत्साहित करने में सहायता देना, उत्पादन में विस्तार, नवीनतम संसाधनों की खोज, आर्थिक विकास, सामाजिक संचार व्यवस्था में सुधार और समग्र रूप से देश का आधुनिकीकरण करना रहा है।

रेल लाइनों का निर्माण देश की रक्षा आवश्यकताओं को सेवित करने के लिए सामरिक धारणाओं पर किया जाता है।

नयी रेल लाइनों का निर्माण करने के लिये योजना आयोग की स्वीकृति अपेक्षित है, जो रेलवे की योजना में प्रत्येक परियोजना के लिये धन का आबंटन करता है।

रात्रि के समय रेलगाड़ियों में अतिरिक्त पुलिस सहायता

9375. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में लूट और डकैती की घटनाओं में हुई वृद्धि को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे विशेष रूप से रात्रि के समय अतिरिक्त पुलिस सहायता प्रदान करें ताकि ऐसी घटनाएँ भविष्य में न हों; और

(ख) यदि हां, तो रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) राजकीय रेलवे-पुलिस, जो राज्य सरकारों के अधीन काम करती है, रेलों पर अपराधों का पता लगाने तथा उनकी रोकथाम और गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रारम्भिक रूप में जिम्मेदार है। वे इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

1. सम्बन्धित राज्य सरकारों की राजकीय रेलवे पुलिस के सशस्त्र जवानों द्वारा रात्रि के समय महत्वपूर्ण गाड़ियों का मार्ग रक्षण।
2. स्टेशनों/प्लेटफार्मों/प्रतीक्षालयों में बीट पेट्रोलिंग की व्यवस्था।
3. अपराधियों और जाने माने बदमाशों पर नजर रखना।
4. पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा रात्रि गाड़ियों की जांच।
5. भेद्य स्टेशनों पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात करना।
6. राज्य सरकार के केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष दस्तों द्वारा रेलों पर किये गये अपराधों के लिए जिम्मेदार अपराधियों को पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण मामलों की जांच करना।

रेलें अपनी तरफ से इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :—

1. रेलें सभी स्तरों के पुलिस प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क स्थापित किए रहती हैं और यात्री गाड़ियों में मार्गरक्षण के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की सहायता के हेतु 2,000 से अधिक रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं।
2. गलियारेदार सवारी डिब्बों के दरवाजे 22.00 बजे से 06.00 बजे तक बन्द रखे जाते हैं।
3. चल टिकट परीक्षक/परिचरों/कंडक्टरों को आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए सतर्क रहने के अनुदेश दिए गए हैं।
4. रेलों पर अपराधों की समस्या पर राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों में विचार किया जाता है और इसे उच्चतम स्तर पर भी उठाया जाता है तथा राज्य सरकारों की गाड़ियों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।
5. राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

'इण्डरेल' रियायती टिकटें

9376. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विदेशी पर्यटकों को जारी की गई 'इण्डरेल' रियायती टिकटें सफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है, इन टिकटों को सर्वप्रथम कब जारी किया गया था और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि अर्जित की गई;

(ग) क्या सरकार भारतीय पर्यटकों को भी 'इण्डरेल' टिकटें दिए जाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी;

(घ) यदि हां, तो इन्हें किस सम्भावित तिथि तक जारी किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 'इन्डरेल पास' 1-6-1977 से शुरू किये गये थे। 1978 से 1980 तक की अवधि के दौरान 28,22,189 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा की राशि अर्जित की गयी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह योजना अनिवार्यतः विदेशी मुद्रा में भुगतान करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अभिकल्पित की गयी है।

राजनयिकों के लिये पुनश्चर्या (ओरियन्टेशन) पाठ्यक्रम

9377. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने राजनयिकों तथा भारतीय विदेश सेवा के अन्य सदस्यों के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम देने की योजना बनाई है जिससे कि उनको भारतीय संस्कृति तथा भारत में सार्वजनिक जीवन के विभिन्न अन्य पहलुओं की पर्याप्त जानकारी दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पाठ्यक्रम में जाने वालों के अध्ययन के लिए 31 पुस्तकों की सूची की सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए चुनी गई पुस्तकों के नाम (लेखकों तथा प्रकाशकों के नामों सहित) क्या हैं; और

(घ) यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम किस तिथि से आरम्भ हुआ और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करती रही है जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति तथा इससे संबद्ध अन्य विषयों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त हो सके।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें पुस्तकों, उनके लेखकों और प्रकाशकों के नाम दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	लेखक	शीर्षक और प्रकाशक
1.	खंडेलवाल	अमृता शेर गिल, पेंटिंग्स, बम्बई, न्यू बुक कम्पनी।
2.	जया आपास्वामी	(एन) इन्ट्रोडक्शन टु मार्डन इण्डियन कल्चर आई. सी. सी. आर. नई दिल्ली।
3.	जया आपास्वामी	रवीन्द्रनाथ टैगोर एण्ड द आर्टस आफ हिज टाइ ललितकला अकादमी, नई दिल्ली।
4.	ए. एल. बशम	वन्डर दैट वाज इण्डिया लन्दन, सिडग्विक एण्ड वैकसन।
5.	एन्द्रे बेटिअले	सिक्स ऐसे इज कम्पैरेटिव सोशियोलाजी दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस।
6.	भगवानदास	यूनिटी आफ आल रिलीजन बम्बई, भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली।
7.	कृष्ण चैतन्य	प्रोफाइल आफ इण्डिया कल्चर, इण्डियन बुक कं०, नई दिल्ली।
8.	एम. चटर्जी	कान्टेम्परी इण्डियन फिलासाफी, रूपा एण्ड कम्पनी दिल्ली।
9.	के. चट्टोपाध्याय	हैन्डीक्राफ्टस आफ इण्डिया, आई. सी. सी. आर. नई दिल्ली।
10.	ए. के. कुमार स्वामी	हिस्ट्री आफ इण्डिया एण्ड इन्डोनेशियन आर्ट, मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली।
11.	बी. सी. देव	एन इन्ट्रोडक्शन आफ इण्डियन म्यूजिक, आई. सी. सी. आर. नई दिल्ली।
12.	जेम्स फर्गूसन	आर्कियोलाजी इन इण्डिया के. बी. पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
13.	एस. गोपाल	जवाहरलाल नेहरू ए. बायोग्राफी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली।
14.	एम. के. गांधी	एन आटो बायोग्राफी नवजीवन, अहमदाबाद।

क्रम सं०	लेखक	शीर्षक और प्रकाशक
15.	एस. हिरियना	आऊट, लाइन्स आफ इण्डियन फिलासाफी, जार्ज एलेन एण्ड अनविन, लन्दन ।
16.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संकलित	इण्डियन पोइट्री टूडे, आई. सी. सी. आर. नई दिल्ली ।
17.	भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संकलित	मार्डन इण्डियन शार्ट स्टोरिज, आई. सी. सी. आर. नई दिल्ली ।
18.	कोसाम्बी	कल्चर एण्ड सिविलाइजेशन आफ ऐंशट इण्डिया, रेंटलेज एण्ड केगन पाल लन्दन ।
19.	कृष्ण कृपालानी	टैगोर-ए लाइफ, ओरिएन्ट लांगमेन्स, नई दिल्ली ।
20.	जवाहर लाल नेहरू	डिस्कवरी आफ इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई ।
21.	रोमिला थापर	हिस्ट्री आफ इण्डिया, मिडिलसेक्स पेंग्विन बुक्स ।
22.	स्पीयर	इण्डिया, ए मार्डन हिस्ट्री, टोरन्टो यूनि. आफ मिचगिन प्रैस, लन्दन ।
23.	एस. राधाकृष्णन	इण्डियन फिलासाफी-2 भाग, जार्ज एलेन एण्ड अनविन, लन्दन ।
24.	रवि शंकर	माई म्यूजिक माई लाइफ, विकास पब्लिकेशन हाऊस, दिल्ली ।
25.	एन. आर. रे	आइडिया एण्ड इमेज इन इण्डियन आर्ट मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली ।
26.	एन. ए. नीलकान्त शास्त्री	लाइफ एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पादक एलाइड, बम्बई ।
27.	आर. चस. शर्मा	इण्डियन फेंडलिस्म 300 बी. सी. टू 1200 बी. सी. कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता ।
28.	एम. एन. श्रीनिवास	डाइमेन्शन्स आफ सोशल चेंज इन इण्डिया एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली ।
29.	कपिला वात्स्यायन	क्लासिकल इण्डियन डांस इन लिट्रेचर एण्ड आर्ट, मुंशीराम मनोहरलाल, दिल्ली ।
30.	कपिला वात्स्यायन	ट्रेडीशन आफ इण्डियन फोक डांस, इण्डियन बुक कं०, नई दिल्ली ।
31.	जीमर	मिथस एण्ड सिम्बल्स आफ इण्डियन आर्ट, पेंथान बुक्स न्यूयार्क ।

रेलवे जोनों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में समिति

9378. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेलवे के प्रशासनिक ढांचे क्षेत्रीय तथा प्रभागीय के पुनर्गठन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति के निदेश पद क्या हैं तथा उसकी रचना क्या है और वह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

गोपनीय रिपोर्टों का लिखा जाना

9379. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अथवा उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि प्रतिवर्ष 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने वाले वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों को 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों तथा कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखनी चाहिए और चार्ज देते समय उन्हें अपने उत्तराधिकारी को सौंपनी चाहिए।

(ख) यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी को इस बात की अनुमति है कि वह गोपनीय रिपोर्टों के खाली फार्म घर ले जाए और उन्हें पिछली तारीखों में आराम से लिखें और पुनरीक्षा करने वाले अधिकारी को दे दें; और

(घ) यदि हां, तो क्या किसी नियम या आदेश के अन्तर्गत इसकी कार्य की अनुमति दी गई है और यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत और यदि नहीं, तो इस तरह के कदाचार को रोकने हेतु क्या उपाय किये गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय रेल स्थापना संहिता खण्ड–. के नियम 1612 के अनुसार, जब रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी स्थानान्तरण, छुट्टी आदि के कारण अपना पद छोड़ता है और वर्ष के दौरान उसके पद पर लौटने की सम्भावना नहीं होती या यदि वह सेवा-निवृत्ति के कारण अपना पद छोड़ देता है तो उसे अपने उत्तराधिकारी को अपने पद का कार्यभार सौंपने से पूर्व, उन सभी राजपत्रित रेल कर्मचारियों के सम्बन्ध में अपनी राय रिकार्ड करनी चाहिए जिन्होंने उसके अधीन 3 या उससे अधिक महीनों की अवधि के लिए काम किया हो।

बहरलाल, अनुदेश जारी किये गये थे कि रिपोर्ट लिखने, पुनरीक्षा करने और अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी सेवा से सेवा-निवृत्त होने के बाद श्रेणी–1 के अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणी रिकार्ड करने के लिए सक्षम नहीं होंगे।

अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में यह अनुदेश हैं कि सेवा-निवृत्त होने वाला अधिकारी सेवा-निवृत्त होने के एक महीने के अन्दर अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट देने की अनुमति दी जा सकती है।

(ग) और (घ) रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारियों के घर पर रिपोर्ट लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पीछे की तारीखों में रिपोर्ट लिखना उपयुक्त नहीं है। फिर भी इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किये गए हैं।

राजदूतों और राजनयिकों के लिए रिहायशी आवास

9380. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए स्वतन्त्र हुए या छोटे देशों के कुछ राजदूतों और राजनयिकों के नई दिल्ली में अपने रहने की अवधि के दौरान रिहायशी आवास प्राप्त करने में सरकार से उनकी मदद करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और भारत सरकार ने उनकी क्या मदद की है;

(ग) क्या सरकार विदेशी राजदूतों और/या राजनयिकों के लिए, नई दिल्ली में अथवा भारत में उनकी कार्यावधि के दौरान भू-खण्डों या फ्लैटों की व्यवस्था करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार आतिथ्य सरकार के रूप में इस सरकारी प्रयोजन के लिए बंगलों या फ्लैटों का अधिग्रहण करने का है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) साइप्रस, कम्पूचिया और तूनिसिया जैसे हाल ही में खोले गये बहुत से राजनयिक मिशनों ने औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से इस सन्दर्भ में हमसे सहायता मांगी है। हमने उन्हें उपयुक्त सलाह दी है और सम्पर्क सूत्र भी बताए हैं जिनके साथ उन्हें स्वयं बातचीत करनी होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार इसे व्यवहार्य नहीं समझती।

स्टेट बैंक विस्तार काउन्टर

9381. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने दिल्ली/नई दिल्ली, बम्बई वी० टी०, कलकत्ता स्टेशनों

पर विस्तार काउण्टर खोलने हेतु समुचित स्थान की व्यवस्था करने के लिए रेलवे से अनुरोध किया है ताकि वे बेहतर तरीके से यात्रियों की सेवा कर सकें।

(ख) यदि हां, तो कब और क्या उन्हें आवश्यक स्थान दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और स्थान कब उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जी, हां।

(ख) और (ग) स्थान उपलब्ध न होने के कारण बम्बई वी० टी० पर भारतीय स्टेट बैंक का एक प्रसार काउन्टर खोले जाने के लिए कोई स्थान नहीं दिया जा सका। इसी प्रकार पुरानी दिल्ली स्टेशन पर भी बैंक की आवश्यकता के अनुसार और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वांछित स्थान पर जगह उपलब्ध न होने के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकी। बहरहाल, हाल ही में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संयुक्त रूप से एक स्थान का पता लगा लिया गया है। यह स्थान उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को अन्तिम रूप दिये जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

भायन्दर स्टेशन

9382. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर को भायन्दर स्टेशन पर अपेक्षित परिवर्तन और सुधारों के सम्बन्ध में फरवरी, 1981 में भायन्दर के निवासियों से ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त ज्ञापन में की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इन मांगों में स्टेशन पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था, अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था तथा बोरिविली-विरार खंड में अतिरिक्त गाड़ियां चलाना भी शामिल है। इन मामलों पर गुण-दोष के आधार पर जांच की जानी है और तदनुरूप समुचित कार्रवाई की जायेगी।

पाकिस्तानी पर्यटों की यात्रा

9383. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दौरान भारत की यात्रा करने वाले, तीर्थयात्रियों के अलावा अन्य पाकिस्तानी पर्यटकों की संख्या कितनी थी;

(ख) 1980 के दौरान पाकिस्तान की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के अलावा अन्य भारतीय पर्यटकों की संख्या कितनी थी;

(ग) पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए भारतीयों को पर्यटक पारपत्र जारी करने का क्या मानदण्ड है; और

(घ) भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटन बढ़ाने के लिए भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर, 1974 में हस्ताक्षरित वीजा-करार में पर्यटक वीजा का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए 1980 में न किसी पाकिस्तानी पर्यटक ने भारत की यात्रा की और न कोई भारतीय पर्यटक पाकिस्तान गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) फरवरी, 1980 में पाकिस्तान की पर्यटन सलाहकार तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की विशेष प्रतिनिधि, बेगम विकारुन निसा नून ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच पर्यटकों के आवागमन की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया था। हमने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और पाकिस्तान सरकार को सूचित किया कि हम इस योजना पर विचार-विमर्श करने तथा इस पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद भेजने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

सहायक परामर्शदाता होम्योपैथी का रिक्त पद

9384. **डा० यू० पी० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक परामर्शदाता होम्योपैथी का पद आज कल रिक्त पड़ा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसको किस प्रकार भरे जाने का निर्णय हुआ है और इस पद पर कब तक किसी पदधारी के नियुक्त किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में होम्योपैथी के सहायक सलाहकार का पद इस समय खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इस पद पर नियुक्त स्थाई अधिकारी को उपसलाहकार (होम्योपैथी) के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर दिया गया है। वह अधिकारी सहायक सलाहकार (होम्योपैथी) के काम को भी देख रहा हैं। इस पद को भरने का सवाल तब पैदा होगा जब वह भर्ती नियमों के अनुसार नियमित आधार पर उपसलाहकार (होम्योपैथी) के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के लिए ज्ञापन

9385. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के निदेशक के पद के लिए हाल में विज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पद के लिए चयन और नियुक्ति किस प्रकार की जायेगी और उसको भरने में कितना समय लगेगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार निरंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं। यह रिक्ति होम्योपैथी केन्द्रीय अनुसंधान परिषद द्वारा विज्ञापित कर दी गई है।

(ख) इस परिषद के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां परिषद के नियमों, विनियमों और उपनियमों के अनुसार की जाती हैं। चयन समिति की बैठक शीघ्र होने की आशा है।

दिल्ली में मलेरिया के मामलों में वृद्धि होना

9386. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मच्छरों में वृद्धि के कारण दिल्ली में मलेरिया के मामले में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) मच्छरों की वृद्धि और मलेरिया फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कुपोषण के प्रभाव से बचने के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का शुरू किया जाना

9387. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्वेषन जैसे कुपोषण के प्रभाव से बचने के लिए सरकार का विचार खाद्य पदार्थों की सप्लाई सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ठोस कार्यवाही की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) और (ख) मदर डेरी, दिल्ली द्वारा तैयार किये जा रहे मानकीकृत दूध को, प्रयोग के तौर पर, अब विटामिन "ए" से पौष्टिक बना दिया गया है। छठी पंचवर्षीय योजनावधि में इस कार्यक्रम का अन्य डेयरीयों में भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में स्थित मार्डन बेकरीज (भारत) लि० को 13 यूनिटों में बन रही मार्डन ब्रेड को भी विटामिनों और खनिज तत्वों से पौष्टिक बनाया जाता है।

देश में आयरन की कमी से व्यापक रूप से फैली हुई रक्तक्षीणता पर काबू पाने के लिए सरकार आयरन युक्त लवण को भारी मात्रा में तैयार और वितरित करने की संभावनों पर विचार कर रही है। सरकार के पास कुपोषण का सामना करने के लिए आवश्यक विटामिनों, खनिज तत्वों, अमीनों एसिड और प्रोटिन कन्सन्ट्रेटस से खाद्य पदार्थों को पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाने के कार्यक्रम हैं।

कांचरापाड़ा रेलवे वर्कशाप से याचिका

9388. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांचरापाड़ा वर्कशाप में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में भेद भाव तथा अनियमितताओं के खिलाफ शिकायत करते हुए सम्बन्धित डिवीजनल रेलवे अधिकारियों को कांचरापाड़ा रेलवे वर्कशाप के मजदूरों द्वारा सामूहिक याचिका दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिन्दरी को वैगन सप्लाई

9389. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित दिनांक 6 मार्च, 1981 के "इंडियन नेशन" में "फर्टीलाइजर ब्लाक्ड इन सिंदरी फैक्ट्री फार वांट आफ वैगन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है और गत 6 महीनों में भारतीय उर्वरक निगम की वैगनों की मांग और की गई सप्लाई के आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या उर्वरक बनाने और सम्बद्ध उप उत्पाद तैयार करने के लिए कारखाने को कच्चे माल की सप्लाई के लिए अपेक्षित वैगन वापसी पर कारखाने से उर्वरक लाने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो सिन्दरी फर्टीलाइजर के लिए वैगनों की अचानक कमी हो जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पटना से प्रकाशित होने वाले "इण्डियन नेशन" की 6 मार्च, 1981 की प्रति प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है । लेकिन, फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने रेलों को सूचित किया है कि सिन्दरी में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन हाल ही में आरम्भ हो गया है, इसलिए माल-डिब्बों के लिए उनकी मांग में वृद्धि हुई है ।

(ख) रेलों ने सिन्दरी में उर्वरकों के लदान में पहले से ही वृद्धि कर दी है । माल डिब्बों की सप्लाई में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से पता चलेगा : –

माह	मांग-पत्र	सप्लाई
अक्तूबर, 80	200	202½
नवम्बर, 80	123	102
दिसम्बर, 80	651	402
जनवरी, 81	906	586½
फरवरी, 81	1200	681
मार्च, 81	1970	841

(ग) जी, नहीं । सिन्दरी में अपेक्षित प्रमुख कच्चा माल भट्टी का तैल और राक फास्फेट हैं, जो मुख्यतया क्रमशः टंकियों और खुले माल-डिब्बों में लादा जाता है तथा जिनका उपयोग सदैव उर्वरकों के लदान के लिए नहीं किया जा सकता ।

(घ) सिन्दरी में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन प्रारम्भ होने के साथ ही इस फैक्टरी से उर्वरकों के लदान के लिए माल-डिब्बों की मांग में वृद्धि हुई है । सिन्दरी में मांग पत्रों की संख्या थोड़ा-थोड़ा करके यदि ब्लाक रेकों की मांग की जाए तो लदान में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है । फैक्टरी के प्राधिकारियों को सलाह दी गयी है और वे जम्बो रेकों में लदान की व्यवस्था कर रहे हैं ।

बम्बई डिवीजन में वोल्टेज में गिरावट

9390. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई डिवीजन में "ओवर हेड" तथा ट्रेक वार्डिंग ट्रक्शन" में बिजली की वोल्टेज गिरावट में निरन्तर गिरावट आ रही है और उसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष बम्बई डिवीजन को कितनी हानि हुई;

(ख) क्या इसका कारण नियमित तथा समुचित रूप से "अर्थ टैस्टिंग", ट्रेक बांड टैस्टिंग", "फाउंडेशन इंसुलेशन टैस्टिंग", "क्रास बांड इन्सपैक्शन" कन्टीन्यूइटी बांड इन्सपैक्शन" "स्पार्क गैप इन्सपैक्शन" आदि न होना और समुचित रख-रखाव का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की भारी हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि रख-रखाव कचर्मारियों की संख्या अपर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे के मुख्यालय में रेल कर्मचारियों का ड्यूटी पर जाना

9391. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के विभिन्न डिवीजनों से बहुत से रेल कर्मचारी मद्रास स्थित मुख्यालय तथा अन्य कार्यालयों में रोजाना ड्यूटी पर उपस्थित होते हैं;

(ख) क्या उनकी आवास की व्यवस्था करने तथा मुख्यालयों में जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को वे विचार-विमर्श के लिए ले जाते हैं, उनकी रक्षा के लिए वहां कोई सुविधाएं हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास सगमोर स्थित उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों का वर्तमान विश्रामगृह ड्यूटी पर उपस्थित इस तरह के स्टाफ की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और वहां सरकारी रिकार्ड को सुरक्षित रखने के लिए कोई लाकर भी नहीं है; और

(घ) क्या मद्रास/एग्मोर में वर्तमान विश्रामगृह के स्थान पर लाकर सुविधाओं से युक्त अधिक क्षमता वाले विश्रामगृह का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां, जब कभी आवश्यकता होती है, कर्मचारी मुख्यालय में ड्यूटी पर आते हैं ।

(ख) मद्रास में निम्नलिखित सुविधाएं मौजूद हैं :—

(i) मद्रास में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए (शयनशाला प्रकार का) 8 बिस्तर वाला विश्राम गृह ।

(ii) मद्रास/इग्मोर में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए 10 बिस्तरों वाला (शयनशाला प्रकार का) विश्राम गृह ।

(iii) मद्रास/इग्मोर में अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए (शयनशाला प्रकार का) 15 बिस्तरों वाला विश्राम गृह है जिसका अनुरक्षण निर्माण संगठन द्वारा किया जाता है। इन विश्रामगृहों में प्रलेखों और फाइलों को रखने के लिए किसी लाकर की व्यवस्था नहीं है।

(ग) और (घ) अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानों में वृद्धि करने के विचार से मद्रास/इग्मोर में 24 बिस्तरों वाले एक अन्य विश्रामगृह के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है और इस कार्य को शुरू किया जा रहा है। इस विश्राम गृह में प्रलेखों/फाइलों को रखने के लिए लाकरों/अलमारियों की व्यवस्था की जाएगी।

फालतू सामग्री

9392. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी मात्रा में इंजीनियरिंग सामग्री बिना किसी उपयोग के खुले में पड़ी है;

(ख) क्या नीलामियों के माध्यम से ऐसी फालतू सामग्री के निपटान के लिये डिवीजनल तथा जोनल स्तरों पर तुरन्त कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां; तो 1980–81 के दौरान नीलामी द्वारा कुल कितनी राशि प्राप्त हुई;

(घ) दक्षिण रेलवे में बिक्री के लिये पड़ी ऐसी फालतू इंजीनियरिंग सामग्री की अनुमानत: कितनी मात्रा है और उसका विक्रय मूल्य क्या है; और

(ङ) देर से की गई नीलामियों के कारण सामग्री के ह्रास और राजस्व की हानि को टालने के लिये इसके निपटान हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जो भण्डार नाकाम हो जाते हैं या रेलों की अपनी आवश्यकता से फालतू होते हैं उनका सर्वेक्षण और बिक्री की कार्यविधि का अनुपालन करते हुए नियमित अन्तरालों में नीलामी द्वारा तुरन्त निपटान कर दिया जाता है।

(ग) 1980-81 के दौरान भारतीय रेलों पर हुई नीलामियों की कुल संख्या 392 थी।

(घ) दक्षिण रेलवे पर लगभग 0.25 करोड़ रुपये के मूल्य का लगभग 1139 मीटरीकृत इंजीनियरी का सामान बिक्री के लिए उपलब्ध है।

(ङ) रद्दी सामग्री की नियमित रूप से नीलामी किये जाने के कारण रेलों पर रद्दी सामग्री को बड़ी मात्रा में इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। यह प्रणाली संतोषप्रद ढंग से कार्य कर रही है। रद्दी सामग्री के निपटान पर निरन्तर नजर रखी जाती है।

मदुरै डिवीजन में ट्राफिक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान

9393. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1980–81 के दौरान मदुरै डिवीजन में ट्राफिक कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ;

(ख) समयोपरि भत्ते की इस बड़ी धनराशि के भुगतान के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मदुरै डिवीजन अर्थात् मदुरै-बोदि नायकनार सेक्शन और तिरुचनदूर-तिरुनेलवेली सेक्शन में अलाभप्रद ब्रांच लाइन्ज में समयोपरि भत्ते का भारी भुगतान अन्तर्ग्रस्त है;

(घ) यदि हां, तो इसका कहां तक औचित्य है;

(ङ) इस खर्चे को रद्द करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(च) क्या समयोपरि भत्ते के आधार पर कर्मचारियों को नियमित रूप से लगाना असुरक्षित नहीं है क्योंकि वे गाड़ियों में पासिंग ड्यूटी पर लगे होते हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 16,76,611 रुपये ।

(ख) मानक व्यवस्था से अधिक कर्मचारियों के छुट्टी और बीमार होने के कारण समयोपरि का भुगतान करना पड़ा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) कर्मचारियों को समयोपरि तभी देय होता है जब कभी मदुरै-बोदिनायक्कनूर और तिरुच्चेंदूर-तिरुनेलवेलि खंडों पर रोस्टर ड्यूटी घंटों की सीमा से बाहर कभी-कभी माल गाड़ियां चलानी पड़ती हैं । समयोपरि खर्च में कमी करने के लिए इन माल गाड़ी सेवाओं को नियमित करने का प्रस्ताव है ।

(च) इससे संरक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि कर्मचारियों को नियमित रूप से समयोपरि पर नहीं लगाया जाता बल्कि कभी-कभी लगाया जाता है । रेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि समयोपरि कार्य में यथा सम्भव रोकथाम की जाये ।

रेलवे में परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को स्थायी किया जाना

9394. **श्री सूरज भान** : क्या रेल मंत्री रेलवे में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को स्थायी किये जाने के बारे में 2 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6131 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों पर भी प्रथम श्रेणी के लिए बनाए गए नियम समान रूप से लागू होते हैं;

(ख) क्या तृतीय श्रेणी के परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर एक विशिष्ट अधिसूचना द्वारा उनकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा न दिया जाए तो स्थायी किया जाना होता है;

(ग) क्या उक्त नियम रेलवे में कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दरभंगा और निरमली के बीच गुमटियां

9395. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में दरभंगा जंक्शन तथा निर्मली, जयनगर और सीतामढ़ी स्टेशनों के बीच कुल कितने-कितने रेलवे फाटक (गुमटियां) हैं और उनमें से कितनी गुमटियों पर चौबीसों घंटे आदमी रहता है;

(ख) क्या सरकार के, दक्षिण में स्थित गुमटी पर एक चौकीदार की ड्यूटी रहती थी, जिसे अब वहां से हटा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उस गुमटी के समीप हाल में तीन व्यक्ति मारे गये; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस गुमटी पर तथा अन्य ऐसी गुमटियों पर जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता चौकीदार रखे जा रहे हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दरभंगा-सकरी–निर्मली, सकरी–जयनगर, दरभंगा–सीतामढ़ी के बीच समपारों की संख्या क्रमश: 60, 42 और 55 है । दरभंगा–सकरी–निर्मली, सकरी–जयनगर और दरभंगा–सीतामढ़ी के बीच, ऐसे समपारों की संख्या क्रमश: 30, 19 और 34 है जहां 24 घंटे चौकीदार मौजूद रहते हैं ।

(ख) अपर्याप्त यातायात होने के कारण राजनगर स्टेशन के दक्षिण में समपार सं० 20-सी को 9-5-75 से बिना चौकीदार वाला समपार बना दिया गया था । तब से इस समपार पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है ।

(ग) समपार पर होने वाले यातायात की गणना एक कार्यक्रम के आधार पर की जाती है । राजनगर के दक्षिण में समपार सं. 20-सी पर यातायात की वर्तमान मात्रा को देखते हुए वहां चौकीदार रखने का कोई औचित्य नहीं है । भविष्य में यातायात की मात्रा के आधार पर यदि औचित्य पाया गया तो अन्य समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की जा सकती है ।

रेणुगुंटा में कैरिज मरम्मत वर्कशाप

9396. **श्री पसाला पेंचालैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण-मध्य रेलवे में रेणुगुंटा स्थित कैरिज मरम्मत वर्कशाप की लागत एवं क्षमता के मूल अनुमान संशोधित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कैरिज वर्कशाप की नवीनतम स्थिति क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चौपहियों के हिसाब से 8 यूनिट कोचिंग स्टाक की प्रतिदिन आवधिक मरम्मत करने के लिए रेणुगुन्टा (तिरुपति) में एक नया सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना लगाने के काम को संसद ने अपना अनुमोदन दे दिया था और इसे 1979-80 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। इसकी लागत या क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं है।

बहरहाल कारखाने के लिए एक संशोधित अनुमान तैयार किया जा रहा है जिसमें उसी क्षमता को ध्यान में रखकर परन्तु लागत में वृद्धि करने का विचार है।

(ख) मूल लागत का अनुमान लगाने के बाद मूल्यों में वृद्धि हो जाने तथा कर्मचारी क्वार्टर और अधिक मशीनरी और उपस्कर जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के कारण लागत में वृद्धि पर विचार किया जा रहा है।

(ग) कारखाने के लिए आधारशिला 25 दिसम्बर, 1980 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखी गयी थी। 350 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है और आगे के निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है।

बिजली से मरे रेल कर्मचारी

9397. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण लाइनों के कारण बिजली से वर्षवार कितने रेल कर्मचारी मरे;

(ख) क्या अधिकारियों द्वारा इण्डियन इलैक्ट्रीकल्स रूल्स एण्ड इलैक्ट्रीक ट्राजेक्शन मैनुअल के उल्लंघन इन अधिकांश मामलों में उत्तरदायी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई जांच के निष्कर्षों का क्या परिणाम है और उस पर क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या 1.5 कि० वा० को 132 कि० वा० पारेषण लाइन के साथ 25 कि० वा० ए० सी० लाइन में बदले जाने से उच्च योग्यता तथा अधिक सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता होती है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या सरकार इन कर्मचारियों को उसमें अन्तर्ग्रस्त योग्यता रखेगी, तथा जोखिम के अनुसार पारिश्रमिक बढ़ायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विद्युतीकृत क्षेत्र में बिजली छू जाने की वजह से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या 1978-79 में 11, 1979-80 में 7 और 1980-81 में 10 थी।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है । संरक्षा सम्बन्धी अनुदेशों का निर्धारण ए० सी० कर्षण नियमावली में किया गया है । आवधिक रूप में कर्मचारियों को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दिया जाता है, जिसके दौरान संरक्षा अनुदेशों पर विशेष बल दिया जाता है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

एशियाई खेलों के लिए उपरि पुलों के निर्माण और सड़कों को चौड़ा करने के प्रश्न की पुनः जांच के लिए समिति

9398. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेलों के लिए उपरि पुलों के निर्माण और सड़कों को चौड़ा करने के प्रश्न की पुनः जांच के लिए गठित दो विशेषज्ञ समितियों ने कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कम से कम पेड़ काटने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सड़कों को चौड़ा करने और रेल-वौराहों में सुधार करने संबंधी योजनाओं पर फिर से विचार करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने दो विशेषज्ञ समितियों का गठन किया । इन समितियों ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक संयुक्त रिपोर्ट पेश कर दी है और उपराज्यपाल इस पर विचार कर रहे हैं ।

"टेरर अमंग इण्डियन्स इन ब्रिटिश कोलम्बिया"

9399. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1981 के 'पेट्रियट' नई दिल्ली में 'टेरर अमंग इण्डियन्स इन ब्रिटिश कोलम्बिया' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां ।

(ख) हाल ही में ब्रिटिश कोलम्बिया के कनाडियाई प्रान्त के वैंकूवर इलाके में अग्नि-बम और जातीय संघर्ष की दो घटनाओं की खबरें आई हैं । बताया जाता है कि इन घटनाओं के संबंध में एक व्यक्ति को पहले ही सजा दी जा चुकी है । कनाडा में अल्प संख्यक के साथ भेदभाव बरते जाने और उन्हें परेशान किए जाने से बचाव के लिए प्रान्तीय मानवाधिकार आयोग के रूप

में आवश्यक व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है जो इस प्रकार की शिकायतों की जांच करता है। जातीय संघर्षों से कनेडियाई राष्ट्रिकों की सुरक्षा का मामला जिनमें भारत मूल के कनेडियाई राष्ट्रिक भी शामिल हैं, एक ऐसा मामला है जिससे कनाडा के प्राधिकारियों का ही संबंध है।

भारत-अमरीकी वार्ता में मतभेद

9400. **श्री आर एल० भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अप्रैल, 1981 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' के नई दिल्ली संस्करण में "रिफ्ट इन इंडो-यू० एस० टाक्स लाइकली" (भारत-अमरीकी वार्ता में गतिरोध आने की संभावना) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बातचीत की प्रगति वास्तव में कैसी रही; और

(ग) उसका परिणाम क्या रहा है और क्या इस वार्ता को राजनीतिक स्तर पर आगे बढ़ाया जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष तथा विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) ने अमरीकी प्रशासन के साथ मुक्त और निःसंकोच विचार-विमर्श किया, जिसके दौरान पाकिस्तान को प्रस्तावित अमरीकी सैनिक सप्लाई सहित इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर भारत की चिन्ता से उन्हें अवगत कराया गया। दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका के बीच 1963 में नाभिकीय सहयोग पर हुए करार से सम्बन्धित मामलों पर भी बातचीत की थी।

(ग) नाभिकीय सहयोग करार के बारे में सरकारी स्तर पर निकट भविष्य में और आगे बातचीत होने की सम्भावना है। इस समय राजनीतिक स्तर पर बातचीत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि भारत और अमरीका के बीच अनेक प्रश्नों पर मतभेद है, फिर भी सरकार का यह विश्वास है कि बातचीत जारी रखना लाभप्रद होगा और इसे जारी रखा जाएगा।

चिरयिंकील रेलवे स्टेशन

9401. **श्री ए० ए० रहीम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चिरयिंकील रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार करने का कोई विचार है;

(ख) क्या इस स्टेशन पर और अधिक एक्सप्रेस गाड़ियों को रोकने के बारे में रेलवे प्रयोक्ता संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) 1.4.1981 से 81/82 बम्बई-त्रिवेन्द्रम जनता एक्सप्रेस को चिरयिकीय स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था कर दी गई है। बहरहाल, अन्य डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को चिरयिकील स्टेशन पर ठहराना वांछनीय नहीं पाया गया है।

अधीक्षकों के पदों का दर्जा बढ़ाया जाना

9402. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेलवे लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ और जे. सी. एम., उत्तरी रेलवे द्वारा की गई मांग के अनुरूप उत्तर रेलवे के विभिन्न मंडलों में लिपिकीय संवर्ग में अधीक्षकों (700-900 रुपये के संशोधित वेतनमान) के कुछ पदों का दर्जा बढ़ाकर 840-1040 रुपये किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन-किन मंडलों में किया जा रहा है और किस तारीख से; और

(ग) इस प्रकार किस प्रकार से नियुक्तियां की जाएंगीं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा शिक्षा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान

9403. **श्री सूरज भान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना और भारत सरकार के अन्य सम्बन्धित कार्यालयों में अलग-अलग नियुक्त किए गए सामान्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के यूनानी तथा आयुर्वेदिक फिजीशियनों की संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : पिछले तीन वर्षों में आयुर्वेद और यूनानी के निम्नलिखित चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं :—

	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
आयुर्वेद	28	4	1	33
यूनानी	3	—	—	3

उत्तर प्रदेश में महिला हैल्थ विजीटरों की नियुक्ति

9404. **श्री निहाल सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को परिवार कल्याण की जानकारी देने के लिए कोई प्रबन्ध किए हैं और प्रत्येक पंचायत में महिला हैल्थ विजिटर नियुक्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले में कितनी महिला हैल्थ विजिटर नियुक्त की गई हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष और महिला नसबन्दी के कितने आपरेशन किए गए थे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां। स्टाफ के पैटर्न के अनुसार प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य परिचारिकाओं के दो पद हैं—एक स्वास्थ्य बजट में से दूसरा परिवार कल्याण पक्ष से।

(ख) विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य परिचारिकाओं के कितने पद मंजूर किए गए हैं और कितने भरे हुए हैं, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में पुरुषों और महिलाओं के कितने नसबन्दी आपरेशन हुए, इनकी स्थिति इस प्रकार है।—

वर्ष	नसबन्दी आपरेशन		कुल
	पुरुष	महिला	
1977-79	721	4307	5028
1978-79	3701	14376	18077
1979-80	7872	30976	38848

विवरण

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य परिचारिकाओं की स्थिति का विवरण

क्रम सं०	जिले का नाम	संस्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या
1	2	3	4
1,	आगरा	36	36
2.	अलीगढ़	35	31
3.	एटा	30	24

1	2	3	4
4.	मैनपुरी	30	30
5.	मथुरा	24	24
6.	इलाहाबाद	56	54
7.	इटावा	29	29
8.	फरुखाबाद	29	29
9.	फतेहपुर	26	26
10.	कानपुर	41	41
11.	बांदा	27	10
12.	हमीरपुर	22	15
13.	जालौन	16	13
14.	झांसी	16	13
15.	ललितपुर	12	10
16.	बहराइच	38	13
17.	बाराबंकी	33	30
18.	फैजाबाद	37	36
19.	गोंडा	51	39
20.	प्रतापगढ़	31	31
21.	सुलतानपुर	39	39
22.	चमोली	18	8
23.	देहरादून	8	8
24.	पौड़ी गढ़वाल	29	7
25.	टेहरी गढ़वाल	20	11
26.	उत्तर काशी	8	2
27.	आजमगढ़	59	59
28.	बस्ती	63	51
29.	देवरिया	59	49
30.	गोरखपुर	62	59
31.	अलमोड़ा	28	24

1	2	3	4
32.	नैनीताल	20	16
33.	पिथौरागढ़	22	19
34.	हरदोई	38	33
35.	लखीमपुर-खेड़ी	31	24
36.	लखनऊ	18	18
37.	रायबरेली	33	33
38.	सीतापुर	39	35
39.	उन्नाव	32	32
40.	बुलन्दशहर	34	34
41.	बिजनौर	25	22
42.	गाजियाबाद	20	20
43.	मेरठ	37	37
44.	मुजफ्फरनगर	29	29
45.	सहारनपुर	33	33
46.	बरेली	30	30
47.	बदायूं	36	31
48.	मुरादाबाद	38	36
49.	पीली–भीत	15	15
50.	रामपुर	13	11
51.	शाहजहांपुर	29	23
52.	बलिया	36	36
53.	गाजीपुर	33	33
54.	जौनपुर	41	41
55.	मिर्जापुर	40	35
56.	वाराणसी	44	44
		1780	1571

कोयले के लिए माल डिब्बे

9405. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निदेशक रेल (परिवहन), कलकत्ता ने मध्य प्रदेश में कोयले के माल डिब्बों का आबंटन 50 प्रतिशत तक घटा दिया है और रेलवे के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट तथा चीफ कमर्शियल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इसमें और अधिक भारी कटौती कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप कुल आवश्यकता के केवल 15 प्रतिशत ही माल डिब्बे उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सरकार को कोयले की कमी के कारण राज्य में औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है;

(ग) इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि यदि रेलवे आने वाले महीनों में माल डिब्बों के कोटे के प्रस्तावित आबंटन को अनुमति देने में असफल रहती है, तो कोयले का कोटा कालातीत हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (घ) विभिन्न राज्यों को कोयले के संचलन के लिए रेलें सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता के अनुसार माल डिब्बों की सप्लाई कर रही हैं। कोयले की समग्र उपलब्धता मांग की अपेक्षा कम होने तथा कोयले को अधिमान्य रूप से इस्पात संयन्त्रों, बिजली घरों, सीमेंट कारखानों आदि को सप्लाई करने के कारण आम तौर पर अन्य उद्योगों को उनकी पूरी आवश्यकता का कोयला नहीं मिलता। कोयले के उपलब्ध कराये जाने और इसके लदान में सुधार करने हेतु कोल इण्डिया का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

यूनानी औषधियों के कालेजों में शिक्षा का माध्यम

9406. **श्री सूरज भान :** क्या स्वास्थ्य और कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में दो दशक से यूनानी औषधियों के अनेक कालेजों में शिक्षा का माध्यम उर्दू/हिन्दी था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों से हिन्दी का माध्यम समाप्त कर दिया गया है और अब इन कालेजों में उर्दू जानने वाले छात्रों को दाखिला दिया जा रहा है;

(ग) क्या सभी 13 कालेजों में लगभग 400 छात्रों के दाखिले की क्षमता की तुलना में वर्ष 1978 और 1979 में दाखिल किये गए छात्रों की क्रमशः संख्या 283 और 198 थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख) भारत में 13 यूनानी कालेज हैं, इसमें से 7 ने सूचित किया है कि उनके यहां उर्दू के माध्यम से

पढ़ाई कराई जाती है जबकि दो ने बतलाया है कि उनके यहां क्रमशः 1960 से 72 और 1960 से 77 तक उर्दू के साथ-साथ हिन्दी के माध्यम से भी पढ़ाई कराई गई है। शेष 4 कालेजों से कोई उत्तर नहीं मिला है। जिन दो कालेजों में उर्दू के साथ-साथ हिन्दी में भी पढ़ाई कराई जा रही थी उन्होंने बताया है कि 1960 में प्रयोग के रूप में उर्दू के साथ हिन्दी माध्यम भी शुरू किया गया था परन्तु हिन्दी में यूनानी तिब्ब के विशेन रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों और साहित्य के अभाव में छात्रगण सीधे यूनानी साहित्य को समझने में असमर्थ रहे और इस प्रयोग को बन्द करना पड़ा।

(ग) कालेजों से मिली सूचना के अनुसार उनमें छात्रों की प्रवेश क्षमता और 1978-79 में कितने-कितने छात्र प्रविष्ट किये गए, उनकी संख्या विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित किए एए यूनानी डिग्री कोर्स की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई माध्यम उर्दू है, और जहां कहीं जरूरत होगी अंग्रेजी में भी उन्हें पढ़ाया जाएगा। जहां कहीं उर्दू जानने वाले छात्र नहीं होंगे वहां पढ़ाई का माध्यम (पाठ्य पुस्तकें भी) हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा को बनाया जा सकता है और माध्यम में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	यूनानी कालेज का नाम	प्रवेश क्षमता	प्रविष्ट किए गए छात्रों की संख्या 1978	1979
1.	गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कालेज, हैदराबाद	50	33	50
2.	इस्लामिया अरबिक तिब्बी कालेज, कुरनूल	30	18	29
3.	सरकारी तिब्बी कालेज कदम कुआं, पटना	40	40	40
4.	सरकारी यूनानी कालेज, बंगलौर	15	6	9
5.	एस. एच. यूनानी तिब्बिया कालेज, बरहानपुर	25	शून्य	25
6.	सरकारी यूनानी कालेज, मद्रास	15	शून्य	14 (79-80)
7.	ए. के. इस्लाम तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल	50	45	50
8.	राजपूताना यूनानी तिब्बी कालेज. जयपुर	50	अज्ञात	अज्ञात
9.	तकमील उल तिब कालेज, लखनऊ	40	42	32
10.	यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	40	शून्य	शून्य
11.	ए० के० तिब्बिया कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	50	51	55
12.	ए. एण्ड यू. तिब्बिया कालेज, करोलबाग, नई दिल्ली	30	30	शून्य
13.	हमदर्द तिब्बिया कालेज, दिल्ली	20	20	शून्य

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में महिला फिजिशियनों का स्थानान्तरण करके उनको दिल्ली भेजना

9407. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**

श्री के० लक्कप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में महिला होम्योपैथिक फिजीशियनों को पिछले कुछ वर्षों में अपने पतियों/माता पिता के साथ रह पाने की दृष्टि से विभिन्न नगरों से दिल्ली स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिला आयुर्वेदिक फिजीशियनों से इसी आधार पर दिल्ली अथवा किसी अन्य नगर में, जहां उनके माता पिता/पति रहते हों; स्थानान्तरण करने के लिए प्राप्त अनुरोध तथा इस तथ्य के बावजूद उनके मन्त्रालय के पास लम्बित पड़े हैं कि इस विषय में मार्गदर्शी निदेश विद्यमान हैं; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और आदेश कब तक जारी किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) 1978 से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के विभिन्न संगठनों से पांच महिला होम्योपैथी चिकित्सक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली में स्थानान्तरित की गई हैं।

(ख) चार महिला आयुर्वेद चिकित्सकों के आवेदन इस समय पेंडिंग हैं जिनमें उन्होंने वर्तमान कार्य-स्थलों से स्थानान्तरण के लिए अनुरोध किया है।

(ग) इन आवेदनों पर तभी विचार किया जाता है जब वांछित स्थानों पर पद रिक्त हों और जो लोग स्थानान्तरण चाहते हैं उनके स्थान पर तैनाती हेतु एवजी चिकित्सक उपलब्ध हों।

छठी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं के बारे में सरकार की नीति

9408. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में स्वास्थ्य योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या रहेगी; और

(ख) 'स्वास्थ्य' शीर्ष के अन्तर्गत किन क्षेत्रों पर खर्च किया जायेगा और इसके लिए क्या मानदंड अपनाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) यह नीति इस प्रकार है :—

(1) शहरों पर आधारित इलाज प्रधान सेवाओं और चिकित्सा की अतिविशिष्टताओं को विकसित करते रहने के बजाय गांवों की स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने पर जोर दिया जायेगा।

(2) ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या के आधारभूत ढांचे को और सुदृढ़ किया जायेगा।

(3) चिकित्सा की मूल विशिष्टताओं की सुविधाएं ब्लाक स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में दी जायेंगी।

(4) अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करने के लिये शिक्षा, जलपूर्ति और सफाई, संचारी रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, पोषण और स्कूल स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों में उचित प्रकार से समन्वय स्थापित किया जायेगा।

(5) काफी संख्या में मेडिकल और पैरा मेडिकल व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयुक्त ढँग से ग्राम स्वास्थ्य परिचर्या के अनुकूल बनाया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य के अन्तर्गत जिन-जिन क्षेत्रों पर व्यय किया जायेगा, वे इस प्रकार हैं :—

(1) ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं सुलभ कराने की पद्धति के विकास हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम।

(2) संचारी रोगों की रोकथाम।

(3) अस्पताल और औषधालय।

(4) चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण।

(5) परम्परागत चिकित्सा पद्धतियां और होम्योपैथी।

(6) औषध मानक नियंत्रण, खाद्य अपमिश्रण निवारण, स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य आसूचना, आदि जैसे अन्य कार्यक्रम।

इन क्षेत्रों पर होने वाले व्यय का मानदण्ड उपर्युक्त (क) में बतायी गयी नीतियों और प्रक्रिया के अनुसार तय किया जायेगा।

डीजल/इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण

9409. **श्री मूल चंद डागा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगत की कोठी (जोधपुर डिवीजन) में कुछ डीजल/इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) क्या उन प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को 3 से 28 फरवरी, 1981 तक लोको रनिंग स्टाफ की हड़ताल की अवधि में रोजगार भी दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उन प्रशिक्षित शिक्षुओं को रोजगार देने के बजाय अब बाहर के अन्य व्यक्तियों के नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनको रोजगार कब तक दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फालना रेलवे स्टेशन

9410. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद-दिल्ली मेन रेलवे लाइन की फालना रेलवे स्टेशन पर बहुत सी गाड़ियां रुकती हैं परन्तु वहां कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) वहां पर रेलगाड़ियों से प्रतिदिन औसतन कितने यात्री उतरने-चढ़ते हैं और वहां उनके लिये द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी के कितने प्रतीक्षालय तथा विश्रामगृह उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या वहां प्लेटफार्म पर शैड का निर्माण किया गया है यदि नहीं, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) फालना रेलवे स्टेशन पर पांच जोड़ी गाड़ियां रुकती हैं । इस स्टेशन पर जाने वाले और आने वाले यात्रियों की दैनिक औसत संख्या क्रमशः 1100 और 900 है । एक प्रतीक्षालय, एक प्रतीक्षा कक्ष और प्लेटफार्म पर 2712 वर्ग फीट के एक सायवान की व्यवस्था की गयी है । एक विश्राम गृह का भी निर्माण किया जा रहा है । यातायात के वर्तमान स्तर के लिए स्टेशन पर उपलब्ध सुविधायें पर्याप्त समझी गयी हैं ।

नेपाल को दी गई सहायता

9411. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ौसी देश नेपाल को आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों संबंधी विभिन्न परियोजनाओं के लिए गत तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार कितनी राशि की सहायता दी गई; और उसमें से वस्तुतः कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) नेपाल को ताप बिजलीघरों की स्थापना के लिए कितनी राशि की सहायता दी गई तथा उनसे कितना लाभ हुआ ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "नेपाल को सहायता" शीर्षक के अन्तर्गत बजेट में निर्धारित राशि (पुनरीक्षित प्राक्कलन) और वर्ष की नयी वास्तविक राशि का परियोजनावार विवरण संलग्न है ।

(ख) ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए नेपाल को कोई सहायता नहीं दी गयी है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन को सहायता (संशोधित आंकड़े) शीर्षक के अन्तर्गत बजट में निर्धारित राशि इस प्रकार थी :—

1978–79	रु० 10,00,43,000
1979–80	रु० 14,48.00,000
1980–81	रु० 14,21.40,000

विभिन्न योजनाओं पर वास्तविक खर्च इस प्रकार था :—

क्रम सं०	योजना का नाम	वास्तविक खर्च (रुपयों में)		
		1978–79	1979–80	1980–81
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	पाटन औद्योगिक इस्टेट चरण/-	10,52,000	1,40,000	[अनुमानित]*
2.	आयोडीनयुक्त लवण की सप्लाई	11,71,848	20,00,000	10,00,000
3.	तकनीकी सहायता	5,63,400	24,46,435	35,00,000
4.	पूर्व-पश्चिम राज मार्ग (पूर्वी क्षेत्र) मध्य क्षेत्र)	5,96,38,178	6,36,56,392	4,82,58,200
5.	दलालघाट घानकुट रोड (हवाई सर्वेक्षण)	—	5,00,000	7,00,000
6.	कोसी क्षेत्र मार्ग (सुधार)	8,90,433	—	34,00,000
7.	त्रिसाली पनबिजली परियोजना	3,31,147	—	29,700

* वर्ष 1980-81 के व्यय के वास्तविक आंकड़े अगस्त/सितम्बर 1981 में उपलब्ध होने की संभावना है, अतः अनुमानित खर्च के आंकड़े दिए गए हैं।

1	2	3	4	5
8.	चक्रा नहर	26,06,451	3,67,700	8,29,000
0.	बेनीघाट पनबिजली परियोजना	1,63,03,743	6,40,10,000	5,15,00,000
10.	परोपकार प्रसूति गृह का विस्तार	—	9,66,000	7,99,000
11.	कागज एवं लुगदी यूनिट के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण	—	15,00,000	—
12.	रेल-संपर्क के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण	—	2,00,000	—
13.	सीमेंट संयत्र के लिए व्यवहार्यता सर्वेक्षण	—	5,00,000	—
14.	विविध	4,72,424	18,364	9,72,800
	कुल :	8.31,29,623	13,63,04,800	11,10,58,700

अनुसूचित जातियों के लोगों को बुक स्टाल

9412. **श्री काजी सलीम :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मई, 1975 से 31 मार्च, 1977 और 1 अप्रैल, 1977 से 31 दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के लोगों, अन्धे, बहरे, गूंगे, विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा बेरोजगार स्नातकों और सामान्य जनता के लोगों के कितने बुक स्टाल आवंटित किये गये हैं तथा व्यक्तियों की संख्या व रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वर्तमान योजना के अनुसार रेलो पर बुक स्टालों के सभी भावी आवंटन केवल वास्तविक कर्मचारियों की सहकारी समितियों/रेलों पर मौजूदा बुक स्टाल ठेकेदारों के वेण्डरों, 18 से 30 वर्ष तक के आयु वर्ग के बीच बेरोजगार स्नातकों की सहकारी समितियों/साझेदारियों/संगठनों और व्यक्तिगत रूप से बेरोजगार स्नातकों, भले ही वे किसी भी धर्म या जाति के हों, के लिए आरक्षित हैं। 1.5.75 से 31.5.77 तक 34 बुक स्टाल और 1.4.77 से 31.12.80 तक 52 बुक स्टाल 98 बेरोजगार स्नातकों को, जैसे कि नीचे दिया गया है, आवंटित किये गये थे –

रेलवे	स्टेशनों की संख्या	बुक स्टाल	बेरोजगार स्नातकों की संख्या
म. रे.	17	17	17
पू. रे.	12	12	17
उ. रे.	15	15	17
पूर्वी. रे.	16	16	16
पू. सो. रे.	1	1	1
द. रे.	7	7	12
द. प. रे.	14	14	14
पू. रे.	4	4	4
जोड़	86	86	98

दक्षिण-पूर्व और पूर्वी रेलवे में अध्यापकों की संख्या

9413. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे के विभिन्न स्कूलों में काम करने वाले सभी श्रेणियों के अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है, उनमें से कितने अध्यापकों को सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है और उसका आधार क्या है;

(ख) क्या प्रत्येक ग्रेड में सिलेक्शन ग्रेड पाने वाले अध्यापकों की संख्या 20 प्रतिशत है; और

(ग) यदि नहीं, तो सिलेक्शन ग्रेड में रिक्त स्थान न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)

रेलवे	अध्यापकों की कुल संख्या	प्रवरण ग्रेड दिए जाने वाले अध्यापकों की संख्या
दक्षिण-पूर्व	1207	224
पूर्व	492	97

रेलवे स्कूलों में अध्यापकों को तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रवरण ग्रेड दिया गया है।

(ख) प्रवरण ग्रेड के स्वीकृत पदों की संख्या संवर्ग का 20 प्रतिशत है।

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे पर आरक्षित समुदाय में अध्यापक उपबन्ध न होने के कारण प्रवरण ग्रेड के तीन पदों को भरा नहीं जा सका और 14 पदों को इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि एक अदालती मामले में स्थगन आदेश दे दिया गया था। अब अदालती मामला निपटा लिया गया है और इस वजह से खाली पड़े पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व रेलवे पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित प्रवरण ग्रेड के दो पदों को इसलिए नहीं भरा जा सका क्योंकि उक्त समुदाय के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे।

शिप-बिल्डिंग यार्डों का आधुनिकीकरण

9414. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिप बिल्डिंग यार्डों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु उनका आधुनिकीकरण करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री गीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार ने 55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से हिन्दुस्तान शिपयार्ड का विकास/आधुनिकीकरण करने का निर्णय किया है। परियोजना का निर्माण काल लगभग 5 वर्ष है और 3 'पायनीयर' क्लास जहाजों (या सम-तुल्य टनभार) की मौजूदा वार्षिक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 6-1/2 से सात जहाजों (या समतुल्य टनभार) को करने का आशय है। परियोजना में प्रि-फैब्रीकेशन क्षेत्र, इंजिन एसेम्बली शाप्स का निर्माण करने, और कई अन्य जहाजों में आवश्यक मशीनरी और उपकरणों में आशोधन करने, ट्रांसपोर्टेशन और सामान उतारने-चढ़ाने वाली मशीनें लगाने, एक मौजूदा घाट के स्थान पर निर्माण गोदी और दो अन्य मौजूदाघाटों के सिरों पर गेट आदि बनाने का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी अधिकारी

9415. हरिनाथ मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियन्त्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है;

(ख) क्या उसका ओहदा एवं अधिकार 15 से 20 वर्षों के बीच कुष्ठरोग के पूर्ण उन्मूलन को प्राप्त करने के उत्तरदायित्व के अनुकूल हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का उपयुक्त अधिकारी का चुनाव करने और कार्यक्रम को तेजी से एवं प्रभावी निष्पादन के लिये उसके हाथ सुदृढ़ करने के लिये आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालत में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित अपने-अपने यहां कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी के पद पर जिस-जिस अधिकारी को नियुक्त किया है उसका एक विवरण संलग्न है।

(ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2476/81)

इस विवरण में यह भी बताया गया है कि क्या उसका यह ओहदा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के उत्तरदायित्व के लिए उचित और अनुरूप समझा जाता है या नहीं।

(ग) और (घ) राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अधिकारी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहित कुष्ठ रोग संबंधी समस्त कार्यक्रमों को चला रहे हैं तथा उन कार्यक्रमों को भी देख रहे हैं जिनके लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपने संसाधनों/योजनेत्तर निधियों से धन की व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में इस रोग के प्रकोप को देखते हुए निम्नलिखित राज्यों में राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी का ओहदा और अधिकार बढ़ाना/एक अलग से पद बनाना आवश्यक समझा जाता है : —

1. आन्ध्र प्रदेश,
2. बिहार,
3. गुजरात,
4. कर्नाटक,
5. पंजाब,
6. राजस्थान,
7. त्रिपुरा,
8. पश्चिम बंगाल।

14 मई, 1980 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सूचित किए गये छठी पंचवर्षीय योजना संबंधी राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम के पैटर्न के अनुसार राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि "इस कार्यक्रम के सुपरवीजन को मजबूत बनाया जाए और राज्य स्तर पर एक उपयुक्त राज्य कुष्ठ रोग अधिकारी जो कम से कम उपनिदेशक के रैंक का हो, नियुक्त किया जाए।"

इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ पैरवी की जा रही है।

विभागीय पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की संख्या

9416. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विभागीय पदोन्नतियां दी गईं और उनमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या श्रेणी 1 के लिये विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य भी हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में नियुक्तियों के बारे में निर्धारित नीति का पालन नहीं किया जाता और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनको नियमों का उल्लंघन करके इन पदों पर नियुक्त किया जाता है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जिन विभिन्न वर्गों में आरक्षण है, उनमें दी गई विभागीय पदोन्नतियों की संख्या, और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या, नीचे लिखे अनुसार है :

वर्ग	पिछले तीन वर्षों के दौरान पदोन्नतियों की संख्या (1978-80)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति की संख्या (1978-1980)
वर्ग घ	39	7
वर्ग ग	349	39
वर्ग ख	353	38
वर्ग क	66	12

(ख) वर्ग 'क' की विभागीय पदोन्नति समिति में (जो पहले श्रेणी थी) एक अनुसूचित जाति का सदस्य शामिल है।

(ग) जी, नहीं। विदेशों में कार्य करने के लिए तैनाती में वस्तुपरक मानदण्ड विशिष्ट पदों की अपेक्षाओं; चयनित कार्मिकों की अर्हताओं; संवर्ग स्थिति; और तैनाती की बारी के सिद्धान्त को पूरी तरह ध्यान में रखा जाता है।

बंगलादेश में हिन्दुओं की दशा

9417. **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री सुभाष यादव : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी खबरें मिली हैं कि बंगलादेश में गैर मुस्लिमों को भारत जाना इतनी आम बात हो गयी है कि उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है;

(ख) क्या नेहरू लियाकत करार 1980 के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा जिम्मेदारी सम्बद्ध सरकार पर है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने बंगलादेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बंगलादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके कल्याण का ध्यान रखना बंगलादेश सरकार के आन्तरिक अधिकार क्षेत्र में है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल सम्पर्क विहीन जिले

9418. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : विभिन्न राज्यों में उन जिलों के क्या नाम हैं जो रेल लाइनों से जुड़े हुए नहीं हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत के जिले जिनमें रेल सम्पर्क नहीं है।

हिमाचल प्रदेश :

चम्बा, लाहोल, स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, महास, बिलासपुर, सिरमुर और ऊना (9 जिले)

जम्मू और काश्मीर :

ऊधमपुर, अनन्तनाग, रियासी, मीरपुर, पुंछ, बारामुला, लद्दाख, गिलगिट वजरत, गिलास, ट्राइबल टेरीटरी, गिलगिट, श्रीनगर, राजौरी और डोडा (14 जिले)

कर्नाटक :

नार्थ कनारा, कुर्ग (2 जिले)

केरल :

अलेप्पी (1 जिला)

मध्य प्रदेश :

धार, छत्तरपुर, पन्ना और सिद्धी (4 जिले)

महाराष्ट्र :

रत्नगिरि और भीर (2 जिले)

मणिपुर :

सदर हिल, मणिपुर सैन्ट्रल, मणिपुर वैस्ट, मणिपुर ईस्ट और मणिपुर साउथ (5 जिले)

मेघालय :

गारोहिल्स और शिलांग (2 जिले)

नागालैंड :

कोहिमा, मोकोकचुंग और तेनजांग (3 जिले)

उड़ीसा :

बुद्ध खोण्डमाल्स (1 जिला)

राजस्थान :

बांसवाड़ा (1 जिला)

त्रिपुरा :

नार्थ त्रिपुरा, वैस्ट त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा (3 जिले)

उत्तर प्रदेश :

उत्तर काशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल तथा हमीरपुर (6 जिले)

अरुणाचल प्रदेश :

कामेंग, सुबनसिरी, सियांग और लोहित (4 जिले)

मिजोरम :

ऐजल (1 जिला)

पांडिचेरी :

यनम (1 जिला)

सिक्किम :

ईस्ट सिक्किम, नार्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम और वैस्ट सिक्किम (4 जिले)

लखनऊ कानपुर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी शुरू करना

9419. श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस में भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस लाइन पर एक और एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल मार्ग पर नई गाड़ी कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस का इन्जन बदलना

9420. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस में और अधिक बोगियां जोड़ने के लिए समय-समय पर मांग की जाती रही है परन्तु इस गाड़ी के वर्तमान इन्जन में इस समय इससे जुड़ी बोगियों से ज्यादा बोगियां खींचने की क्षमता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस इन्जन को बदलने का है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) लम्बी दूरी की भीड़-भाड़ वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का डीजलीकरण अनिवार्य माल यातायात की निकासी के लिए प्रारम्भिक रूप से अपेक्षित डीजल रेल इन्जनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, एक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है। ज्यों ही मीटर लाइन के अतिरिक्त डीजल रेल इन्जन उपलब्ध हो जायेंगे, इसी प्रकार की अन्य मांगों के साथ-साथ 7/8 नैनीताल एक्सप्रेस में डीजल रेल इन्जन लगाने के बारे में विचार किया जायेगा।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ कस्बों में आरक्षण व्यवस्था

9421. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस में सड़क एवं रेल आरक्षण के लिये अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ कस्बों में व्यवस्था करने हेतु कोई प्रस्ताव मंत्रालय को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अलमोड़ा में यात्रियों की थ्रू बुकिंग के लिए एजेन्सी चलाने के लिए न तो वर्तमान आउट एजेन्ट, मैसर्स कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लि० राजी है और न उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम इसे चलाने को तैयार हैं। जहां तक यात्री यातायात के लिए पिथौरागढ़ आउट एजेन्सी के कार्य का सम्बन्ध है, इस कार्य को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से पत्र व्यवहार किया गया है और यह मामला अभी तक उनके विचाराधीन है।

खाड़ी के देशों के साथ अमरीका की गुप्त संधि

9422. **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अमरीका तथा खाड़ी के बड़े देशों ने हाल ही में आपस में रक्षा तथा सहायता सम्बन्धी करार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) यद्यपि सरकार को इस आशय की रिपोर्टों की जानकारी है कि अमरीका और खाड़ी के बड़े देशों के बीच हाल ही में एक सुरक्षा संधि हुई है। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे इन रिपोर्टों की पुष्टि की जा सके।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों के साथ भारत का रक्षा समझौता

9423. **श्री नवीन रवाणी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1 फरवरी, 1980 से 31 मार्च 1981 के दौरन कुछ देशों के साथ कोई पारस्परिक रक्षा समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और उनका क्या परिणाम निकला; और

(घ) कुछ पड़ौसी देशों के साथ 1981 और 1982 के दौरान ऐसा समझौता करने के लिये क्या-क्या योजनाएं और कार्यक्रम हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार पड़ोसी देशों के साथ सभी क्षेत्रों में मित्रता और पारस्परिक लाभप्रद सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयत्न करती रही है और इस क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण की हमेशा समीक्षा करती रहती है।

भुसावल सेक्शन पर वैगनों की कमी

9424. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के भुसावल सेक्शन पर वैगनों की कमी है;

(ख) मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से केले की ढुलाई के लिये कितने वैगनों की आवश्यकता है;

(ग) उक्त प्रयोजन के लिये कितने वैगन उपलब्ध हैं;

(घ) क्या मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक ने हाल ही में इस बारे में केला उत्पादकों के साथ विचार विमर्श के लिये एक बैठक बुलाई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र से केलों के परिवहन के लिए माल डिब्बों की सप्लाई करने की मांगों का पंजीकरण होने पर, इन मांगों की पूर्ति के लिए माल डिब्बों की सप्लाई करने की व्यवस्था की जाती है। जून, 1980 से 16 अप्रैल, 1981 तक, केले के कुल 21,088 माल डिब्बे सप्लाई किये गये और लादे गये।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्री

9425. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से अनधिकृत यात्री बीच के स्टेशनों से अधिकांशत: आरक्षित डिब्बों में यात्रा करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पहले दर्जे के गलियारेदार यानों और शयन यानों में तैनात कर्मचारियों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे अनधिकृत यात्रियों को अपने यानों में न घुसने दें। किन्तु कभी-कभी उनके लिए ऐसे यात्रियों को रोकने में कठिनाई होती है। रेलवे के मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में चल टिकट परीक्षकों, रेल सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस कर्मचारियों को तैनात करके तीव्र, अचानक और घात लगाकर जांच की जाती है और नियमों के अनुसार इन यानों में यात्रा करने वाले अनधिकृत यात्रियों से निपटा जाता है। कर्मचारियों के जान बूझकर लापरवाही करने के मामलों में गम्भीरतापूर्ण विचार किया जाता है और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

खाद्य पदार्थों में विटामिन "ए" मिलाकर उसे पौष्टिक बनाना

9426. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में यह बात लायी गयी है कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किये गये अनुसंधान के अनुसार विटामिन "ए" कैंसर का प्रतिरोध करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बहुत से उत्पादों अथवा खाद्य पदार्थों में विटामिन "ए" मिलाकर उन्हें पौष्टिक बनाने का कार्यक्रम आरम्भ करेगी; और

(ग) क्या सरकार इस उपमिश्रण निवारक अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना को वापस लेगी ताकि वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति में विटामिन "ए" मिलाने की छूट जारी रहे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) लोगों में कैंसर रोग की प्रवणता बढ़ाने में विटामिन "ए" की कमी का हाथ होता है, यह बात अभी सिद्ध होनी है ।

(ख) उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले बहुत से उत्पादों अथवा खाद्य पदार्थों में विटामिन "ए" मिलाकर उन्हें पौष्टिक बनाने का कार्यक्रम आरम्भ करने का अभी उपयुक्त समय नहीं है ।

(ग) वनस्पति निर्माताओं को वनस्पति में विटामिन 'ए' के मिलाने की छूट देने के लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में कुछ संशोधन करने का विचार था । यह अधिसूचना लोगों के विचार आमंत्रित करने के लिये ही जारी की गयी थी । इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

30 प्रतिशत गाड़ी नियन्त्रकों का तदर्थ आधार पर होना

9427. **श्री कमला मिश्र मधुकर :**

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक गाड़ी नियन्त्रक कार्यालय में केवल 30 प्रतिशत गाड़ी नियन्त्रक नियमित हैं तथा 30 प्रतिशत तदर्थ आधार पर और शेष 40 प्रतिशत असन्तुष्ट हैं क्योंकि वे गत 16 वर्षों से 470-750 रु० के वेतनमान में काम कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय

9428. **श्री रामचन्द्र रथ** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 331 भारतीय पाकिस्तान की जेलों में बन्द हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) हमारी अद्यतन सूचना के अनुसार, ऐसा विश्वास किया जाता है कि 300 से भी अधिक भारतीय राष्ट्रिक पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में निरुद्ध हैं।

(ख) और (ग) सरकार उनकी रिहाई और भारत प्रत्यावर्तन के सवाल को राजनयिक माध्यमों से और उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भी पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाती रही है। इस दिशा में सरकार के प्रयत्न जारी हैं।

आनुवंशिक दोषों के साथ पैदा हुए बच्चे

9429. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष 15 लाख बच्चे आनुवंशिक दोषों के साथ पैदा होते है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जन्मजात दोषों वाले कितने बच्चे हर वर्ष पैदा होते हैं, उनकी सही संख्या मालूम नहीं है। वैसे, विशेष अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि हर वर्ष लगभग 8.6 लाख बच्चे जन्मजात विकार वाले पैदा होते हैं।

(ख) जन्मजात दोषों के कारणों की पूरी जानकारी नहीं है। देश में ऐसे 77 केन्द्र हैं जहां इस समय आनुवंशिक विकारों के एकाधिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इनके अलावा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में चार केन्द्रों में बुद्धि मन्दता के जन्मजात कारणों का पता लगाने, उनका निवारण करने और उन्हें ठीक करने सम्बन्धी बहु-केन्द्रिक अध्ययन शुरू किये गये हैं। इन केन्द्रों के नाम हैं—(1) किंग जार्ज मेडिकल कालेज लखनऊ, (2) प्रजनन अनुसंधान संस्थान बम्बई, (3) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और (4) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका शल्य चिकित्सा संस्थान, बंगलौर। वाडिया अस्पताल बम्बई में भी आनुवंशिकी सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

कनिष्ठ डाक्टरों के साथ समझौता

9430. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पिछले सितम्बर, के दौरान दिल्ली के डाक्टरों के साथ सरकार के समझौते के एक पक्षीय क्रियान्वयन की ओर दिलाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की फेडरेशन ने अपने 6 अप्रैल, 1981 के पत्र में सूचित किया कि इसके घटकों ने पहली सितम्बर, 1980 को सरकार के साथ हुए समझौते की विभिन्न शर्तों को 26 मार्च, 1981 से एक तरफा लागू करना आरम्भ कर दिया है। फेडरेशन ने सूचित किया था कि रेजीडेन्ट डाक्टरों ने 9 अप्रैल, 1981, से प्रयोगशाला परीक्षण बन्द करने के साथ-साथ सप्ताह में 48 घंटों से अधिक काम न करने का निर्णय लिया है।

(ख) स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय पर समुचित आवश्यक उपाय करेगी। साथ ही यथा-आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।

फिलारियासिस रोग को रोकने के उपाय

9431. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिवर्ष "फिलारियासिस" से कितने लोग रोगग्रस्त होते है; और

(ख) इस रोग की रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके लक्षण कई वर्षों तक बने रहते हैं और इसलिए प्रत्येक वर्ष के निश्चित आंकड़े नहीं दिए जा सकते। फिर भी, नियमित अन्तरालों पर संकलित की गई सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	प्रसिद्ध स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या	रोगी	संक्रमण
		(आंकड़े करोड़ों में)	
1953	2.500	पता नहीं	पता नहीं
1962	6.424	.44	.53
1970	13.630	.80	1.13
1978	23.613	1.40	1.80

(ख) फाइलेरिया के प्रकोप की रोकथाम करने के लिए देश में 1955 से राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्रों में आवर्ती लार्वारोधी उपाय से तथा संक्रमित रोगियों का पता लगाकर तथा उनका इलाज करके प्रजीवी रोधी उपायों से वेक्टर नियन्त्रण किया जाता है। हर वर्ष इन उपायों को तेज कर दिया जाता है ताकि इस कार्यक्रम को नये-नये इलाकों में चलाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में रोग नियन्त्रण की

जानी-पहचानी विधियों की अनुपस्थिति में तीन जिलों में अर्थात् आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम, गुजरात में बल्सर तथा उत्तर प्रदेश के जोनपुर में 1978 से प्रयोग के आधार पर परियोजनएं चलाई गई हैं। लक्षद्वीप की जनता में डाइथिलकार्बामाजिन साइट्रेट पाउडर मिला आम नमक भी आजमाया गया है और यह प्रयोग पांडिचेरी तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में भी किया जा रहा है।

सचिव (पूर्व) की अमरीका की यात्रा

9432. **श्री माधव राव सिंधिया :**

श्री राम नाथ दुबे :

श्री चित्त बसु : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिव (पूर्व) श्री एरिक गोन्साल्वेज को पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित भारी अमरीकी सैनिक सहायता पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया से अमरीकी प्रशासन को अवगत कराने के लिए वाशिंगटन भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) श्री एरिक गोन्साल्वेज ने परस्पर हित और चिंता के विषयों पर बातचीत करने के लिए हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा की जिसमें पाकिस्तान को संयुक्त राज्य अमरीकी सैनिक सामान की बिक्री और सहायता का प्रश्न भी शामिल था।

(ख) पाकिस्तान को प्रस्तावित सैनिक सामान की बिक्री और सहायता देने के बारे में भारत की चिंता से संयुक्त राज्य अमरीकी प्रशासन को अवगत करा दिया गया था। हम आशा करते हैं कि हमारी इन चिन्ताओं पर यथोचित ध्यान दिया जाएगा।

पाकिस्तान का राष्ट्र मण्डल में प्रवेश

9433. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलैंड तथा अन्य कुछ देशों द्वारा मेलबोर्न में होने वाले विदेश मन्त्रियों के आगामी सम्मेलन में पाकिस्तान को राष्ट्र मंडल में वापस लाने के लिए नये सिरे से प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन के कब होने की सम्भावना है;

(ग) क्या भारत पाकिस्तान को राष्ट्र मंडल में पुनः लाने के इस प्रस्ताव का विरोध करेगा;

(घ) सम्मेलन में और किन-किन विषयों पर चर्चा होने की संभावना है; और

(ङ) क्या भारत इस सम्मेलन में भाग लेगा ?

विदेश मन्त्री (श्री वी० पी० नरसिंह राव) : (क) इस विषय पर राष्ट्र मण्डल के सदस्यों के बीच अनौपचारिक रूप से कुछ बातचीत हुई है ।

(ख) आशा की जाती है कि राष्ट्र मंडल शिखर-सम्मेलन 30 सितम्बर से 7 अक्तूबर, 1981 तक मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया में होगा ।

(ग) पाकिस्तान 1972 में स्वयं अपनी ओर से ही राष्ट्रमंडल से अलग हुआ था । इस समय ऐसी कोई बात नहीं कि भारत सरकार को इस मामले में कोई दृष्टिकोण निश्चित करने की जरूरत हो ।

(घ) शिखर सम्मेलन की कार्यसूची पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ङ.) जी, हां ।

जूनियर डाक्टरों के साथ हस्ताक्षरित समझौते का कार्यान्वयन

9434. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जूनियर डाक्टरों की फेडरेशन ने कुछ समय पूर्व हुए समझौते पर जोर देने के लिए 9 अप्रैल, 1981 से एक आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों के प्रतिनिधियों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच हुए समझौते को कार्यान्वित न करने के मुख्य कारण क्या है; और

(ग) समझौते को कार्यान्वित करने तथा दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की मांगों के बारे में निर्णय करने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) दिल्ली के जूनियर डाक्टरों की फेडरेशन ने अपने 6 अप्रैल, 1981 के पत्र में यह सूचित किया था कि रेजिडेन्ट डाक्टरों ने 1-9-1980 को सरकार के साथ हुए समझौते की विभिन्न शर्तों को 26 मार्च, 1981 से एक तरफा लागू करने का फैसला कर लिया है । इस फेडरेशन ने सूचित किया था कि उसके घटकों ने 9 अप्रैल, 1981 से प्रयोगशाला परीक्षण कार्य बन्द कर देने और एक सप्ताह में 48 घंटे तक काम के घंटों को सीमित करने का एक तरफा निर्णय लिया है ।

(ख) जूनियर डाक्टरों के फेडरेशन के साथ 1-9-1980 को हुए समझौते की शर्तों को लागू कर दिया गया है । जहां तक शोध पत्र लिखने के लिए सहायता देने संबंधी एक मात्र बकाया मांग का संबंध है, समझौते की शर्तों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेन्ट डाक्टरों के मामले में जो भी अंतिम रूप से तय होगा वह दिल्ली में सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों के रेजिडेन्ट डाक्टरों पर भी लागू होगा । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेन्ट डाक्टरों के मामले में बहुत जल्दी कोई निर्णय ले लिए जाने की आशा है ।

पोत वणिकों का ब्याज की कम दर पर ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध

9435. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1981 में पोत-वणिकों (शिपर) ने केन्द्रीय सरकार से ब्याज की कम दर पर ऋण देकर और पंद्रह से सत्रह वर्षों की अवधि में उसके लौटाने की अनुमति देकर उन्हें नौवहन विकास के लिए यथासम्भव अधिकतम प्रयास करने का अवसर देने का अनुरोध किया था;

(ख) क्या उन्होंने सम्मेलन में सुझाव दिया था कि जहाजों के अर्जन व निपटान की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाये ताकि जहाज मालिक टन भार में वृद्धि कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो पोत वणिकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार कहां तक सहमत हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क), (ख) और (ग) जहाजों की खरीद करने के लिए ब्याज पर ऋण जहाज-मालिकों को दिए जाते हैं, न कि जहाज-व्यापारियों को। इसी प्रकार, सम्मेलनों के सदस्य जहाज-मालिक हैं, न कि जहाज-व्यापारी । इसलिए, जहाज व्यापारियों द्वारा ऋणों के लिए सरकार से अनुरोध करने या सम्मेलन में कोई सुझाव देने का प्रश्न ही नहीं होता।

बी० बी० सी० द्वारा भारत के बारे में गलत बयानी

9436. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बी० बी० सी० द्वारा हाल ही में अपने समाचार बुलेटिन में प्रस्तुत भारत के चित्र में अधिकतर व्यापक असंतोष, नेत्रहीन लोगों और तम्बाकू श्रमिकों की दुर्दशा, बम्बई में हारिर्जन्टल ट्रेड "भारत की अपराधों भरी राजधानी" जैसे चित्र पेश किये गए हैं और उस प्रस्तुतीकरण में संतुलन व औचित्य का बिलकुल अभाव है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार की गलत ब्यानी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत की घटनाओं को तोड़मरोड़ कर पेश किये जाने तथा बी० बी०सी० द्वारा भारत के खिलाफ अन्धा-धुन्ध शीत युद्ध चलाये रखने के मामलों पर ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव):(क)जी, हां। बी० बी० सी० के एक टैलीवीजन समाचार दल ने, जिसमें श्री माइक ड्यूटफील्ड और डेविड लोमेक्स शामिल थे, बी० बी० सी० के "न्यूज नाइट" कार्यक्रम के लिए भारत से संबंधित 6 समाचार चित्र तैयार किये। ये समाचार चित्र भारत की राजनीति, भारत के अन्धे व्यक्तियों की दशा, बम्बई में, विशेषकर पुलीस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, गोवा में स्वापक पदार्थों का व्यापार और हिप्पी, महाराष्ट्र में किसान

आन्दोलन और कर्नाटक में तम्बाकू श्रमिकों की दशा विषयों पर थे। इन समाचार चित्रों को टैलीवीजन पर अपने संक्षिप्त प्रसारणों में दिखाने के अलावा बी० बी० सी० ने इन सभी चित्रों को मिलाकर एक 60 मिनट का "न्यूज नाइट" कार्यक्रम तैयार किया और उसे 4 अप्रैल, 1981 को बी० बी० सी० चैनल 2 पर प्रसारित किया। इन लघु समाचार चित्रों को मिलाकर 60 मिनट की फिल्म बनाना और उसे वस्तुतः भारत पर एक वृत चित्र के रूप में दिखाना बी० बी० सी० द्वारा भारत सरकार को दिये गये वचन और आश्वासन के विपरीत था।

(ख) से (घ) लन्दन स्थित हमारे हाई कमिश्नर ने बी० बी० सी० द्वारा भारत को इस प्रकार गलत ढंग से प्रस्तुत किए जाने पर बी० बी०सी० प्राधिकारियों को भारत की कड़ी आपत्ति और चिंता से अवगत कराया। बी० बी० सी० के आवासी प्रतिनिधि से भी सम्पर्क किया गया था और उसे इस सम्बन्ध में भारत की निराशा और आपत्तियों की सूचना दी गई। बी० बी० सी० प्राधिकारियों ने इस प्रसारण पर खेद व्यक्त किया है और भारत को विश्वास दिलाया है कि यह प्रसारण बी० बी० सी० प्रोड्यूसर और कमन्टेटर की वास्तविक गलतफहमी के कारण हुआ था। लन्दन स्थित भारत के हाई कमिश्नर से कहा गया है कि यह भविष्य में भारत के संबंध में बी० बी० सी० के टैलीवीजन और रेडियो प्रसारणों का सावधानी से अनुभवण करे जिससे यथा संभव यह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्रिटिश प्रचार माध्यमों में भारत को वास्तविक रूप में दिखाया गया है।

ब्रिटेन का अमरीका को खाड़ी हेतु द्रुत विस्तार बल के सम्बन्ध में समर्थन

9437. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 अप्रैल, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में यू० एस०, गल्फ नेशन्स साईन सीक्रेट पैक्ट्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अमरीका को खाड़ी के लिए द्रुत विस्तार बल (रैपिड डेपलायमेंट फोर्स) का गठन करने की अपनी योजनाओं के लिए ब्रिटेन के समर्थन का उस समय आश्वासन मिला बताते हैं, जब ब्रिटेन की प्रधान मंत्री ने गत माह वाशिंगटन की यात्रा की थी;

(ग) क्या खाड़ी में अमरीका के सैनिकों की स्थायी मौजूदगी से भारत की सुरक्षा को लगातार खतरा बना हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय सैनिक शक्ति संतुलन में नाटकीय परिवर्तन से संबंधित इस पहलू पर ब्रिटेन की प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान बातचीत की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) यूनाइटेड किंगडम की प्रधान मंत्री श्रीमती मार्ग्रेट थैचर ने 15 से 18 अप्रैल, 1981 तक भारत की यात्रा की। हमारी प्रधान मंत्री के साथ अपनी बातचीत में श्रीमती थैचर ने संयुक्त

राज्य अमरीका के नये प्रशासन के नेताओं के साथ अपनी बातचीत के संकेत दिये। अपनी बातचीत के दौरान श्रीमती थैचर ने स्पष्ट किया कि संयुक्त राज्य अमरीका ने खाड़ी के देशों में द्रुत विस्तार बल की जो योजना बनायी है उसमें ब्रिटेन संतुलित योगदान देगा लेकिन यह भी बताया कि द्रुत विस्तार बल खाड़ी क्षेत्र के अथवा अन्य देशों के अनुरोध करने पर ही भेजा जायेगा।

(ग) खाड़ी के देशों में विस्तार बल की तैनाती का इस समय केवल प्रस्ताव ही है। खाड़ी के कुछ देश अपने क्षेत्रों में विदेशी सेनाओं की उपस्थिति के विरुद्ध हैं।

(घ) और (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से संबद्ध बातचीत में इन पहलुओं पर संक्षिप्त रूप से विचार किया गया था और दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की।

सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस

9438. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के सरकारी अस्पतालों में नान-प्रैक्टिसिंग भत्ते का भुगतान करने के बावजूद सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी प्रैक्टिस निर्बाध रूप से जारी है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1981 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली में, प्राइवेट प्रैक्टिस बाई गवर्नमेंट डाक्टर्स शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) राजधानी में सरकारी डाक्टरों द्वारा इस प्रकार के किए जा रहे कदाचार को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (घ) जिस प्रकार की शिकायत का उल्लेख समाचार में किया गया है, किसी चिकित्सक के खिलाफ वैसी शिकायत मिलने पर उसकी जांच की जाएगी और दोषी डाक्टरों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

अन्धापन रोकने के लिए की गई कार्यवाही

9439. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अन्धे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) पूर्व रूप से अन्धे व्यक्तियों की संख्या कितनी है और ऐसे अन्धे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो शल्य चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं; और

(ग) दृष्टि की क्षति रोकने और अन्धेपन के निमंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रन्जन लास्कर) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना के अनुसार पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्तियों की कितनी संख्या है इसका अभी हिसाब लगाया जा रहा है। पिछली जनगणना में इलाज साध्य दृष्टिहीनता वाले व्यक्तियों के अर्थात जिनकी आंखों की रोशनी आपरेशन से लौटाई जा सकती थी, आंकड़े संकलित नहीं किए जा सके थे किन्तु पहले के एक अनुमान के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 50 लाख है।

(ग) दृष्टिहीनता नियत्रंण का राष्ट्रीय कार्यक्रम सरकार ने 1976-77 से चला रखा है। इस संबंध में एक 20 वर्षीय योजना बनायी गई है जो चरणबार सारे देश में चलाई जाएगी। इसके अन्तर्गत आंखों की देख-रेख उनके इलाज, रोग के निवारण, सम्बर्द्धन और पुनर्वास संबंधी सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था होगी। इसकी कार्य योजना इस प्रकार है :–

(1) जन संचार और विस्तार शिक्षा के तरीकों के जरिए आंखों के स्वास्थ्य सम्बन्धी शैक्षिक प्रयासों को तेज किया जायेगा।

(2) विशाल मोबाइल नेत्र एककों की व्यवस्था करके नेत्र ज्योति को बहाल करने, आंखों को छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने, नेत्र परिचर्या का विस्तार करने और नेत्र रोगों को रोकने के अभिप्राय से नेत्र सेवाओं का सृजन किया जायेगा।

(3) विभिन्न स्तरों पर सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के अभिन्न अंग के रूप में नेत्र स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधाएं दी जाएंगी।

विद्युतीकरण के लिए यातायात घनत्व संबंधी आवश्यकता

9440. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री विद्युतचालित गाड़ियों के बारे में 26 मार्च, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सेक्शन में विद्युतीकरण के लिए कितने यातायात घनत्व की आवश्यकता होती है;

(ख) भारतीय रेलवे के विभिन्न सेक्शनों का विद्युतीकरण किए जाने से पहले उनका यातायात घनत्व कितना था;

(ग) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-खुर्दा रोड़ सेक्शन, खुर्दा रोड़ वाल्टेयर सेक्शन तथा खुर्दा रोड़-पुरी सेक्शन का यातायात घनत्व कितना है;

(घ) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-खुर्दा रोड़ सेक्शन, खुर्दा रोड-वाल्टेयर सेक्शन और खुर्दा रोड-पुरी सेक्शन के विद्युतीकरण की अनुमानित लागत क्या है और इसमें से प्रत्येक सेक्शन का किस वर्ष तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख) एक खण्ड का न्यूनतम यातायात घनत्व, जिस पर कि विद्युत कर्षण डीजल कर्षण की तुलना में किफायती पाया गया है, विद्युतीकरण और डीजलीकरण की लागत के निवेश के आधार पर, भिन्न हो सकता है। न्यूनतम यातायात घनत्व में परिवर्तन के फलस्वरूप यह लागतें वर्षानुवर्ष परिवर्तित होती रहती हैं।

उस समय की प्रचलित कीमतों पर 1963 में किए गए अध्ययन से पता चला था कि न्यूनतम यातायात घनत्व खण्ड में व्याप्त रुख के आधार पर 26.90 लाख ट्रेलिंग टन कि० मी० से 11.90 लाख ट्रेलिंग टन कि० मी० के बीच घटता-बढ़ता रहा है।

1980 में प्रचलित कीमतों के आधार पर यह देखा गया था कि मोटे तौर पर 220 लाख सकल टन कि० मी० प्रति रेल कि० मी० प्रति वर्ष से अधिक यातायात घनत्व में बिजली कर्षण डीजल कर्षण से अधिक किफायती था। जितना अधिक यातायात घनत्व होगा विद्युतीकरण आर्थिक दृष्टि से उतना ही अधिक वांछनीय होगा।

निवेश की लागत तथा यातायात घनत्व के आधार पर, विद्युतीकरण करने से पहले, विगत में प्रत्येक मार्ग की विद्युतीकरण परियोजना और उसकी व्यवहार्यता के सम्बन्ध में पूरी तरह से मूल्यांकन किया गया था।

(ग) और (घ) 1979-80 में विभिन्न खंडों पर व्याप्त यातायात घनत्व तथा विद्युतीकरण की लागत (1980 की कीमतों के आधार पर) नीचे दर्शायी गयी है :—

खण्ड	यातायात घनत्व (दस लाख सकल मी. टन कि. मी./प्रति मार्ग कि. मी./प्रति वर्ष	लागत करोड़ रुपयों में	वर्ष, जब खण्ड का विद्युतीकरण शुरू किया जाएगा
1. खड़गपुर–खुर्दा रोड	14.6	55.08	घन की उपलब्धता के आधार
2. खुर्दा रोड– बहरामपुर	10.5	68.20	पर, इन खंडों में विद्युतीकरण का काम 7वीं योजना में शुरू किया जाएगा, जब कि यातायात घनत्व भी बढ़ जाने की आशा है।
3. बेहरामपुर–वाल्तेरु	14.0		
4. खुर्दा रोड–पुरी	4.8	5.23	कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वर्तमान में यातायात घनत्व बहुत कम है।

नोट–भारतीय रेलों पर विद्युतीकरण और डीजलीकरण का अध्ययन, रेल मंत्रालय, 1963.

वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य

9441. श्री चिन्तामणि जेना :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अप्रैल, 1981 के दैनिक 'नेशनल हेरल्ड' में "हैल्थ फार आल बाई ईथर 2000 (वर्ष 2000" तक सभी के लिए स्वास्थ्य) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को संवत 2000 तक सफल बनाने के लिए देश में संघ सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) देश में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र की सरकारों के अन्तर्गत कार्य कर रहे सभी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा यूनानी डाक्टरों तथा जनसंख्या का वर्तमान अनुपात क्या है; और

(घ) संवत 2000 तक प्रति डाक्टर जनसंख्या अनुपात क्या होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने एक भावी योजना बनाई है जिसमें क्रमागत पंचवर्षीय योजनाओं के जरिये निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की बात निहित है :—

(1) एक-एक हजार ग्रामीण जनसंख्या/प्रत्येक गांव के लिए एक जनस्वास्थ्य रक्षक और एक प्रशिक्षित दाई की व्यवस्था।

(2) पांच-पांच हजार की आबादी के पीछे एक-एक उप-केन्द्र खोलना, जिसमें एक पुरुष और एक महिला बहु-उद्देशीय कार्यकर्ता होंगे। आदिवासी/पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उप-केन्द्र के मान-दण्ड के अन्तर्गत तीन-तीन हजार की आबादी के लिए एक-एक उप-केन्द्र होगा।

(3) सारे ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें सहायक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जायेगा और अन्ततोगत्वा उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिधित किया जाएगा जिससे मैदानी इलाकों में तीस-तीस हजार की आबादी के लिए आदिवासी/पर्वतीय क्षेत्रों में बीस-बीस हजार की आबादी के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति चरणबद्ध रूप से की जायेगी।

(4) वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 30-30 पलंगों वाले ग्राम अस्पतालों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में चरणबद्ध रूप से परिणत किया जायेगा।

(5) मलेरिया/टी० बी० और कुष्ठ में उन्मूलन/नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमों को तेज करना तथा

(6) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य और प्रतिरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर अधिकाधिक जोर देना ।

(ग) दो विवरण संलग्न हैं जिनमें विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी के चिकित्सकों के बारे में डाक्टर और आबादी के बीच अनुपात दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल. टी.-2477/81]

(घ) स्वास्थ्य परिचर्या सेवा पद्धति की वर्तमान व्यवस्था को देखते हुए डाक्टर और जनसंख्या का अनुपात स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का वास्तविक सूचक नहीं माना जा सकता । इसलिए सन् 2000 ई० तक डाक्टर और जनसंख्या के बीच अनुपात के सम्बन्ध में किसी उद्देश्य की परिकल्पना नहीं की गई है ।

'मुगल लाइन्स' नौवहन कम्पनी का 'नूरजहां' नामक जलपोत

9442. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स नौवहन कम्पनी ने 'नूरजहां' नामक अपना जलपोत कब खरीदा था और किस कीमत पर खरीदा था तथा जलपोत की खरीद से आज तक इसकी मरम्मतों पर कुल कितना व्यय किया गया है;

(ख) जलपोत की खरीद से लेकर यह मरम्मतों के लिए कुल कितने वर्ष गोदी में रहा इसकी खरीद से इसने कितने समुद्री मील की यात्रा की है और इसकी खरीद से लेकर अब तक कम्पनी ने भाड़े के रूप में कितनी वसूली की है;

(ग) क्या इस जलपोत के खरीद सौदे के बारे में कोई जाँच की गई थी;

(घ) क्या प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उस पर क्या कार्यवाही की गयी और क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) मुगल लाइन के स्वामित्व में जहाज 'नूरजहां' नवम्बर, 1975 में खरीदा गया था । इसकी लागत 350.57 लाख रुपये है । इसकी खरीद से 31-3-81 तक इसकी मरम्मत पर किया गया व्यय 201.21 लाख रु० है ।

(ख) इसकी खरीद से जहाज 277 दिन तक मरम्मत के लिए गोदी में खड़ा रहा तथा

दिसम्बर, 1980 तक इसने कुल 2,84,034 समुद्री मील की यात्रा की। इसकी खरीद से 31.3.81 तक कम्पनी द्वारा भाड़े और यात्रा की वसूली 1641.88 लाख रुपये थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

मुगल लाईन्स का जहाजों की संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम

9443. **श्री बापू साहिब पारुलेकर :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या मुगल लाइन्स ने छठी पंचवर्षीय योजना हेतु अपने जहाजों की संख्या में वृद्धि करने के कार्यक्रम में बम्बई तथा गोआ के बीच, और मंगलौर तक अपनी सेवा बढ़ाने की संभाव्यता सहित, रो-रो सेवा चालू करने का प्रस्ताव किया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नये जहाजों की उक्त सेवा का उपयोग बम्बई तथा गोआ के बीच तटवर्ती क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है और क्या रतनगिरि जिले में गोआ के बीच स्थित पत्तनों को यह सेवा लाभ पहुंचायेगी;

(ग) क्या मुगल लाइन्स का विचार तटवर्ती तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को सेवित करने के लिए जहाज खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस कम्पनी ने अधिकृत पूंजी बढ़ाने हेतु अनुमति मांगी है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री गोरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) रो-रो सेवा चालू करने का प्रस्ताव मुगल लाइन लिमिटेड के पास है। और निगम अभी इस पर विचार कर रहा है।

(ग) और (घ) मुगल लाइन लिमिटेड ने तटवर्ती और उसके समीपवर्ती इलाकों में व्यापार की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कुछ खुले जहाजों की खरीद करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) जी, हां।

(च) अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

स्वास्थ्य आयोजना की अपर्याप्तता के विरुद्ध छात्रों द्वारा गिरफ्तारियां दिया जाना

9444. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लोगों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं की पूर्ति में स्वास्थ्य आयोजना की अपर्याप्तता के विरुद्ध छात्रों द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस पर विरोध दिवस के रूप में दी गई गिरफ्तारियों के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी आयोजना अपर्याप्त नहीं है । एक व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार करके उसे छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल कर दिया गया है । छठी योजना की अवधि में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए योजना व्यवस्था इस प्रकार है :—

	(रुपये करोड़ों में)
केन्द्रीय स्वास्थ्य क्षेत्र	601.00
राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र	1220.05
उप जोड़	1821.05
परिवार कल्याण	1010.00
जोड़	2831.05

छठी योजना अवधि में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए जो कुल धनराशि रखी गयी है वह पांचवीं योजना अवधि 1974-79 में रखी गयी कुल धनराशि से 140 प्रतिशत अधिक है ।

अनारक्षित डिब्बे

9445 : **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी गाड़ियों में विशेषकर बम्बई तथा दिल्ली स्टेशनों पर अनारक्षित डिब्बों में अवांछित तत्वों द्वारा रुपये ऐंठे जाते हैं और एक वर्थ अथवा सीट के लिए अवैध धन लिया जाता है; और

(ख) सरकार का विचार लम्बे समय से विद्यमान इस गिरोह को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं । इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) कदाचार में लिप्त असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए सतर्कता, रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा विशेष जांचों का आयोजन किया जाता है । जनवरी से मार्च 1981 तक की अवधि के दौरान बम्बई और दिल्ली में की गयी ऐसी जांचों के परिणाम-स्वरूप बाहर के 390 व्यक्तियों पर या तो मुकदमा चलाया गया था या उन पर आरोप लगाया गया

था और 58 रेलवे भारिकों को उनके लाइसेंसों को रद्द और निलम्बित करके दंडित किया गया था।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना

9446. **श्री चिंगवांग कोनयक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में विश्व स्वास्थ्य दिवस के समारोहों में व्यापक रूप से व्यक्त किए गए इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के लाभ गंदी बस्तियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों तक नहीं पहुंचे; हैं और

(ख) सरकार का गांवों में रहने वाले लाखों लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संचार रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन तथा जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य सेवाओं एवं परिवार नियोजन की व्यवस्था करने के लिए स्वास्थ्य संगठन का विस्तार करने के काम को उच्च प्राथमिकता दी है। इसके लिए, सरकार ने एक भावी योजना बनाई है, ताकि उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजना में निम्निलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके :—

(1) गांवों में हर एक हजार आबादी/हर गांव के लिए एक-एक जन स्वास्थ्य रक्षक और एक-एक प्रशिक्षित दाई।

(2) हर 5,000 की आबादी के लिए एक-एक उप-केन्द्र जिसमें एक-एक पुरुष और एक-एक महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता होंगे। आदिवासी/पहाड़ी इलाकों में हर 3,000 की आबादी के लिए एक उपकेन्द्र खोलना।

(3) सभी ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें पहले सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्ततः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना ताकि मैदानी इलाकों में हर 30,000 की आबादी के लिए तथा आदिवासी/पहाड़ी इलाकों में हर 20,000 की आबादी के लिए एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो सके। इस उद्देश्य को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।

(4) वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चरणबद्ध रूप में दर्जा बढ़ाकर उन्हें 30-30 पलंगों वाले ग्रामीण अस्पताल (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाना।

(5) मलेरिया क्षयरोग और कुष्ठ रोग के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों को तेज करना, तथा

(6) जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य देखरेख एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रमों पर और अधिक बल देना।

भान्दुप रेलवे स्टेशन के बाहर पट्टे पर दी गयी रेलवे भूमि

9447. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में भान्दुप रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन दुकानों के कारण स्टेशन के बाहर भीड़ के समय दैनिक यात्रियों के गुजरने के लिये पर्याप्त जगह नहीं बचती; और

(ग) रेलवे का यात्रियों के आने जाने को सुगम बनाने के लिए स्टेशन के बाहर अधिक खुला स्थान रखने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। 1974 और 1977 के वर्षों में भाण्डुप स्टेशन के बहार (पश्चिमी दिशा में) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टे पर दी गयी थी।

(ख) जी, नहीं। ये दुकानें परिचालन क्षेत्र से काफी बहुत दूर हैं और उनसे दैनिक यात्रियों को किसी प्रकार की रुकावट नहीं पड़ती।

(ग) दैनिक यात्रियों के लिए स्टेशन के बाहर अधिक खुला स्थान रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

न्यूयार्क में अन्तराष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के अधीन पड़े हुए लेपरोस्कोप्स का दान

9448. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के अधीन तीन वर्ष पूर्व भारत को दान दिये गये 400 लेपरोस्कोप्स न्यूयार्क में बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता को स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या लेपरोस्कोप्स का सुरक्षित, सरल और शीघ्र महिला बन्ध्यकरण के लिये हाल में विकास हुआ है और इसका पश्चिम में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है;

(घ) क्या इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की परिवार नियोजन समिति ने बम्बई में लेपरोस्कोपिक बन्ध्यकरण शिविर आयोजित किया था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से दान में मिले 400 लेपरोस्कोप्स न्यूयार्क में बेकार पड़े हुए हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। तथापि, स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विद्या की अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा हेतु जॉन हापकिन्स प्रोग्राम (जे० एच० पी० आई० जी० ओ०) के सहयोग

से यह विभाग देश के तीन केन्द्रों में मेडिकल कालेजों की टीमों को लेपरोस्कोपिक विधि का प्रशिक्षण लेने का कार्यक्रम चलाता आ रहा है। ये केन्द्र नई दिल्ली, बड़ोदा और बम्बई में स्थित हैं। इस प्रबन्ध में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रशिक्षणार्थियों को लेपरोस्कोपिक उपकरण सप्लाई करने की बात निहित है । इसके लिए जे० एच० पी० आई० ई० जी० ओ० ने लेपरोस्कोपिक उपकरणों के 50 सेट सप्लाई किये हैं। अब तक 32 दलों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । विभिन्न केन्द्रों को अब तक इन उपकरणों के 28 सेट बांटे जा चुके हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षणार्थियों को उपकरण बांटने का काम चल रहा है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) लेपरोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन पश्चिमी देशों और भारत सहित कुछेक विकासशील देशों में भी लगभग पिछले एक दशक से चल रहा है। औजारों की तकनालोजी और रख-रखाव की बेहतर सुविधाओं के विकास तथा पश्चिमी देशों में इनके फालतू पुर्जों की उपलब्धता के फलस्वरूप महिला नसबंदी की इस विधि का काफी प्रयोग किया जा रहा है, किन्तु ऐसी बात नहीं है कि "मिनिलेपरोटोमी" जैसी अन्य विधियों का प्रयोग न किया जा रहा हो। मिनिलेपरोटोमी की विधि भी महिलाओं के नसबन्दी आपरेशन के लिए उतनी ही निरापद, सरल और तुरन्त विधि है जितनी कि अन्य विधियां। भारत में चिकित्सा व्यवसाइयों द्वारा इसका व्यापक प्रयोग किया जा रहा है और इसके लिए देश में ही बने हुए शल्य क्रिया के उपकरणों की जरूरत होती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अभी तक जटिलताओं अथवा अप्रिय घटनाओं की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

बूचड़खानों द्वारा बालकराम हस्पताल के पास कचरे का फेंका जाना

9449. **श्री निहाल सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के तिमारपुर क्षेत्र में लगभग 30 हजार सरकारी क्वार्टर तथा निजी मकान हैं और बूचड़खानों का कचरा बालकराम अस्पताल के पास फेंका जाता है, जिसके फलस्वरूप हजारों गिद्ध तथा चीलें इस पर मंडराती रहती हैं और मांस के टुकड़े घरों में डाल जाती हैं, जिससे हर समय गन्दी बदबू आती रहती है; और

(ख) इस क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा वहां पर मांस के कचरे के फेंके जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तिमारपुर क्षेत्र में अनेक सरकारी क्वार्टर तथा निजी मकान हैं । बालक राम अस्पताल के आस-पास गहरे गड्ढे हैं जो पत्थरों के निकाले जाने के फलस्वरूप बन गए थे। इन गड्ढों में मच्छर पैदा हो जाते हैं। इस स्थान पर तिमारपुर सहित उत्तरी दिल्ली क्षेत्र का

मलबा और बूचड़खाने का कचरा फैंका जाता है। यहां इस मलवे का निपटान कंट्रोल डिंपिंग सेनिटरी लैण्ड फिल तरीके से किया जाता है। इस तरीके के अन्तर्गत कचरे को मलवे (बिल्डिंग रबिश) से ढक दिया जाता है और अन्त में इस पर गीली मिट्टी डाल दी जाती है यह सही है। कि कूड़ा कचरा फैंकने का यह स्थान गिद्धों और चीलों को आकृष्ट करता है।

(ख) इस इलाके की पर्यावणिक दशा में सुधार लाने के लिए दिल्ली नगर निगम ने यथेष्ट प्रबन्ध किए हैं। जिसके लिए उसने कीटनाशी दवाइयों का खुलकर उपयोग किया है और इस इलाके को एक हरा-भरा बनाने के लिए बागवानी कार्य शुरू किए हैं ताकि गड्ढों को कचरे से भरने संबंधी कार्यों के परिणामस्वरूप इस इलाके के निवासियों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े।

कोसी नदी पर पुल

9450. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री दरभंगा-समस्तीपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में 2 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6187 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी नदी पर रेल पुल के कौन से तीन वैकल्पिक स्थान हैं और उनमें से प्रत्येक पर कितना खर्च होगा;

(ख) क्या पहले निरमली और थिरबरीथा को जोड़ने वाली एक रेल लाइन थी जिसका न होना दरभंगा और सहरसा के दो मण्डलीय मुख्यालयों, सम्पूर्ण कोसी डिवीजन को इसमें विश्व-विद्यालय मुख्यालय और निरमली सहित कई प्रखण्डों और बाजारों को उनके सब डिवीजनल और जिला मुख्यालयों से अलग करता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोसी नदी पर रेल—सह–सड़क पुल के निर्माण का विचार है?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जैसा कि 1977 की परियोजना रिपोर्ट में विचार किया गया है, कोसी नदी पर पुल निर्माण के लिए; तीन सम्भावित विकल्प आगे दिये गये हैं। उनमें से प्रत्येक के सामने तत्कालीन अनुमानित लागत और होने वाला प्रतिफल भी दिखाया गया है :—

क्रम सं०	विकल्प का विवरण	पुल की लागत (करोड़ रुपयों में)	डी. सी. एफ. पद्धति द्वारा प्रतिफल
1.	2	3	4
1.	एक स्वतन्त्र रेल पुल	28.97	1.27 प्रतिशत
2.	लेटरल सड़क परियोजना के साथ-साथ एक सड़क–एवं–रेल पुल :—		

1	2	3	4
	(1) लेटरल सड़क परियोजना का हिस्सा	16.16	0.94 प्रतिशत
	(2) रेलवे का हिस्सा	32.80	
	(3) प्रस्तावित डगमारा बांध के साथ-साथ एक बांध-एवं-सड़क रेल पुल.	43.26 लाख (बांध में रेलवे का हिस्सा)	4.56 प्रतिशत

(ख) जी हां, निर्मली और सरायगढ़ (भपतियाही) के बीच ।

(ग) सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण, जो कि पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं तथा परियोजना की अलाभप्रद किस्म के कारण इस पर बेहतर समय आने पर ही विचारा किया जायेगा ।

कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर के लिए घाट

9451. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सुपर टैंकरों के कितने घाट हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोचीन पत्तन में सुपर टैंकर घाट की स्वीकृति दी थी और इसके लिए कार्य भी शुरू हुआ था परन्तु पिछली सरकार ने उसे समाप्त कर दिया; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोचीन पत्तन पर उसकी व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) भारतीय पत्तनों पर फिलहाल ऐसे बर्थ मौजूद नहीं है जहां पर बहुत बड़े तेल-वाहक जहाज आ-जा सकें । हां, काण्डला से परे वाडिनार में जो एकमात्र बोया मूरिंग है, वहां पर बड़े आकार के तेल-वाहक जहाज आ-जा सकते हैं ।

(ख) बहुत बड़े आकार के तेल-वाहक जहाजों के आने-जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टि से कोचीन में एक सुपर टैंकर आयल टर्मिनल स्थापित करने संबंधी परियोजना को स्वीकृति देने के लिए एक प्रस्ताव आया था । चूंकि, यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं था, इसलिए अप्रैल, 1978 में इस प्रस्ताव पर विचार करना छोड़ दिया गया ।

(ग) जुलाई, 1980 में, सरकार ने कोचीन पत्तन पर पी० ओ० एल० तथा उर्वरकों की ढुलाई के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए 31.16 करोड़ रु० अनुमानित लागत की एक योजना मंजूर की । इस परियोजना में एक तेल बर्थ और एक उर्वरक बर्थ का निर्माण करना

तथा अनकुलम को चौड़ा करना शामिल है। हालांकि, प्रस्तावित तेल बर्थ पर बहुत बड़े आकार का तेल वाहक जहाज (1,50,000 डी० डब्ल्यू० टी० से ऊपर का जहाज) नहीं आ-जा सकेगा। लेकिन इसका डिजाइन इस प्रकार से तैयार किया जायगा कि बन जाने के बाद इस तेल बर्थ पर 1,15,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाज आसानी से आ-जा सकें।

शालीमार बाग के ब्लाक-बी तथा केन्द्रीय सचिवालय के बीच सीधी बस सेवा

9452. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** शालीमार बाग के ब्लाक बी से केन्द्रीय सचिवालय तक दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा के सम्बन्ध में 27 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1922 को दिए उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने शालीमार बाग के ब्लाक-बी (पानी की टंकी) नई दिल्ली और केन्द्रीय सचिवालय के बीच रोजाना यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यातायात की मांग से शालीमार बाग के ब्लाक "बी" से केन्द्रीय सचिवालय तक सीधी बस सेवा का औचित्य है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब शुरू किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 20.4.1981 को सर्वेक्षण किया गया तथा शालीमार बाग के रूट सं० 160 के चार बस स्टापों पर प्रातः 06.37 से 11.30 बजे जो कि प्रातः भीड़-भाड़ का समय है यातायात की स्थिति की जांच के बाद यह पाया गया कि सभी स्टापों पर यात्रियों को बसों में जगह मिल जाती है और मौजूदा सेवाएं पर्याप्त हैं।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

(घ) से (ङ) चूंकि रूट सं० 160 शालीमार बाग ब्लाक-बी तथा रीगल के लिए केन्द्रीय सचिवालय काम्पलैक्स से होकर जाती है अतः यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि शालीमार बाग से केन्द्रीय सचिवालय के लिए और सेवा चलाई जाय।

रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के आश्रितों से प्राप्त दावों के लिए आवेदन

9453. **श्री अजय विश्वास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलों में जनवरी, 1980 से रेल दुर्घटनाओं के शिकार लोगों के आश्रितों से दावों के रूप में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने मामलों को निपटाया गया है; और

(ग) कितने मामलों को निपटाया नहीं गया है और तत्संबंधी कारण क्या है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जनवरी, 1980 से 31.3.81 तक की अवधि के बीच रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों से 98 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से 20 मामले निपटा लिये गये हैं। 78 मामले अभी भी तदर्थ दावा आयुक्तों/पदेन दावा आयुक्तों की अदालतों में निपटान के लिए पड़े हैं।

अजमेर-चित्तौड़ और रतलाम रेलवे लाइन पश्चिम रेलवे में अतिरिक्त तीव्र रेलगाड़ी का चलाया जाना

9454. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में अजमेर-चित्तौड़ और रतलाम रेलवे लाइन पर भारी यातायात है और इस समय वर्तमान रेलवे और सड़क परिवहन की सुविधायें इस यातायास को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या इस रेलवे लाइन पर एक अतिरिक्त तीव्र रेलगाड़ी चलाने की मांग लम्बे अर्से से की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) यातायात सम्बन्धी औचित्य की कमी के अतिरिक्त अजमेर–चित्तौड़गढ़–रतलाम खंड में अतिरिक्त गाड़ी चलाना इस खंड में लाइन क्षमता की तंगी के कारण परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

शाजापुर और मक्सी के रास्ते से होकर उज्जैन और भोपाल के बीच तेज रेलगाड़ी का चलाया जाना

9455. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या शाजापुर और मक्सी के रास्ते से होकर उज्जैन और भोपाल के बीच एक तेज रेलगाड़ी चलाने के लिए कोई मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस रेलवे लाइन पर इस समय कितनी तीव्र और पेसेंजर रेलगाड़ियां चल रही हैं; और

(ग) यात्रियों की सुविधा के लिये तीव्र रेलगाड़ियां उपलब्ध कराने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शाजापुर मक्सी के रास्ते उज्जैन और भोपाल के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं चलती। शाजापुर के रास्ते उज्जैन और भोपाल के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना न तो यातायात के दृष्टिकोण से औचित्यपूर्ण समझा जाता है और न ही यह वांछनीय है क्योंकि यह एक चक्कदार मार्ग है। थोड़े से यात्री जो सीधी यात्रा करना चाहते हों, मक्सी या बीना में सम्बद्ध गाड़ियों से गाड़ी बदल सकते हैं।

कोचीन बन्दरगाह के निकट विवादग्रस्त भूमि

9456. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन बन्दरगाह-स्थल के निकट भूमि के उद्धार के बारे में केरल सरकार तथा कोचीन बन्दरगाह अधिकारियों के बीच कोई विवाद लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या रुख है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) भूमि के उद्धार के बारे में उत्पन्न विवाद उस सामान्य विवाद का ही एक अंग है जो पश्च जल-क्षेत्रों और पत्तन क्षेत्र में साफ की गई भूमि के स्वामित्व के बारे में कोचीन पत्तन के अधिकारियों और केरल सरकार के बीच चल रहा है। मामले को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अब, यह फैसला किया गया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के नुमाइन्दे आपस में मिल बैठकर परस्पर बातचीत करके विवाद को हल करें।

माल/पार्सलों की ढुलाई सम्बन्धी ठेके

9457. **श्री रुद्र प्रताप षाडंगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे स्टेशनों पर माल/पार्सलों की ढुलाई सम्बन्धी ठेके प्रदान करने हेतु नियमों और नीति निर्णय का कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान माल/पार्सलों के लिए दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है और ये ठेके किन-किन लोगों को दिए गए तथा किन प्राधिकारियों ने इनकी स्वीकृति प्रदान की ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

गत दो वर्षों अर्थात् 1979-80 के दौरान दिये जाने वाले माल/पार्सलों के ठेकों का विवरण, उन पार्टियों के नाम जिन्हें ठेके आवंटित किये गये और ठेकों की मंजूरी देने वाले प्राधिकारी

संख्या	ठेके का नाम	पार्टी का नाम	मंजूरी देने वाला प्राधिकारी
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद में पार्सल सम्भलायी ठेके ।	मै० रेलवे सहकारी श्रम सविदा समिति लि०, टुंडला।	मंडल रेल प्रबन्धक इलाहाबाद
2.	मिर्जापुर में पार्सल सम्भलायी ठेके ।	मै० गौरसर सरपती सहकारी श्रम संविदा समिति, मिर्जापुर ।	,,
3.	कानपुर में पार्सल सम्भलायी ठेके।	मै० आदर्श रेल श्रमिक सहकारी श्रम संविदा समिति, कानपुर ।	,,
4.	टुंटला में पार्सल सम्भलायी ठेके ।	मै० रेलवे सहकारी श्रम संविदा समिति लि०, टुंडला ।	,,
5.	अलीगढ़ में पार्सल सम्भलायी ठेके ।	मै० रेलवे पार्सल एण्ड गुड्स पोर्टस कोप० लेबर कांट्रेक्ट सोसाइटी लि०, अलीगढ़ ।	,,
6.	फिरोजाबाद और मैनपुरी सम्भलायी ठेके ।	रेलवे सहकारी श्रम संविदा समिति लि० टुंडला ।	,,
7.	हाथरस में पार्सल सम्भलायी ठेके ।	,, ,, ,,	,,
8.	चुनार में माल सम्भलायी ठेके ।	रेलवे पार्सल एंड गुड्स पोर्टस कोप० सोसाइटी लि०, अलीगढ़ ।	,,

1	2	3	4
9.	नैनी में माल सम्भलायी ठेके ।	रेलवे साइकिल स्टैंड कर्मचारी सहकारी संविदा समिति लि० इलाहाबाद ।	म० रे० प्र० इलाहाबाद
10.	इलाहाबाद में माल सम्भलायी ठेके ।	,, ,, ,,	,,
11.	जुहू (टी० पी० टी०) में माल सम्भलायी ठेके ।	मैं० जनता लेबर कोआ० सोसाइटी लि०, कानपुर ।	,,
12.	कानपुर में माल सम्भलायी ठेके ।	,, ,, ,,	,,
13.	कूपरगंज कानपुर में माल सम्भलायी ठेके ।	,, ,, ,,	,,
14.	अलीगढ़ में माल सम्भलायी ठेके ।	मैं० रेलवे सहकारी श्रम सविदा समिति लि०, टुंडला	,,
15.	टुंडला में माल सम्भलायी ठेके ।	,, ,, ,,	,,
16.	खुर्जा और हाथरस में माल सम्भलायी ठेके ।	,, ,, ,,	,,
17.	मैं० हाथरस किला, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद और इटावा ।	,, ,, ,,	,,

अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष समिति की बैठक

9458. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत अप्रैल के दौरान चार सदस्यीय गुट-निरपेक्ष शांति समिति की बैठक अल्जीयर्स में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो ईरान-इराक विवाद हल करने में कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां । इराक-ईरान संघर्ष के बारे में गुट-निरपेक्ष देशों की मंत्री स्तरीय समिति की बैठक 19 अप्रैल, 1981 को अल्जीयर्स में हुई ।

(ख) इस समिति ने हाल की घटनाओं पर और खासतौर से इराक और ईरान की अपनी यात्रा के बाद की घटनाओं पर गौर किया । सम्भावना है कि यह समिति निकट भविष्य में दोनों देशों की पुनः यात्रा करेगी ।

नेपाल में भारत मूल के लोगों के साथ भेदभाव

9459. **श्री सत्येन्द्र नाथ सिन्हा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत मूल के लोगों का जिनकी नेपाल में 40 प्रतिशत जनसंख्या है, के साथ नौकरी, शिक्षा, व्यापार आदि में भेदभाव बरता जा रहा है;

(ख) क्या भारत सरकार को मालूम है कि उनमें से अधिकांश लोगों को नागरिकता प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव नेपाल सरकार के साथ इन मामलों के उठाने का है ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) 1971 की जनगणना के अनुसार नेपाल में भारतीय मूल के व्यक्तियों की संख्या 32,66,298 थी । जिन लोगों को नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किये गए हैं उनकी अद्यातन अनुमानित संख्या लगभग 24 लाख है ।

भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों ने नेपाल की नागरिकता प्राप्त कर ली है, उन्हें नेपाल के संविधान के प्रावधानों के अनुसार अधिकार तथा उन्मुक्तियां प्राप्त हैं । जिन लोगों को नेपाल की नागरिकता नहीं दी गई है, उन पर अन्य विदेशियों की तरह प्रतिबन्ध लागू हैं । ऐसे लोगों में भारतीय भी शामिल हैं ।

(ग) नेपाल की सरकार ने भारत सरकार को बार-बार यह आश्वासन दिया है कि नेपाल में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के साथ हमारे व्यवहार के बारे में चिन्ता की कोई आवश्यकता नहीं है । इस मामले में भारत सरकार नेपाल की सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए है ।

नियन्त्रक के बिना चल रही गाड़ियां

9460. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलों के स्टेशन मास्टरों ने 10 अप्रैल, 1981 से रेल

टेलीफोनों का बहिष्कार कर रखा है और सभी गाड़ियां बिना नियन्त्रण चल रही हैं जिनके कारण गाड़ियों के चलने में अनेक अनियमितायें हुई है, अधिकांश गाड़ियां देर से चल रही हैं, और गम्भीर दुर्घटनायें होने की भी आशंका है और यदि हां, तो गाड़ियों को उचित ढंग से तथा नियंत्रणाधीन चलाने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ख) स्टेशन मास्टरों ने किन कारणों से कंट्रोल टेलीफोनों का बहिष्कार किया है और उनकी मांगें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

आल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, जो कि एक गैर मान्यता प्राप्त संस्था है, ने 10-4-81 से 24 घंटे के लिए कंट्रोल फोन का बहिष्कार करने की गैर कानूनी कार्रवाई इस आधार पर की कि उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों पर प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया गया था । इस एसोसिएशन ने एक 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्टेशन मास्टरों के ग्रेडों का संशोधन, पदों के वितरण प्रतिशत में समानता, पदोन्नति और सेवा शर्तों के समान अवसर, छुट्टी एवजियों की व्यवस्था, वर्दियों की सप्लाई आदि जैसे मामले शामिल थे ।

सरकार की नीति के अनुसार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर्मचारी अभ्यावेदनों पर समुचित विचार किया जाता है और यथा अपेक्षित कार्रवाई की जाती है । आल इण्डिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की मांगों पर भी सरकार की इस नीति के अनुसार वित्तीय तथा प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए विचार किया गया है और मांगों के गुणावगुण के आधार पर समुचित कार्रवाई की गई है ।

सरकार ने स्टेशन मास्टरों द्वारा की गयी गैर-कानूनी कार्रवाई से निपटने के लिए सभी उपयुक्त कदम उठाये जिसके परिणामस्वरूप इस आन्दोलन का गाड़ी सेवाओं के चालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

कुशवाह क्षेत्रीय महासभा के लिए पास जारी किया जाना

9461. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्तर के पंजीकृत सामाजिक संगठनों के कर्मचारियों को पास जारी किए जाते हैं परन्तु उनके मन्त्रालय की सलाहकार समिति में की गई संसद सदस्यों की सिफारिशों के बावजूद कुशवाह क्षेत्रीय महासभा, डूंडवारा (एटा) उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को न तो पास जारी किए गए हैं और न ही उन्हें पास जारी किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त संगठन को पास जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गैर रेल कर्मचारियों/संगठनों को मानार्थ पास, ऐसे पासों को जारी करने के लिए निर्धारित व्यापक मार्ग-निदेशक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री के व्यक्तिगत अनुमोदन से जारी किये जाते हैं। मानार्थ पास जारी करने के लिए अखिल भारतीय कुशवाह महासभा के अनुरोध पर सरकार विचार कर रही है।

प्रदर्शनी-अधिकारी सह-व्यवसाय प्रबन्धक के विरुद्ध दर्ज किये गये धोखाधड़ी के मामले

9462. **डा० वसन्त कुमार यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और/अथवा पुलिस ने रेलवे बोर्ड के प्रदर्शनी-अधिकारी सह-व्यवसाय प्रबन्धक के विरुद्ध धोखाधड़ी के तीन मामले दर्ज किये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है और इस समय वे किस स्थिति में हैं;

(ग) इस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट मिल गई है;

(ङ) यदि हां, तो लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस मामले के शीघ्र निपटाने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सितम्बर, 1979 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के अधीन रेलवे बोर्ड के प्रदर्शनी-अधिकारी एवं व्यवसाय प्रबन्धक के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया था। उन्होंने जून, 1980 में उनके विरुद्ध अपने कब्जे में असंतुलित सम्पत्तियां रखने के लिए उनके विरुद्ध एक और मामला दर्ज किया था। पहले मामले की जांच रिपोर्ट मिल गई है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरे मामले में जांच पड़ताल का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त सितम्बर, 1979 में दिल्ली पुलिस ने उत्पादन-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत उनके विरुद्ध एक और मामला दर्ज किया था। यह मामला न्यायाधीन है। लगाये गये आरोपों सहित, यदि आवश्यक हुई तो प्रत्येक मामले में उनके विरुद्ध कार्रवाई उपयुक्त समय पर की जायेगी।

भारतीय औषध अनुसंधान परिषद तथा इसके स्थायी केन्द्रों के खिलाफ मुकदमें

9463. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औषध अनुसंधान परिषद तथा इसके स्थायी केन्द्रों के खिलाफ इनके कर्मचारियों द्वारा कितने मुकदमें दायर किये गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय औषध अनुसंधान परिषद के खिलाफ दायर किए गए सभी मुकदमें न्यायालय ने इस तकनीकी आधार पर खारिज कर दिए थे कि इसके उप-नियमों के उल्लंघन की न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि भारतीय औषध अनुसंधान परिषद के उप-नियम का कोई सांविधिक महत्व नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय औषध अनुसंधान परिषद के कर्मचारियों के सेवा हितों की रक्षा के लिए भारतीय औषध अनुसंधान परिषद के अधिकारियों द्वारा इसके उप-नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 15.

श्रमिक समस्याओं के कारण चाय की खेपों की जहाजों में लदान में विलम्ब

9464. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्दरगाहों तथा चाय भण्डारों में बार-बार उत्पन्न होने वाली श्रमिक समस्याओं के कारण चाय की खेपों का समय पर जहाजों पर लदान अव्यवस्थित हो गया है और विश्व की मण्डियों में भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता गिर गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का भारतीय निर्यातकों को श्रमिक समस्याओं के कारण विश्व की चाय मण्डियों से लुप्त होने को बचाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : चाय का अधिकांश निर्यात कलकत्ता और कोचीन पत्तनों से होता है। सितम्बर, 1979 से आधी मई 1980 के बीच विभिन्न श्रेणी के पत्तन कर्मचारियों के द्वारा आन्दोलन/काम बन्द करने के कारण कलकत्ता पत्तन पर काम-काज सुचारु रूप से नहीं हुआ जिसके कारण चाय को जहाज पर लादने के काम में रुकावट आई। इस अवधि में चाय का यिर्यात न होने से कलकत्ता पत्तन पर पड़े माल का निपटान करने से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए नौवहन महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यदल संगठित किया गया। तब से कलकत्ता पत्तन पर काम संतोषजनक रीति से चल रहा है और पत्तन के काम में रुकावट के कारण चाय के निर्यात के काम में रुकावट की कोई गंभीर शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

कलकत्ता में चाय के प्रायवेट मालगोदामों के कर्मचारियों और चाय व्यापार निगमों के कर्मचारियों द्वारा भी काम बन्दी की घटनाएं हुई हैं।

कोचीन पत्तन में पत्तन न्यास के माल रखने उठाने वाले कर्मचारियों द्वारा 15-6-1980 से 13-7-1980 के दौरान हड़ताल करने से चाय को जहाजों द्वारा निर्यात करने में रुकावट आई। इसके अतिरिक्त, पत्तन कर्मचारियों ने 8 और 9 जनवरी, 1981 को और 10 मार्च की रात की शिफ्ट से 13 मार्च, 1981 की दिन की शिफ्ट तक भी हड़ताल जारी रखी। निजी रूप से

स्टीवीडोरों/स्टीमर एजेंटों द्वारा नियुक्त किए गए माल उतारने-चढ़ाने वाले मजदूनों ने भी 17-3-1981 से 21-3-1981 तक और फिर 18-4-1981 से 20-4-1981 तक हड़ताल की। इन हड़तालों के कारण भी माल उतारने-चढ़ाने के काम पर असर पड़ा।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, श्रमिक गड़बड़ी के कारण जहाजों में माल लादने के काम में देरी होने की वजह से कुछ ऐसे मौके भी आए जब विदेशी खरीददारों ने भारतीय निर्यातकर्ताओं के पास अपने बकाया ठेकों को रद्द कर दिया। जब भारतीय चाय प्रतिनिधि मंडल विदेशी दौरे पर गया, तब भी बहुत से विदेशी खरीददारों ने भारतीय चाय निर्यातकर्ताओं के असंतोषजनक कार्य पर अपना रोष प्रकट किया।

(ख) जहां तक पत्तन न्यास के प्रत्यक्ष कर्मचारियों द्वारा काम करना बन्द कर देने का प्रश्न है, पत्तन प्रबन्ध विवाद सुलझाने के लिए संघों के साथ बातचीत करता है, ताकि जहां तक संभव हो हड़ताल न होने दी जाए। जहां तक चाय गोदामों के प्राईवेट कार्गो हैंडलिंग कर्मकारों आदि द्वारा काम करना बन्द कर देने का प्रश्न है, पत्तन न्यास विवाद हल करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं।

कलकत्ता में, संबंधित कर्मचारी संघों और टी ट्रेड इन्डस्ट्री के बीच राज्य के श्रम विभाग और टी-बोर्ड की सहायता से काफी समय तक बातचीत हुई जिसके फलस्वरूप मार्च 1981 में एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार भूतपूर्व कलकत्ता टी-वर्कर्ज बोर्ड भंग कर दिया गया है और कर्मचारियों को अलग-अलग टी वेयरहाउसिंग और ब्लैंडिंग कम्पनियों में वैकल्पिक नौकरियां दे दी गई हैं। यह आशा है कि स्थिति सुधर जाएगी।

कुल मिलाकर, भारतीय पत्तनों से 1979-80 की अपेक्षा 1980-81 में चाय का लदान बहुत अधिक मात्रा में हुआ है।

राज्यों को आवंटित धनराशि का उपयोग

9465, **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य केन्द्रीय परिवहन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उनको आवंटित धनराशि निर्धारित समय में नहीं खर्च करने और इस प्रकार वह राशि व्ययगत हो जाती है; और

(ख) यदि हां, तो यह बात सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है कि आवंटित राशि का निर्धारित अवधि में समुचित उपयोग किया जाये ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस तरह की केन्द्रीय परिवहन परियोजनाओं के लिए यह मंत्रालय राज्यों को कोई धन राशि आवंटित नहीं करता परन्तु केन्द्रीय सैक्टर सड़क योजनाओं के लिए जैसे राष्ट्रीय राज मार्गों, सामरिक सड़कों, अन्तर्राज्यीय व आर्थिक महत्व की सड़कों आदि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को धन राशि

आवंटित की जाती है । इन सड़क योजनाओं के सम्बन्ध में अनुभव यह रहा है कि आवंटित धनराशि जारी की गई संस्वीकृति के अनुसार निर्धारित अवधि में ही खर्च की गई और सामान्यता कोई भी धनराशि व्यवगत नहीं होती ।

(ख) प्रश्न नहीं होता ।

रेलवे श्रमिक

9466. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे श्रमिकों को अन्य उद्योगों के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से कम मजूरी दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल कर्मचारियों की परिलब्धियां सरकार द्वारा समय-समय पर गठित वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं और ये केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के पारिश्रमिक के समान होती हैं क्योंकि उन विभागों के कर्मचारियों की परिलब्धियां भी केन्द्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। चूंकि अन्य संगठित क्षेत्रों में भी मजूरी एक समान नहीं होती, इसलिए रेल कर्मचारियों के पारिश्रमिक की तुलना किसी अन्य संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों से करने का प्रयास नहीं किया गया है और न ही सरकार इस प्रकार की तुलना को वैध समझती है ।

विटामिन "ए" का आयात

9467. **श्री० बी० वी० देसाई** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सुझाव दिया है कि चूंकि भंडारण प्रक्रिया में और खाद्य पदार्थ तलते समय वनस्पति का विटामिन "ए" तत्व अधिकांशतः समाप्त हो जाता है। विटामिन "ए" तत्व को आयात करने के लिये 1 करोड़ रुपये की राशि खर्च करना युक्तिसंगत नहीं है;

(ख) क्या विभिन्न समितियों ने सरकार के इस निर्णय को चुनौती दी है और मांग की है कि उसको पुनः चालू किया जाना चाहिये;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यह निर्णय किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस आदेश को वापस लेने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में विशेषज्ञों के एक दल ने यह

सुझाव दिया है कि वनस्पति से विटामिन 'ए' भण्डारण और खाद्य पदार्थ तलते समय अधिकांशत: नष्ट हो जाता है और वनस्पति उद्योग द्वारा वनस्पति में विटामिन 'ए' का उपयोग करने से राष्ट्र का आर्थिक नुकसान होता है। इस दल ने महसूस किया कि विटामिन 'ए' की इस अधिक मात्रा को बचाया जा सकता है और जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों में इसका और अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता है। उनकी इस सिफारिश के आधार पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए नियमों का प्रारूप अधिसूचित किया गया था।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) अनेक संगठनों/व्यक्तियों (जिनमें समितियां भी शामिल हैं) से टिप्पणियां मिल गई हैं और सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले इन पर केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श लेकर विचार किया जाएगा।

मेडिकल छात्रों की नौकरी सुरक्षा, इन्टर्न-शिप छात्रवृत्ति आदि के बारे में मांगें

9468. **श्री के० मालन्ना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मेडिकल छात्रों ने नौकरी सुरक्षा, इन्टर्न-शिप छात्रवृत्ति और सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों के साथ किये गये समझौतों को कार्यान्वित करने की मांगों को लेकर राजधानी में हाल ही में गिरफ्तारियां दी थीं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मेडिकल छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार की उनकी मांगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) हां। जैसा कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने सूचित किया है, 13.3.1981, 7·4.1981, 10.4.81 तथा 16.4.81 को संसद भवन के आस पास दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए 356 चिकित्सा छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।

(ग) अखिल भारतीय चिकित्सा छात्र संघ की मांगें सरकार ने नोट कर ली हैं। इसके अलावा, सभी राज्य सरकारों को भी यथोचित कार्यवाही करने के लिये लिख दिया गया है।

राउरकेला इस्पात संयन्त्र के लिये खराब माल डिब्बे

9469. **श्री राम चंद्र रथ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र को भेजे जाने वाले वैगनों में काफी बड़ी प्रतिशत खराब वैगनों की होती है और इस कारण संयंत्र को भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) माल डिब्बों की मरम्मत उनके खाली रहने पर की जाती है। कच्ची सामग्री के साथ राउर-

केला इस्पात संयंत्र में पहुंचने वाले ऐसे सभी माल डिब्बों को, जिनकी मरम्मत की जानी है, इस्पात संयंत्र के भीतर जाने की अनुमति दे दी जाती है और माल उतारने के बाद उन्हें बाहर लाया जाता है और उनकी मरम्मत की जाती है। अन्य इस्पात संयंत्रों के लिए भी यही सामान्य प्रक्रिया है। यहां तक कि इस स्थिति में, राउरकेला इस्पात संयंत्र से इस्पात उत्पादनों के लदान के लिए माल डिब्बों की उपलब्धता इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं का 1½ से 2 गुणा है। अतः, इस कारण इस्पात संयंत्र को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन शिपयार्ड में निर्मित प्रथम जलयान के लिए खरीदी गई मशीनरी

9470. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन शिपयार्ड द्वारा निर्मित प्रथम जलयान के लिए किन देशों से मशीनरी, आदि खरीदी गई थी और उसका देशवार मूल्य क्या था;

(ख) क्या कोचीन शिपयार्ड ने निर्माणाधीन जलयानों के लिए नई मशीनरी की खरीद के लिए संविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(ग) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुई संविदाओं का, देशवार ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क)

देश का नाम	भारतीय मुद्रा में लगभग मूल्य
यू० के०	821.35
पश्चिम जर्मनी	13.80
पोलेन्ड	0·30
डेनमार्क	7.25
स्वीडन	9.75
जापान	10.15
फ्रांस	0.30
हालैन्ड	11 60
नार्वे	28.30

(ख) और (ग) 002 से 005 तक के जहाजों के लिए विभिन्न देशों से कुछ मशीनरी और उपस्करों की खरीद के लिए आर्डर दिए गये है।

देश का नाम	भारतीय मुद्रा में लगभग मूल्य (लाख रुपये)
यू० के०	303.60
जापान	502.40
पोलैन्ड	833.00
पश्चिम जर्मनी	114.90
यू० एस० ए०	1.11
डैनमर्क	12.20
स्वीडन	25.50
फिनलैन्ड	0.80
हालैन्ड	1.50
नार्वे	3.00
वैल्जियम	5.40
चैकोस्लोवाकिया	79.50

002/003 जहाजों के लिए 9 और मदों के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, शिपयार्ड अधिकारी उनकी समीक्षा कर रहे हैं।

दिल्ली में निजी स्वामित्व वाले "स्टेज कैरिज"

9471. **श्री सतीश प्रसाद सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा 1978 में गठित नियुक्त जांच समिति ने दिल्ली में बस, बस मार्गों पर दिल्ली परिवहन निगम को एकाधिकार/अधिकार देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने जांच समिति की सिफारिशें की थी और दिल्ली परिवहन अधिनियम के अन्तर्गत योजना बनाई थी; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में निजी स्वामित्व वाले "स्टेज कैरिजों" की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने जांच समिति की शिफारिशों पर विचार किया और यह फैसला किया कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम को

चाहिए कि वह अपना प्रस्ताव परिवहन प्राधिकरण को पेश करे जिसमें यह कहा गया है कि ज्यों ही प्राइवेट आपरेटरों को स्टेज कैरिजों के लिए दिए गए मौजूदा परमिटों की अवधि समाप्त हो, तो उसके बाद उनका दुबारा नवीनीकरण न किया जाए। इस कार्य के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है ।

अनुसूचित जातियां उत्थान संघ, विशाखापत्तनम से अभ्यावेदन

9472. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के प्रबन्धकों को पत्तन न्यास के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति के मामले में आरक्षणों को गैर-क्रियान्विति तथा अस्पृश्यता की कथित प्रथा और अन्य रियायतें न दिये जाने के बारे में अनुसूचित जातियां उत्थान संघ, विशाखापत्तनम से अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई जांच की गई थी, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो अभ्यावेदनों का निपटान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास को सितम्बर, 1979 से जून, 1980 तक की अवधि में ऐसे 12 अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) पत्तन न्यास अधिकारियों ने सभी मामलों की जांच करवाई है । यह पता चला कि उनमें कोई तथ्य नहीं था सिवा एक शिकायत के जो कि (संलग्न विवरण के क्रम सं० 4 में आरक्षण की नीति के विरुद्ध इश्तहार बांटे जाने के बारे में है । पत्तन अधिकारियों ने इस मामले में अनुशासनिक कार्रवाई की है ।

(घ) प्रश्न नहीं होता ।

विवरण

अनुसूचित जाति उत्थान संघ, विशाखापत्तनम द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का ब्यौरा

क्र. सं.	पत्र सं. और तारीख	संक्षिप्त विषय
1	2	3
1.	(क) एस, सी. टी./वी. एस. पी./0105 दिनांक 25.8.79	यातायात विभाग, पत्तन रेलवे वाणिज्यिक अनुभाग के वरिष्ठ
	(ख) एस. सी टी./वी. एस. पी./डी. ओ. सं० 0105 दिनांक 8.10.79	सहायक श्री च० वालस्वामी का व्यवहार और परेशान करना ।

1	2	3
2.	एस. सी. टी./वी. एस. चौ-/0104 सी. एम. ई./जी. ए. आर. दिनांक 24.12.79	श्री गुम्मादी अप्पा राव को यान्त्रिक विभाग में सहायक फोरमेन के रूप में पदोन्नत न करना।
3.	एस. सी. टी./वी. एम. पी./सी. एम. ई. (एल) बी. पी. टी./0104 दिनांक 14.2. 80	श्री टी. राजयेया ई. सी. ग्रीसर को यान्त्रिक विभाग में ई. सी. ड्राईवर के पद पर पदोन्नत न करना।
4.	एस. सी. टी./वी. एस. पी./0105 दिनांक	अनुसूचित जाति व जनजाति के पक्ष में आरक्षणों के विरोध में श्री एम. वेंकटस्वामी, टैली क्लर्क ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा इश्तहार जारी करना।
5.	एस. सी. टी./वी. एस. पी./वी.पी. टी./0105 दिनांक 18.3.80	मैराइन डिपार्टमेंट के एफ. एफ. अनुभाग के श्री वी. अप्पालानायडू सेरांग द्वारा छुआछूत अपनाना।
6.	तार सं. एस. सी. टी./वी. एस. पी./टी. एम. वी. पी. टी./0104 दिनांक 23.2.80	ट्रैफिक डिपार्टमेंट में डाक इन्सपेक्टर की फोरमेन और शेड सुपरवाईजर के काडर में विभागीय अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण का कार्यान्वयन न करना।
7.	एस. सी. टी./वी. एस. पी. टी./ 0105 दिनांक 20.9.80	ट्रैफिक विभाग के यू. टी. स. श्री एम. राम सुब्रहामण्यम को तंग करना।
8.	दिनांक 19.3.80 के तार की प्रति	ट्रैफिक विभाग में सहायक की–फोरमेन का आरक्षित पद को अनारक्षित करना
9.	(1) तार की प्रति	यान्त्रिक विभाग में श्री जी. रामूलू को चार्जहैन्ड के पद पर पदोन्नत करना।
	(2) एस. सी. टी./वी. एस. पी./ सी. एम. ई./वी. चौ. टी./0104 दिनांक 20.8.80	पोर्ट ट्रस्ट में अनु० जाति/जनजाति के सेल।
10.	एम. सी. टी./वी. एम. पी./0201 दिनांक 27.10.80	पदोन्नतियों के मामलों में रिक्तियों का अनारक्षण.
11.	एस. सी. टी./वी. एस. पी./वी.पी. टी./0101 दिनांक 7.7.80	अनुसूचित जाति उत्थान संघ के पत्रों के उत्तरों के बारे में।

1	2	3
12.	एस. सी. टी./वी. एस. पी./वी. पी. टी. सी. एम. ई./0104 दिनांक 30.5.80	यान्त्रिक विभाग में चार्ज हेन्ड के पद पर पदोन्नति के मामले में श्री के० नारायण राव, मोटर मकैनिक ग्रेड, का दमन ।

सहायक अधीक्षकों के पद के लिए पदोन्नति के अवसर हेतु भर्ती नियम

9473. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1974 में भर्ती नियम में संशोधन करके फार्मेसिस्ट्स एवं क्लर्कस के लिए सहायक अधीक्षकों के पदों में बनाये गए 33⅓ प्रतिशत पदोन्नति के अवसरों के बारे में निर्णय करने के लिए तत्कालीन मार्कीटिंग एक्जीक्यूटिव की अध्यक्षता में 25 अक्टूबर, 1979 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा यूनियन एसोसिएशनों के सभी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सभी यूनियनों, एसोसिएशनों व फार्मेसिस्ट्स एवं क्लर्कस के लिए सहायक अधीक्षक संवर्ग में 33⅓ प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था वाले भर्ती नियम को निरस्त करने का अपना बहुमत का निर्णय बता दिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यूनियनों/एसोसिएशनों के बहुमत के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस निर्णय को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) और (ख) जहां तक मेडिकल स्टोर डिपुओं में सहायक अधीक्षक के पद पर पदोन्नति का सम्बन्ध है, भर्ती नियम, 1974 के उपबन्धों की समीक्षा करने के लिए अक्तूबर, 1979 में विभिन्न यूनियनों एसोसिएशनों/फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ इस मंत्रालय में एक बैठक की गई थी ।

(ग) से (च) सही स्थिति यह है कि यूनियन/एसोसिएशन आदि सहायक अधीक्षक (कार्यालय/भंडार) के पद के लिए ऐसी विभागीय परीक्षा आयोजित करने हेतु जिसमें फार्मेसिस्ट एवं लिपिकों को भाग लेने की अनुमति हो, सहमत न हो सके या तत्पश्चात् जून, 1980 में यह तय किया गया कि भर्ती नियम, 1974 का पालन किया जाए और सहायक अधीक्षक (कार्यालय/भंडार) के रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने के बारे में हम आगे कार्यवाही करें ।

भारतीय तलकर्षण निगम में तदर्थ पदोन्नतिया

9474. **श्री राम विलास पासवान :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तलकर्षण निगम लिमिटेड में तदर्थ पदोन्नतियां करने के लिए कोई स्वीकृत नीति है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति का पालन सभी संवर्गों के सम्बन्ध में समान रूप से किया जाता है, यदि नहीं, तो क्यों; और

(घ) 1 अप्रैल, 1978 के उपर्युक्त निगम में तदर्थ आधार पर कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से सम्बन्धित हैं;

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) से (ग) भारतीय निकर्षण निगम के निदेशकों के बोर्ड ने जिन पदों के लिए स्वीकृति दी है, उनके लिए पदोन्नति और भर्ती करने सम्बन्धी नियम, निगम के मुख्य कार्यकारी को यह अधिकार देते हैं कि वह इन पदों परएक वर्ष के लिए तदर्थ नियुक्तियां कर सकते हैं। ऐसी नियुक्तियां उस समय की जाती हैं जब वे लोकहित में आवश्यक समझी जाती हैं। कभी-कभी मुख्यालय का या परियोजना कार्यालय मे अल्प काल के लिए रिक्तियां होती हैं, जिन्हें तदर्थ पदोन्नतियों के जरिए भरना होता है।

(घ) भारतीय निकर्षण निगम के प्रबन्ध ने बताया है कि 1.4.1981 से 20 कार्मचारियों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है। इनमें से 5 कर्मचारी अनुसूचित जाति के और अन्य दो कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के हैं।

भारतीय तलकर्षण द्वारा की गई नियुक्तियां

9475. **श्री जयपाल सिंह :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि भारतीय तल–कर्षण निगम ने उन संवर्गों से निचले संवर्गों में नियुक्तियां की हैं, जो वास्तव में विज्ञापित किये गये थे और जिनके लिए लोगों ने आवेदन पत्र भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 1 अप्रैल, 1977 से संवर्ग-वार भारतीय तल-कर्षण निगम ने ऐसी कितनी-कितनी नियुक्तियां की हैं; और

(ग) इस प्रकार नियुक्त किए गए लोगों में ऐसे कितने लोग हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित हैं ?

नौवहन और परिवहनवमंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1 अप्रैल, 1977 से की गई ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्रम सं०	विज्ञापित पदों के नाम	दिए गए पदों के नाम	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या			
			अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	कुल
1.	पाइपलाइन मेट	सहायक पाइपलाइन मेट	1	–	5	6
2.	वरिष्ठ सहायक (भंडार)	सहायक (भंडार)	–	–	2	2
3.	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	सहायक (लेखा)	–	–	71	71
4.	भंडार अधिकारी	वरिष्ठ सहायक (भंडार)	1	–	–	1
5.	गोताखोर	सहायक गोताखोर	–	–	1	1
6.	वरिष्ठ लेखा(अधिकारी)	लेखा अधिकारी	7	–	–	7
			9	–	79	88

ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में हार्ट-संस्थान की स्थापना

9476. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट आफ कैलाश क्षेत्र में पेस मेकर लगाने के लिए और हृदय की शल्य चिकित्सा के लिए नवीनतम जानकारी के साथ सुसज्जित 2.5 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थान में द्रुतगति से निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) इस परियोजना को वित्त पोषित करने वाली सरकार अथवा प्राधिकरणों के क्या नाम हैं और इस परियोजना में कुल कितनी धनराशि लगाये जाने का विचार है; और

(ग) कितना निर्माण कार्य पूरा हो गया है और शेष निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा और संस्थान कब तक कार्य शुरू करने की स्थित में होगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) :

(क) दि आल इंडिया हार्ट फाउंडेशन एक प्राइवेट संस्था है जिसने ईस्ट आफ कैलाश दिल्ली में एक भवन बनाया है, जो हृदय रोगों के अस्पताल का काम देगा। इसका नाम राष्ट्रीय हृदय संस्थान रखा गया है। इसकी सही लागत मालूम नहीं है ।

(ख) इस परियोजना पर कोई भी सरकारी या सरकार के अधीन अथारिटी धन नहीं लगा रही है। वैसे 1979-80 के दौरान एक्स-रे मशीन खरीदने के रूप में दो लाख रुपये की राशि दी गई थी।

(ग) इस प्रतिष्ठान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह भवन पूरा हो चुका है और आधुनिक उपकरणों के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं। इन उपकरणों के मिलने और संस्थान में लग जाने पर यह संस्थान सेवाएं सुलभ करा सकेगा और इसमें लगभग तीन से छः महीने तक का समय लग सकता है।

नेपाल में भारत के नागरिकों के अधिकार

9477. **श्री सत्येन्द्र एन० सिन्हा** : क्या मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारत सरकार को यह पता है कि नेपाल में भारत के नागरिकों को बराबर के वही अधिकार प्राप्त नहीं हैं, जो भारत में नेपाल के नागरिकों को प्राप्त हैं और जैसा कि भारत-नेपाल शांति और मित्रता सन्धि में उल्लेख है; और

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अनुमान है कि भारत में नेपाल के नागरिकों की किस-किस प्रकार की और कितनी-कितनी सम्पत्ति है और बैंकों में जमा धनराशियां हैं और क्या नेपाल में भारत के नागरिकों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि नेपाल सरकार ने कतिपय प्रशासनिक और विधायी कदम उठाए हैं जिनके अन्तर्गत नेपाल में रहने वाले विदेशियों पर, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ख) भारत में नेपाली राष्ट्रिकों की सम्पत्ति और बैंक खातों के स्वरूप और उनकी मात्रा से संबंधित मामलों पर भारत सरकार की संबंधित एजेंसियां गौर कर रही हैं। नेपाल में रहने वाले भारतीय नागरिक निजी तौर पर वहां विधितः बैंक खाते रख सकते हैं। हालांकि इस सुविधा का व्यावहारिक लाभ उठाने में उन्हें कुछ कठिनाइयां महसूस हुई हैं। नेपाल सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों के अधीन विदेशी राष्ट्रिकों को, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं, नेपाल में अचल सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया गया है।

जैतसर स्टेशन के रेल कर्मचारियों को पुलिस संरक्षण

9478. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 मार्च, 1981 के दैनिक 'तेज' समाचार पत्र में 'जेतसर रेलवे इम्पलाईज विक्टिम्स आफ वैल पान्ड कान्सप्रेसी आफ एन्टी सोशल ह्यूमेंट्स:' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इन आहत व्यक्तियों में सहायक स्टेशन मास्टर जो अनुसूचित जाति से है, ने जी० आर० पी० हनुमानगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/81 के अन्तर्गत एक मामला

दर्ज कराया था परन्तु जी० आर० पी० कर्मचारी उन तत्वों के खिलाफ कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार का एक मामला रेलवे मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ के न्यायालय में भी विचाराधीन पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जैतसर स्टेशन पर कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की जानमाल की रक्षा के लिए पुलिस संरक्षण उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जैसा कि प्रश्न में उल्लेख किया गया है असामाजिक तत्वों द्वारा कोई भी षडयंत्र देखने में नहीं आया ।

(ख) हनुमानगढ़ राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा मामला सं० 15/81 दर्ज किया गया है और वह मामले की जांच कर रही है । चूंकि इस मामले में अनुसूचित जाति का एक कर्मचारी शिकार हुआ है । उप पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस, बीकानेर स्वयं घटना स्थल पर गये और उन्होंने मामले की जांच की है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) रेल कर्मचारियों का जीवन खतरे में नहीं है इसलिए किसी विशेष पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल स्थित पर नजर रखी जा रही है ।

सेलेक्शन ग्रेड फार्मेसिस्टों की प्रतिशतता में वृद्धि

9479. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने सेलेक्शन ग्रेड फार्मेसिस्टों की प्रतिशतता को 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह वृद्धि सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं फार्मेसिस्टों व लिपिकों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) नहीं । सही स्थिति यह है कि वित्त मन्त्रालय ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर हिदायतें जारी की थीं जिनमें पहली अगस्त, 1976 से समूह "ग" और "घ" काडरों में चयन ग्रेड आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी । केवल वही पद चयन ग्रेड में आ सकते हैं जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और जिनका प्रतिशत 75 से कम नहीं होता है कितने पदों को चयन ग्रेड में लाया जा सकता है इसका निश्चय निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :—

(क) जहां पदोन्नति के अवसर 50 प्रतिशत से अधिक हैं।	कोई चयन ग्रेड नहीं।
(ख) जहां पदोन्नति के अवसर 50 प्रतिशत या उससे कम परन्तु 35 प्रतिशत से अधिक हैं।	10 प्रतिशत
(ग) जहां पदोन्नति के अवसर 35 प्रतिशत या उससे कम परन्तु 25 प्रतिशत से अधिक हैं।	15 प्रतिशत
(घ) जहां पदोन्नति के अवसर 25 प्रतिशत या उससे कम हैं।	20 प्रतिशत

वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए मानदण्डों को पूरा करने वाले सभी पदों पर ये अनुदेश लागू होते हैं। मेडिकल स्टोर डिपुओं के फार्मेसिस्ट सह-लिपिक इन आदेशों के अन्तर्गत आ जाते हैं। उक्त श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध पदोन्नति के अवसरों को ध्यान में रखते हुए चयन ग्रेड के पदों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। यह संख्या अलग-अलग डिपों में अलग-अलग होती है।

——

स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी शामिल न किया जाये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) एयर इन्डिया में बेकार में परेशान किया जा रहा है। मैंने इस बारे में एक स्थन प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे यह बता दिया गया है कि आपने अनुमति नहीं दी है, परन्तु हम यह जानना चाहते है···

अध्यक्ष महोदय ; इसका कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : गत पांच-छः दिनों से प्रतिदिन समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित हो रहा है··· *

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। परेशान करने की कोई बात नहीं है। मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : क्या आप गृह मंत्री को वक्तव्य देने को कहेंगे कि क्या जांच की गई है ? यदि जांच से पता चला है कि ···

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं । मैं इसकी अनुमति नहीं देता ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कल आपने चर्चा की इजाजत नहीं दी । हम लोग सेवोटाज के मामले पर चर्चा चाहते थे । मगर उन्होंने मना कर दिया । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहाज सिंगापुर चला गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं है । आप बैठ जाइए । मनी राम बागड़ी ।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आप वहां से ही शुरू करते हैं । यहां भी देखिए ।

अध्यक्ष महोदय : सब का नम्बर आयेगा । मैं सबको एलाऊ करता हूं ।

श्री कमल नाथ : मैं एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात गम्भीर हो सकती है, तो उनकी बात भी गम्भीर हो सकती है । गम्भीरता डाक्टर के अनुमान के अनुसार होती है और यहां डाक्टर मुझे समझिये । (व्यवधान)* मैंने श्री बागड़ी को इजाजत दी है । श्री बागड़ी के कथन के इलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाये । (व्यवधान)* मैं आपको भी इजाजत दूंगा, लेकिन इस तरह नहीं । आपकी बारी पर आपको मौका दिया जायेगा । मैं आप से सहयोग करने को तैयार हूं । मैंने सदा आप से सहयोग किया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया ऊंची आवाज में न बोलिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता । आप बैठ जाइए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अवश्य आपका आदेश मानता हूं, परन्तु आपसे भी सद्भाव की आशा करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । श्री बागड़ी ।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष जी, यह एडजोर्नमैंट मोशन तो सब लोगों ने रखा है; उधर से भी और इधर से भी । या तो उसका तरीका यह हो कि सब लोगों के नाम लेकर; सब पार्टियों को बुलाकर ...

अध्यक्ष महोदय : नहीं साहब, ऐसा नहीं होता है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसके बारे में ?

अध्यक्ष महोदय : कोई भी हो ।

श्री मनी राम बागड़ी : कांग्रेस के पक्ष के लोग भी चाहते हैं; हम भी चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मैं प्रथा नहीं तोड़ सकता ।

* कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री मनी राम बागड़ी : सारा सदन ही अगर चाहे, तब ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रथा नहीं तोड़ूंगा; जब तक रूल नहीं बदलता। (व्यवधान) जब मुझे फैक्ट्स मालूम नहीं हों तो मैं सुन लेता हूं; सब कुछ सुन लेता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपने नहीं सुना।

श्री अटल बिहारी वजपेयी : नहीं सुना। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कब की बात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, तब की बात करता हूं जब फैक्ट्स पता लगने चाहियें। इस मसले पर मुझे फैक्ट्स की आवश्यकता नहीं है। मैं जब जरूरत समझूंगा तब सुन लूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमें भी कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी सुनूंगा।

श्री बागड़ी।

श्री मनी राम बागड़ी : इसमें बहस की कोई बात नहीं है, आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। सब लोग कायदे से चलना चाहते हैं, उधर से भी और इधर से भी। आप कोई कायदा निकाल लें, कोई एतराज़ नहीं है। काम रोको प्रस्तावों के बारे में मुझे इतनी बात कहनी है कि मेरा भी है और दूसरे माननीय सदस्यों के भी हैं, उनको अगर आप मैंशन करते हैं तो सबके मैंशन करें।

अध्यक्ष महोदय : करूंगा तो सब को करूंगा।

श्री मनी राम बागड़ी। सबको मौका भी मिलना चाहिये इनके ऊपर अपनी-अपनी बात कहने का। सारे देश के लोगों का ध्यान इस ओर है। गलत है या सही लेकिन उनका ध्यान इस ओर है।

दूसरी बात यह है कि 222 के अन्तर्गत मैंने एक नोटिस दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपकी इजाजत चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। परन्तु यह नियम 222 के अधीन नहीं आता। वह दूसरे हाउस में बोले हैं। मैंने पढ़ा है। वहां हाउस में कोई बोलेगा तो नहीं बनता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। क्या आप गृह मन्त्री को इस बारे में वक्तव्य देने को कहने में हमारी सहायता करेंगे कि जांच किस चरण में है तथा क्या जांच में किसी बात का पता चला है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं ही कह दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या जांच पूरी हो गई है। उन्होंने रिपोर्ट देनी है। सभा यह जानना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : आपने सभा की भावना से गृह मन्त्री को अवगत कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या तोड़-फोड़ की बात सही है। यह गहरी चिन्ता की बात है। यदि तोड़फोड़ की बात सही है, तो यह बड़ी चिन्ता की बात है।

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल नाथ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप गृह मन्त्री को वक्तव्य देने को कहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सवाल एडजर्नमेंट मोशन का नहीं है, सवाल प्रिंसिपल का है। किसी ने एडजर्नमेंट मोशन दी है, इस वास्ते मैं सुनता हूं, ऐसी बात नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे आशा है, आप मेरी बात सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर सदस्य की बात सुन रहा हूं। श्री कमल नाथ।

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात सुनेंगे।

श्री कमल नाथ : महोदय, सोमवार को वित्त विधेयक पर बोलते हुए, मैंने न्यायपालिका पर कतिपय टिप्पणियां की थीं ··

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहते हैं और किस नियम के अधीन ?

श्री कमल नाथ: मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसका प्रभाव मुझ पर नहीं; बल्कि आप पर पड़ता है। मैं बताना चाहता हूं कि सोमवार को वित्त विधेयक पर बोलते हुए मैंने न्यायपालिका पर कतिपय टिप्पणियां कीं थी। तत्पश्चात् न्यायाधीश ने·· मैं हिन्दस्तान टाइम्स से पढ़कर सुनाना चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। (व्यवधान)*

जी नहीं, आप न्यायाधीशों के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। (व्यवधान)*

श्री के० लकप्पा (टुमकुर): संविधान के अन्तर्गत संसद् सदस्य द्वारा किये गये किसी भी भाषण को नियम 105 के अधीन संरक्षण प्राप्त है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर भी सुनूंगा। आपमें आपकों भी सुनूगा बैठिए। (व्यवधान)* कमलनाथ जी आप नहीं बोल सकते, आप जो कुछ कहेंगे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। आप पहले अनुच्छेद 121 को देखिए और फिर बात कीजिए।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अभी देश में दो तरह की प्रतिक्रियां चल रही हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यह सेबोटेज है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह एमरजेंसी लगाने की तैयारी की जा रही है। इस वास्ते ···

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री राम विलास पासवान : होम मिनिस्टर को स्थिति स्पष्ट करने में क्या आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : करते हैं या नहीं यह उन पर है। हम क्या करेंगे ?

श्री राम विलास पासवान : पांच अफसरों को निकाल दिया गया है—

अध्यक्ष महोदय : इजाजत नहीं है, साहब।

डा० फारुक अब्दुल्ला : मैंने नियम 222 के अधीन विशेषाधिकार के मामले की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : किस लिए ?

डा० फारूक अब्दुल्ला : एक सदस्य ने मुझ पर आक्षेप किये हैं। मैं नहीं समझता कि आपको अभी तक इस बात की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका उल्लेख किया है। यह मामला मेरे विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : आप निश्चित होकर बैठिये, हाउस आपका है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, पिछले 5, 6 दिनों से देश में चर्चा है, सदन में भी चर्चा है कि...

अध्यक्ष महोदय : आपका सारों का एक ही विचार चल रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरी परेशानी भी तो आप समझ लीजिये। 5 बड़े अफसर एयर इंडिया कोरपोरेशन के···

अध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, बड़े हों या छोटे हों।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप मेरी बात तो सुनिये ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब इतनी अनुचित बात होगी तो कार्यवाही होनी ही चाहिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष जी, सारे कानूनों को तोड़कर 5 अधिकारियों को काम से निकाल दिया गया है, यह कहां का न्याय है।···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे कह सकते हैं। वगैर वजह कभी कोई काम नहीं होता। इजाजत नहीं है। (व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष जी, हमें ·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जायेगा, कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं होगा।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, एयर इण्डिया के अफसर किन परिस्थितियों में निकाले गये हैं सिविल ऐवियेशन मिनिस्टर सदन में बयान दें। गृह मंत्री अगर अपने आप

*कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

आकर बयान नहीं दे सकते तो यह मामला ऐसा है कि सिविल ऐवियेशन मिनिस्टर को बयान देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात सुनी है ।

श्री राजनाथ सोनर शास्त्री (सैदपुर): अध्यक्ष जी, मैंने परसों ही इस सभा में नम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि जो कुछ घटना हुई है यह पूरी तरह से फर्जी है और जाली है और उसका परिणाम यह है · (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाये । इजाजत नहीं है (व्यवधान)*

श्री के० लाकप्पा : मेरे माननीय मित्र श्री कमल नाथ ने अनुच्छेद 105 के अधीन एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया था। आप कहते हैं कि हमें इसका अधिकार नहीं है । हमारे भाषण को अनुच्छेद 105 के अधीन संरक्षण प्राप्त है । क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश कोई टिप्पणी कर सकता है । समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है और इसका प्रभाव ··

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए और विचार-विमर्श कीजिए । इस समय इजाजत नहीं है । (व्यवधान) आप मेरी बात नहीं सुनते हैं । नोट अलाउड । आप मेरी बात तो सुनिये । मैंने आप को बोला कि मुझे विवरण चाहिए । (व्यवधान) मैं विधि मन्त्रालय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं और मैंने उनसे टिप्पणी मांगी है । मुझे तथ्य प्राप्त कर लेने दीजिए । तब इस पर विचार-विमर्श हो सकता है और इसके अतिरिक्त आप मेरे पास आ सकते हैं और इस मामले पर विचार विमर्श कर सकते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्बन्ध में क्या हुआ ? हमने चार्ज लगाया है सरकार पर कि यह एक मनगढ़न्त चीज है और हमने जो इस पर मोशन दिया है उसका क्या हुआ ? माननीय शर्मा जी यहां बैठे हैं, वह जवाब दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 222 के अधीन प्रस्तावों की बात कर रहा हूं ।

श्री राम विलास पासवान : हमारे ऐडजर्नमैंट मोशन का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : वह डिसअलाऊ कर दिया ।

श्री रामविलास पासवान : क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे से कारण बताने की अपेक्षा नहीं की जा सकती ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : तो मै आप से कह रहा था आपने हमको मौका दिया इसके लिए धन्यवाद । ऐसी घटना 7, 8 बार हुई हैं ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने निर्णय कर दिया है । मैं इजाजत नहीं देता ।

आपकी बात माननीय वाजपेयी जी ने, माननीय फर्नान्डीस ने, माननीय राम विलास पासवान जी ने भी कह दी, और आपने भी कह दी । उनके कान तक बात पहुंच गई ।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी हस हाउस में (व्यवधान) हमारी बात का कोई असर नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : असर होता है, बाद में होता है । एकदम थोड़े ही होता है । मुझे कुछ पता नहीं । मैं टिप्पणी नहीं करता ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या कभी आपने यह सुना है कि बिना कोई कारण बनाये हुए···

अध्यक्ष महोदय : कारण भी आयेगा, सब कुछ होगा । ऐसा नहीं होता, आप बैठ जाइए ।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : मंत्री द्वारा मेरे एक प्रश्न का गलत उत्तर दिये जाने के बारे में मैंने एक मामला उठाया था । आपने कल मुझसे कहा था कि निदेश 115 के अधीन यह मामला मेरे पास लाइये ।

अध्यक्ष महोदय : निदेश 115 के अधीन हमें आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है । (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मैं पूर्ण सम्मान के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो कुछ कहा है शायद आप उसे नहीं समझ पाये हैं और मैं आपकी बात नहीं समझ सका हूं । मैं आपका निदेश नहीं समझ सका । मैंने मामला उठाया था कि ··

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि मैंने विधि मन्त्रालय से उनकी राय मांगी है । यह मामला मेरे विचाराधीन है ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मेरे स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : उसे गृहीत नहीं किया गया । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

एल्युमीनियम (नियंत्रण) आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्मर्गत एल्यू-मीनियम (नियंत्रण) आदेश, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 27 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 229 (ङ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-240/81]

वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना में इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्यक नौसेना इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 21 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 311 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2461/81]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह क्या कर रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) आप हमको इसके लिए मौका देंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय : आप की बात हो गई।

प्रेस परिषद् (बजट और लेखे) नियम, 1981

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : मैं प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रेस परिषद (बजट और लेखे) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 16 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 296 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2462/81]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय। आपकी बात हो गई, अब देखें क्या होता है। (व्यवधान) सब कुछ हो रहा है, पता लगेगा, गम्भीर मामला है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम तथा शुद्धि पत्र

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं आद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (पहला संशोधन) नियम,1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 16 जनवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 23 (ङ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धि पत्र जो दिनांक 25 मार्च, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 205 (ङ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2463/81]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शांति से बैठिये । अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अधीन अधिसूचना

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, मैं श्री बूटा सिंह की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 1114 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 19 फरवरी, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा बियावर-जयपुर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के विस्तार के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०-2464/81]

भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और उसे निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला विवरण

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० बी० स्वामीनाथन) : मैं भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड का 30 जून, 1980 को समाप्त हुई अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद 9 महीने की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर निदेखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-2465/81]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अधीन अधिसूचनाओं तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 11 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 363 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1981 जो दिनांक 11 अप्रैल, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 364 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी-2466/81]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 365 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 अप्रैल, 7981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा आगतों के संबंध में दिये जाने वाली शुल्क के मुजरा को स्पष्ट करने के लिए दिनांक 4 जून, 1979 की अधिसूचना संख्या 201/79–सी० ई० में कतिपय संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०-2467/81]

राज्य सभा से संदेश

चलचित्र (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि राज्य सभा ने मंगलवार 28 अप्रैल, 1981 को अपनी बैठक में विश्व भारती (संशोधन) विधेयक 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बारे में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :—

"कि विश्व भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 119वें सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाया जाये ।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1981 जो लोक सभा द्वारा 21 अप्रैल, 1981 की अपनी उनकी बैठक में पास किया गया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को लौटाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1981, जो राज्य सभा द्वारा 28 अप्रैल, 1981 की अपनी बैठक में

पास किया गया था, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।''

2. महोदय, मैं चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1981, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी इजाजत के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाये। (व्यवधान)*

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

श्री गिरिधर गोमांगो (कोरापुट) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति की पहली से उनतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हू।

प्राक्कलन समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव (राजामुंद्री) : निम्नलिखित विवरणों के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) गृह मंत्रालय—अंडमान और निकोबार दीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र सम्बन्धी की गई कार्यवाही के तीसरे प्रतिवेदन के अध्याय 5 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम उत्तर वाला विवरण।

(2) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय—ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के सर्वेक्षण सम्बन्धी की गई कार्यवाही के 27वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण।

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नही किया गया।

(3) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग)—सिंचाई सुविधाओं संबंधी की गई कार्यवाही के 37वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

(4) ऊर्जा मंत्रालय (विद्युत विभाग) विद्युत सम्बन्धी की गई कार्यवाही के 38वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में और अध्याय 2 में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के अन्तिम उत्तर दर्शाने वाला विवरण ।

———

प्राक्कलन समिति

15वां और 17वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री एस० बी० बी० पट्टाभि राम राव (राजामुंद्री) मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :

(1) रक्षा मंत्रालय —भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी 15वां प्रतिवेदन ।

(2) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)—ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के 34वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी 17वां प्रतिवेदन ।

(3) रेल मंत्रालय—आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई सम्बन्धी दसवें प्रतिवेदन के बारे में कार्यवाही सारांश ।

(4) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)—लघु उद्योग—कच्चे माल और विपणन सम्बन्धी 14वें प्रतिवेदन के बारे में कार्यवाही सारांश।

(5) रक्षा मंत्रालय—भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास सम्बन्धी 15वें प्रतिवेदन के बारे में कार्यवाही सारांश ।

(6) विदेश मंत्रालय—पश्चिम एशिया, श्रीलंका, मलयेशिया, बर्मा, इन्डोनेशिया और सिंगारपुर में विदेशस्थ भारतीय—भाग 1—पश्चिम एशिया सम्बन्धी 16वें प्रतिवेदन के बारे में कार्यवाही सारांश ।

(7) प्रक्रिया तथा सामान्य मामलों के बारे में कार्यवाही सारांश ।

——

लोक लेखा समिति

18वां, 38वां, 39वां, 46वां, से 48वां और 50वां से 54वां प्रतिवेदन तथा प्रक्रिया और सामान्य मामलों सम्बन्धी कार्यवाही सारांश

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण का 18वां प्रतिवेदन (निर्माण और आवास मंत्रालय)।

(दो) पुनः खोले गये निरस्त और रद्द किये गये निर्धारणों, धनकर से छूटने वाले निर्धारणों तथा व्यापारिक आय की गलत संगणना के सम्बन्ध में 38वां प्रतिवेदन—वित्त मन्त्रालय—(राजस्व विभाग)।

(तीन) तेल निकाले चावल-चोकर के निर्यात के लिए नकद सहायता के संबंध में 39वां प्रतिवेदन—वाणिज्य मंत्रालय।

(चार) संघ उत्पाद शुल्क—आकस्मिक लाभ तथा रबड़ उत्पादों के सम्बन्ध में 46वां प्रतिवेदन—वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)।

(पांच) गुम सम्पत्ति कार्यालयों के सम्बन्ध में 47वां प्रतिवेदन—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)।

(छः) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के सम्बन्ध में 48वां प्रतिवेदन—शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा विभाग)।

(सात) लोडिंग क्वाल और बरेटर लम्पों के सम्बन्ध में 50वां प्रतिवेदन—संचार मंलालय (डाक और तार विभाग)।

(आठ) आयकर, धनकर और सम्पदाशुल्क के सम्बन्ध में 51वां प्रतिवेदन—वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)।

(नौ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सम्बन्ध में 52वां प्रतिवेदन उद्योग मंत्रालय।

(दस) एक कमान में सैनिक इन्जीनियरी सेवाओं द्वारा वस्तु सूची रखने के ढंग की समीक्षा के सम्बन्ध में 53वां प्रतिवेदन—रक्षा मंत्रालय।

(ग्यारह) संघ उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में 54वां प्रतिवेदन—वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)।

(बारह) प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के बारे में लोक लेखा समिति की 19 अगस्त, 20 अगस्त तथा 17 दिसम्बर, 1980 को हुई पहली, दूसरी और चौबीसवीं बैठकों के कार्यवाही–सारांश ।

— —

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

चौथा प्रतिवेदन

श्री पी० बी० जी० राजू (बोबिली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)*

(श्री मनीराम बागड़ी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य तब सदन से उठकर चले गये)

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

श्री हरिनाथ मिश्र (दरभंगा) मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :–

"देश से 15-20 वर्षों में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने की सरकार की कथित इच्छा तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तैयार किया गया कार्यक्रम ।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, समयबद्ध आधार पर कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए प्रधान मंत्री ने जो बल दिया है उससे सरकार के कुष्ठ रोधी न्यास के लिए व्यापक आधार बनता है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को निम्नलिखित तरीकों के अनुसार मजबूत बनाया गया है :—

(1) कुष्ठ रोधी प्रयासों के लिए पांचवीं योजना अवधि में इस कार्यक्रम पर खर्च किए गये 18.10 करोड़ रुपये की रकम में पर्याप्त वृद्धि कर छठी योजना के परिव्यय में 40 करोड़ रुपये रखे गये हैं ।

(2) पहली अप्रैल, 1979 से कुष्ठ रोधी कार्यक्रम को शत प्रतिशत केन्द्र पोषित कार्यक्रम से बदलकर 50 प्रतिशत केन्द्र पोषित कार्यक्रम कर दिया गया । इससे इस कार्यक्रम

*कार्यवाही वित्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

को धक्का पहुंचा। प्रधान मंत्री द्वारा बल दिए जाने पर इस कार्यक्रम को पहली अप्रैल, 1981 से फिर से शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना बना दिया गया है। इस तथ्य से राज्य सरकारों को अवगत करा दिया गया है जिन्हें वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की भी सलाह दे दी गई है। वित्तीय पैटर्न में इस तबदीली से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पर्याप्त तेजी आने की आशा है।

(3) डिप्सोन पर आधारित केमोथेरापी कुष्ठ रोग के बुनियादी उपचार के लिए मुख्य आधार बनी रहेगी। इस बात को मानते हुए देश में डिप्सोन के उत्पादन को बढ़ाने के उपाय किए गये हैं। अतिरिक्त उत्पादन के लिए लाइसेंस दे दिया गया है और इसे कार्यरूप दिया जा रहा है। क्लेफेजिमाइन नामक एक अन्य कुष्ठ रोधी औषधि का देश में निर्माण करने के लिए भी उपाय किए गये हैं।

(4) जिन स्थानों में कुष्ठ रोग अत्याधिक फैला हुआ है उनमें कैमोथेरापी में हाल ही में जो मुख्य प्रगति हुई है वह है, बहु-औषधि विधान का अपनाना, जिसमें एक वर्ष तक डी. डी. एस., आई. एन. एच. तथा थियोसेटाजीन के मिश्रण के बाद रिफेम्पिसिन तथा क्लेफेजिमाइन का उपयोग शामिल है। स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के साथ एक करार हुआ है और जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए कार्यान्वित किया जाना है, इसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में इस रोग के दो अत्यधिक स्थानिकमारी वाले जिलों में बहु-औषधि विधान (मल्टी-ड्रग रेजिमेन) को आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है जिसका उद्देश्य कम से कम समय में इस रोग के फैलने को कारगर ढंग से रोकना तथा अधिकांश रोगियों को असंक्रमित करना है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल मिलाकर इस रोग के 10 अत्यधिक स्थानिकमारी वाले जिलों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा।

(5) कुष्ठ रोग का एक टीका तैयार करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सर्वोपरि मार्गदर्शन में आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, बम्बई, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा गोविन्द बल्लभ पंत अस्पताल, नई दिल्ली में सक्रिय अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान का कार्यालय इस अनुसंधान कार्य को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। समयबद्ध आधार पर तथा हाल ही में उपलब्ध औषधियों पर आधारित केमोथेरापी की सीमा में कुष्ठ उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुष्ठ रोग को वैक्सीन का विकास करना जरूरी हो जाता है। अतः इस क्षेत्र में किए जा रहे अनुसंधान कार्य को और भी प्रोत्साहन मिलेगा।

(6) स्वैच्छिक क्षेत्र ने कुष्ठ रोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण परम्परागत भूमिका निभाई है। सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को विशेष

रूप से और अधिक सहायता अनुदान देकर इस क्षेत्र के कार्यकलापों को तेज करने के उपाय किए गये हैं। गत तीन वर्षों में हर वर्ष 20 लाख रुपये दिए गए थे जबकि 1980-81 में इसे पहले ही बढ़ाकर 31 लाख रुपये कर दिया गया। आगामी वर्षों में यह रकम और भी बढ़ा दी जाएगी।

(7) उन स्वैच्छिक संगठनों के अलावा जिसके [illegible] के लिए सरकार आंशिक रूप से सहायता अनुदान देती है, ऐसी अनेक महत्वपूर्ण स्वैच्छिक एजेन्सियां हैं जो पूर्णतः अपने निजी संसाधनों से राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही हैं। इन संगठनों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अनुरूप बना दिया गया है ताकि इसके सीमित साधनों से अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सकें। इस संदर्भ में डेमियन फाउण्डेशन, जर्मन, लेप्रासी रिलीफ एसोसिएशन और स्विश एसाउस इंस्टिट्यूशन के साथ समझौते किए गये हैं जिससे कि वे अपने कार्य का विस्तार करने के लिए नये इलाके चुनकर और प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाकर राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में अपने वर्तमान प्रयासों को बढ़ा सकें।

(8) सरकारी तथा स्वैच्छिक, दोनों क्षेत्रों में कुष्ठ का कार्य कर रहे राज्य कुष्ठ अधिकारियों तथा अन्य चिकित्सा/परा चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है और हमारे विशेषज्ञों को नवीनतम विकासों के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिए अनेक कार्यशालाएं चलाई गई हैं। एन. आई. एम. एच. ए. एन. एस., बंगलौर में इस प्रकार की एक कार्यशाला पहले ही चलाई जा चुकी है और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान चिंगलपुट, जालमा केन्द्र आगरा, गांधी मेमोरियल कुष्ठ फाउन्डेसन वर्धा और शचोफ्लेन कुष्ठ अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र कारीग्री में इस प्रकार की अन्य कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इस कार्यक्रम की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए राज्य मुख्यालयों और क्षेत्रीय जिला तथा यूनिट स्तरों पर राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम में कार्य कर रहे चिकित्सा कार्मिकों और परा-चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

(9) छठी योजना में रखे गए लक्ष्यों के अनुसार यह परिकल्पना की गई है कि इस अवधि के अन्त तक देश के सभी स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों को राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर कर लिया जाएगा। सन 2000 तक शत प्रतिशत रोगियों का पता लगाया जाना है और 1990 तक ऐसे जिन रोगियों का पता चलेगा उनमें से कम से कम 80 प्रतिशत उन रोगियों का उपचार किया जाएगा जिनका रोग आगे बढ़ने से रुक गया है। केमोथेरापेटिक उपकरणों की उपलब्धता को देखते हुए

यह लक्ष्य रखा गया है। गुणकारी वैक्सीन के उपलब्ध होने पर कुष्ठ का उन्मूलन शीघ्र हो सकेगा।

कुष्ठ रोग के प्रति लोगों के मन में कलंक की भावना विद्यमान है उससे कुष्ठ रोग के नियंत्रण और उसके उन्मूलन की समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं। स्वैच्छिक और सरकारी संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में जो कार्य किया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य इन बाधाओं को दूर करने का है। प्रधान मंत्री ने इस कार्यक्रम पर जोर दिया है उसको देखते हुए मैंने कुष्ठ नियंत्रण कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए नये कार्यक्रम शुरू किए हैं। इस भयंकर रोग का उन्मूलन करने के लिए जिन कठिन प्रयासों की आवश्यकता है उनमें मैं इस सदन के सभी सदस्यों तथा देश के उन लोगों का सहयोग चाहता हूं जो कुष्ठ रोग के उन्मूलन के कार्य में लगे गए हैं।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री हरिनाथ मिश्र : मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य बड़े ध्यान से सुना है। इसके बारे में विस्तार से बात करने से पूर्व मैं उस पृष्ठभूमि का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें देश को कुष्ठ रोग से पूरी तरह मुक्त करने की समस्या पर चर्चा उठाई गई है।

भारत की जनसंख्या विश्व की आबादी का लगभग 15 प्रतिशत है परन्तु कुष्ठ रोगियों की लगभग 1/3 संख्या अर्थात् 110 लाख में से 35 लाख रोगी भारत में हैं। यह ठीक है कि इस रोग के नियन्त्रण, उपचार और इसे समाप्त करने के नियोजित प्रयास 1955 से किए जा रहे हैं परन्तु किन्हीं कारणों से इस लम्बे समय में भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली और यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।

अब मैं मंत्री महोदय द्वारा उठाए गए मुद्दों की ओर आता हूं। अपने वक्तव्य के अन्त में उन्होंने कहा है।

"कुष्ठरोग के प्रति लोगों के मन में कलंक की जो भावना विद्यमान है उससे कुष्ठरोग का नियंत्रण और उसके उन्मूलन की समस्याएं और अधिक बढ़ गई है।"

मैं मानता हूं कि उनकी बात सही है। कुष्ठ रोग को ऊपर वाले का प्रकोप माना जाता है और समाज इन रोगियों को अस्पृश्य मानता है। मैं संयोग और परिस्थितियोंवश तीन दशकों से इस समस्या से संबंधित रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं यह भावना सामान्यतः डाक्टरों में और उससे भी अधिक सरकारी संस्थाओं और विभागों में कहीं अधिक है। मैं अपनी बात की व्याख्या करूंगा।

गत दिसम्बर में प्रधान मंत्री को दिए गए एक ज्ञापन में मैंने कुष्ठरोग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए कुछ उपाय तुरन्त करने के सुझाव दिये थे। एक सुझाव था—

"अवरस्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुष्ठ रोग के निदान, शोध, उपचार और इतिहास के अध्ययन के लिए पर्याप्त उपकरण शामिल किए जायें।"

सरकार ने अतारांकित प्रश्न संख्या 3237 के 12.3.1981 के अपने उत्तर में कहा :—

"भारतीय चिकित्सा परिषद् को आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।"

इस मामले को तो स्वाभाविक रूप से भारतीय चिकित्सा परिषद् को सौंपा जाना चाहिये था। दो सप्ताह बाद परिषद् द्वारा शायद बिना इस पर विचार किए सरकार ने 26 मार्च, 1981 को तारांकित प्रश्न संख्या 553 के अपने उत्तर में सरकार ने अन्य बातों के अलावा बताया :—

"स्नातक-पूर्व की चिकित्सा शिक्षा के सम्बन्ध में भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिशों के अनुसार डर्मेटोलाजी, वेनेरोलजी और लेप्रोसी में नियुक्ति की अवधि एक मास है। चिकित्सा विभाग और समुदायिक चिकित्सा विभाग में भी कुष्ठ रोग सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। सामुदायिक चिकित्सा में प्रशिक्षण एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के आरम्भ से ही शुरू हो जाता है और इन्टर्नशिप प्रशिक्षण तक यह प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को कुष्ठ रोग के निदान, रोकथाम और उसकी चिकित्सा के बारे में बताने का हरसम्भव प्रयास किया जाता है।"

इससे स्पष्ट है कि उनके उत्तर परस्पर विरोधी हैं। क्या ईसा के सच्चे भक्त प्रमाणित करते हुए मंत्री महोदय नहीं जानते कि उनका दायां हाथ नहीं जानता कि बायां क्या कर रहा है ? दोनों उत्तर कैसे सही हो सकते हैं ? मैं जानता हूं कि अवर स्नातक पाठ्यक्रम में दूसरी शिक्षा कतई अपर्याप्त है। इसमें चर्म रोगों पर केवल छः व्याख्यान हुआ करते थे। हो सकता है कि कुछ कालेजों में थोड़ा बहुत सुधार हुआ हो। क्या मंत्री महोदय सभा के संतोष के लिए इस विषय में विस्तार से बताएंगे ?

जैसा मैं कह चुका हूं, सरकारी संस्थाएं तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों को अस्पृश्य ही समझा जाता है। अपने इस मत के समर्थन में मैं 12 मार्च, 1980 को सरकार से पूछा गया प्रश्न और उसका उत्तर उद्धृत करता हूं।

'प्रश्न' :—

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों का इलाज नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वस्तुस्थिति क्या है तथा इस समय राज्य-वार कितने कुष्ठ रोगियों का सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है ?

उत्तर :—

(क) जी, नहीं। कुछ जनरल अस्पताल कुष्ठ रोग का इलाज नहीं कर रहे हैं।

(ख) कुछ जनरल अस्पतालों द्वारा कुष्ठ रोग का इलाज न किए जाने का एक कारण तो इस सम्बन्ध में आम जनता द्वारा आपत्ति किए जाने का भय है और दूसरा

कारण है अन्य रोगियों द्वारा कुष्ठ रोगियों को ऐसे स्थानों पर घृणा की दृष्टि से देखे जाने के डर से कुष्ठ रोगियों का इन अस्पतालों में न आना ।

(ग) ऐसे अस्पतालों में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया है उनकी सही संख्या उपलब्ध नहीं है तथापि देश के सरकारी और स्वैच्छिक विभिन्न सामान्य और विशिष्ट कुष्ठ निदान केन्द्रों में लगभग 26.9 लाख कुष्ठ रोगियों का इलाज चल रहा है तथा कुष्ठ रोगियों के लिए 32,655 'इन-डोर' विस्तार उपलब्ध हैं ।

क्या मुझे सरकारी अस्पतालों में जितने कुष्ट रोगियों का उपचार किया जा रहा है, उनकी संख्या सरकार को ज्ञात न होने के कारण बताए जायेंगे जबकि डाक्टरी शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल कर ली गई है ?

शायद ऐसा ही प्रश्न मैंने गतवर्ष भी पूछा था और उसका उत्तर था "जानकारी एकत्र की जा रही है।" भगवान जाने यह कार्य कब तक चलता रहेगा ?

अब मैं कुछ सीधे प्रश्न पूछना चाहूंगा । हैजा, चेचक, प्लेग और क्षय रोग जैसी छूत की बीमारियों के रोगियों को सरकारी अस्पतालों में सहज ही दाखिल कर लिया जात है और पृथक वार्डों में उनका अच्छा इलाज किया जाता है । फिर कुष्ठ रोगियों को क्यों दाखिल नहीं किया जाता ? इन परिस्थितियों में मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि स्वयं सरकारी तंत्र और डाक्टरों में अस्पृश्यता की अजीब भावना पाई जाती है जो जनता से भी अधिक है ।

अब मैं स्वयंसेवी संगठनों के बारे में मंत्री के वक्तव्य के पृष्ठ 3, स्तंभ 6 को पढ़कर सुनाता हू :—

"स्वयंसेवी क्षेत्र ने परम्परागत तौर पर कुष्ठरोग के विरुद्ध आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । इन गतिविधियों को और पुष्ट करने के लिए कदम उठाए गए हैं, जैसे सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार योजनाओं के अन्तर्गत स्वयंसेवी संगठनों को सहायतानुदान रूपी सहायता में वृद्धि ।"

क्या यह सच है ? मैं एक उदाहरण दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : शायद आप अन्तिम बात कहने जा रहे हैं ।

श्री हरिनाथ मिश्र : जी हां, परन्तु आप मानेंगे कि यह समस्या निम्नतम वर्ग से संबंधित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो सभापति तालिका में भी हैं ।

श्री हरिनाथ मिश्र : इस मामले पर पहली बार चर्चा हो रही है, अतः मैं थोड़ा उदारवादी होने का आपसे निवेदन करता हूं । मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि नियम निलम्बित कर दिया जाये । आप को 15 तिनट दिए गए थे ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा ।

एक सप्ताह पूर्व ही मेरे एक तारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया था । मेरा प्रश्न था :–

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार की नीति कुष्ठ रोग स्वयंसेवी सर्वेक्षण, शिक्षण तथा उपचार केन्द्र सहायता अनुदान योजना में उपयुक्त स्वयं-सेवी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न श्रेणियों के पूर्णकालिक एवम् पूरी तरह प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं को आरंभ में तथा 10 वर्ष कार्य करने के बाद सरकारी वेतनमानों की तुलना में किस दर पर मासिक परिलब्धियां मिलती हैं; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई विषमतायें हैं तो सरकार का विचार उन्हें कब दूर करने का है ?

मैं उत्तर पढ़कर नहीं बताऊंगा परन्तु कुछ पूरक प्रश्न पूछूंगा जिनसे स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर कैसा था ? उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं और सेवकों के विरुद्ध निरन्तर पक्षपातपूर्ण नीति अपनाती रही है··· (व्यवधान) क्यों समान योग्यता और अनुभव वाले इन लोगों और सरकारी लोगों में भेदभाव बर्ता जाता है ? जहां इस क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते, अतिरिक्त महंगाई भत्ते, पेंशन, उपदान आदि का उपबन्ध है, वहां उन संस्थाओं के कर्मचारी डाक्टरों, कर्मचारियों आदि को इनसे वंचित रखा जाता है ?

उस दिन मन्त्री महोदय ने यह भी बताया था कि लगभग 29 स्वयंसेवी संगठनों को वर्ष 1979-80 तक के लिए सहायतानुदान दिया गया था अर्थात 13 मास तक इन्हें सरकार से कुछ नहीं मिला । मैं आंकड़े दे सकता हूं ··

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : यह 'काम करने वाली' सरकार का नमूना है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : पहली सरकार ने जो कुछ किया वह भी हम देख चुके हैं । कम से कम बिहार में अनेक वर्षों तक सहायतानुदान व्ययगत होता रहा है ।

अब मैं मन्त्री से सीधा प्रश्न करता हूं । वे कर्मचारी क्या करें ? उनमें से अनेक पर अपने परिवारों का भार है, बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह आदि ? क्या वे भूखे पेट काम करते रहें और कार्यकर्ता क्या करें ? क्या वे लखपति हैं ? कर्मचारियों को वेतन और रोगियों को खाना, औषधियां कहां से दी जायेंगीं ? मैं मन्त्री महोदय से इन स्पष्ट प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत लम्बा है ।

श्री हरिनाथ मिश्र : अब, श्रीमान्···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो समझा था कि आप समाप्त कर चुके । आप काफी समय ले चुके हैं ।

श्री हरिनाथ मिश्र : मैंने इस मामले पर विचार किया है ··

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : जब वे पीठासीन होते हैं तो नियमों की बात करते हैं और अब स्वयं उनका उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री पी० के० कोरियन : (अडूर) : वे अब पीठासीन नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे समाप्ति पर हैं। उन्होंने बात समझ ली है।

श्री हरिनाथ मिश्र : कुष्ठ रोग के क्षेत्र में सरकार की ओर से काम करने वालों के बारे में मैं जानता हूं कि 5-7-10 वर्ष तक भी वे अस्थायी ही रहते हैं—क्यों ? क्या आप को डर है कि आप स्वयं शायद अस्थायी हैं और इसीलिए आपके सभी कर्मचारी भी अस्थायी हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : वह तो नैमितिक हैं।

श्री हरिनाथ मिश्र : अपने भाषण में उन्होंने ··

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो आप समाप्त कर ही दें।

श्री हरिनाथ मिश्र : उन्होंने स्वीडन के अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण (सीडा) का उल्लेख किया है। भारत सरकार ने इसके साथ 1979 में एक समझौता किया था। डा० सुशीला नायर की अध्यक्षता में एक संवीक्षा और मार्गदर्शी समिति ने यह कार्य किया था। 'सीडा' ने 'रिफाम्पिसीन' नियमित रूप से और पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने का प्रस्ताव किया था। वे चाहते थे कि सरकार इस नवीनतम औषधि का प्रयोग करे। उन्होंने ईंधन सहित वाहन देने का भी प्रस्ताव किया था और यह औषधि रोगियों को देने के लिए चिकित्सा कर्मचारियों को यात्रा और दैनिक भत्ते की अदायगी भी वही करने जा रहे थे, जैसा कि उन्होंने समझौते के खण्ड 6 का हवाला दिया है। क्या यह सच है कि ये सभी प्रस्ताव अभी तक कागज पर ही हैं और 'सीडा' भारत सरकार तथा विशेषकर स्वास्थ्य मन्त्रालय की प्रतिक्रिया से बहुत निराश हुआ है ? एक शब्द और कहकर मैं समाप्त करता हूं;

अपने राजनीतिक जीवन का श्री गणेश करते हुए दक्षिण अफ्रीका में 1908 में महात्मा गांधी ने कहा था कि "भारत की गुलामी का कारण वहां के कुष्ठ रोगियों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार है और ब्रिटिश शासन को उन्हीं की दुआयें प्राप्त हैं जबकि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में बंगला देश के नवाखाली जिले में भ्रमण करते हुए उन्होंने कहा था "कि यदि मुझे किसी का पक्ष लेने को कहा जाये तो मैं कुष्ठ रोगियों का पक्ष लूंगा वे समाज के अपराधों का परिणाम हैं। यदि नैतिक पंगुओं को निकाल दिया जाये तो कुष्ठ रोगी शीघ्र ही नहीं रहेंगे।"

इससे पूर्व स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था :—

"तुम ईश्वर की इच्छा बिना दूसरों की सहायता नहीं कर सकते। रोगियों, दलितों, शोषितों और कुष्ठ रोगियों की सेवा ही उसकी सेवा है। वे तुम्हारे भाई-बहनें हैं।"

(साधू-सन्तों और मनीषियों की उक्तियों की भरमार है। परन्तु भारत के ही नहीं विश्व भर के इतिहास में इतना साहसपूर्ण, विवेकपूर्ण और दानिशमंदाना निर्णय किसी शासक, प्रधान मन्त्री अथवा राष्ट्रपति ने नहीं लिया जितना हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती गाँधी ने लिया है अर्थात 15-20 वर्ष की अवधि में कुष्ठ रोग समूल समाप्त कर दिया जाएगा। यह लानत हजारों वर्षों से हमारे यहां है और अब तक इससे छुटकारा नहीं पाया जा सका है।

आशा है कि समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति, बिना जाति, धर्म, समुदाय और दल आदि के भेदभाव के इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करेगा।

नत्वहं कामये राज्यं
न विद्याम् न पुनर्भवं।
कामये दुःखतप्तानां
प्राणिनामार्ति नाशनम् ॥

"न मुझे राज्य की चाह, न ज्ञान की; न मुक्ति की। मुझे चाह है तो केवल दुःख से पीड़ित प्राणिमात्र का दुख हरने की।"

धन्यवाद।

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं सर्वप्रथम मिश्र जी का आभारी हूं क्योंकि उन्होंने न केवल अनेक सुझाव दिए हैं बल्कि स्वयं भी 30 वर्ष तक यह कार्य किया है।

श्री हरिनाथ मिश्र : सरकारी तौर पर नहीं।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमें उनसे बहुत सी बातें सीखनी हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अनुभव का स्थान सर्वोपरि है। मैं उनके द्वारा अन्त में उठाये गए स्वयंसेवी संगठनों के प्रश्न को सबसे पहले लेता हूं।

जैसे सभी जानते हैं कुष्ठ रोग चेचक, हैजा जैसा रोग नहीं है और इसके रोगी आरम्भ में इलाज के लिए सामने नहीं आते। फिर भी हमने उपाय किए हैं जिनका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। अब मैं स्वयंसेवी पक्ष की ओर आता हूं जिसका जिम्मा मिश्र जी ने अनेक वर्षों से स्वयं ले रखा है। विशेष प्रकार का रोग होने के कारण इस क्षेत्र में स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विशेष महत्व है। इसीलिए हम उन्हें अधिकाधिक प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं सभा में बता ही चुका हूं कि 29 ऐसी संस्थायें हैं जिन्हें सरकारी सहायता मिल रही है। बात यह है कि सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं और उन्हें राज्य सरकारों को अनुदान के लिए आवेदन करना होता है परन्तु कठिनाई यह है कि अनेक राज्य सरकारों द्वारा, बार-बार निवेदन करने पर भी, इन मामलों को तुरन्त नहीं निपटाया गया। अतः ऐसी संस्थाओं को समय पर अनुदान मिलने में कठिनाई होती है।

दूसरे पहलू के बारे में, जैसा मैंने पहले बताया है, स्वयंसेवी संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन-मान निश्चित नहीं हैं। वहां अधिकांश कर्मचारियों के पास न पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता होती है और न ही उन पर वह आयु सीमा लागू होती है जो सरकार द्वारा निर्धारित है और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें उस पर लागू नहीं की जा सकतीं। कभी-कभी वे आधा दिन ही काम करने आते हैं। फिर भी हम इन संस्थाओं द्वारा नियुक्त डाक्टरों के वेतन बढ़ाना चाहते हैं, 1969 में उनका वेतन 500 रुपये था जो 1976 में 800 और बाद में 1000 रुपये कर दिया गया। हम डाक्टरों, गैर-चिकित्सा पर्यवेक्षकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और परा-चिकित्सीय कर्मचारियों पर अधिक बल दे रहे हैं।

दूसरी बात सदस्य महोदय ने अधिनियम के बारे में कही है। राज्यों से अनेक बार इसका निरसन करने के लिए कहा गया है परन्तु किसी भी राज्य सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है यद्यपि अनेक राज्यों में इसे लागू नहीं किया जा रहा है।

अन्त में मैं सदस्य महोदय का अनेक बहुमूल्य सुझाव देने पर आभारी हूं और हम इन पर अमल करने का प्रयास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम भोजन के लिए सभा की बैठक स्थगित करते हैं। बैठक 14.05 बजे पुनः समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा 2.05 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

— —

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.10 बजे पुनः समवेत हुई।

(श्री गुलशेर अहमद पीठासीन हुए)

सरकारी उपक्रमों सम्बंधी समिति

23वां और 24वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री बन्सी लाल (भिवानी) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं -

(एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड—इस्पात का आयात संबंधी 23वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सम्बन्धी 24वां प्रतिवेदन तथा समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

सभापति महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण पर आते हैं।

श्री बापूसाहिब पुरलेकर यहां नहीं हैं। श्री हरीशचन्द्र सिंह खन्ना।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना (जारी)

कुष्ठ रोग का उन्मूलन

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता जी, कुष्ठ रोग एक चिन्तापूर्ण मानवीय समस्या है और दुख की बात है कि इस प्रकार के रोगियों को चाहे हम स्वीकार करें या न करें, जनता में उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता है जिससे उनमें हीनता की भावना पैदा होती है और यह भावना रोग से ज्यादा उनके लिये नुकसानदेह है। मैं मानता हूं कि इस रोग के उन्मूलनार्थ न तो पैसे की कमी है और न इच्छाशक्ति की कमी है और न हमारे विशेषज्ञों की कमी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस रोग के विषय में जो भ्रामक धारणायें हैं उनका कैसे उन्मूलन किया जाय ? इस संदर्भ में हमारी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं और समाजसेवी संस्थाएं हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं। लेकिन आपने इन स्वैच्छिक संगठनों के लिए केवल 31 लाख रु० का इस वर्ष प्रावधान किया है। हमारे यहां भी एक कुष्ठ रोग आश्रम है और वहाँ के रोगियों को केवल 12 रु० सरकार की ओर से मिलता है, शेष समाजसेवी संस्थाएं पैदा करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रोगियों को वह उतना नहीं दे पाती हैं जितना कि उनको मिलना चाहिए। तो क्या आप इस ग्रान्ट को बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

इस सन्दर्भ में दूसरी बात यह है कि जो भ्रान्त धारणाएं हैं, जैसे रोगी होता है और वह ठीक भी हो जाता है तो उसके पुनर्वास की समस्या पैदा होती है कि वह क्या रोजगार करे। और इस सम्बन्ध में कोई ऐसा रोजगार इस तरह के रोगियों को नहीं मिल पाता है। इस संदर्भ में कुष्ठ निवारण संघ और कई संगठन और हैं उन्होंने आपको एक ज्ञापन दिया है। क्या आप उस ज्ञापन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे ?

जिस तरीके से टी० बी० की बीमारी है इसके संदर्भ में कोई सेन्ट्रल या स्टेट लैजिस्लेशन नहीं है। मगर कुष्ठ रोग के सन्दर्भ में एक सेन्ट्रल लैजिस्लेशन है और इसके तहत इस तरह के रोगियों के पुनर्वास में बड़ा व्यवधान पैदा होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस लेजिस्लेशन के संदर्भ में क्या आप कोई पुनर्विचार करेंगे इसको समाप्त करने के लिए या इसमें किसी तरह का कोई संशोधन करने के लिये ?

इसमें कई ऐसे उपायों का जिक्र किया गया है आपकी तरफ से। क्या सरकार ने, जैसे 1978-79 में ग्रान्ट कम हो गई थी, उसमें प्रान्तों का भी शेयर होता था और वह अपना शेयर प्रोपर्ली नहीं देते थे उसको आपने स्वीकार किया है, आपने केन्द्र से ही ग्रान्ट देने की बात की है।...

सभापति महोदय : माननीय सदस्य चेयर की तरफ नहीं देखते हैं, उधर ही देख रहे हैं। इधर देखिये।

असल में मैं मन्त्री जी को ज्यादा कन्विन्स करना चाहता था।

सभापति महोदय : मेरे थ्रू कीजिए तो ज्यादा कन्विन्स होंगे।

श्री हरीश चन्द्र रावत : अब मैं आपके थ्रू कहूंगा।

कुष्ठ रोगियों की संख्या सन् 1952 में जहां 15 लाख थी, वह 1971 में 32 लाख हो गई और अब 1980 में यह 40 लाख से भी ऊपर है। क्या आप समझते हैं कि जो पैसा छठी पंचर्षीय योजना में इसके लिए प्रोवाइड किया है, वह एडीक्वेट है, जबकि रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है ?

चर्म रोग के संदर्भ में एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में चर्म रोग के रोगियों का भी प्रतिशत बढ़ा है जो कि चर्म रोग का शिकार हुए हैं। हमारे देश की पापूलेशन का बहुत बड़ा भाग किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित है। इन पहलुओं को देखते हुए हमारा मंत्री जी से निवेदन है और प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना में इसके लिए ग्रान्ट का जो प्रोवीजन किया है, इसको बढ़ाया जाये।

हमारे देश के अन्दर करीब 100, 150 ऐसे स्वयंसेवी संगठन हैं।

1983 में कुष्ठ रोग के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत में हो रहा है। क्या सरकार इस तरह के संगठनों के प्रतिनिधियों को पहले बुलाकर उनसे विभिन्न मामलों पर विचार करेगी और इस अन्तर्राष्ट्रीय सैमिनार में कुछ ऐसे सुझाव रखेगी जिससे दूसरे कंट्रीज ज्यादा प्रभावित हों ? हमको लीडिंग रोल अदा करना है, क्या भारत सरकार इस सम्बन्ध में लीडिंग रोल अदा करेगी। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय इस समस्या पर उदारतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री निहार रंजन लास्कर : सभापति महोदय, श्री रावत ने देश में कुष्ट-रोग उन्मूलन कार्यक्रम के कुछ पहलुओं पर ध्यान दिलाया है, पहली बात इस रोग के बारे में लोगों की अज्ञानता है। उनके मन में कुछ गलत धारणाएं हैं अतः लोगों को बताया जाना चाहिए कि यह रोग भयानक नहीं है। यदि इसका पता आरम्भ में ही लग जाए और इलाज हो जाने पर रोगी हमारे-आपके जैसा ही लगेगा। इसलिए हमने शिक्षा सम्बन्धी पक्ष का भी ध्यान रखा है और स्वयंसेवी संस्थाओं को सहायता दे रहे हैं।

माननीय सदस्य ने दूसरी बात रोगियों के अच्छा हो जाने पर पुनर्वास के बारे में कही है। इस बात का सम्बन्ध हमारे मंत्रालय से नहीं है बल्कि शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से है। हम उनके सुझाव उन्हें भेज देंगे।

कुष्ठ रोग सम्बन्धी विधान के बारे में मैं बता चुका हूं। आरम्भ में यह केन्द्रीय विधान था। बाद में इसे राज्यों को दे दिया गया। अब इसका निरसन करना उन्हीं का काम है जो अनेक बार निवेदन करने पर भी नहीं हुआ है।

इस पर अमल नहीं किया जा रहा है। योजना में उपबंध के बारे में, मैं वर्ष 1979-80 और 1980-81 का ब्यौरा दूंगा। जनता राज्य में यह कार्यक्रम 50 : 50 के आधार पर चलता था। जैसा आप जानते हैं, जहां हम अपना हिस्सा देने को राजी थे, वहां कुछ राज्य सरकारें ऐसा नहीं करना चाहती थीं। अब हमारी प्रधान मंत्री ने 20 वर्ष में इसका उनमूलन करने का नारा दिया

है और पूरी-पूरी सहायता इस वर्ष केन्द्र द्वारा दी जायेगी। चौथी योजना में 5 करोड़ रुपये रखे गए थे, पाँचवीं योजना में इसे बढ़ाकर 18.1 करोड़ रुपये किया गया। इस वर्ष योजना में हमने 40 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया है। अतः धन की कोई समस्या नहीं है। धन जितना भी अपेक्षित होगा दिया जायेगा।

मेरे मित्र ने आखिरी बात 1983 में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में कही है कि क्या हम सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से सलाह लेंगे ? यह अच्छा सुझाव है। हम ऐसा ही करेंगे ताकि यह सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, हम अपने बड़े देश में मुहल्लों, गलियों और बाजारों में कुष्ठ रोगियों को अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ घूमते हुए, और दया की भीख मांगते हुए, देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उन लोगों को हमारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। अभी पहले वक्ता ने कहा था कि स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि दीन, अनाथ और अपंग आपके भगवान हैं। मैं उनकी बात की सराहना करता हूं।

इस बारे में एक डाक्टर ने लिखा है :–

" कुष्ठ रोगियों के प्रति अपने रवैये में परिवर्तन करके हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। यह तो हम अपने लिये वातावरण सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, जो हमारे हित में है। "मंत्री महोदय ने यह बड़ी अच्छी बात कही है कि सरकार छठी प्लान में कुष्ठ-रोग के उन्मूलन के लिए 40 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मगर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज तक कुष्ठ-रोगियों की कोई जन-गणना, सेन्सस, हुई है या नहीं। सरकार ने यह कभी नहीं बताया है कि हमारे देश में कुष्ठ-रोगियों की संख्या क्या है। एक जर्मन रिलीफ एसोसियेशन ने आन्ध्र प्रदेश का सर्वेक्षण करके बताया कि किसी पंचायत में एक हजार के पीछे 2.6 कुष्ठ-रोगी हैं, किसी पंचायत में एक हजार के पीछे 68.9 हैं, और किसी पंचायत में एक हजार के पीछे 140 हैं।

24 जुलाई, 1980 को एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया था :–

"31 मई, 1980 को देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी थी, इसका ठीक से पता नहीं लगा है..."

"कुष्ठ-रोगियों के लिए अभी तक कोई जन-गणना नहीं की गई है···

"देश में कुष्ट गृहों की संख्या का भी पता नहीं है···

इस उत्तर को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक कुष्ठ-रोगियों की जन-गणना करवायेगी। दूसरे, जो कुष्ठ-रोगी जगह-जगह घूमते हैं, क्या उनको बसाने के लिए अलग-अलग स्थान बनाए जायेंगे। और उनको उनके बच्चों से अलग कर दिया जायेगा ताकि जो छोटे बच्चे हैं जो हिन्दुस्तान की भावी आशा बनने वाले हैं उनको अलग करके कहीं अलग रखा जाए? आप कहते हैं कि यह तो पुनर्वास का काम है। मेरा यह कहना है कि कोआर्डिनेशन आपस में होना चाहिए। यह उत्तर दे देने से संतोष नहीं हो सकता।

कुष्ठ-रोगियों को एक जगह बसाया जाए, उनके खाने पीने आदि की व्यवस्था की जाए इसके लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? क्या उनके बच्चों को उनसे अलग रखा जायेगा या उन बच्चों को उनके साथ ही रहने दिया जायेगा ताकि वह भी कुष्ठ रोग के शिकार बन जायें ?

मेरी समझ में एक बात नही आयी कि हम इतनी धन राशि खर्च करते हैं, उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको बराबर हेल्प देता है, उसने 1978-79 में 18 लाख 46 हजार रुपया, 19-80 में 25 लाख 98 हजार रुपया, और 80-81 में 27 लाख 44 हजार रुपया आप को दिया है और आपने जो खर्च किया है टोटल एमाउंट वह है 1977-78 में 586.71 लाख रुपया, 78-79 में 767.25 लाख रुपया, और 79-80 में 241.82 लाख रुपया, यह कैसे हो गया ? आपने पहले तो 1978-79 में 767.25 लाख रुपया खर्च किया है और 1980 में 241.82 लाख ही खर्च किया है ? यह कैसे हुआ ? हम बारबार कह रहे हैं कि कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है और धन राशि आपकी कम खर्च हो रही है ।

अब आप यह बताइए कि जो स्वैच्छिक संथाए हैं इनका क्या रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है ? किस आधार पर आप इनको आर्थिक सहायता देते हैं ? क्या आधार है जिन पर आप यह तय करते हैं कि इनको यह देना है ? क्या इन संस्थाओं का कभी मूल्यांकन या आडिट हुआ है या नहीं हुआ है और आपने इन संस्थाओं के लिए क्या प्राइटीरिया रखा है जिनको आर्थिक सहायता देंगे ? आर्थिक सहायता देने के बारे में आपने एक बड़ी बात बता दी कि हम 40 करोड़ की धनराशि देंगे । आपका रेडियो भी कहेगा कि 40 करोड़ की धनराशि लस्कर साहब ने देने की बात कही । मैं पूछना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में यह जो 40 करोड़ आप देंगे उसमें एक साल का कितना एमाउंट हुआ ? दूसरे, आप कुष्ठ रोगियों को खुद अपनी तरफ से अस्पताल चला कर ठीक करेंगे या स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही निर्भर करेंगे ? क्या गवर्नमेंट इन कुष्ठ-रोगियों को लेकर अपनी तरफ से उनका रोग-निवारण करने का कोई प्रयत्न करेंगी या उन्हीं संस्थाओं पर ही निर्भर करेगी ?

महात्मा गांधी कुष्ठ रोगियों का खुद इलाज करते थे । हमारे मंत्री जी भी करते होंगे । गांधी जी ने खुद उनका इलाज किया था । आप यह बतला दीजिए कि हिन्दुस्तान में जो आपका स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा कितने कुष्ठ रोगियों को आपने इस रोग से मुक्ति दिलायी है और इससे मुक्त करके उनको रोजगार में लगा दिया है ? यह आप बताने की कृपा कीजिए ।

यह जो नेशनल लेप्रोसी बोर्ड है उन्होंने तो कहा था 1981 का जो एक्ट है इसके सम्बन्ध में कि उसको खत्म कर दीजिए, उन्होंने इसके लिए सिफारिश कर दी है, तो क्या आपने इसको खत्म कर दिया या नहीं किया ? अगर किया तो कब रिपील किया और पार्लियामेंट में वह रिपील एक्ट कब आया ।

एक बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कब तक आप इस कुष्ठ रोग को हिन्दुस्तान से बिदा कर देंगे ? क्या आपका टार्गेट है ? छठी पंचवर्षीय योजना में कितने कुष्ठ रोगियों को आप

कुष्ट रोग से मुक्त कर देंगे और कितनों का आप पुनर्वास कर देंगे ? इस रोग से कब सदा के लिए हमें मुक्ति मिल जायेगी ? ये मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आना चाहिए।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमारे देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिये यह संभव नहीं कि कुष्ठ रोगियों की नियमित रूप से जनगणना की जाये। हमारे देश में इस समय लगभग 31 से 35 लाख कुष्ठ रोगी हैं, यह एक मोटा अनुमान है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उनकी तरफ मत देखिये।

श्री निहार रंजन लास्कर : दूसरी बात कानून के निरसन के बारे में है। मैं सभा में बार-बार बता चुका हूं कि इसका निरसन करना राज्य सरकारों का काम है। हमने उनसे इसका निरसन करने के लिये कई बार अनुरोध किया है। परन्तु किसी राज्य ने इस कानून का निरसन नहीं किया है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री मूल चन्द डागा : जब यह अधिनियम लागू है तो इसका निरसन क्यों नहीं किया जाता। यदि इसका निरसन नहीं किया गया तो यह लागू रहेगा।

श्री निहार रंजन लास्कर : हम इसे नहीं कर सकते। इस बारें में राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी होगी। हम उन्हें कई बार कह चुके हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आपने स्टेट गवर्नमेन्ट्स से कितनी बार प्रार्थना की है, यह ज़रा बताइये।

सभापति महोदय : आप राजस्थान सरकार से खुद भी बात कर सकते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मुझे तो पता नहीं है कि कब इन्होंने राजस्थान को लिखा है। यह तो सेन्ट्रल ऐक्ट है, इसको आप ही रिपील कर दीजिए। आप ला डिपार्टमेन्ट से कह दीजिए कि इसको रिपील करने की कार्यवाही की जाय।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं नहीं चाहता कि ···(व्यवधान)।

सभापति महोदय : उनकी तरफ मत देखिये। यदि आप उनकी तरफ देखेंगे तो आपको परेशानी होगी। आप मेरी तरफ देखिये। इस अधिनियम के बारे में मैंने पहले भी कहा था और अब मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार उसके बारे में मौन है। हम उन्हें बतायेंगे कि उन्हें इस संबंध में क्या करना चाहिये।

अपने मुख्य उत्तर में मैंने बताया है कि हम कुष्ठ रोग पर काबू पाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। मूल औषधि डेपसोन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है ताकि कुष्ठ रोग उपचार कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

राज्यों से कहा गया है कि कुष्ठ रोगों से पीड़ित अधिकारियों का दर्जा बढ़ा दिया जाये ताकि वे अपने काम को और अधिक ईमानदारी से कर सकें। स्वेच्छिक संगठनों को अधिक से

अधिक अनुदान दिये जा रहे हैं। तथा इन संगठनों को और अधिक सहायता की जायेगी। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : मैं तो अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। मैं उनका भाषण सुन चुका हूं।

सभापति महोदय : वे आपको उत्तर दे रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : यदि आप कहते हैं कि यह उत्तर हैं तो ठीक है। मैंने यह पूछा था कि कुष्ठ रोग कब समाप्त होगा।

सभापति महोदय : यह कोई भी नहीं कह सकता। आप ऐसी बात पूछ रहे हैं जो असंभव है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमारा उद्देश्य इसे सन् 2000 तक समाप्त करने का है। परन्तु हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : माननीय सभापति जी, आज इस सदन में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या पर चर्चा हो रही है। हम लोगों दुनिया को एक उजाड़ बस्ती, उपेक्षित बस्ती की ओर आप सबका ध्यान दिलाने की कोशिश की है।

हमारे नेता, राष्ट्रपति महात्मा गांधी, ने राजकीय स्वतंत्रता के साथ-साथ समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, चाहे दलित हों, आदिवासी हों और चाहे कुष्ठ रोगी हों, उनके उत्थान के लिए आगे कदम बढ़ाया था। स्वतंत्रता के बाद मेरी तो यही भावना है कि हमारे शासन ने इतनी सारी पंचवर्षीय योजनायें बनाईं, बजट में प्रावधान किया और अपेक्षित लोगों के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन मालूमात के अनुसार जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब यहां कुष्ठ-रोगियों की संख्या दस लाख थी और आज 40 लाख तक बढ़ गयी है। इसका कारण क्या है ? जैसा कि मैं समझती हूं, आज सामाजिक प्रश्न राजनीतिक रंग लेते हैं। राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल आपको उठाते हैं, उसकी तरफ हम लोग ज्यादा गम्भीरता से ध्यान दें। भाग्य से यह कुष्ठ रोगियों की समस्या ऐसी समस्या नहीं बन पायी है, जो कि सामाजिक समस्या बनकर हमारे सामने खड़ी रहे, इसलिए उसमें आज भी बहुत सारी कठिनाइयां हमें दिखायी देती हैं।

इस देश में दिन प्रति दिन कुष्ठ रोगी बढ़ रहे हैं। आंध्र और तमिलनाडु, ये दोनों राज्य सबसे ज्यादा कुष्ठ रोगियों से पीड़ित माने जाते हैं। जहां आंध्र में या तमिलनाडु में 7 लाख 83 लाख कुष्ठ रोगी हैं, वहां सिर्फ 57 हॉस्पिटल्स हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। मुझे मालूम है, शासन एक दम से इस हालत को निभाने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि जिला परिषद् के जो अस्पताल हैं या नगर परिषद् के जो अस्पताल हैं या शासकीय जो अस्पताल हैं, उनमें कोई कुष्ठ रोगियों के उपचार के लिए अलग से प्रभावकारी डिपार्टमेंट खोलना चाहिए। आज इन कुष्ठ रोगियों के निवारण के लिए कुछ भी अलग से प्लान बनाने की जरूरत है।

मैं मंत्री महोदय से एक सवाल और पूछना चाहती हूं कि बढ़ते हुए कुष्ठ रोगियों के लिए बजट में हमने बहुत बड़ा प्रावधान किया है और इसके लिए बहुत सारी कोशिशें हो चुकी हैं। फिर भी क्या यह बात सच है कि 1977-78 में कुष्ठ रोगियों के निर्मूलन के लिए 7 करोड़ रुपया खर्च किया गया, 1978-79 में सात करोड़ रु० खर्च हुए और 1979-80 में 3 करोड़ 99 लाख रु० खर्च हुए। एक तरफ तो कुष्ठ रोगियों की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार उन पर खर्च होने वाली राशि को कम करती जा रही है, इसलिए इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि इसका क्या कारण है ?

मैं मंत्री महोदय से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर काफी सारे मामले उठाये गये और हमारे संसद भाइयों ने भी अपने विचार प्रकट किए, लेकिन जो पुनर्वास का सवाल उठाया गया है, उसके बारे में कहना चाहती हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र अमरावती है। अमरावती में पूज्य महात्मा जी गांधी के साथी शिवाजीराव पटवर्धन जी ने तपोवन संस्था में कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत काम किया। हमारे विदर्भ में आनन्दवन में बाबा आमेट काम कर रहे हैं। वहां हम देखते हैं कि पुनर्वास की प्राब्लम है कोई भी उपेक्षित व्यक्ति हो या समाज हो, उसके जीवन में दो प्राब्लम होते हैं। एक तो सामाजिक अन्याय दूर होना चाहिए। समाज में एक नागरिक सम्मान उसको मिलना चाहिए और दूसरे उपेक्षित व्यक्ति के लिए जो प्राब्लम है, वह है आर्थिक सहायता। उसके स्वावलम्बन के लिए, निर्भरता के लिए और आत्म-बल के लिए उसको आर्थिक सहायता की जरूरत है। हम यह भी देखते हैं कि कुष्ठ रोगी तपोवन से ठीक होकर निकलते हैं और बाहर आते हैं तो समाज में उनको मान्यता नहीं मिलती है। घर वाले भी उनकी तरफ नहीं देखते हैं। आश्रम वाले बोलते हैं कि आप ठीक हो चुके हैं और बाहर जाइए, लेकिन समाज में उनकी तरफ अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। खासकर मैं महिलाओं के बारे में कहती हूं। यदि कोई महिला तपोवन से बाहर निकलती है, तो स्त्री के लिए ऐसा वातावरण है कि उसके लिए मायके के दरवाजे भी बन्द रहते हैं, और ससुराल के दरवाजे बन्द रहते है, लेकिन जब कोई आदमी बाहर निकलता है, चाहे वह कैसा भी हो, बदमाश हो और शराबी हो, चाहे कुष्ठ रोगी भी हो, जैसी कि हमारे देश की संस्कृति है, उसके लिए घर के दरवाजे खुले रहेंगे, घर उसका ही रहता है। इसलिए वे महिलायें जो वहां से निकलती हैं, वे सोचती हैं कि हम किस लिए ठीक हुए, हम वहीं ठीक थे हम कुष्ठ रोग से बीमार थे तब भीख तो मांग सकते थे। आज समाज भी स्वीकार नहीं करता, ना कोई उद्योग के लिए साधन। उनके परिवार के लोग भी उनसे रिश्ते तोड़ डालते हैं। हमें इसलिए सोचना चाहिए कि उनको भी समाज में उचित स्थान मिले। कुष्ठ आश्रम में शादियां भी होती हैं, उनके घर बसाए जाते हैं, बड़े अच्छे परिवार हैं और वहां जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों को कोई कुष्ठ रोग नहीं रहता है। ऐसे कई बच्चे हैं, जो आश्रम के स्कूलों में पढ़ते हैं, जो यह पूछते हैं कि हमारे लिए कौन सी दुनिया बनाई है ? हमारे लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था करो, हम कुष्ठ रोगी बच्चे नहीं हैं, लेकिन आगे हमें कुष्ठ रोग जिन्दगी में नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि शासन ने इन बच्चों के लिए कोई खास व्यवस्था की है ? यदि की है तो वह क्या है ?

मैं निवेदन करना चाहती हूं कि अस्पतालों की संख्या बढ़ाने या दवाइयों की सुविधा में थोड़ा संशोधन करने से कुष्ठ रोग की समस्या हल नहीं होगी। मैं ऐसा विश्वास करती हूं–जैसे किसी भी समस्या को हल करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत होती है, वैसे ही उनके लिए सामाजिक माहौल तैयार करने की जरूरत है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रसार की मशीनरी है, टी० वी०, आकाशवाणी या चित्रपट है–इनके जरिये प्रसार करने या सामाजिक वातावरण तैयार करने का प्रयास नहीं किया जाता। यदि ऐसे विचार की व्यवस्था की जाये कि जनता को पता लग सके कि कुष्ठ रोग कैसे होता है, कैसे बढ़ सकता है, इसके प्रसार को रोकने के लिए हमें क्या सावधानी व रतनी चाहिए तो इससे कुष्ठ रोग को रोकने में सहायता मिलेगी, साथ ही रोगियों के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण तैयार करने का वातावरण बनेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने टी० वी०, आकाशवाणी से ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करें तथा आनन्दवन, तपोवन जैसी सेवाभावी संस्थाओं का प्रचार करें, जिसे हमारे मन में ऐसी सेवा के लिए भावना बने।

हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के शासन ने निर्णय लिया है कि चन्द दिनों में जैसे मलेरिया और देवी (स्माल पाक्स) जैसे रोगों को हटाया गया है, वैसे ही कुष्ठ रोग को भी हटा देंगे। इसके लिए मैं शासन को धन्यवाद देती हूं। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूं, हम देखते हैं कि बम्बई में बाहर से लाखों कुष्ठ रोगी हर साल आते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर चिन्ता व्यक्त की है।

श्री निहार रंजन लास्कर : माननीय सदस्य ने कुछ बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। हम उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे।

एक विशेष बात देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में वृद्धि के बारे में कही गई है। ऊपरि तौर पर ऐसा लगता है कि उनकी संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु वास्तव में यह वृद्धि कुष्ठ रोगियों का पता लगाने के लिये की गई प्रभावी कार्यवाही के कारण है। क्योंकि हम अधिक प्रभावी कार्यक्रम चला रहे हैं इसलिये अधिक से अधिक मामले हमारे ध्यान में लाये जा रहे हैं। साथ ही योजना के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्र में भी वृद्धि की खई हैं। इसलिये बाहर से तो ऐसा लगता है कि उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि योजना के अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्र में वृद्धि और अधिक मामलों का पता लगने के कारण है।

माननीय सदस्य ने किसी राज्य का उल्लेख किया और कहा कि कुष्ठ रोगियों का जिला परिषद् अस्पतालों में इलाज नहीं होता। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि तमिलनाडु में कुष्ठ रोगियों का इलाज जिला और ताल्लुक अस्पतालों में किया जाता है। अपने भाषण के अन्त में उन्होंने महाराष्ट्र का जिक्र किया। जिन राज्यों में यह रोग फैला हुआ है वहां हम अधिक ध्यान दे रहे हैं।

इस कार्यक्रम पर खर्च की गई धनराशि का उल्लेख भी किया गया है। 50-50 के भाग के आधार, के लिये आग्रह के कारण यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है। इसीलिये

हमारी प्रधान मंत्री ने कहा है कि एक निश्चित अवधि तक हमारे देश में कुष्ठ रोग को समाप्त करना होगा। अब हमने एक केन्द्रीय योजना चालू कर दी है जिसमें सारा धन केन्द्र द्वारा दिया जायेगा। हम आशा करते हैं कि इस योजना के फलस्वरूप स्थिति में सुधार होगा।

गृह मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा के उत्तर में दी गई कतिपय जानकारी को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : सभापति महोदय, 21 अप्रैल, 1981 को लोक सभा में इस मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस का उत्तर देते समय मैंने अनजाने में कहा था कि :—

"मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि जब सारे मुल्क में पुलिस का नम्बर 1.2 प्रति एक हजार है—जैनरली 0.8 प्रति एक हजार से लेकर, अगर नागालैंड और केरल को मिलें, तो 12.8 प्रति एक हज़ार हो जाता है।"

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है। मंत्री जी किस बात पर बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं ?

सभापति महोदय : आपने सुना नहीं। जो जवाब हाउस में दिया गया था, कुछ गलत हो गया था, उस को सही कर रहे हैं।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : बागड़ी जी, आज के आर्डर पेपर में यह है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने पढ़ा है और मैं जानता हूं। यह स्पष्टीकरण इनको बोलने से पहले करना चाहिए था कि किस पर बोल रहे हैं। इसमें अगर लिखा है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं, ये लिखकर भेज देते।

श्री ज़ैल सिंह : मैं तो चाहता था कि पढ़ दूं। यह भेजा हुआ है, कहिये तो खत्म कर दूं ··· (व्यवधान)

"यह वेरिएशन स्टेटों की है। लेकिन केरल को इस बात का मान है कि वहां पुलिस एक हज़ार के पीछे 12.8 है। जो मेम्बर पुलिस के नम्बर की चिन्ता करते हैं, शायद वे मेम्बर भी सोकाल्ड प्रोग्रेसिव ग्रुप के हैं, और उन्होंने यह नहीं सोचा कि जहां पर सी० पी० आई० (एम) का राज है, वहां पुलिस का नम्बर सबसे ज्यादा है।" उक्त उत्तर के स्थान पर :—

"मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब हमारे मुल्क में पुलिस का नम्बर 1.2 प्रति एक हज़ार है—जैनरली 0.8 प्रति एक हज़ार से लेकर 12.8 प्रति एक हज़ार हो जाता है। यह वेरिएशन स्टेटों की है।" पढ़ा जाए।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 4 मई, 1981 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. राज्य सभा द्वारा पास किए गये रूप में निम्नलिखित विधेयक पर विचार और पारित करना :—

(1) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1981.

(2) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक, 1981.

(3) संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1981.

3. विचार और पारित करना :—

विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1981.

4. नर्मदा जल योजना के बारे में अधिसूचना में संशोधन के लिए श्री आर० के० महालगी द्वारा सूचना दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा।

(5) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम 1980 के बारे में अधिसूचना में संशोधन के लिए श्री आर० के० महालगी द्वारा सूचना दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा।

सभापति महोदय : बागड़ी जी, आपको देखकर सबको बाई-पास कर देना पड़ता है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, किसान की हालत बिजाई से लेकर, जब तक फसल निकलती है, आशा पर जीवित रहती है, परन्तु आज तक किसानों की आशा कभी सफल नहीं हुई सिवाय निराशा के। गेंहूं के भाव के बारे में जो किसान की लुटाई हो रही है, उसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि सरकारी आधारित कीमत 130 रुपये क्विंटल है जबकि बाजार में 150 रुपये और दिल्ली में 170 रुपये और गुजरात में और बम्बई में 190 रुपये क्विंटल तक गेहूं की कीमत मिलती है। किसानों के साथ जो भाव की लूट हो रही है यानी किसान अपना गेहूं दिल्ली में नहीं बेच सकता है और सरकार हरियाणा में जबरन 130 रुपये क्विंटल खरीद रही है। जनता सरकार ने गुड़ पर रोक लगाकर गन्ने का भाव गिराया तो किसानों ने गन्ना बोना बन्द कर दिया जिसका नतीजा जहां चीनी फालतू पैदा होती थी, आज चीनी कहां। तीस साल की कड़ी मेहनत से किसानों ने इस देश को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और देश में अनाज इतना पैदा कर दिया कि विदेश से न मंगाना पड़े। अगर सरकार ने इस दफा किसान को जो ओला और बवंडर से पिट चुका है, फसल की कीमत पूरी देने में असमर्थ रही या रुकावट डाली तो उसका नतीजा किसान गेहूं बोना बन्द कर देगा और देश भुखमरी का शिकार होगा। इसलिए अगले सप्ताह के लिए इस विषय को कार्य सूची में रखा जाय।

श्री जी० एम० बनातवाला : (पोन्नानी) दिल्ली के जूनियर डाक्टर 5 जुलाई, 1980 से 1 सितम्बर, 1980 तक 58 दिन के लिए हड़ताल पर थे। दिल्ली के जूनियर डाक्टरों के महासंघ और सरकार के बीच एक समझौता हुआ। यद्यपि 8 महीने बीत गये हैं तथापि इस समझौते को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। अस्पताल में रेजीडेंसी सेवा के 6 वर्ष बाद अग्रिम वेतन वृद्धि न देने, काम के घंटों को विनियमित करने, वेतनमान युक्तियुक्त सम्बन्धी बातें समझौते में स्वीकार कर ली गयी थीं। परन्तु उन्हें अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है। फलस्वरूप जूनियर डाक्टरों में असन्तोष विद्यमान है। आल इण्डिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी सरकार और आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कालेज के छात्रों के बीच 1979 में हुए समझौते के क्रियान्वित होने तक आन्दोलन में तेजी लाने के लिए फैसला किया है। इसलिए सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन देने वाला एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, बेंगलौर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी यूनियन के संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने कर्मचारियों की मांगों के बारे में भारत सरकार से समझौता वार्ता शुरू कराने की मांग को लेकर 29 अप्रैल से दिल्ली में संसद भवन के सामने और बंगलौर, हैदराबाद तथा देश के अन्य भागों में अनिश्चितकालीन भूख-हड़ताल आन्दोलन शुरू कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि गत 12 मार्च को कर्नाटक के मुख्य मन्त्री के आश्वासन पर बेंगलौर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में काम करने वाले लगभग सवा लाख कर्मचारियों ने अपनी 77 दिनों की पुरानी हड़ताल वापस ले ली थी। लेकिन, दु:ख है कि, उसके बाद अभी तक सरकार ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से समझौता वार्ता शुरू नहीं की है।

सरकार की इस टालमटोल और मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ कर्मचारियों में घोर असन्तोष है जो किसी भी दिन बड़े आन्दोलन का रूप ले सकता है। अत: इस अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर इस सदन में बहस होनी चाहिए या श्रम मन्त्री इसके सम्बन्ध में सदन के सम्मुख बयान प्रस्तुत कर कर्मचारियों के असन्तोष को दूर करने के लिए उचित कदम उठावें।

नम्बर दो, खबर है कि बिहार में 10 उर्दू अखबारों में काम करने वाले कई सौ श्रमजीवी पत्रकार, प्रैस-कर्मचारी, कातिब आदि पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं और अखबारों का प्रकाशन बन्द है। उनकी एक मात्र मांग पालेकर अवार्ड की सिफारिशों को लागू करवाना है। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने बिहार के मुख्य मन्त्री से वार्ता कर समझौता करवाने का प्रयास किया, पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है।

उर्दू के जिन अखबारों में हड़ताल है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(1) इन दिनों, (2) सदाये-आम, (3) संगम, (4) साथी, (5) देश-विदेश, (6) हमारा नारा, (7) कौमी तंजीम, (8) पैगामे नेहरू, (9) अजीमाबाद एक्सप्रैस और (10) सदाकत। इनमें 'संगम' और 'इन दिनों' को छोड़ कर दूसरे सभी अखबार सरकार के समर्थक हैं।

यह भी खबर है कि समाचार एजेंसी "हिन्दुस्तान समाचार" के श्रमजीवी पत्रकारों एवं कर्मचारियों को मार्च महीने की तनख्वाह का अब तक भुगतान नहीं किया गया गया है, जिससे लोगों में घोर असन्तोष है।

श्रम मन्त्री को इन दोनों मामलों में हस्तक्षेप कर कोई रास्ता निकालना चाहिए, जिससे पत्रकारों एवं कर्मचारियों का असन्तोष दूर हो सके। इस सम्बन्ध में श्रम मन्त्री को कोई बयान देना चाहिए और साथ ही पालेकर अवार्ड के कार्यान्वयन पर बहस होनी चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, मैं अगले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के बारे में निम्नलिखित दो बातें कहना चाहता हूं :—

1. एशियाई खेल। इस प्रयोजन पर 700 करोड़ रुपये बर्बाद किये जा रहे हैं। हमारा गरीब देश इतने भारी खर्च को सहन नहीं कर सकता। यह धन विद्युत प्रजनन, सिंचाई, आवास बाढ़ नियंत्रण, कुटीर उद्योग आदि जैसे विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिये। सीमेंट, इस्पात और अन्य दुर्लभ वस्तुओं को एशियाई खेलों में लगाया जा रहा है और उनके मूल्य काले बाजार में बढ़ रहे हैं। आज हिन्दुस्तान टाइम्स में खबर है कि एशियाई खेलों से सम्बन्धित कार्य पर सभी सरकारी तन्त्र को लगाये जाने के कारण पश्चिम दिल्ली में हरिनगर में 500 बिस्तर वाले दिल्ली प्रशासन के अस्पताल सम्बन्धी कार्य और अन्य महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को रोक दिया गया है। इस अस्पताल में चार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। परन्तु जब कभी भी इसका कार्य आरम्भ किया जायेगा तो इसमें 2 करोड़ रुपये और लगेंगे। यह मामला बहुत गंभीर है और अगले सप्ताह सभा में उस पर बहस होनी चाहिये।

2. बंगलौर में स्थित सरकारी उपक्रमों के नेताओं और कर्मचारियों की भूख हड़ताल। यह मामला मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने भी उठाया है। बंगलौर स्थित सरकारी उपक्रमों के 1,30,000 कर्मचारियों की हड़ताल 77 दिन के बाद इस आश्वासन पर समाप्त कर दी गई कि कर्मचारियों की मांगें पूरी की जायेंगी परन्तु सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध बदले की भावना से आगे बढ़ रही है। इन पांच प्रमुख सरकारी उपक्रमों अर्थात आई० टी० आई०, एच० ए० एल०, एच० एम० टी०, बी० ई० एल० और बी० ई० एम० एल० में उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिये महत्वपूर्ण है। और सरकार का वर्तमान रवैया ठीक नहीं। सरकार को इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये और भूख हड़ताल को समाप्त करना चाहिये तथा इस मामले पर सभा में चर्चा होनी चाहिये।

श्री पी० के० कोडियन (अदूर) : सभापति महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं।

पहली बात खेतिहर मजदूरों के लिये विधान के बारे में है। सरकार ने यह पक्का आश्वासन दिया था कि खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिये एक विधेयक चालू सत्र में लाया जायेगा। श्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान माननीय श्रम मन्त्री ने इस आशय की घोषणा की थी। अगले सप्ताह की कार्य सूची में ऐसी कोई मद नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे अगले सप्ताह के कार्य में इस विधेक को शामिल करें।

मेरी दूसरी बात छठी योजना को तैयार करने और उसे अन्तिम रूप देने के बारे में है। मुझे खेद है कि छठी योजना जिसमें अगले पांच वर्षों के लिये हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास की दिशा के लिये आधार दिया हुआ है। उसे तैयार करने और अन्तिम रूप देने के मामले में संसद की पूर्णतया अवहेलना की गई है।

सभापति महोदय : आपको इस समय भाषण नहीं देना चाहिये। आप केवल वही पढ़कर सुनायें जो आपने लिखित रूप में दिया है।

श्री पी० के० कोडियन : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे छठी योजना पर संसद सदस्यों द्वारा चर्चा के लिये अवसर प्रदान करें जैसाकि जवाहरलाल नेहरू के समय में होता था।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : दो विषय मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में जुड़वाना चाहता हूं। पहला यह है कि देश के अधिकांश भागों में खासकर बिहार में बिजली का भयंकर संकट पैदा हो गया है। फलस्वरूप कृषि, उद्योग एवं विकास के कार्यों पर गहरा असर पड़ रहा है। बिजली संकट के कारण शहरों एवं देहातों में पेयजल के लिए अभी से हाहाकार मचा हुआ है। छोटे मोटे कई उद्योग लगभग बन्द हो चुके हैं जिससे मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ रही है। अतः इसे अगले सप्ताह की कार्यसूची में विचारार्थ रखा जाए।

दूसरा यह है कि पूरे देश में शान्ति व्यवस्था की स्थिति में लगातार गिरावट आ रही है और चोरी, डकैती, हत्या एवं बलात्कार के अलावा राजनैतिक हत्याओं की संख्या में भी उत्तरोत्तर तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हत्याओं में कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और लोक दल के सदस्यों की भी हत्या की गई हैं। एक सौ ऐसे लोगों की अकेले बिहार राज्य में पिछले एक वर्ष में हत्या हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा दूसरे राज्यों में भी इस संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए इस विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में रखा जाना चाहिये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : क्योंकि आपने मुझे इजाजत दी है, इसलिये मैं बोलूंगा मैं इतना भाग्यशाली हूं।

सभापति महोदय : जब मैं पीठासीन हूं, तो आप भाग्यशाली ही हैं।

श्री चित्त बसु : धन्यवाद। मैंने दो बहुत महत्वपूर्ण मामले उठाने के लिये आपसे अनुमति मांगी है।

सभापति महोदय : कृपया जो आपके पास लिखित रूप में है उसे पढ़िये।

श्री चित्त बसु : अगले सप्ताह चर्चा के लिये दो महत्वपूर्ण मामले उठाये जाने हैं। एक मामला तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उस वक्तव्य के बारे में है जो उन्होंने राज्यों के कई विधान-सभायी उपचुनावों और लोक सभा के उपचुनावों की घोषणा करते समय दी थी कि पश्चिम बंगाल के मामले में एक अलग और स्वतंत्र निर्वाचन तन्त्र बनाना होगा।··· (व्यवधान)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कृत्यों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो इस संसद का एक अधिनियम है के उपबन्ध के अनुसार किसी भी राज्य में स्वतंत्र निर्वाचन तंत्र बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : मैं नहीं जानता कि क्या पश्चिम बंगाल में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाने के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में अथवा मुख्य निर्वाचन आयोग की कार्यवाही के बारे में चर्चा करना उपयुक्त होगा।

श्री चित्त बसु : मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की कार्यवाही पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। निर्वाचन करना सरकार का काम है। क्योंकि आपने यह सवाल उठाया है इसलिये मुझे इस पर बोलने का अवसर मिला है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, आपने जिस विषय का उल्लेख किया है वह "विभिन्न राज्यों में उप-चुनाव" है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं। उप चुनाव का अलग मामला है।

श्री चित्त बसु : कृपया सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय : चुनाव कराये जाने चाहिये। वे नहीं हुए हैं। इसलिए मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कृपया अधिक ब्यौरे में मत जाईये।

श्री चित्त बसु : क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्तजार करूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये थे। कृपया उसी विषय पर बोलिये। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। अब विभिन्न राज्यों में उप-चुनाव होने चाहिये। आप उसी विषय तक सीमित रहें। आप इस बात पर क्यों बोल रहे हैं कि उप चुनाव क्यों नहीं हुए। यदि यह बात कार्य सूची में शामिल कर ली जाती है तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री चित्त बसु : उप-चुनाव सभी राज्यों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार होने हैं। परन्तु एक वक्तव्य दिया गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस वक्तव्य के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आचरण के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं देता। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री चित्त बसु :*

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री चित्त बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि देश के सभी भागों में उप-चुनाव कानून के उपबन्धों, प्रथाओं आदि के अनुसार होंगे। यह उप-चुनाव पश्चिम बंगाल में भी होंगे। क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष ने गलतफहमी पैदा कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : तारीखों की घोषणा की जा चुकी है।

श्री चित्त बसु : इसलिए सरकार को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधुकर।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में मैं दो बिन्दु रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु द्वारा इस मद के प्रस्तुत किये जाने से पहले ही चुनाव की तारीखें घोषित की जा चुकी थीं।

श्री कमला मिश्र मधुकर : गेहूं की मंडियों में सरकार द्वारा गेहूं खरीदने की एजेन्सियों द्वारा छोटे किसानों द्वारा लाये गये गेहूं को खरीदने में उपेक्षा की जा रही है। इससे बिचौलियों द्वारा उन्हें कम कीमतें मिल रही हैं और किसानों का शोषण हो रहा है। अस्तु, इस पर लोक सभा में अगले सप्ताह में चर्चा होनी चाहिये कि किसानों को गेहूं की उचित कीमत मिल सके।

प्रधान मंत्री की आगामी यात्रा वाले विमान में सैबोटाज किया गया। इससे सारे देश में क्षोभ है। इस पर चर्चा होनी चाहिये कि ऐसी घटना क्यों हुई तथा इसमें कौन देश की एवं बाहरी शक्ति काम कर रही है तथा यह घटना सचमुच सत्य है या किसी वृहद् षड्यंत्र का पूर्वाभास है।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री ने अगले सप्ताह की जो कार्य सूची पेश की है उसमें मैं दो और विषयों पर चर्चा चाहता हूं।

(1) जाति व धर्म, संस्कृति तथा क्षेत्रीयता के आधार पर हमारे देश में कई संगठन कार्य कर रहे हैं। कुछ संगठन हो सकता है अच्छा कार्य कर रहे हों। लेकिन कुछ संगठन बताते अपने आपको सांस्कृतिक हैं परन्तु उनके क्रियाकलाप सामाजिक व धार्मिक तनाव पैदा करने के कारण बने हैं। जमशेदपुर, अहमदाबाद, अलीगढ़ या मुरादाबाद में घटित दुर्भाग्यजनक घटनाओं में इन संगठनों का हाथ होने का संदेह ही नहीं बल्कि तथ्यात्मक प्रमाण भी है। इसी प्रकार देश के कुछ भागों में जातीय व धार्मिक तनावों के पैदा करने में इन कुछ संगठनों का हाथ रहा है और है। कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय तनावों को पैदा करने में क्षेत्रीय राजनैतिक दलों का अपना स्वार्थ निहित है।

अतः देश में सामान्य विकास सहिष्णुता प्रेम व भाईचारे के वातावरण को पैदा करने व संवर्धन के लिये इस प्रकार की संस्थाओं, संगठनों व राजनैतिक दलों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना आवश्यक है। अत सदन को इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है।

(2) हमारा राष्ट्र आज कठिन आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को नियंत्रित कर राष्ट्र के आर्थिक उत्थान के लिये आर्थिक उत्पादन के क्षेत्रों में अनुशासन का होना आवश्यक है।

वर्तमान कठिन समय में भी कुछ राजनैतिक दल किसानों को भड़का रहे हैं कि वे अपना उत्पादित माल बाजार में तब ही लावें जब उन्हें ऊँचे दाम प्राप्त हों। उपभोक्ता को भड़का रहे हैं कि कीमतें घटनी चाहियें। फैक्ट्री के मजदूरों को वेतनमानों के लिये हड़ताल करने के लिये उकसा रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस आदि ऊँचे वेतनमानों वाले संगठन भी हड़ताल कर रहे हैं।

आज राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि उत्पादन बढ़े तब ही कीमतें घट सकती हैं, उपलब्धता बढ़ सकती है तथा उन्हें ऊँचे वेतनमान प्राप्त हो सकते हैं। मैं हड़ताल करने के अधिकार का समर्थक हूं। परन्तु समय की आवश्यकता है कम से कम तीन वर्ष के लिये किसी भी प्रकार की हड़तालों व अवरोध किये जाने पर प्रतिबन्ध लगना आवश्यक है। अतः माननीय सदन इस पर विचार करे।

डा० वी० कुलनदईवेलू (चिदम्बरम) : कोयला और ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम, नेवेली, लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड के सात कार्मिक संघों ने प्रबन्धकों को हड़ताल का एक नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने माँग की है कि उद्योग में अच्छा उत्पादन होने के कारण इस निगम के सभी कर्मचारियों को अच्छे प्रोत्साहन दिये जायें और उन्हें प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाये।

अब तमिलनाडु सरकार के सामने एक भारी विद्युत संकट है। यह निगम कम से कम बिजली की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता था।

नेवेली लिगनाइट कारपोरेशन में होने वाली हड़ताल के कारण बिजली न मिलने की वजह से तमिलनाडु में अंधकार छा जायेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह नहीं होना चाहिये।

यदि सम्बन्धित अधिकारी एक सौहार्दपूर्ण समझौता कर लेते हैं तो यह हड़ताल नहीं हो सकती है और तमिलनाडु को उपर्युक्त कठिनाई से बचाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहते हैं कि इस मद को भी शामिल कर लिया जाये।

डा० वी० कुलनदईवेलु : मैं चाहता हूं कि इस मद को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कर लिया जाये ताकि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर चर्चा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : 3.30 बजे हमें गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरंभ करना है इसलिये श्री मंडल, आप अपनी बात कहिये। कृपया भाषण न दे।

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) : कलकत्ता में भूमिगत रेलवे के बारे में रेल मंत्री ने सभा को आश्वासन दिया था कि इस परियोजना का पहला चरण 1984-85 में और दूसरा चरण 1986-87 में पूरा हो जाएगा। परन्तु रेलवे उपमंत्री की कलकत्ता की हाल की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि उक्त चरणों के पूरा होने में संदेह है। मैं सरकार और मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया स्थिति को स्पष्ट करे। इसलिये मैं अनुरोध करता हूं कि इस मद को अगले सप्ताह के कार्य के लिये शामिल कर लिया जाये।

दूसरी बात मैं पश्चिम बंगाल में सीमेंट के संकट के बारे में उठाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में सीमेंट के संकट के कारण सभी निर्माण और विकास कार्य रुक गये हैं और सियालदाह फलई-ओवर के काम में भी रुकावट आ गई है। सीमेंट का संकट पूरे पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के लिये सीमेंट के कोटे को कम कर दिया गया है और कम किया गया कोटा भी नहीं दिया जा रहा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से यह पूछिए कि यह कोटा कैसे और क्यों कम किया गया।

श्री मुकुन्द मंडल : इसे भी अगले सप्ताह के कार्य में शामिल किया जाये।

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं और कहा है कि इन सुझावों को अगले सप्ताह के कार्य में चर्चा के लिये शामिल किया जाये। कार्य मंत्रणा समिति में यह भी कहा गया था कि विषयों के चयन का कार्य अध्यक्ष महोदय पर छोड़ दिया जाये। अतः यह कार्य जध्यक्ष महोदय के स्व-विवेक पर छोड़ दिया गया है। हम तो केवल यही करेंगे कि इन सभी सुझावों को अध्यक्ष के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज देंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करते हैं।

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरि, क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं। मेरे विचार में हमें इस विधेयक को पूरा कर लेना चाहिये और उसके बाद गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य आरम्भ करना चाहिये।

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप सभी संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : हां, श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 11,—

"उसे" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को नासाबित करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् और" (1)

पृष्ठ 1, पंक्ति 17,—

"उसे" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को नासाबित करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के पश्चात् और" (2)

पृष्ठ 1, पंक्ति 18,—

"जाए' के पश्चात् "परन्तु तीन मास से कम नहीं" अन्तःस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 2,—

"खत्म" के पश्चात् "नहीं" अन्तःस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 2,—

"है" के पश्चात् "पर्याप्त न्यायोचित कारणों के बिना" अन्तःस्थापित किया जाए। (5)

मैं आशा करता हूं कि ये सभी खंड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि यह खंड कर्मचारियों पर नहीं परन्तु आयोग के सदस्यों पर लागू होंगे।

इसलिए, मैं संशोधनों के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री सुधीर गिरि : मैं एक बात जानना चाहता हूं। उन्होंने कर्मचारियों को नोटिस देकर बर्खास्त करने की शक्ति ग्रहण कर ली है। नौकरी से हटाने के लिये कितना समय चाहिये यह बात स्पष्ट नहीं की गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये कहता हूं।

श्रीमन्, खंड 4 के बारे में भी मेरा एक संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम उस पर अभी आयेंगे।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : उपधारा 2(क) के उनके संशोधन के बारे में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यह उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से सुविधाओं को देने के लिये की है। विधेयक में आगे यह भी कहा गया है कि यदि उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जायेगा। यह सरकारी वेतनमानों के बारे में ही है जो उन्हें राजपत्र में अधिसूचना के समय से मिले थे। सरकारी कर्मचारियों को यह बहुत पहले से मिल रहे हैं। इसीलिए इस विधेयक को लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधन एक साथ रख रहा हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 3

उपाध्यक्ष महोदय : कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 4

उपाध्यक्ष महोदय : एक संशोधन है । श्री गिरि ।

श्री सुधीर गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 23,—

"अधिनियम" के पश्चात जोड़ा जाए—

"जहां तक वित्तीय लाभ की बात है, सभी कर्मचारियों को न्याय दिलाना मात्र ।" (6)

महोदय, मैं मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सरकार अपने कुछ विशेष कर्मचारियों को ही वित्तीय लाभ न देगी बल्कि सम्बन्धित सभी कर्मचारियों को ये लाभ दिये जायेंगे ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : महोदय, मैंने कल बहुत स्पष्ट कर दिया था कि यह उपबन्ध केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सदस्यों के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं ।

सदस्यों की नियुक्ति के समय तीन मास का नोटिस देने की शर्त होती है । तब वे जा सकते हैं । हम भी ऐसा ही उपाय कर रहे हैं कि यदि सरकार चाहे तो वह भी सदस्यों को तीन मास का नोटिस देकर उनकी सेवाएं समाप्त कर सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री गिरि द्वारा पेश किए संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी,

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके कारण देश के नागरिकों के कतिपय मूल अधिकारों का हनन हो जायेगा । इसमें कहा गया है कि आयोग के कार्यकरण से पता चला है कि लोक-हित में यह जरूरी हो गया है कि कारण बताओ नोटिस दिये वगैर ही सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी जायें । इससे यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। काल एअर इण्डिया के 5 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया और कोई कारण नहीं बताया गया । यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए तथा देश के लिए ठीक नहीं है ।

दिनांक 28 फरवरी, 1981 की इकोनामिक और पालिटकल वीकली में लिखा है :—

"इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट है कि विदेशी तेल कम्पनियों के लिए द्वार खोले जाने के साथ-साथ तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा उसकी क्षमताओं को हल्का सिद्ध करने का भी अभियान चल पड़ा है । आयोग के विरुद्ध हाल ही के श्री पी० सी० सेठी का कथन काफी विचारने के बाद कहा है ।"

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने ऐसा क्या कहा है ?

श्री चित्त बसु : इस विधेयक की पृष्ठभूमि पर यह है कि मंत्री जी और आयोग के सदस्यों के बीच आयोग की क्षमता को लेकर मतभेद हो गया । यह बम्बई हाई में उत्पादन क्षमता के बारे में है । आयोग की योजना है कि 1982 तक बम्बई हाई का उत्पादन 120 लाख टन वार्षिक तक बढ़ा दिया जाये । सरकार भी चाहती है कि तेल का उत्पादन बढ़ाया जाये । हम भी इस मामले में सरकार के साथ हैं ।

सरकार अनुभव करती है कि बम्बई हाई का उत्पादन 170 लाख टन तक बढ़ाया जा सकता है विदेशी सहायता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। आयोग अनुभव करता है कि फ्रेंच कम्पनी सी. एफ. पी. के सहयोग के बिना स्वयं अपने बल पर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

आयोग को तो यह लक्ष्य स्वयं प्राप्त कर लेने का विश्वास है लेकिन सरकार विदेशी सहयोग लेने के विचार पर हुई है। हमने आत्म-निर्भरता की जो राष्ट्रीय नीति अपनाई है यह बात उसके अनुकूल नहीं। विदेशी सहयोग तो कुछ चुनीन्दा आधार पर ही लिया जाना चाहिए। जहां देशी क्षमता उपलब्ध न हो, हमें वहीं ऐसा करना चाहिच। महोदय, पेट्रोलियम पदार्थों में हिस्सा बटाने सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी सरकार के समक्ष है। पर वह राष्ट्रीय हित में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको स्मरण करा दूं कि यह तृतीय पाठ है।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं भी आपको स्मरण करा दूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण मामल उठाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक से सम्बन्धित नहीं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : तृतीय पाठ पर आप सिद्धान्त की बात कर सकते है। विस्तार में नहीं जा सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : विस्तार में न जायें। आपको तो नियम पता हैं।

श्री चित्त बसु : जी हां, मुझे नियम पता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब ठीक है।

श्री चित्त बसु : सरकार को मानदंड को मानना चाहिए। हम सदा यह सुझाव दे सकते हैं कि विधि का कार्यान्वियन कैसे हो। जो उपाय अब लाया जा रहा है, यह उसी से सम्बन्धित है।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा खंड ?

श्री चित्त बसु : आप खंड तो पहले ही पास कर चुके हो।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के किस खंड से सम्बन्धित है ?

श्री चित्त बसु : महोदय, आप तो जानते हैं कि सदस्यों को विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : तृतीय पाठ में अब विधेयक के पक्ष या विपक्ष बता सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मुझे यह कहने का अधिकार है कि विधि का कार्यान्वियन किस प्रकार हो। मंत्री जी ने कहा है कि उनके रास्ते में बाधा डालने पर कई व्यक्तियों को पद से हटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा बताते हैं :–

"आयोग को यह लिख कर देना होगा कि सी. एफ. पी. को जो कार्य सौंपा जाना है, उसे वह स्वयं कर लेंगे। यदि वे असफल रहे तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।"

मंत्री जी ने ऐसा कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : 3.30 बज गये है । मेरे विचार से आपने समाप्त कर लिया है।

श्री चित्त बसु : मैं अगले दिन जारी रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । आप अगले दिन के लिए रखिये ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

23वां प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लेते है । श्री डूंगर सिंह ।

श्री डूंगर सिंह (हमीरपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन में जो 28 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 23वें प्रतिवेदन से, जो 28 अप्रैल, 1981 को सभा में प्रस्तुत किया गया, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पुरःस्थापित

(एक) कृषि कर्मकार (ऋण से छूट और बेरोजगारी राहत) विधेयक

श्री मुकुन्द मंडल (मथुरापुर) मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि कर्मकारों को, जब वे कार्य की तलाश में हों, सभी ऋणों से छूट देने और बेरोजगारी राहत देने का प्रबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि कर्मकारों को, जब वे कार्य की तलाश में हों, सभी ऋणों से छूट देने और बेरोजगारी राहत देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री मुकुन्द मंडल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 22 का संशोधन)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

(तीन) नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन)

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा (लुधियाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री देवेन्द्र सिंह गरचा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पेंशन विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री वी. एन. गाडगिल द्वारा 16 अप्रैल, 1981 को पेश किये गये निम्नलिखित विधेयक पर आगे विचार करने हैं, अर्थात :—

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों या उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारी के स्वेच्छापूर्वक या अन्यथा सेवा-निवृत्त होने या उसकी मृत्यु पर देय पेंशन, उपदान, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों और फायदों तथा तत्संसक्त अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री वी० एन० गाडगिल (पुर्ण) : 16 तारीख को मैंने अपने विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार व्यक्त किये थे। आज मैं संक्षेप में उनकी कुछ मुख्य बातों का जिक्र करूंगा। पिछली बार मैंने बताया था कि पेंशन शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। पहली बार इसे लार्ड हाई ट्रेजरर गोडोलफिन ने 1687 में इसका प्रयोग किया था। सबसे पहले श्री मार्टिन हर्शिम को 10 मार्च, 1684 को पेंशन मिली थी। बाद में पेंशन देने का काम काफी भ्रष्ट हो गया। और अन्त में पेंशन पर सौदेबाजी होने लगी। जैसाकि इंगलैंड के डाक विभाग में शुरू हुआ। तब 1810 अधिनियम और 1859 अधिनियम बने और इसके बाद भी काफी कुछ किया गया।

1871 अधिनियम में पेंशन को दया के रूप में दर्शाया गया है और अधिकार नहीं माना गया। इस बात को समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरे विभिन्न पेंशनधारियों में विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए। तीसरे मुद्रास्फीति के लिये भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग 10 से 20 वर्ष पहले सेवा-निवृत्त हुए थे, मुद्रास्फीति को देखते हुए उनकी पेंशन में वृद्धि करनी चाहिये। चौथे कुटुम्ब पेंशन भी एक समान होनी चाहिए। 1964 से पहले सेवा निवृत्त होने वालों के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन में व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वालों को भी पर्याप्त पेंशन नहीं मिलती। पांचवें कमयुटिड पेंशन को पुनः लागू करने की मांग पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

छठे पेंशनधारी कहीं भी अपनी इन कठिनाइयों के बारे में नहीं बता सकते। एक बार कहा गया था कि वह संयुक्त सलाहकार में अपनी आवाज उठा सकते हैं। लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि इस तंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इस सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिये। सातवीं बात यह है कि जैसा कि छठी लोक सभा की याचिया समिति ने 11 अप्रैल, 1979 को सभा में प्रस्तुत प्रतिवेदन में सिफारिश की थी, विभिन्न प्रकार की पेंशन लेने वाले लोगों के मामलों पर विचार के लिए एक स्थायी आयोग बनाना चाहिए।

अन्त में एक अपील करता हूं। मेरे दल के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था :—

"कांग्रेश (ई) पेंशनधारियों की भलाई के प्रश्न की जांच करेगी ताकि उनके जीवन को अधिक सुरक्षित और अरामदेह बनाया जा सके। इस बारे में उचित रियायतें दी जायेंगीं।"

जैसा मैंने आरम्भ में कहा है कि पेंशन और कुछ नहीं केवल बुढ़ापे में निर्धनता की समस्या के प्रति सामाजिक दायित्व है। अतः हम इस समस्या पर उचित रूप से विचार करें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों या उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारी के स्वेच्छापूर्वक या अन्यथा सेवा निवृत्त होने या उसकी मृत्यु पर देय, पेंशन, उपदान, महंगाई

तथा अन्य भत्तों और फायदों तथा तत्संसक्त अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों या उनके आश्रितों को सरकारी कर्मचारी के स्वेच्छापूर्वक या अन्यथा सेवा निवृत्त होने या उसकी मृत्यु पर देय, पेंशन, उपदान, महंगाई तथा अन्य भत्तों और फायदों तथा तत्संसक्त अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें 11 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री चित्त बसु,

(2) प्रो० मधु दण्डवते,

(3) श्री के० पी० सिंह देव,

(4) श्री बी० एन० गाडगिल,

(5) श्री के० लकप्पा,

(6) श्री बी० आर० नाहटा,

(7) श्री उत्तमराव पाटिल,

(8) श्री नवल किशोर शर्मा,

(9) श्री रामावतार शास्त्री,

(10) श्री आर० वेंकटरामन और

(11) श्री मूलचन्द डागा।

और उसे आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, मैं गाडगिल साहब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे लोगों की प्राब्लम को इस सदन में रखा, जिनको लोग भूल ही गये हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जैसे आर्म्ड फार्सेस के एक आदमी को देखकर आज लोगों के मन में उसके प्रति इज्जत और श्रद्धा पैदा होती है, उसी तरह से जो पेंशनर्स हैं, जिन्होंने अपनी जिन्दगी का एक बेहतरीन हिस्सा मुल्क की सेवा में गुजार दिया, उनके प्रति भी श्रद्धा और इज्जत पैदा हो। सबसे पहली चीज तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसी कमियां पैदा हो गई हैं, जिनके बारे में गाडगिल साहब ने काफी हद तक जिक्र किया है। लेकिन फिर भी बहुत सी चीजें रह गई हैं, जिनका जिक्र वे नहीं कर पाए। मैं उन कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज यह है कि आज रुपये की कीमत सिर्फ 24 पैसा रह गई है और यह सरकार का अपना कहना है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि उन पैंसनर्स की जो पेंशन पहले मुकर्रर हुई थी, आज उसकी

कीमत कितनी रह गई है। यह बहुत कम रह गई है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि उनकी पेंशन के लिए कोई ईक्विटी-प्रिंसपिल तय किया जाए, ताकि जो कुछ पेंशन उनको मिलनी तय हो, उसमें इरोजन न हो और कम से कम वह तो उनको मिलती रहे और चार साल में उनकी पेंसन के बारे में रिव्यू किया जाए। इसके लिए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि एक पेंशनर्स एडवाइजरी कमेटी बनाई जाए, जिसमें कम से कम पांच आनरेबिल मेम्बर आफ पार्लियामेंट हों, पांच गवर्नमेंट के नुमाइन्दे हों और पांच पेंशनर्स के नुमाइन्दे हों जो इन तमाम पहलुओं पर गौर कर और गौर करके रिकमण्ड करें और गौर करके रिकमण्ड करें कि क्या होना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फैमिली पेंशन 1964 के बाद इन्ट्रोड्यूस हुई। यह उससे पहले वाले पेंशनर्स पर भी लागू होनी चाहिए।

एक चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्हें कि अपनी लड़की या लड़के की शादी करनी होती है, या कोई मकान वगैरह: बनवाना होता है तो वे अपनी पेंशन को कम्यूट करवा लेते हैं और उन्हें उनकी कम्यूट की गयी पेंशन का लम्पसम मिल जाता है। सरकार उस कम्यूट पेंशन को आठ या दस साल में पेंशनर से रिकवर कर लेती है लेकिन रिकवर करने के बाद भी उनकी पेंशन रेस्टोर नहीं करती।

मुझे पिछले दिनों एक चिट्ठी मिली थी जिसमें आनरेबल मिनिस्टर साहब ने पेंसनर्स के बारे में यह जवाब दिया है—

"यदि कोई पेंशनधारी, सामान्य आयु से पहले मर जाता है तो सरकार को हानि होती है। दूसरी ओर यदि पेंशनधारी अधिक दिन तक जिंदा रहता है तो उसे ही हानि होती है। पेंशन कम्यूट करने की योजना एक पैकेज के रूप में ही ठीक है, अल्पायु से जो लाभ मिल जाता है उसका हिसाब दीर्घ आयु से होने वाली हानियों से पूरा हो सकता है।"

सभापति महोदय, फर्ज कीजिए कि एक पेंशनर 15 हजार रुपये सरकार से लम्पसम के रूप में लेता है तो यह सरकार को दस साल में रिकवर हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उस पेंशनर की पेंशन रेस्टोर नहीं होती है। उसके बाद तो उसकी पेंशन रेस्टोर हो जानी चाहिए। लेकिन सरकार उस पेंशनर का घाटा, जिसने कि 15 हजार रुपये लम्पसम के रूप में लिये और वह दो साल के बाद मर गया, उस पेंशनर से पूरा करना चाहती है जो कि दस साल के बाद भी जिंदा रह रहा है और आगे भी जिंदा रहने वाला है। अगर सरकार ऐसा करेगी तो उस बूढ़े की फेमिली के लोग यह चाहेंगे कि बूढ़ा कब मरे। होना तो यह चाहिए कि ऐसे बूढ़े लोगों को इज्जत और श्रद्धा दी जाए।

हरियाणा गवर्नमैंट के नये पेंशन रूल्स लागू होने वाले हैं। उनमें यह है कि पेंशनर को दस साल तक तो रिड्यूस्ड रेट पर पेंशन मिलती रहेगी, उसके दो साल बाद और इसी रेट पर मिलेगी, लेकिन 12 साल के बाद उसकी पूरी पेंशन रेस्टोर हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। बहुत से ऐसे हार्ड केसिज हैं, बहुतों ने इस सम्बन्ध में रिप्रेजेन्टेशंस भी दिये हैं कि उनकी पेंशन का दुगुना, तिगुना पेंशन में से काटने के बाद भी सरकार

ने वह कटौती जारी रखी है। मैं समझता हूं कि सरकार को इन बूढ़े पेंशनर्स से मुनाफा नहीं कमाना चाहिए, उनकी सरकार को सर्विस करनी चाहिए।

इसके अलावा, मैं यह समझता हूं कि पेंशनर्स को मेडिकल फैसिलिटीज, बच्चों की एजूकेशन के लिए फेसिलिटीज, हाउस रेंट अलाउंस, सब कुछ मिलना चाहिए। अगर उनको ये नहीं दिये जाते हैं तो यह उनके साथ ज्यादती होगी।

एक सुझाव मेरा यह है कि जब कभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज के पे-स्केल्स रिवाइज होते हैं तो आटोमेटिकली रूल्स में यह भी जोड़ दिया जाए कि पेंशनर्स की पेंशन भी रिवाइज होगी और उन्हीं पे-स्केल्स के आधार पर रिवाइज होगी जो कि नये पे-स्केल्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए रिवाइज किये गये हैं। सरकार को यह भी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि पेंशनर्स को हानि न हो।

सभापति महोदय, पार्लियामेंट में तो पांच साल के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं कि कोई आनरेबल एम० एल० ए० ने सिर्फ ओथ ली है और सिर्फ एक दिन एम० एल० ए० रहे हैं, उस एक दिन के बाद भी वे पेंशन के एन्टाइटल हो जाते हैं। जबकि 35–40 साल की पूरी जिन्दगी एक गवर्नमेंट सर्वेंट सरकारी नौकरी में लगा देता है तब जाकर उसको पेंशन मिलती है और उसकी काटी हुई पेंशन पूरी रिकवर करने के बाद भी रेस्टोर नहीं की जाती है। यह रेस्टोर होनी चाहिए। गाडगिल साहब ने यह ठीक कहा है कि पेंशन एक्ट 1871 में बना था, इसको अब रिप्लेस होना चाहिए और गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसिज का खास ख्याल रखते हुए इसे पुनः बनाया जाना चाहिए और पेंशनर्स की पेंशन में जो इरोजन हुआ है, उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं गाडगिल साहब के इस बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सरकार गवर्नमेंट सर्वेंट्स की पेंशन में जो इरोजन हुआ है, उसको रेस्टोर करेगी।

श्री मूल चन्द डागा : सभापति जी, मैं सबसे पहले गाडगिल साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इस बिल को बनाने में कितना समय लगाया होगा। वास्को डि गामा ने हिन्दुस्तान का पता लगाने में जितना समय लगाया, उससे कम समय इन्होंने भी पेंशनर्स के केस की खोजबीन करने में नहीं लगाया होगा। सभापति जी, इतनी कड़ी मेहनत इन्होंने की है जितनी कि आप करते हैं।

सभापति जी, कुछ लोग पेंशन के बारे में इतनी खोज-बीन करते हैं। शुरू में पेंशन क्या थी और आज क्या है और क्या होनी चाहिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई 109 वर्ष पुराना एक्ट अभी तक कैसे लागू है। कांस्टीट्यूशन लागू होने के बाद भी यह एक्ट लागू है। एक्ट शुड बी रिपील। संविधान के खिलाफ यह एक्ट कैसे लागू है। इसके बारे में मैंने ला-मिनिस्टर से भी पूछा था कि यह कौन सा एक्ट है, इसको तो आपको रिपील कर लेना चाहिए। 1871 का एक्ट है और उसमें डिबार कर दिया है कि कोर्ट में नहीं जा सकते, चाहे तुम्हारी डिग्री

भी हो जाय, लेकिन तामील नहीं हो सकती। अगर तुम जाते हो तो कलेक्टर की परमीशन से जाओ, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। यह अबनकशस ला है।

तो ये बातें हैं। इतने साल होने के बाद भी यह एक्ट कैसे रह गया। आपने जो यह दिया है, इसको मैं ठीक मानता हूं, लेकिन मैंने जब इस एक्ट को पढ़ा, इससे पेंशनर्स की इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं तो वहां पर हमारे आदरणीय गाडगिल साहब शांत रहे, ज्यादा नहीं बोले। उन्होंने कहा कि आई लीव इट टू द कमेटी—मैं इस पर निर्णय नहीं देता।

आज मैंने पेपर पढ़ा–उसमें मैंने देखा, उसमें लिखा है—आज के समाचारपत्र में भी यह प्रकाशित हुआ है कि भारतीय पेंशनधारी संस्थान ने सरकार से अपील की है कि 30 मार्च, 1979 से पूर्व और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले केन्द्रीय सरकार की पेंशनों में भेदभाव समाप्त किया जाये। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि लोक सभा के समक्ष पेंशन विधेयक, 1980 में उचित संशोधन करके जीवन निर्वाह के बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए पेंशन की दरें पुनः निर्धारित की जायेंगी।

30 मार्च, 1980 से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले भारतीय सरकार के सचिव को 675 रुपये की अधिकतम पेंशन मिलती है जबकि उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले द्वितीय श्रेणी अधिकारी को 700 रुपये की पेंशन मिलती है।

इतनी डिस्पेरिटी है, इसकी ओर यहां पर ध्यान आकर्षित किया गया है। पहले के जो सेक्रेटरी थे उनको 3500 रुपये वेतन मिलता था, उनको पेंशन मिल रही है 650 रुपये और आज के जो सेकेंड क्लास आफीसर रिटायर होते हैं, उनको 1200 रुपये देते हैं तो इस तरह की बातें हैं।

एक बात और इसमें बड़ी खूबसूरती से कही गई है। जो मुझे ठीक नहीं लगी। इसमें सारा काम ब्यूरोक्रेट्स पर छोड़ दिया गया है। मैं चाहता था कि सदन की एक कमेटी होनी चाहिए, जिसमें हमारे पुराने-पुराने लीडर शामिल हों, जो पेंशन के बारे में ज्यादा जानते हों, वे लोग मिलकर बैठें और सोचें कि आखिर पेंशनर्स के लिए क्या किया जाना चाहिए। एक कमेटी में इस पर गहराई के साथ विचार होना चाहिए। हैपहैजर्ड वे में इसको तैयार किया गया है। सारा काम इसमें क्यूरोक्रेटेस पर छोड़ दिया गया है। क्लाज चार में आप कहते हैं :–"जिस सरकारी कर्मचारी ने 20 साल से अन्यून लगातार सेवा की हो उसे किसी भी समय सेवा से निवृत्त होने का अधिकार होगा और सेवानिवृत्ति के बाद निर्धारित दरों के अनुसार पेंशन और उपदान प्राप्त करने का अधिकार होगा।"

ये पावर्ज आप एग्जैक्टिव को कैसे दे रहे हैं? क्या उनको आप देना चाहते हैं? उनको आप गाइडलाइंज देना चाहते हैं तो मैं मान सकता हूं। प्रोसीजरल मैटर्ज देना चाहते हैं तो मैं मान सकता हूं। कितनी पेंशन मिलनी चाहिए, क्या उनकी पेंशन हो, इसको उन पर नहीं छोड़ा।

जिस सरकारी कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्त किया जाता है उसके मामले की सभी

परिस्थियों पर विचार करके सरकार यदि उचित समझे धारा में उल्लिखित उपदान और/या पेंशन और/या अन्य लाभ दे सकती है।

सेवा की पूरी आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को ऐसी पेंशन मिलेगी जो निर्धारित की जाये। एज मे बी प्रेसक्राव्ड पर माननीय गाडगिल साहब का ज्यादा ध्यान है। उससे क्या होता है? अभी विरोधी दल के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वह चाहते हैं कि पेन्शन ज्यादा हो। इस वक्त जो पेंशन आप दे रहे हैं उसको देखकर सिर झुक जाता है। जिसने अपनी कीमती जिन्दगी के तीस साल तक देश की सेवा की है उसका हमको सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्दगी के आखिरी दिनों में उसको पश्चाताप करना पड़े और वह कहे कि मैंने जिन्दगी के अपने मूल्यवान समय में तो देश सेवा की है, देश सेवा में मैंने यह समय बिताया है और इस वृद्धावस्था में, इस आखिरी अवस्था में मुझ को दुःख भोगना पड़ रहा है।

क्लाज 11 में आप कहते हैं:—

किसी पेंशनधारी द्वारा आवेदन करने पर सरकार ऐसी शर्तों पर जो निर्धारित की जाएं पेंशन के एक भाग को लेकिन आधे से अधिक नहीं, पेंशनधारी के शेष जीवन के लिए कम्यूट करके एक मुश्त राशि के रूप में दे सकती।

इतना तो आप इस बिल में लाते कि यह पेंशन मिलनी चाहिए। पार्लियामेंट कभी अपने राइट्स को एवडीकेट नहीं करती है, अपनी पावर्ज को एवडिकेट नहीं करती है। यह मैंडेटरी है। ये पावर्ज हमेशा उसके पास रहती है। केवल उनको रूल बनाने की पावर दी जाती है, जो प्रोसीजरल मैटर्ज हैं वे ही दी जाती है। लेकिन आपने तो पालिसी मैटज पर भी यह काम शुरू कर दिया है और सारी पावर्ज उनको दे दी हैं। इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। मेहरबानी करके इसको आप सिलेक्ट कमेटी के पास में जहां इस पर चिन्तन हो सकता है और गहराई के साथ हो सकता है। पे कमीशन को पेंशनर्ज का केस रैफर हुआ था। फर्स्ट पे कमीशन की रिपोर्ट का रेलेवेंट पोर्शन मैं आपकी सेवा में रख रहा हूं:—

"हमें अनेक कैदियों से तथा व्यक्तिगत रूप में और उनके संगठनों से अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं कि हमारे मामलों पर भी गौर किया जाये। सरकार ने भी उस बारे में हमसे पूछा है। हमारा विचार है कि जब तक हमारी कार्य की शर्तों में इसका स्पष्ट उल्लेख न कर दिया जाए तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते। सरकार ने मामले की जांच करके यह निर्णय लिया कि कार्य की शर्तों में संशोधन न किया जाये। तथापि उन्होंने उत्तर दिया कि कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को सिफारिश के अनुसार पेंशनधारियों को भी लाभ देने पर विचार किया जायेगा। तो उन्होंने पे कमीशन में स्पेसिफिकली कहा आप इसकी जांच करायेंगे और सोचेंगे। आखिर में थर्ड पे कमीशन की रिपोर्ट के कनक्लून में क्या कहा? जो रिकमन्डेशन्स उन्होंने की हैं वह मैं बता रहा हूं।

"वेतन और पेंशन के सम्बन्ध में हमारी सिफारिशें लागू होने की तारीख।"
अब 1973 के अन्दर जो पे कमीशन की रिकमन्डेशन करनी चाहिए थी :

हम तदनुसार सिफारिश करते हैं कि पेंशन लाभ सम्बन्धी हमारी सिफारिशों को 1 मार्च, 1973 को या उसके बाद सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए। पेंशन कम्यूट करते समय वेतन और मंहगाई, भत्ते, वेतन (जहां भी लागू हो) अतिरिक्त उनके महगाई भत्ते और अन्तरिम राहत भी शामिल की जाये।

यह पे कमीशन की रिपोर्ट थी। लेकिन उन्होंने भी अधूरी बात छोड़ दी। उस पर वह पैटीशन्स कमेटी में गये और उसने भी यह निर्णय लिया कि वास्तव में जो डिस्पैरिट है उसको कम किया जाय, और उन्होंने अपनी सिफारिश दी। और माननीय शिवराज बी० पाटिल ने जो जवाब दिया उन्होंने कहा हम धीरे-धीरे पेंशनर्स को वह बेनिफिट देंगे जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को मिलते हैं। लेकिन आज पेंशनर्स की जो हालत है, और जो उत्तर दिया है। जो रेलीवेंट है वह मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा था हम इसको राहत पहुंचाएंगे लेकिन उसकी अनुपालना नहीं हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विल को अगर सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देते हैं और हमारे काबिल मिनिस्टर आफ स्टेट होम इसको स्वीकार कर लें तो अच्छा रहेगा। आपको याद होगा कि इनका एक रिजोल्यूशन 1969 का एंटी डिफेक्शन वाला वह रिजोल्यूशन 15 साल चला और आज भी चल रहा है। और गाडगिल साहब का बिल भी एक हिस्टारिकल है। तो इस पर सेलेक्ट कमेटी बैठ जाय। सभापति जी, आप इनको इंस्ट्रक्शन्स देंगे तो उसका वजन होगा और शायद मेरा संशोधन मान लेंगे। बड़ी गम्भीरता से मन्त्री जी ले रहे हैं, मैं यह देख रहा हूं क्योंकि वह शुरू से बैठे हैं। लेकिन यह न कह दें कि सरकार ध्यान दे रही है इसलिए आप वापस ले लें। यह मुझे ठीक नहीं लगेगा। हमारी मेहनत बेकार न जाय। पेन्शनर्स में जो डिस्पैरिटी है वह खत्म होनी चाहिए।

माननीय शिवराज पाटिल ने इसी सदन में इसी महीने जो जवाब दिया है वह मैं पढ़ रहा हूं :—

"हमारी गवर्नमेंट सर्विस में भी पूरी तरह से इनईक्वेलिटी है, यह कहने की स्थिति में अभी हम नहीं हैं। अलग-अलग स्थानों में काम करने वाले लोग या जो बहुत पहले रिटायर हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ये नैसर्गिक परिस्थितियां उसके अन्दर हैं। इन नैसर्गिक परिस्थितियों को भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद भी हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की जो परिस्थिति है, उसमें जितनी कमी कर सकें उतनी कमी करें। इस ओर हमारे प्रयास जारी हैं, लेकिन यहां पर इतना समय नहीं है कि सारी चीजें रखी जा सकें।" इस ओर हमारा प्रयास जारी है, लेकिन यहां पर इतना समय नहीं है कि सभी चीजें रखीजा सकें।

इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, एक अथौरिटी होनी चाहिए जो इन समस्याओं को डील कर सके, लेकिन वह किस जगह जाये, कोई

अथौरिटी नहीं है कि जहां पर उसका सवाल हल हो सके, जल्दी मिल सके। अगर कोर्ट में जाता है तो कितना लम्बा समय लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक अथौरिटी गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए।

*श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : सभापति महोदय, मैं श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा पेश किये गये विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं। सरकार के लगभग 10 लाख पेंशनधारी पिछले 3 दशकों से ये मांग कर रहे हैं :— (एक) कि पेंशन अधिनियम, 1871 को समाप्त किया जाये, (दो) नया पेंशन अधिनियम पास किया जाये, (तीन) पेंशनधारियों के लिए एक स्थायी आयोग बनाया जाए, (चार) पेंशन निर्धारित करते समय कोई भेद-भाव न किया जाए; (पांच) पेंशनधारियों को मंहगाई भत्ते, आवास भत्ते, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधायें दी जायें, (छः) कि 1964 से पूर्व सेवा निवृत्त होने वालों को कुटुम्ब पेंशन दी जाए, (सात) कि मंहगाई भत्ते को मूल्य सूचकांक के साथ सम्बद्ध किया जाए, (आठ) कि पेन्शन के कम्यूटिड भाग को सभी मामलों में, पुनः बहाल किया जाए, (नौ) कि नामनिर्दिष्ट करने की सुविधा दी जाये और (दस) पेंशन देने में विलम्ब न हो।

अंग्रेजों ने पेन्शन अधिनियम, 1871 को राजनीतिक लोगों को पेन्शन देने के लिए बनाया था क्योंकि उन दिनों पेन्शन सम्मान या दया की बात मानी जाती थी। लेकिन कल्याणकारी राज्य में पेंशन सामाजिक सुरक्षा है और सभी को उसे लेने का अधिकार है।

सरकार ने पेंशन अधिनियम के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की। तभी गैर सरकारी सदस्यों को वह विधेयक लाना पड़ा। श्री वाजपेयी और मैंने भी ऐसे विधेयक पेश किए थे।

विधेयक के कुछ खण्ड बहुत अच्छे हैं। खंड 3 के अधीन सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारी पेंशन और उपदान का दावा कर सकता है।

जबकि धारा 4 में स्वैच्छा से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए पेंशन का उपबन्ध है। खंड 5 में उनके लिए महंगाई भत्ते, आवास भत्ते, शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं का उपबंध है। धारा 8 में उस अवधि का उल्लेख है जिसमें पेंशन अवश्य मिलनी चाहिये। यह बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके पेंशन के कागज तैयार होते हैं। विधेयक में पेंशन की राशि के अन्तिम रूप से निर्धारण होने तक अंतरिम पेंशन की व्यवस्था है। धारा 9 में व्यवस्था है कि यदि उपदान का भुगतान समय पर नहीं होता तो उस पर ब्याज दिया जाए। पेंशनधारियों की लम्बे समय से चली आ रही बहुत सी मांगें इसमें हैं।

विधेयक में कुछ त्रुटियां भी हैं। धारा 3 का परन्तुक हटा देना चाहिए जिसमें कहा गया है कि यदि कोई पेंशनधारी नौकरी करता है या व्यवसाय कर लेता है तो पेंशन रोक दी जानी चाहिए। इस उपबंध का धारा 4 के साथ सम्बन्ध नहीं बैठता। इसलिये इसका लोप होना चाहिए। यदि कोई पेंशनधारी धारा 4 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होता है तो वह कोई दूसरा काम

*मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कर सकता है और पेंशन भी ले सकता है। लेकिन जो आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें कोई दूसरी नौकरी पर पेंशन से हाथ धोना पड़ेगा। यह तो भेदभाव है।

धारा 5 भेदभाव वाली है। इसका लोप होना चाहिये। हमने आपात स्थिति में देखा है कि कैसे बाह्य कारणों से लोगों को पेंशन से हाथ धोने पड़े और उन्हें कितनी कठिनाई हुई। मेरे विचार से धारा 5 तो विधि न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है और सरकार को तथा प्रस्ताव पेश करने वाले को ध्यानपूर्वक देखना चाहिये कि क्या वे ऐसे विधेयक को अधिनियम बना सकते हैं।

विधेयक पेश करने वाले सदस्य ने उपदान आदि के मामलों को अन्तिम रूप देने के लिये दो मास का समय दिया है। इसे कम करके एक मास कर दिया जाना चाहिए क्योंकि प्रशासन को पता होता है कि किसी कर्मचारी ने कब सेवानिवृत्त होना है।

पेंशनधारियों को कोष से पेंशन की राशि लेने में कठिनाई होती है। सरकार पेंशनधारियों की पेंशन बैंक के जरिये क्यों नहीं देने की व्यवस्था करती। जहां बैंक की सुविधायें न हों वहां यह राशि मनीआर्डर के जरिए भेजी जा सकती है।

मैं श्री मूल चन्द डागा के महंगाई भत्ते सम्बन्धी संशोधन से सहमत हूं। इस बारे में कानूनी व्यवस्था होनी चाहिये नहीं तो सरकार इस बात का लाभ उठाएगी कि इसे विनियमित करने के लिए कोई विधि नहीं है।

सरकार को मेरे सुझावों पर विचार करके पेंशनधारियों की मांगें मान लेनी चाहिये। सरकार स्वयं इस आशय का विधेयक ला सकती है और उसमें यह सुझाव रखे जा सकते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, गाडगिल जी ने यहां पर जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके अन्दर जो क्लाजेज दिए गये हैं उनका मैंने अच्छी तरह से अध्ययन किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर सरकार इस विधेयक को स्वीकार कर ले तो हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। परन्तु इस बिल को लागू करने के लिए करोड़ों रुपयों की व्यवस्था करनी होगी। उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं या नहीं—यह एक पेचीदा प्रश्न है। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को पेंशन और सेक्योरिटी के लिए यह जो बिल हमारे सामने आया है इसमें और भी बहुत से प्रश्न हैं। ऐसे लेबरर्स हैं, जिनकी हालत खराब है। जो खेतों में खेतीहर मजदूर हैं उनकी और भी दुर्दशा है। क्या हम उनके लिए कोई व्यवस्था कर सकेंगे ? उनके लिए क्या सोखियल सिक्योरिटी है—यह भी एक प्रश्न है ? हमें देश के अन्दर कुछ प्राथमिकतायें निश्चित करनी होंगी और प्राथमिकतायें निश्चित करके ही हमें कुछ निर्णय लेने होंगे। यह प्रश्न केन्द्रीय सरकार के सामने भी बड़ा कठिन है, अगर प्राथमिकतायें निश्चित नहीं करेंगे तो कोई भी आर्गेनाइजड लेबर होगा, जो आर्गेनाइजड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, वे तो अधिक सुविधा प्राप्त कर सकेंगे और जो अन-आर्गेनाइजड लेबरर्र होंगे, वे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह स्थिति देश में हो रही है कि जो अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर हैं, वह बिल्कुल वंचित हैं और उनके जीने का प्रश्न बड़ा

कठिन बन गया है। जो आर्गेनाइज्ड सैक्शन हैं, वह तो अपनी डिमांड बढ़ाते जाते हैं और अधिकारों के बारे में अधिक से अधिक अपने अधिकार प्रस्तुत करते जाते हैं। इसलिए हमें इस प्रश्न को इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा, जैसा कि क्लाज सात में कहा है:—

जो सरकारी कर्मचारी धारा 3, 4 और 6 के अन्तर्गत पेंशन और उपदान का अधिकारी है उसे इन्हें प्राप्त करने का भी अधिकार होगा :—

(क) महंगाई भत्ता,

(ख) आवास किराया भत्ता,

(ग) शिक्षा सुविधाएँ,

(घ) चिकित्सा लाभ, ऐसी दरों पर जो निर्धारित की जाएँ।

यह जो क्लाज हैं, अगर केन्द्रीय सरकार इस क्लाज के अनुसार सुविधाएँ दे तो जो और सैक्टर हैं, वे भी इस प्रकार की सुविधाएँ मांगेंगे और मेरा ख्याल है कि केन्द्रीय सरकार को एक प्रकार से सब सुविधाएँ देना बहुत कठिन है। ठीक है, मंहगाई को देखते हुए उनकी पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए, उनका यह प्वाइंट माना जा सकता है, परन्तु एच० आर० ए० आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए सैन्ट्रल गवर्नमेंट नहीं दे सकती है। इसके लिए कोई भी सरकार पावर हो, वह एच० आर० ए० की व्यवस्था नहीं कर सकती है। जहां तक एजुकेशन फैसिलिटीज का सवाल है, मैं समझता हूं कि एजुकेशन फैसिलिटीज के बारे में भी प्रोवीजन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। मैडिकल बैनिफिट्स के बारे में भी मैं समझता हूं कि बहुत ही कठिन है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो प्रोवीजन्स रखे गये हैं, वे प्रोवीज़न्स बहुत ही डिफिकल्ट हैं। फाइनेंशियल आसपैक्ट को देखते हुए यदि अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए कोई व्यवस्था न करें और आर्गेनाइजड सैक्टर के बारे में व्यवस्था करें, तो उस सूरत में मैं उसको उचित नहीं समझता हूं। आजकल के हालात को देखते हुए, यह उनका हक है, राइट है, लेकिन देश में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, जैसी इंग्लैण्ड और दूसरे मुल्कों की है। वे अपने यहां ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन हमारा देश नहीं कर सकता है। इसलिये गाडगिल साहब की इस बिल को पेश करने की जो मंशा है वह बहुत अच्छी है, लेकिन देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट इसे एग्री नहीं कर सकती और मैं भी अपनी सहमति इसके लिये प्रदान नहीं कर सकता।

लेकिन इसमें एक प्रावीजन "इन्टेरिम पेन्शन" के बारे में है, मैं इसके पक्ष में हूं। प्रश्न यह है कि रिटायर्ड कर्मचारी को पेन्शन मिलने में कभी-कभी दो-दो और तीन-तीन साल लग जाते हैं, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसलिए उसको इन्टेरिम पेन्शन जरूर मिलनी चाहिये और जब बाद में पेन्शन तय हो जाय तो उसमें एडजस्ट कर दी जानी चाहिये।

इसमें यह भी प्रावीजन किया गया है कि पेन्शन का जो क्लेमेन्ट होता है उसकी डेथ के बाद उसके वारिसों के सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेना पड़ता है, जिसमें काफी टाइम लग जाता

है। इसमें प्रावधान है कि पेन्शनर नामिनेशन कर सकता है। यह प्रावीजन भी मानने के काबिल है। नामिनेशन पहले से हो जाने के बाद में डिस्प्यूट नहीं रहता। इसलिए इस प्रावीजन को भी माना जाना चाहिये।

मैं चाहता हूं कि इस कानून को अच्छी तरह से एक्जामिन किया जाय। गाडगिल साहब ने इसको यहां पर पेश करने में काफी मेहनत की है। लेकिन हमारे देश के मुकाबले दूसरे बड़े देशों की वित्तीय स्थिति अच्छी है, उन्होंने उनसे ही इसको लेकर यहां पेश किया है, लेकिन देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी क्लाजेज को मानना मेरी राय में ठीक नहीं है।

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद) : आनरेबिल चेअरमैन साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं, आपने इस पेन्शन बिल पर बोलने का मुझे मौका दिया है। श्री गाडगिल साहब ने इस बिल को पेश करके जो सरकारी अफसर तीस साल तक नौकरी कर चुका है, उसकी कठिनाई को सामने रखकर, उनकी साइकोलाजिकल-रीडिंग को लेकर, उनके बच्चों की वहबहूदी को समझ कर बहुत अच्छा काम किया है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इस बारे में दो-तीन बातें अर्ज करना चाहता हूं।

सबसे पहली बात तो यह है कि उन लोगों की भलाई तो इसमें छिपी हुई है ही, लेकिन हुकूमत की भलाई भी इसमें है, देश की भलाई भी इसमें है। इसलिए कि जब एक आदमी आधी उम्र नौकरी कर चुका होता है तो उसे अपने बीवी-बच्चों का ख्याल आता है कि इस उम्र में गिरानी की वजह से मैं किसी तरह से गुजारा कर रहा हूं, अगर कुछ हो गया तो मेरे बीवी-बच्चों का क्या होगा ? नतीजा यह होता है कि वे बेईमान हो जाता है, रिश्वत लेना शुरू कर देता है। यह आम शिकायत है कि फलां अफसर बुढ़ापे में पहुंचने के बावजूद बहुत बड़ी रिश्वत लेने लगा है। इसकी वजह यह है कि रिटायर होने के बाद जो पेन्शन उसको मिलने वाली है वह काफी नहीं है। उसके सामने यह समस्या पैदा हो जाती है कि वह कैसे गुजारा करेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाये-लिखायेगा या बच्चों की शादियां कैसे करेगा। मेरा यह तजुर्बा है कि बुढ़ापे में आम तौर पर आफिसर्ज या कर्मचारी सब चालू हो जाते हैं, खूब पैसा कमाते हैं, देश के साथ विद्रोह करते हैं। अगर उनके लिए माकूल पेन्शन की व्यवस्था कर दी जाय तो वे निर्भय होकर, साहसपूर्वक काम करेंगे, देश के कामों को अच्छी तरह से करेंगे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छी तरह से बना सकेंगे। गाडगिल साहब ने इस पर बड़ी मेहनत की और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इन लोगों के लिए कुछ किया जाए। पहले जब अंग्रेज थे या हिन्दुस्तान के राजा-महाराजा थे, जब वे किसी से खुश हो जाते थे, तो इनाम के तौर पर पेंशन दे देते थे। अंग्रेज ने इसलिए पेन्शन दी थी कि उनको यहां के लोगों को अपना हमनवाज और साथी बनाए रखना है। दूसरे लोगों को उन्होंने जमींदारी दे दी, जिससे जमींदार अंग्रेजों के साथ रहते थे।

यह जो कर्मचारियों के लिए पेंशन बिल बना हुआ है, इसमें जो डिस्पेरिटीज हैं, उनके बारे में मैं आपके माध्यम से हाऊस में निवेदन कर रहा हूं। यह जो बिल में चेंजेज की बात आई है, इसको आप मान लें, इसलिए कि देश में जो बेईमानी है या करप्शन है, वह कम हो सकती है

क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी के मरने के बाद, जो उसके बच्चे परेशानहाल हैं और गवर्नमेंट से बहुत सी सहायता मांगते हैं, अगर पेन्शन बढ़ा दी जाती है, तो उससे भी गवर्नमेंट बच जाएगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता था कि उन आदमियों को भी पेन्शन मिलनी जरूरी है, जो कन्फर्म हैं लेकिन रिटायरमेंट होने के 10, 20 साल पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं। उनके परिवार वालों को पेन्शन मिलना इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनकी छोटे-छोटे बच्चे होते हैं और उस आदमी के मरने के बाद पीछे कोई कमाने वाला नहीं होता है। उसके बीबी बच्चों के लालन-पालन में लगी रहती है और पढ़ी-लिखी बीवियां बहुत कम हैं। वे किस तरह से अपना गुजारा करें। इसलिए जो लोग रिटायरमेंट से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके परिवार वालों को पेन्शन देने की व्यवस्था की जाए। पेंशन देने की बहुत पुरानी परम्परा है, जो सन् 1871 में रायज हुई थी और यह शोभा नहीं देता है कि आजाद भारत में इतने पुराने कानून को यों ही जिन्दा रखा जाए और उस पर अमल किया जाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस कानून को बदल कर, आज के हालात के मुताबिक पेन्शन का मेयार मुकर्रर करना जरूरी हो गया है।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि यह देखा गया है कि पेन्शन मिलने के बाद, तीन साल, चार साल, पांच साल और कहीं-कहीं तो दस-दस साल तक पेंशन का क्लेम नहीं बन पाता है और पेंशन तय नहीं हो पाती है। इससे उनको बडी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अपना गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जैसे ही एक आदमी रिटायर हो, उसके पेंशन के कागजात पहले से तैयार करवा लिये जाएं और रिटार होते ही उसको पेंशन दी जाए, जिससे उसको परेशानी न हो। हम लोग यह महसूस करते हैं कि हमें अगर एक महीना तनख्वाह न मिले, तो बहुत परेशानी होती है क्योंकि गिरानी इतनी ऊंची उठी है कि एक-एक महीना बिना तनख्वाह के निकालना मुश्किल है। आप यह सोचते हैं कि एम० पीज पर तो गिरानी का कोई असर ही नहीं है। 51 रुपये पहले उसे मिलता था और आज भी 51 रुपये मिलता हैं। सरकार के कागजों में गिरानी काफी है लेकिन एम० पीज के लिए कोई गिरानी नहीं है।

आखरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि इस बिल में प्रोवीजन है, उनके बच्चों के पढ़ने के लिए, मकान आदि की और दूसरी सुविधाएं दी जाएं। अगर आप दिल्ली जैसी जगह में उनको मकान नहीं दे सकते, तो आप यह तो कर सकते हैं कि उनके बच्चों को स्कूलों में शिक्षा दी जाए। इसके लिए आप स्कूलों की तादाद बढ़ा सकते हैं। इसमें इनका तो भला है ही लेकिन देश का भी भला है। हमारे देश का भला इस तरह से होगा कि जब पढ़े-लिखे लोग हो जाएंगे, तो देश तरक्की कर सकता है। उन लोगों के बच्चों को पढ़ाने की ज्यादा जरूरत है, जो रिटायरमेंट के पहले ही मर जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए।

यह कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, यह पेन्शन का जो बिल गाडगिल साहब ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

एक बात तो सबसे पहले पेन्शन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 31 मार्च, 1979 से पहले जो लोग रिटायर हुए थे उनको पेंशन कम मिलती है और जो मार्च, 1980 के बाद रिटायर हो रहे है, उनको पेन्शन ज्यादा मिलती है। इस प्रकार फर्क निश्चित तरीके से पेंशनर्स के दिल और दिमाग में असंतोष पैदा करता है। इसलिए सबको पेन्शन समान तरीके से मिलनी चाहिए। चाहे कोई 79 में रिटायर हुआ हो, चाहे 80 में रिटायर हुआ हो या 81 में रिटायर हुआ हो पेन्शन के मामले में उन सबमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि भारत सरकार का एक फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी जिसको साढ़े तीन हजार तनख्वाह मिलती थी, अगर वह 1979 में रिटायर हुआ तो उसको 650 या 675 रुपये पेन्शन मिली, अगर 1980 में रिटायर हुआ तो उसे 750 रुपये पेन्शन मिली। मैं समझता हूं कि निश्चित तरीके से यह भेदभाव मिटना चाहिए और सबको समान दरों पर पेन्शन मिलनी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में होना चाहिए जो कि इसमें नहीं किया गया है।

दूसरे इस बिल में एक प्रोविजो दिया गया है।

'परन्तु यह कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद किसी सेवा, व्यापार या व्यवसाय में लगता है तो सरकार ऐसी सेवा, व्यापार या व्यवसाय जैसा भी हो की अवधि के दौरान पेन्शन या उसके एक भाग की अदायगी को निलम्बित कर सकती है।"

इस प्रोविजो की इस बिल में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वेलिड होकर रिटायर होता है, उस हालत में अगर उसको कोई काम करने से फायदा होता है तो उस पर कोई पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वह इन्वेलिड नहीं होता तो सारे समय काम करने से उसको तनख्वाह मिलती रहती और वह अपने बाल-बच्चों का लालन-पालन अच्छी तरह से कर सकता था लेकिन इन्वेलिड होने से उसको रिटाइर होना पड़ा और उसकी आय कम हो गयी। इसलिए इस प्रोविजो की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऐसे इन्वेलिड पेंशनर्स अगर कुछ काम करके अपने बाल-बच्चों का गुजर-बसर कर सकते हैं तो उन्हें इस बात की छूट होनी चाहिए।

कम्पलसरी रिटायरमेंट के सम्बन्ध में माननीय गाडगिल साहब ने इस बिल की सेक्शन 5 ए में जो बात कही है—

"कोई सरकारी कर्मचारी जबरन सेवा नवृत किया गया हो, मामले के सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसे ऐसा उपदान और/या पेंशन और/या अन्य लाभ जो धारा 7 के अन्तर्गत सरकार उचित समझे दे सकती है।"

इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि यह जो इस बिल में सेक्शन है, यह बिल्कुल बेकार है और इस सेक्शन का इस बिल में प्रोविजन नहीं होना चाहिए था। जिस आदमी का कम्पलसरी रिटायरमेंट होता है उस आदमी के खिलाफ कोई-न-कोई कारण तो होंगे, उसने भ्रष्टाचार या किसी अन्य प्रकार के अपराध किये होंगे जिनकी वजह से उसका कम्कलसरी

रिटायरमेंट किया गया । अगर ऐसे आदमी को सरकार पेंशन या अन्य कोई बेनिफिट्स देती है तो निश्चित तरीके से उसको एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो कि उसे नहीं दिया जाना चाहिए । यह चीज़ बिल्कुल गलत है । अगर यह सेक्शन इस बिल में न होता तो अच्छा था ।

एक मेरा निवेदन यह है कि रिटायर होने वाले गवर्नमेंट सर्वेंट को निश्चित तरीके से मेडिकल और एजूकेशनल फेसिलिटीज मिलनी चाहिए । ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो यह और भी जरूरी है जिनकी कि तनख्वाह कम है । मेडिकल फेसिलिटीज और एजूकेशनल फेसिलिटीज के सम्बन्ध में इस बिल में जो प्रावधान है वह निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है और ऐसी व्यवस्था आवश्यक है ।

फेमिली पेंशन के बारे में इसमें जो प्रोविजन किया गया है, वह निश्चित तरीके से होना चाहिए । एक आदमी के मर जाने के बाद, चाहे वह काम करते हुए मर जाता है, या रिटायरमेंट होने के बाद मर जाता है, तो वहां विडो, बाल-बच्चों या माता-पिता को देखने वाला कोई नहीं होता । इसमें फेमिली पेंशन की जो व्यवस्था विडो, बाल-बच्चों के अलावा माता-पिता के लिए भी की गयी है, वह निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है । इससे उन बुजुर्गों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी ।

एक मेरा निवेदन यह है कि पेंन्शन पाने वालों की पेंशन की किसी तरह से कुर्की नहीं होगी जो इस प्रकार की और अन्य व्यवस्थाएं की गयी हैं वह भी निश्चित तरीके से होनी चाहिए जिससे कि पेंशनर्स का गुजर-बसर हो सके । यह जो गाडगिल साहब ने प्रोविजन किया है इसका मैं स्वागत करता हूं ।

इसी प्रकार से दूसरे जो प्रोविजन हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं ।

श्री एम० एम० लारेंस (इडुक्की) यह अधिनियम उन सभी लोगों पर लागू होना चाहिए जिन्हें सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर पेंशन मिलती है अथवा जो केन्द्र या राज्य सरकार से पेंशन पाने के अधिकारी हैं । मेरे विचार से एक कर्मचारी को मिलने वाले वेतन के पांच गुने से कम अथवा कार्यकाल के अनुसार इससे अधिक उपदान सेवा निवृत्त होने पर मिलना चाहिए । मैं यह भी चाहता हूं कि नौकरी से निकाले जाने अथवा बर्खास्त किए जाने के अलावा किसी अन्य स्थिति में पेंशन, उपदान अथवा अन्य लाभ रोके अथवा कम न किये जाएं । एक सरकारी कर्मचारी को उन सभी लाभों का अधिकार होना चाहिए जिसे अधिनियम की धारा 3, 4 और 6 के अन्तर्गत पेन्शन और उपदान पाने का अधिकार है ।

सरकार पेंशन पाने वाले की सहमति से पेन्शन के एक भाग का, जो पेन्शन के आधे से अधिक नहीं, सम्भावित जीवन के आधार पर एक मुश्त भुगतान करने का आदेश दे और यदि पेन्शन पाने वाला सम्भावित जीवन से अधिक समय तक जीवित रहता है तो उसे उस समय से पूरी पेन्शन दी जाए ।

इस अधिनियम की सभी धाराएं सभी पेन्शन पाने वालों पर, उनकी सेवा निवृत्त तिथि चाहे कोई भी हो, लागू होनी चाहिए और उन्हें उतनी ही पेन्शन मिलनी चाहिए जितनी इतने सेवा काल और इसी स्तर के व्यक्ति को पुनरीक्षित वेतन में इस समय सेवा निवृत्त पर मिलती है ।

एक पेन्शनधारी को अथवा उसके परिवार को कम से कम इतनी पेन्शन मिलनी चाहिए जो उसे मिलने वाले कुल वेतन के आधे से कम न हो । फिर चाहे उसका सेवा काल कितना ही क्यों न हो ।

परिवार पेन्शन, पेन्शनधारी की पेन्शन के आधे से कम नहीं होनी चाहिए । पेन्शन के सम्बन्ध में किसी विपरीत निर्णय पर न्यायालय में अपील करने की अनुमति होनी चाहिए ।

नियम बनाने की शक्ति के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि किसी भी आदेश अथवा अधिकारी के द्वारा सरकार द्वारा पेंशन उपदान अथवा अन्य लाभों के सम्बन्ध में दी गई उदारता को कम, समाप्त अथवा निरस्त नहीं किया जाना चाहिए। तथा यह नियम सभी पेंशनधारियों पर लागू हो ।

केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम बिना किसी पूर्व ग्रह के लागू किया जाये । पेंशन को अन्तिम रूप देने में बहुत विलम्ब होता है । कभी-कभी तो पेंशन निश्चित करने और देने में 12 से 18 महीने तक लग जाते हैं जिससे पेंशनधारी को बड़ी कठिनाई होती है । पेंशन के प्रार्थना पत्रों के निपटान में तेजी लाने के प्रयत्न किये जाने चाहिए ।

पेंशनधारियों और परिवार में उनके आश्रित लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए प्रति-पूर्ति की स्वीकृति दी जानी चाहिए ।

पेंशनधारियों को पूरा-पूरा मंहगाई भत्ता दिया जाए । पेंशन अथवा उपदान का भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाए ।

मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान के अधिक भुगतान की वसूली की पद्धति को समाप्त किया जाए क्योंकि इससे पेंशनधारी वृद्धों को बड़ी कठिनाई होती है ।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर चर्चा के लिये 2 घण्टे का समय रखा गया था । मंत्री भी इस पर बोलेंगे ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : समय बढ़ाया जाए ।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : समय बढ़ाया जाए ।

सभापति महोदय : समय कितना बढ़ाएं ? सभा की क्या राय है ?

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : समय में एक घन्टे की वृद्धि की जाए ।

सभापति महोदय : ठीक है ।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : सभापति महोदय, गाडगिल साहब ने इस बिल को लाकर बहुत बड़ा काम किया है । देश में ब्रिटिश राज्य के जमाने से जो घिसा-पिटा कानून चला आ रहा था और देश में बढ़ती हुई आवश्यकताओं और इस कानून में जो बे-मेल स्थिति पैदा हो गई थी, उसको दूर करने का प्रयास इस बिल में किया गया है । इन्होंने इस बात को माना है कि पेंशन कोई कृपा या दान नहीं है, बल्कि श्रमिक-वर्ग का, मजदूर-वर्ग का अधिकार है । इस बात के लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

इस बिल में इन्होंने इस बात को कहने का प्रयत्न किया है कि पेंशन के भुगतान और निर्धारण में अनिवार्यता लाई जानी चाहिए, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । लेकिन मुझे संदेह है कि गाडगिल साहब का यह प्रयास सफल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान भारत सरकार की नीतियां मजदूर विरोधी हैं । यह मैं इसलिए कहता हूं कि अभी हमने देखा कि एल. आई. सी. के लोगों ने बोनस की मांग की और आप लोग कोर्ट में दौड़ते रहे । सुप्रीम कोर्ट ने आपको करारा जवाब दिया, उसके बाद भी आप उसके निर्णय को मानने से हिचकिचा रहे हैं । अभी भी आप इसको कहां तक मानेंगे, यह पता नहीं है ।

इसी प्रकार से पब्लिक सेक्टर के एंप्लाएज ने हड़ताल की थी, तब आपने आश्वासन दिया था, लेकिन आपने आश्वासन पूरा नहीं किया । इसके बाद फिर से तमाम देश के 6 मजदूर संगठनों ने हड़ताल की है और अनशन किया है ।

आपकी नीति मजदूर विरोधी है और मजदूर विरोधी नीति होने के कारण मुझे नहीं लगता कि गाडगिल साहब का प्रयास सफल होगा । सदन में बहस होगी और कुछ मान्यताएं पैदा होंगी । निष्कर्ष क्या होगा, इसमें संदेह है । फिर भी इन्होंने जो बातें कही हैं, वे स्वागत योग्य हैं ।

वैसे तो इन्होंने बहुत अच्छी चीजें इसमें रखी हैं, लेकिन कुछ खामियां भी इसमें हैं । मैं चाहता हूं कि यह बिल कंप्रहेंसिव होना चाहिए । देश के पूरे श्रमिक वर्ग की समस्याओं का समाधान इससे नहीं होता । अभी जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि संगठित मजदूरों की समस्याएं तो दूर हो जाती हैं, लेकिन जो खेतीहर मजदूर हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी समस्याएं हल नहीं होती हैं । इसलिए मेरा ख्याल था कि आप एक कंप्रहेंसिव बिल लाते, जिसमें सारे देश के मजदूरों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पूंजी के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ एक कदम होता ।

एक चीज और ग्रेट्यूटी के बारे में कही गई है। इसमें कहा गया है कि श्रमिक को जो वेतन मिलता है, उसका पांच गुना ग्रेट्यूटी के रूप में दिया जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि यह फार्मूला उन्होंने किस तरह से तय कर लिया है। रुपए की कीमत दिन-प्रति-दिन घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है तो 5 गुना देकर उसको क्या लाभ होगा। सुझाव है कि 10 गुना उसको ग्रेट्यूटी के रूप में देना चाहिए।

इसी प्रकार से पेंशन के बारे में कहा है कि दो माह के अन्दर पेंशन के कागज तैयार कर दिये जाने चाहिएं। मेरी समझ में यह समय पर्याप्त है।

पेंशन के भुगतान के संबंध में कहा गया है कि यदि पेंशन के भुगतान में विलंब होता है तो भुगतान करने वालों को 6 परसेंट सूद देना पड़ेगा। यह रेट जो 6 परसेंट रखा है, यह मेरी समझ में नहीं आया। यह फार्मूला किस आधार पर तैयार किया गया है, जबकि ग्रामीण बैंकों से जो कर्ज मिलता है, उस पर 14 प्रतिशत और मिनियम 12 प्रतिशत ब्याज देना होता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि 12 परसेंट सूद देना चाहिए। वैसे ही आपने पेंशन के क्लेम के विषय में लिखा है – "किसी भी दीवानी न्यायालय में इस अधिनियम के अन्तर्गत उठने वाले विवाद और दावे पर मुकदमा चलाया जा सकता है।" यह स्थिति है, लेकिन यह सारा काम सरकार के हाथ में न रहे, बल्कि जनतांत्रिक तरीके से पेंशन-आफ्ता लोगों के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हों और एक कमेटी होनी चाहिए, जिसके जरिए जो क्लेम हैं वे तय किए जाने चाहियें।

इसमें खामियां हैं, लेकिन फिर भी यह बिल स्तुत्य है और स्वागत-योग्य है, लेकिन आपकी सरकार इसे कबूल नहीं करेगी और आपकी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि यह सरकार मजदूर विरोधी है, इसकी नीतियां मजदूर विरोधी हैं और यह पास होने वाला नहीं है।

यह होता कहां है ? समाजवादी मुल्कों में होता है, दूसरों में नहीं। समाजवादी मुल्कों में जीवन भर उनके जीवन-यापन, दवा-दारू तथा दूसरी सुविधाओं की गारंटी रहती है। आपकी कल्पना अभी तो पूरी होने वाली नहीं है। फिर भी इस बिल को लाकर माननीय सदस्य ने प्रशंसनीय काम किया है और इसका मैं जोरदार समर्थन करता हूं।

श्री जेवियर अराकल : श्रीमन, मैं माननीय सदस्य द्वारा इस बिल में व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत हूं। भय को दूर करने के लिए समाजिक सुरक्षा आवश्यक है। भूतकाल में हमारा समाज एक सुव्यवस्थित समाज था और हमारे यहां संयुक्त परिवार पद्धति नामक परिवार पद्धति थी। परन्तु अब इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। अब हममें से बहुत से सरकारी सेवा में हैं और सेवा निवृत्ति के बाद हमारे सामने अनेकों समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। अब प्रश्न यह है कि सेवा काल को बढ़ाना एक दान अथवा अधिकार है जिसे पाने के वे अधिकारी हैं या वह स्थगित भुगतान है। इस विधेयक के ये मुख्य मुद्दे हैं। यह क्या एक दान है जो हम उन्हें देते हैं अथवा क्या अपनी सेवा के दौरान उनके द्वारा किये गए कार्य के लिये ये स्थगित भुगतान है ? मेरे विचार से यह दोनों होना चाहिए। देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, सामाजिक गहन और

उन समस्याओं को देखते हुए जिनमें इस समय हम रह रहे हैं इसे स्थगित भुगतान और अनुग्रह दोनों दृष्टि से देखा जाए।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत से पेंशनधारियों को मजबूरन न्यायालय में जाना पड़ता है। कुछ लोगों को तो पेंशन की सुविधा पाने के लिए 23 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कुछ लोगों को अपनी पेंशनों को अन्तिम रूप दिलाने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में दौड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या उनके पेंशन सम्बन्धी दावों को तय करने के लिए कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है? इस विधेयक में इस बात को बहुत महत्त्व दिया गया है। लोगों को मिलने वाले लाभ समय पर नहीं मिलते हैं और परिणामस्वरूप उन्हें मजबूरन अदालत की शरण लेनी पड़ती है। इसे सुधारा जाना चाहिए।

एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का देश के नागरिकों पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पेंशनधारियों ने बार-बार सरकार तथा सम्बन्धित विभागों को याचिका भेजी है कि उनके मामले पर सही परिपेक्ष्य में विचार किया जाए। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त विधेयक में इसके लिए कुछ धनराशि रखी गई है और इस मामले में उदारता बरती गई हैं परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पर्याप्त नहीं है। क्योंकि बहुत से पेंशनधारियों की देखभाल उनके सेवा निवृत होने पर उनके अपने सम्बन्धी नहीं करते। सेवा निवृत्त लोग अपने ही घर में स्वागत योग्य नहीं समझे जाते। इस प्रवृत्ति को शुरू में ही समाप्त किया जाए। ये वरिष्ठ नागरिक मुद्रास्फीति, आर्थिक, असुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण कष्ट उठाते हैं। इसलिए मैंने यह कहा कि सामाजिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा योजना होनी चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक को लाकर पेंशनधारियों के कष्ट को उजागर किया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए। उनसे पेंशनधारियों की समस्याएं किस प्रकार हल होंगी? अब समय आ गया है कि हम सिविल कर्मचारियों के रोजगार के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 306 से 313 पर विचार करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अधिकतर कर्मचारी स्वयं ही अपने पेंशन सम्बन्धी लाभों का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वे इस सम्बन्ध में समय तथा अन्य बातें निश्चित कर लेते हैं। परन्तु वे किस सीमा तक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं इस सम्बन्ध में मैं चार बातों को उल्लेख करूंगा जो इस प्रकार हैं :—

पहली है मनुष्य की प्रकृति व स्वभाव और उसका यह कहना है कि उसके साथ सम्मान और जिम्मेदारी का व्यवहार किया जाए। यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी वह सम्मान चाहते हैं तो उनका भी समाज के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है। दूसरी बात है मानव समाज की स्थिति। हमारा समाज दिन प्रतिदिन बदल रहा है। असुरक्षा की नई समस्याएं भी उठ रही हैं। इसलिए इन सभी बातों का सुचारु रूप से हल निकाला जाना है। तीसरी बात है सरकार की अपनी स्थिति हमारी पद्धति में सरकार ने अपनी नीतियों और सिद्धान्तों को संविधान में प्रदर्शित किया

है। हमने एक कल्याणकारी समाज की पद्धति की स्थासना की है जिसके अन्तर्गत सरकार के ऊपर बड़ा उत्तरदायित्व और भार है। इस पहलू पर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के प्रश्न के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। चौथी बात हमारी आर्थिक पद्धति है। इनमें से कुछ समस्याएं हल की जा सकती हैं यदि आर्थिक क्षेत्र के सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जाएं। ये चार बातें मैं कहना चाहता था। एक और बात यह है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अपनी सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन लाभ योजना आदि अपना रखी हैं। विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा दिए जाने वाले बिभिन्न पेंशन लाभों को सम्बद्ध करने के लिए एक बोर्ड होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद !

श्री चित्त बसु : मैं श्री गाडगिल द्वारा पेश किए गए विधेयक के सिद्धान्तों का समर्थन करता हूं।

मैं अपना भाषण केवल कुछ बातों तक सीमित रखूंगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा के मूल सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए। इस विधेयक का मूल सिद्धान्त सामाजिक सुरक्षा है और इसके अनुसार किसी भी पेंशन योजना का यह आधार होना चाहिए। इस सीमा तक यह एक नवीनता है।

विस्तार में न जाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में इस समय विद्यमान पेंशन योजना में तुरन्त कुछ सुधार किए जाने चाहिएं। पेंशन की दरें निर्धारित करने की उचित प्रक्रिया और तरीका होना चाहिए। दूसरे पेंशन की राशि जीवन निर्वाह सूचकांक से सम्बद्ध होनी चाहिए, जैसा कि ब्रिटेन में है। पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने और उसका पुनरीक्षण करने की व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार पेंशन इतनी होनी चाहिए जिससे आश्रित लोग सम्मान से रह सकें। पेंशन लाभों का आधुनिकीकरण करने और नवीनीकरण करने की निश्चित प्रणाली होनी चाहिए। हमें सामाजिक सुरक्षा के समूचे प्रश्न को ध्यान में रखना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन देने की पद्धति में कुछ कमियां आ गई हैं मैं सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं जिससे, इस समस्या को तुरन्त हल किया जा सके।

मैं 12 मार्च, 1981 के इन्डियन एक्सप्रेस में छपे एक समाचार का उल्लेख करना चाहता हूं :—

> "1979 में पेंशन कानूनों को उदार बनाया गया। परन्तु इसका सब लाभ केवल 31 मार्च, 1979 को या उसके बाद सेवा निवृत्त होने वाले लोगों को मिला। इस प्रकार वृद्ध पेंशन-धारियों को मामूली से भत्तें ही मिलते रहे, मार्च, 1979 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले लोगों के लिए सत्य यह कहीं अधिक उदार फार्मूला अपनाया गया। 1973 से पहले सेवा निवृत्त होने वालों की स्थिति और भी खराब हैं क्योंकि 1973 में भी पेंशन नियमों को उदार बनाया गया था, जिसका लाभ केवल उस वर्ष या उसके बाद सेवा निवृत होने वाले लोगों को ही मिला।"

श्रीमन, मैंने कहा है कि इस प्रणाली में कई त्रुटियां पैदा हो गई हैं। क्या मंत्री महोदय इन त्रुटियों को पेंशनधारियों की इच्छानुसार दूर करेंगे ? इस विधेयक का संबंध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन से है। इसके पीछे जो सिद्धान्त है मैं उसका समर्थन करता हूं। परन्तु यदि आप सामाजिक सुरक्षा के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं तो, समूचे सदन को यह देखना चाहिए कि इसका लाभ समाज के अन्य वर्गों को हम किस सीमा तक पहुंचा सके हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा में वृद्धावस्था पेंशन और अन्य मामलों में राज सहायता देने के लिये कारगर उपबन्ध कर सकते हैं। इसलिये कुछ राज्य सरकारों ने वृद्ध लोगों के लिये पेंशन योजनाओं बनायी हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस समय भी 18 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र इस प्रकार की पेंशन देते हैं।

1978 में वित्त आयोग ने 60 रुपये प्रति मास के हिसाब से पेंशन देने की एक समान दर का सुझाव दिया था। मैं केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में कह रहा हूं। वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि देश में वृद्ध लोगों को 60 रुपये प्रतिमास की समान दर से पेंशन दी जाये। परन्तु इस समय राज्य सरकारें 20 से 50 रुपये प्रतिमास की दर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देती हैं। वित्त आयोग का सुझाव था कि कम से कम 60 रुपये मासिक दिये जायें। कुछ राज्यों ने आयु की सीमा 70 वर्ष रखी है। ऐसा क्यों ? हमारे देश में औसत आयु 52.6 वर्ष है। अब इस प्रकार 70 वर्ष की आयु पेंशन के लिए रखना बहुत से वृद्ध पुरुष और स्त्रियों को उससे वंचित करना है। इसलिए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुत से राज्यों में उन लोगों को पेंशन दी जाती है जिनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। यह पेंशन सामाजिक सुरक्षा के उपायों के रूप में न दिये जाकर इसे निराश्रित भत्ते के रूप में दी जाती है। यह हमारे नागरिकों के सम्मान के अनुकूल नहीं है। वित्त आयोग ने 1978 में स्थिति की समीक्षा की और कहा :—

"हमारे विचार में मासिक पेंशन की दर बहुत कम है।"

आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि कुल जनसंख्या का कम से कम एक प्रतिशत पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत आना चाहिए। 1971 की जनगणना के अनुसार 60 वर्ष की आयु के निराश्रित लोगों की संख्या 48 लाख थी। यह कुल जनसंख्या का .87 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि एक प्रतिशत जनसंख्या को पेंशन का लाभ नहीं मिलता। यदि उतनी जनसंख्या को इसका लाभ भी मिले तो भी यह कोई प्रगति नहीं है। 1976-77 में इस मद पर कुल 18.39 करोड़ रुपये व्यय हुए। वित्त आयोग का विचार है कि 1979 से 1984 तक 5 वर्षों में 264.8 करोड़ रुपये इस मद पर खर्च करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार यह मोटे तौर पर 52.30 करोड़ प्रतिवर्ष बैठता है। 1980-85 के योजना सम्बन्धी मसौदे में 5 वर्ष के लिए 22 करोड़ रुपये अर्थात प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। मैं ये आंकड़े यह बताने के लिए दे रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

अनुच्छेद 41 के अन्तर्गत सरकार सामाजिक कल्याण और सुरक्षा देश के अधिक से अधिक लोगों को यथासंभव उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए जब श्री गाडगिल के इस

विधेयक पर वाद-विवाद हो रहा है मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसकी ओर भारत सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि योजना में बहुत कम धन का नियतन किया गया है। कुछ राज्य सरकारों जैसे पश्चिम बंगाल और केरल ने कुछ पेंशन योजनायें लागू की हैं विशेषकर कृषि मजदूरों और किसानों के लिए जो वृद्ध हैं और 60 साल की ऊपर की आयु के हैं। ये राज्य सरकारें इस महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय के विस्तार के लिए केन्द्र से कुछ सहायता चाहती हैं। दुर्भाग्यवश केन्द्र सरकार ने उनकी इस प्रार्थना की ओर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार नहीं किया है। मैं उनसे केवल राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों को भली प्रकार समझने की प्रार्थना करूंगा। राज्यनीति के निदेशक सिद्धान्त का काम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह कार्य राज्य सरकारें करती हैं। इसलिए संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत केन्द्र का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे जिससे वे सामाजिक सुरक्षा के उपायों को कारगर ढंग से लागू कर सकें। यह कहते हुए माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे उन आंकड़ों पर विचार करें जोकि मैंने दिए हैं जिससे सामाजिक सुरक्षा के लिए किये गये नियतन को जो कि कम होता जा रहा है जबकि इसे अधिक होना चाहिये, विस्तार करें।

वेंकट सुब्बैय्या : सभापति महोदय, कुछ समय के लिए मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है और मैं वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहा हूं।

यह पेंशन बिल है जिसे मेरे मित्र गाडगिल ने पुर:स्थापित किया है और अनेकों सदस्यों ने बड़े उपयोगी सुझाव दिये हैं यद्यपि वे चर्चा से बाहर थे। सामाजिक सुरक्षा उपायों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है तथा केन्द्र सरकार द्वारा निदेशक सिद्धान्तों को लागू करने में निभायी जाने वाली भूमिका पर भी अनेक विचार व्यक्त किये गये हैं। बहुत से मूल्यवान सुझाव दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री समय आने पर सदस्यों द्वारा दिये गये इन सुझावों पर विचार करेंगे। मैं अपना भाषण श्री गाडगिल द्वारा पेश किये गये गैर-सरकारी विधेयक तक ही सीमित रखूंगा।

चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों के द्वारा पेश किये गये सुझावों के बारे में कुछ कहने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र करना चाहूंगा तथा उन उपायों का जिक्र भी करूंगा जो सरकार ने समय-समय पर पेंशन योजनाओं को सुचारू रूप देने में किये हैं। सरकार की जानकारी में समय-समय पर पेंशनधारियों की कुछ समस्यायें आयी हैं। मैं इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों की एक सामान्य सी जानकारी दूंगा।

अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं श्री गाडगिल द्वारा विधेयक को तैयार करने और सभा में पेश करने के लिए किये गये गहन अध्ययन और इकट्ठी की गई जानकारी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा की गई प्रशंसा में उनके साथ हूं। नि:सन्देह बहुत से विवरण अन्य देशों जैसे ब्रिटेन और अमरीका की परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं जहां परिस्थितियां मूलत: भिन्न हैं।

फिर भी यह विधेयक यह सिद्ध कर सकता है और एक नमूने के तौर पर रखा जा सकता है तथा समस्याओं को प्रकाश में ला सकता है और यह बता सकता है कि सरकार ने समय-समय पर कौन-कौन से कदम उठाये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि पेंशनधारियों की उचित समस्याओं पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। सरकार पेंशनधारियों को बड़ा सम्मान देती है केवल इस कारण कि इन लोगों ने प्रशासन को चलाने में अपना सबसे अच्छा योगदान दिया तथा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया।

वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इस समय 9.5 लाख लोगों को सीधे पेंशन दी जाती है और 2.75 लाख परिवारों को पेंशनधारी के मरणोपरांत पेंशन मिलती है। कुल मिलाकर सरकार से 12 लाख लोगों और परिवारों को पेंशन मिलती है, जिस पर प्रतिवर्ष 395 करोड़ रुपया खर्च होता है। सरकार समय-समय पर पेंशन योजना के कार्यकरण की समीक्षा करती है और जब यह आवश्यक समझती है कि पेंशन के ढांचे में परिवर्तन किया जाये तब ऐसा किया जाता है।

अखिल भारतीय स्तर पर और क्षेत्रीय स्तर पर पेंशनधारियों की संस्थायें सरकार को पेंशनधारियों की समस्याओं से अवगत रखती हैं और समय-समय पर उनसे जो सुझाव प्राप्त होते हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। हाल ही में पेंशनधारी संस्थाओं के परिसंघ की एक बैठक प्रधान मन्त्री के साथ हुई। उस समय उन्होंने अपनी समस्याओं सम्बन्धी एक ज्ञापन दिया और यह प्रार्थना की कि सरकार उन्हें दूर करे। प्रधान मन्त्री ने पेंशनधारियों की इन समस्याओं पर बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया तथा उन्होंने अपने निम्न विचार व्यक्त किये :—

> "सरकार को इस प्रकार का रुख नहीं अपनाना चाहिए कि पेंशनधारियों के लिए और कुछ करना आवश्यक नहीं है।"

उनका विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए और यदि आर्थिक स्थिति में सुधार हो तो कुछ किया भी जाना चाहिये। उन्होंने भविष्य में अपनाये जाने के लिए कुछ संभव बातों की ओर भी इंगित किया और यह सुझाव वित्त मंत्रालय को भेज दिये गये हैं, तथा मेरा विश्वास है कि वित्त मंत्रालय इन पर सावधानी से विचार करेगा। मैं इन पर कार्यवाही कर रहा हूं। क्योंकि यह मामला पेंशनधारियों से सम्बन्धित है इसलिए सैद्धान्तिक तौर पर इसका सम्बन्ध गृह मंत्रालय से है। परन्तु जब वित्त का मामला होता है तो उस पर निर्णय लेना हमारे वित्त मन्त्री का काम है और मैं उन पर किसी प्रकार का जोर अथवा उनके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वित्त मंत्री स्वयं भी वित्तीय स्थिति में बंधे होते हैं।

कल मैंने कुछ समाचार पत्रों में एक समाचार पढ़ा जिसमें पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश श्री मिश्र और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी०

सी० कृष्णा अय्यर के विचार दिये गये थे। श्री मिश्र ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक में जो उपाय दिये गये हैं वे सही दिशा में हैं और व्यापक हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं और उन पर सरकार श्री गाडगिल के विधेयक के साथ-साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने कहा है कि समूची पेंशन योजना का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण करने की आवश्यकता है जिससे समाज में समानता लायी जा सके। सरकार का सदैव यही प्रयत्न रहता है। इसी कारण सरकार श्री कृष्णा अय्यर द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत है। हमारा भी यह विचार है कि पेंशन दान नहीं है वरन एक सामाजिक अधिकार है। इस सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंशनधारियों के लाभ के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं।

1979 में हाल ही में .....

श्री चित्त बसु : विषमता।

श्री पी० शंकट सुब्बैया : विषमताओं के सम्बन्ध में मैं बाद में कहूंगा। 1979 में वित्त मंत्री ने पेंशन योजना में कुछ उदारताओं की घोषणा की थी जैसाकि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की क्रमिक दर लागू की गई जो अन्तिम वेतन का 50 प्रतिशत होगी॥ तथा अधिक से अधिक 1500 रुपये। हाल ही के बजट में पेंशनधारियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को युक्तियुक्त बनाने की घोषणा वित्त मन्त्री ने की है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारी को अधिक से अधिक राहत और सहायता दिये जाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। पेंशनों के भुगतान की प्रक्रिया और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के भुगतान को सुचारु बनाया गया है। इस संबंध में अनेकों सदस्यों ने सेवा निवृत्ति के बाद पेंशनधारियों के सामने आने वाली अनेकों कठिनाइयों का जिक्र किया और कहा कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान, एक विभाग से दूसरे विभाग भागना पड़ता है। अपने माननीय मित्र श्री सूरज भान के लाभार्थ और उनकी जानकारी के लिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति लाभों को सुनियोजित किया गया है। मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान में सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन महीने से अधिक का विलम्ब होने पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज का भुगतान किये जाने की भी अनुमति दी गई है। कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि ब्याज की दर को बढ़ाया जाये। उनका सुझाव है कि यह 13 से 14 प्रतिशत होना चाहिए। श्री गाडगिल ने भी कहा है कि यह 6 प्रतिशत होना चाहिए। इसका जिक्र मैंने यहां कर दिया है। 33 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर एक सरकारी कर्मचारी को पेंशन के अलावा निम्नलिखित राशि भी एक मुश्त मिलती है।

(क) सेवा काल के प्रत्येक वर्ष के लिये 15 दिनों के वेतन के बराबर उपदान, जो अधिक से अधिक 16–1/2 महीना के वेतन से तथा अधिक से अधिक 30 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

(ख) 6 महीने तक इकट्ठी की गई छुट्टियों के बदले में नकद वेतन।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा योजना में इकट्ठी राशि : (अधिकतम पांच हजार रुपये जिसे 1.1.1982 से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा रहा है) ।

(घ) पेंशन के एक तिहाई तक की राशि को एक मुश्त देना । (वैकल्पिक) यदि इसकी माग सेवानिवृत्ति के बाद अगली जन्म तिथि से पहले की जाती है तो यह एक मुश्त वैकल्पिक भुगतान बिना डाक्टरी परीक्षा के किया जायेगा ।

यह कुछ लाभ हैं और यदि सरकारी कर्मचारी इन राशियों को किफायत के साथ उपयोग में लाये तो उसकी मासिक आय इनके निवेश तथा पेंशन को मिलाकर कमोबेश अन्तिम वेतन के बराबर हो जाती है । हमारा यह प्रयत्न है कि पेंशनधारी को अधिकतम लाभ मिल सके ।

श्री गाडगिल और अन्य कई सदस्यों ने भी विलम्ब के बारे में अपने भाषण के दौरान जिक्र किया तथा उन्होंने पेंशनधारियों को इस विलम्ब के कारण होने वाली कठिनाइयों का भी मामला उठाया । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पेंशन के मामलों को शीघ्रता से निपटाने और पेंशनों को स्वीकृति देने के लिए विभिन्न कदम उठाये हैं । सबसे पहले पेंशन की स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है तथा सरकारी कर्मचारी वास्तव में सेवानिवृत्त होने के पहले से ही उसकी पेंशन के भुगतान का मामला हाथ में ले लिया जाता है । अब पेंशन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने लगी है । कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि क्या इसका भुगतान मनीआर्डर के द्वारा नहीं किया जा सकता है । इस उपाय के द्वारा बड़ी राहत मिली है तथा पेंशनधारियों की बहुत सी असुविधायें समाप्त हुई हैं । पेंशन की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों के लाभ के लिए पेंशन नियमों आदि का एक नया संस्करण निकाला गया है जिसमें इस वर्ष के आरंभ में किये गये विभिन्न संशोधनों को भी शामिल किया गया है और हम विश्वास करते हैं कि जब ये निदेश पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के पास पहुंचेंगे तो पेंशन स्वीकृत करने की प्रक्रिया और सरल हो जायेगी तथा किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होगा । दुर्भाग्यवश इन अधिकारियों में से कुछ लोग इस बात को अनुभव नहीं करते कि कुछ समय बाद वे लोग ही पेंशनधारियों के साथ आ मिलेंगे ।

श्री आर० के० महालगी : आपका यह कहना सही है ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : जिस समय वे पद पर आसीन होते हैं तो वे इस बात का ध्यान किये बगैर कि उन्हें भी कभी इन्हीं लोगों के साथ मिलना है पेंशनधारियों के लिए अनेक प्रकार की कठिनाईयां पैदा करते हैं ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है । मेरे जिले में एक कलेक्टर ऐसे मामलों को निपटाने के सम्बन्ध में बड़ा कुख्यात था और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उसे भी वैसे ही व्यवहार का अनुभव करना पड़ा । तब वह मेरे पास शिकायत के लिए आया । मैंने उससे कहा कि आपने उस समय इस बात पर तनिक भी विचार नहीं किया जबकि आप स्वयं कलेक्टर थे । यदि आपने पेंशनधारियों को मदद देने के तरीके से कार्य किया होता तो इस समय आपकी शिकायत का कोई अवसर न होता ।

श्री गाडगिल ने इस विषय का गहन अध्ययन किया है और मैं फिर एक बार उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं । अधिनियम में जिन कमियों को लेकर उन्होंने इस विधेयक को पेश किया है वे कमियां पेंशनधारियों और उनकी प्रतिनिधि संस्थाओं को विचलित करती रही हैं । विधि आयोग ने भी इस धारा में संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे पेंशनधारी अपनी शिकायतों को दूर करने के लिये कानूनी अदालत का सहारा ले सकें ।

श्री आर० के० महालगी : विधि आयोग ने किस तिथि को यह सिफारिश की ।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : इस समय वह मुझे ज्ञात नहीं । इस सिफारिश पर सरकार ने विचार किया है और इस सम्बन्ध में हमारा यह विचार है कि पेंशन नियमों संबंधी शिकायतों तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरण लेने का काम एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण को सौंपा जाये जिसकी स्थापना करने का इस समय प्रस्ताव है । इससे श्री गाडगिल और अन्य सदस्यों की मांग पूरी हो जायेगी जिसका कि उन्होंने सुझाव दिया है । संविधान के अनुच्छेद 323(क) में ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है । मुझे प्रसन्नता है कि श्री गाडगिल के मन में भी ऐसा ही कुछ करने की बात थी और मैं आशा करता हूं कि उनकी इस मांग को बड़ी सीमा तक ये न्यायाधिकरण पूरा कर सकेंगे । जब न्यायाधिकरणों की नियुक्ति हो जायेगी तो पेन्शनधारियों के उचित दावे शीघ्रता से निपटाये जा सकेंगे । न्यायाधिकरणों से यह लाभ होता ही है । अतः सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर आगे कार्यवाही शुरू कर दी है और वह यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है जिससे पेन्शनधारियों को लाभ मिल सकेंगे ।

दूसरी बात जो कही गई है वह यह है, मृतकों की पेंशन की जीवन-पर्यन्त बकाया राशि प्राप्त करने में मृतक पेंशनभोगियों के उत्तराधिकारियों को होने वाली कठिनाईयां । श्री गाडगिल ने यह भी उल्लेख किया है कि न्यायालय में जाकर उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र महंगा तथा मुश्किल है और इसमें बहुत समय लगता है । मुझे यह नहीं मालूम है कि उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में कितना समय लगेगा । यह सबको मालूम है । हम इन कठिनाईयों से अवगत हैं और हमने इस कानूनी कठिनाई को दूर करने तथा पेंशनभोगियों को नाम निर्धारिती तय करने की अनुमति देने का निर्णय पहले ही ले लिया है ताकि उनके नाम निर्धारिती उनकी पेंशन की जीवन-पर्यन्त बकाया लेते रहे हैं । सरकार वर्तमान पेंशन अधिनियम, 1891 की धारा 12 में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तावित करना चाहती है ताकि इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके ।

श्री गाडगिल ने सुझाव दिया है कि पेंशन की दर, पेंशनभोगियों को राहत की मंजूरी तथा पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया को संविधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए । मैं इन सब बातों में से कुछ को स्पष्ट करना चाहूंगा । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलतफहमी है—पेंशन अधिनियम, 1871 की विधिमान्यता तथा प्रासंगकिता के बारे में सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को भी गलत नहीं कह रहा हूं । यह अधिनियम पेंशन की दर, पेंशन भोगियों को राहत की मंजूरी तथा पेंशन मंजूर करने की प्रक्रिया को विनियमित नहीं करता । ऐसे मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 तथा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यकारी

आदेश द्वारा विनियमित होते हैं। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए हैं और सांविधिक प्रकृति के हैं। ये नियम प्रवर्तनीय हैं। इस प्रकार, उदाहरणार्थ, नियम 35, जो सेवानिवृति को परिभाषित करता है, कहता है कि सेवा निवृति पेंशन उस सरकारी सेवक को मंजूर की जाएगी जो अनिवार्य सेवानिवृति की उम्र हो जाने पर सेवा निवृत हो रहा है। यही स्थिति पेंशन की अन्य कोटियों के साथ है। इसके अलावा, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 6, जो सरकार को असंतोषजनक सेवा के लिए सम्यक प्रक्रिया पालन करके पेंशन में कमी करने की शक्ति देता है, को अब समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान नियमों के अनुसार भी पेंशन ऐसी चीज नहीं है जिसे भुगतान किया जा सकता है अथवा भुगतान नहीं किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत कर दिया गया है उन्हें पेंशन देने के बारे में इस सभा में व्यक्त किए गए विचारों में विभिन्नता है। मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उस धारा को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए, मैं श्री गाडगिल के उन विचारों से असहमत हूं जब वे कहते हैं कि पेंशन आनुतोषिक, दया भूत राशि तथा पेंशनभोगियों के प्रति दिखाई गई दया है और यह अधिकार नहीं है।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणे) : यह न्यायालय के निर्णय के अनुसार है।

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : वे सिर्फ न्यायालय की व्याख्या को उद्धृत कर रहे हैं। वे तथा कतिपय अन्य सदस्य भी, विशेष रूप से श्री सूरज भान ने विशिष्ट रूप से उन पेंशनभोगियों की दुर्दशा के बारे में उल्लेख किया है जो 1964 के पहले सेवानिवृत हुए थे और परिवार पेंशन प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं और उन्होंने सुझाव दिया है कि इस असमानता को दूर करने की आवश्यकता है। सरकार ने पहले ही इस प्रश्न पर अनेक बार विचार किया है पर इस माँग को स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं समझा गया है। लाभार्थियों की संख्या निर्धारित करना तथा उन्हें ढूंढने में प्रशासनिक कठिनाईयां हैं क्योंकि अधिकांश वैसे पेंशनभोगियों का देहान्त हो गया होगा और पुराने रिकार्डों को ढूंढ़ने में व्यावहारिक कठिनाई है। ऐसी बात नहीं है कि हमें दिए गए सुझावों के प्रति सहानुभूति नहीं है।

श्री आर० के० महालगी : यह सिर्फ दिखावटी सहानुभूति है।

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : यह हमारी पूरी हार्दिक सहानुभूति है। आपने जो कहा है वह दिखावटी सहानुभूति हो सकती है, परन्तु सरकार जो करती है वह अनुकम्पायुक्त सहानुभूति है। श्री गाडगिल ने एक दूसरा मुद्दा यह उठाया है कि पेंशनभोगी मुद्रास्फिति तथा मूल्य वृद्धि का बुरी तरह शिकार हुए हैं और इसलिए सरकार को पेन्शन के मूल्य में गिरावट के विरुद्ध राहत की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने विभिन्न वर्षों में रुपये की कीमत में गिरावट का भी उल्लेख किया है। तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के पूर्व जीवन निर्वाह मूल्य में वृद्धि के लिए पेन्शन-भोगियों को क्षति पूर्ति करने की नियमित पद्धति नहीं। मैं माननीय सदस्यों की नोटिस में यह लाना चाहूंगा कि तीसरे वेतन आयोग ने अखिल भारतीय कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 मासिक औसत में प्रत्येक 16 पाइंट वृद्धि के लिए भविष्य के पेन्शनभोगियो को 5 प्रतिशत की दर से पेन्शन, जो प्रति माह न्यूनतम 5/- रुपये तथा अधिकतम 25/- रुपये होगा, मजूर करने की

सिफारिश की थी। पेन्शनभोगियों तथा परिवार पेन्शनभोगियों की कुल संख्या 12 लाख से अधिक है और मंहगाई भत्ते की प्रत्येक किश्त पर सरकार को प्रति वर्ष 9.2 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस भारी खर्च तथा गैर-विकासात्मक व्यय को कम करने की आवश्यकता को देखते हुए यह अत्यावश्यक है कि सरकार पेन्शनभोगियों के लिए कुछ कर सकती है। यदि श्री चित्त बसु यह कहते हैं कि यह गैर-विकासात्मक व्यय नहीं हैं तो यह दूसरी बात है।

श्री गाडगिल ने अपने विधेयक में पेन्शनभोगियों को मकान किराया भत्ते के भुगतान तथा शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं की भी व्यवस्था की है। श्री वृद्धि चन्द जैन ने पूरे मामले पर पूरा यतार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया है और उन्होंने मेरी ओर से उत्तर दिया है। मेरे पक्ष में बोलने के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रश्न पर विस्तार में जाना नहीं चाहता क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें भारी वित्तीय राशि अन्तर्ग्रस्त है। शिक्षा, मकान किराये, इत्यादि के सम्बन्ध में पेन्शनभोगियों को हो रही कठिनाइयों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। परन्तु यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना पड़ेगा। पेन्शनभोगियों को चिकित्सा सुविधा का संबंध है जो पेन्शनभोगी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करते हैं वे निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अंशदान करके इस सेवा का लाभ उठाने के हकदार हैं। जहां कहीं केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना लागू है, यह सुविधा उन्हें दी जाती है और मैं आशा करता हूं कि अनेक पेन्शनभोगी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निधि में अंशदान करके इस सुविधा का लाभ उठा रहे होंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभी जगह नहीं।

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : जहां यह उपलब्ध है।

श्री जी० एम० बनातवाला : सभापति महोदय, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : श्री सूरज भान ने परिवर्तित पेन्शन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ज्यादा दिन जीवित रहता है तो क्या वर्तमान योजना के अधीन यह नुकसान है ? प्रधान मंत्री ने जो सुझाव दिए हैं उनमें से एक सुझाव यह है कि निर्धारित समय के पश्चात् परिवर्तित किये गये पेन्शन के एक भाग को पुनः बहाल कर दिया जाये। इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री गाडगिल ने जो दूसरा मुद्दा उठाया है वह है विकसित देशों में न्यूनतम पेन्शन निर्धारित है जबकि हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यह सही नहीं है। 23-8-80 को यथा संशोधित पेन्शन नियम के नियम 49(2) (ख) के अनुसार 60 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेन्शन अधिसूचित कर दी गई है। यह नियम 23-8-80 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है।

श्री चित्त बसु ने सामाजिक सुरक्षा, वित्त आयोग की भूमिका तथा उसके द्वारा की गई सिफारिशों, इत्यादि के बारे में चर्चा की है। दिए गये सुझावों के क्रम में उन्होंने यह भी कहा है

कि "अनाथ" शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह चर्चा पेंशन नियम से सम्बन्धित है। सरकार की नीति पंशन को हर संभावित रूप से उदार बनाने की है। प्रधान मन्त्री ने इसका उल्लेख किया है और हम इस पर सक्रियता से विचार कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास ने पेंशनभोगियों के आश्रितों को पेंशन देने का उल्लेख किया है। पेंशनभोगियों के बच्चों को पहले से ही पेंशन मिलती है। परन्तु यह सुविधा पेंशनभोगियों के माता-पिता को उपलब्ध नहीं है। मुझे यह मांग उचित प्रतीत होती है। सरकार उस प्रश्न पर सावधानीपूर्वक विचार करेगी।

श्री अराकल द्वारा उठाये गए मुद्दों का उत्तर हमने पूरी तरह से दे दिया है। उन्होंने जोरदार रूप से यह कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और वे सामाजिक अधिकार की मांग कर रहे हैं न कि किसी प्रकार की छूट अथवा दान की। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने विभिन्न हैसियतों में 30 वर्षों तक देश की सेवा की।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि आपने सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है।

श्री पी० वेंकट सुब्बैय्या : हां, श्रीमान। महालगी विशुद्ध मराठी में बोले हैं। उनके भाषण के जोश उसकी आत्मा तथा भावनाओं को मैं समझ नहीं सका क्योंकि मैं उसका सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद ही समझ सका जो मूल मराठी भाषण के समान अच्छा नहीं हो सकता तथापि जो विभिन्न सुझाव दिए गए हैं उनकी मैं प्रशंसा करता हूं।

छठी लोक सभा की याचिका समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में कहा है :—

"उपर्युक्त अवलोकनों को देखते हुए समिति जोरदार रूप से सिफारिश करती है कि सरकार द्वारा तुरन्त एक पेंशन आयोग का गठन किया जाए जो पेंशनभोगियों की समस्याओं एवं मांगों की गहराई से जांच करे।"

विभिन्न देशों में व्याप्त परिस्थितियों, एक अलग आयोग अथवा कोई निकाय जो समय-समय पर पेंशनभोगियों की समस्याओं पर विचार करेगा, का उद्धरण अनेक माननीय सदस्यों ने किया है। हमने अपने देश में एक अलग पद्धति एवं नीति अपनाई है जिसका स्पष्टीकरण मैंने समय-समय पर माननीय सदस्यों को कर दिया है।

मुझे इसकी आशंका नहीं है कि माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि हम पेंशनभोगियों की वास्तविक समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। पेंशन आयोग की नियुक्ति में धन की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों को सिर्फ यही आश्वासन दे सकता हूं कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों, उनके अवलोकनों को सही जगह अर्थात वित्त मन्त्रालय तक पहुंचा दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त मन्त्रालय वित्तीय विवक्षा की सीमाओं के अन्तर्गत अपने विवेक तथा स्वेच्छा से सभा में दिए गए सुझावों पर विचार करेगा तथा देश की समस्याओं के सन्दर्भ में उचित कदम उठाएगा।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि श्री गाडगिल का उद्देश्य पूरा हो गया है। इस समस्या पर देश के सर्वोच्च मंच अर्थात संसद में विचार विमर्श हो गया है। उन्होंने इस समस्या पर प्रभावी रूप से विचार रखा है और उन्होंने अपना कार्य कुशलता से किया है। अन्य माननीय सदस्यों ने भी वाद-विवाद के दौरान उनका जोरदार समर्थन किया है। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं श्री गाडगिल से अनुरोध करता हूं कि वे विधेयक वापिस ले लें और पेंशनभोगियों की उचित शिकायतों को दूर करने तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने दें।

श्री आर० के० महालगी : उन्होंने अस्पष्ट आश्वासन दिए हैं। वे सिर्फ शब्दों में हैं, कृत्यों में नहीं।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं सभा का कृतज्ञ हूं और विशेष रूप से उन 10 सदस्यों का जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया और विधेयक का समर्थन किया। मैं गैर सरकारी विधेयक की भूमिका एवं क्षेत्राधिकार से अवगत हूं।

मैं उन परिपाटियों से भी अवगत हूं जिनसे ये विधेयक परिचालित होते हैं। यद्यपि, मैं माननीय गृह मंत्री के उत्तर से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं, तथापि मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं लोकमान्य तिलक की इस युक्ति में विश्वास करता हूं कि "जो कुछ मिलता है उसे स्वीकार कर लो और बाकी के लिए संघर्ष जारी रखो।" इसलिए, उन्होंने जो कुछ स्वीकार किया है उन्हें मैं स्वीकार करता हूं, विशेष रूप से प्रधान मंत्री के उस अवलोकन को देखते हुए जिसका उन्होंने उद्धरण दिया है।

उन अवलोकनों को देखते हुए मैं विधेयक वापस लेने की सभा की अनुमति मांगता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किए गए संशोधन को रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों या आश्रितों की सरकारी कर्मचारी के स्वेच्छापूर्वक या अन्यथा सेवा निवृत्त होने या उसकी मृत्यु पर देय पेन्शन, उपदान, महंगाई तथा अन्य भत्तों और फायदों तथा तत्संगत अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं विधेयक वापस लेता हूं।

रोजगार का उपबंध, बेरोजगारी भत्ता सन्दाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम विधेयक

श्री बी० बी० देसाई (रायचूर) :

"कि 25 वर्ष से अन्यून आयु के सभी नागरिकों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ते के संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, जो विधेयक मैंने इस सत्र में पुरःस्थापित किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल देश की एक ज्वलन्त समस्या है। यह रोजगार का उपबन्ध करने, बेरोजगारी भत्ते का संदाय करने और बेरोजगारी स्कीम विधेयक से संबंधित है।

महोदय, जैसा कि हम सबको मालूम है कि बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है और हमारे देश में खतरनाक मोड़ ले ली है। जैसा कि हम जानते हैं बेरोजगारी न सिर्फ शिक्षितों में है बल्कि देहातों में भी अशिक्षित किसान तथा मजदूर या तो बेरोजगार हैं या अंशतः बेरोजगार हैं। विभिन्न स्कीमें और सुझाव या तो संसद में सुझाए गए हैं या सरकारी एजेन्सियों द्वारा। लेकिन समस्या और गहरी है और हम यह सोच रहे हैं कि 1980-81 में जनसंख्या वृद्धि के कारण इस योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में योजना आयोग की गणना गलत हो सकती है। इसलिए, जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में न रखते हुए भी उनकी अद्यतन गणना में विसंगतियां हैं। युवकों में व्याप्त ये सभी सामाजिक तनाव तथा असंतोष जिसका प्रदर्शन वे कर रहे हैं, इसलिए है कि उन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं।

वस्तुतः, सरकार ने 'कल्याणकारी राज्य' की परिभाषा स्वीकार कर ली है। हमारे संविधान निर्माताओं ने निदेशक सिद्धान्तों में 'काम का अधिकार' अन्तःस्थापित किया है। मैं संविधान के अनुच्छेद 41 को उद्धृत करता हूं।

"राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अनर्ह अभावों की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा।"

इस सम्बन्ध में हमारे राज्य ने वृद्धावस्था पेन्शन तथा अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में कदम उठाया है। यद्यपि यह बहुत प्रभावी नहीं है—इस सम्बन्ध में कुछ शुरूआत हुआ है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, जहां तक बेरोजगारी भत्ता अथवाइस सभा के बाहर बेरोजगारी का सम्बन्ध है, अनेक अवसरों पर इस सभा के सदस्य तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के सदस्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया है।

इस पृष्ठभूमि में मैंने इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहा, विशेष करके सरकार का इसलिए, मैंने यह विधेयक पुर:स्थापित किया है।

मैं समस्या की गहराई पर जाने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि इससे सभी अवगत हैं। कालेज या कालेज के बाहर युवकों में अशिष्टाचार का बुनियादी कारण यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता, इसलिए वे कुण्ठित हो जाते हैं। अत: यह हमारा कर्तव्य है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे सभी शिक्षित युवक नहीं तो कम से कम उनमें से अधिकांश युवकों को काम मिल जाए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी शिक्षित सरकारी एजेन्सियों में खपाए जा सकते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार अर्थात् स्वनियोजन का अवसर प्रदान करके अथवा उन्हें अपने तरीके से काम करने की छूट देकर उन्हें लाभकारी रूप में नियोजित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या का समाधान करने में अनिच्छुक है, अर्थात् वह बेरोजगारी भत्ता अथवा रोजगार की गारन्टी व्यवस्था करना नहीं चाहती है, जबकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल जैसे अनेक राज्यों ने किसी न किसी प्रकार से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। यद्यपि उन्हें सीमित सफलता ही मिलेगी, तथापि उन्होंने पूरी कोशिश की है। जब तक केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की मदद नहीं करेगी मैं नहीं समझता कि कोई राज्य सरकार सफल हो सकेगी। इसलिए इस विधेयक के माध्यम से मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति 25 वर्ष या अधिक के हो गए हैं, तथा जो नियोजन कार्यालय में दर्ज हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।

यह विधेयक पहले के विधेयकों से थोड़ा भिन्न है।

जब ऐसे उपाय किए जाएंगे तो साधन ढूंढने पड़ेंगे। विभिन्न राज्यों के पास काम के बदले अनाज कार्यक्रम अथवा रोजगार गारन्टी कार्यक्रम हैं। उन्हें संसाधनों की कमी अथवा अपर्याप्त संसाधन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, विधेयक में इस पहलू पर भी ध्यान दिया गया है और मैंने इसे बीमा स्कीम से जोड़ दिया है। बीमा आबद्ध रोजगार गारन्टी स्कीम विश्व के विभिन्न देशों में लागू है। इस संबंध में उचित अध्ययन किया जा सकता है और एक उचित विधान लाया जा सकता है।

विधेयक की धारा 5 में व्यवस्था है कि :—

"एक बेरोजगारी बीमा योजना भी चलाई जाएगी ताकि इस अधिनियम के अधीन आर्थिक सहायता प्रदत्त करने के लिए एक विशेष निधि का उपबन्ध हो सके"।

धारा 6 में यह व्यवस्था है कि :—

"नागरिक धारा के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का पात्र ऐसी घोषणा प्रदान करने के अध्यधीन होगा कि वह रोजगार प्राप्त करने के तुरन्त बाद बीमा योजना में अंशदान करेगा"।

ऐसा उपबन्ध है कि रोजगार पाने वाले व्यक्ति पर कुछ सीमा तक शुल्क लगाया जाए

ताकि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जुटाए गए साधनों के अलावा इस शुल्क से एक निधि बनाई जाए। यदि हम चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए रोजगार उत्पन्न किए जाएं तथा शिक्षित युवक अनुशासनहीनता न दिखाएं तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन्हें काम दिया जाये और जब तक उन्हें काम नहीं मिलता उन्हें कतिपय भत्ता या अन्य सहायता दिया जाये ताकि जीवन निर्वाह की गारन्टी हो सके।

उदाहरण के लिये महाराष्ट्र राज्य में अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक सभी पंजीकृत समर्थ व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिये रोजगार गारन्टी स्कीम है। कर्नाटक में भी इसी प्रकार की एक योजना है। लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे सिर्फ 100 दिन ही रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। यह 100 दिन या 150 दिन का प्रश्न नहीं है। कतिपय राज्यों में उन्होंने यह किया है कि एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाये। इस योजना में कतिपय त्रुटियां हैं और संसाधनों की कमी के कारण इसके कार्यान्वयन में भी त्रुटियां हैं। जब तक भारत सरकार बड़े पैमाने पर मदद के लिये नहीं आएगी तब तक मैं नहीं समझता कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो पायेगा, क्योंकि हमारे देश में एक दिए गए समय में सभी समर्थ व्यक्तियों को रोजगार देना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इसका कुछ विकल्प ढूंढना होगा।

मैं समझता हूं कि अधिकांश देशों, पश्चिमी देशों तथा अन्य उन्नत देशों ने इस स्कीम को ग्रहण कर लिया है। यह एक प्रकार का उन पर सामाजिक बोझ है जिन्हें रोजगार प्राप्त है जिसे उन्हें उन व्यक्तियों के लिये वहन करना पड़ेगा जिन्हें रोजगार नहीं मिला है। इस पर खीजना नहीं चाहिये। इसलिये, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैंने यह विधेयक पेश किया है। यह कोई बहुत विस्तृत विधेयक नहीं है। लेकिन मैं बेरोजगार की इस समस्या के महत्व एवं आवश्यकता, जैसा कि विधेयक में उपबन्ध किया गया है, सरकार की नोटिस में लाना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पेश करता हूं और मैं आशा करता हूं कि सरकार उचित कार्यवाही करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :—

"कि 25 वर्ष से अन्यून आयु के सभी नागरिकों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ते के संदाय और बेरोजगारी बीमा स्कीम को उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

मुझे पता चला है कि राम सिंह यादव द्वारा सिर्फ एक संशोधन है। वे यहां नहीं हैं। अतः, मैं श्री हन्नान मोल्लाह को बोलने के लिये बुलाता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अगली बार अपना भाषण जारी रखना चाहेंगे ?

श्री हन्नान मोल्लाह : हां, श्रीमान ।

सभापति महोदय : सभा 4 मई, 1981 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 मई, 1981 / 14 वैशाख, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

———